खण्ड-361, अंक-9
बुधवार, 25 फाल्गुन, शक संवत् 1904
(16 मार्च, 1983 ई0)

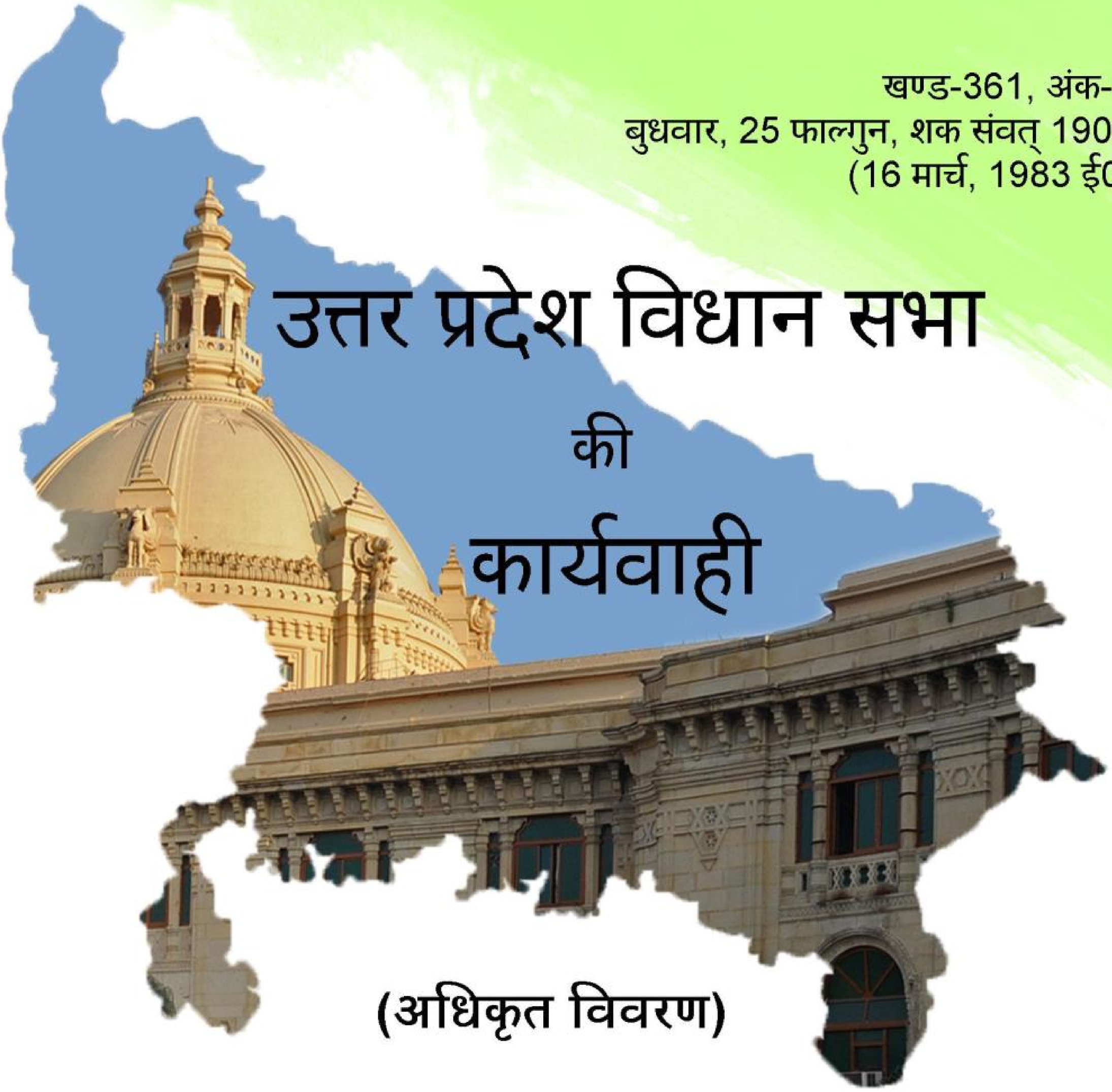

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 361 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या।
उपस्थित सदस्य	...	1369
प्रश्नोत्तर	....	1373
प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	...	1444
परगनाधिकारी फर्रूखाबाद सदर द्वारा खुलेआम घूस लेने एवं व्यापारियों को झूठे अभियोग में फसाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1444
कानपुर महानगर के सड़कों और गलियों में मेनहोल खुले रहने से प्रतिदिन दर्दनाक घटनाओं के घटित होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	1445
ग्राम कोड़वा, जिला बाराबंकी निवासी श्री मूलचन्द की हत्या तथा पुलिस अकर्मण्यता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1446
सहायक अभियन्ता की अकर्मण्यता के फलस्वरूप नहरों से पानी न मिलने के कारण मथुरा जनपद में फसल बरबाद होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1446
नगरपालिका जलालपुर (फैजाबाद) के कर्मचारियों को 4 माह से वेतन न मिलने से हुई हड़ताल से गंदगी एवं बीमारी के फैलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	1447
दिनांक 15 मार्च, 1983 को कतिपय अध्यादेशों के प्रख्यापन के संबंध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय सुरक्षित रहने के बाबजूद उनको सदन के पटल पर रखे जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	...	1447
उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया)	...	1457
उत्तर प्रदेश राज्य भाषा (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया)	....	1457
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्राद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया)	..	1457
उत्तर प्रदेश विक्रीकर (संशोधन और वैद्यीकरण) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया)	...	1458
किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एन्ड एसोसिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) अध्यादेश, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया)	....	4458

उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1983
(सदन के पटल पर रखा गया) ... 1458

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (द्वितीय) अध्यादेश, 1983
(सदन के पटल पर रखा गया) ... 1458

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1983
(सदन के पटल पर रखा गया) 1458

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1983
(सदन के पटल पर रखा गया) ... 1458

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अध्यादेश, 1983
(सदन के पटल पर रखा गया) 1458

उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) अध्यादेश, 1983
(सदन के पटल पर रखा गया) 1459

श्री किशन पाल सिंह की रिहाई की सूचना 1459

पचपेड़वा विकास खण्ड, जनपद गोण्डा में चीनी मिल लगाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई) 1459

श्री यदुनाथ सिंह के दिनांक 14-3-83 के भाषण को समाचार पत्रों में पूरा न छापने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न 1459

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ 1460

झांसी नगर की कानून-व्यवस्था के संबंध में निर्धारित वक्तव्य पर तिथि निर्धारण की सूचना 1467

उपाध्यक्ष के निर्वाचन कार्यक्रम के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ... 1468

वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या 9—कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) तथा अनुदान संख्या 10—कृषि विभाग (कृषि) (स्वीकृत) 1468

अनुदान संख्या 31—परिवहन विभाग (स्वीकृत) 1490

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ 1511

मोहन मेकिन्स नामक शराब बनाने के कारखाने द्वारा छोड़े गये गन्दे पानी से गोमती नदी का पानी विषाक्त होने के सम्बन्ध मे नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ... 1511

नत्थियां ... 1516

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्मसिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—324

अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमान, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथसिंह,श्री(उर्फ अनिल सिंह)(फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी)
(उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित)
आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रबली बह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारू चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)

छेदी लाल श्री, (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री(मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुज्जफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौढ़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूँ)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूँ)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ब्रज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झाँसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झाँसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)

मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूँ)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खाँ, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूँ)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झाँसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नरायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)

लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरिशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 16 मार्च, 1983 ई०

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त प्रश्न ।]

***श्री प्रदीप कुमार यादव—**

[7 वें गुरुवार में नियम 38(2) के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चुर्क तथा डाला सीमेन्ट फैक्ट्रियों में सीमेन्ट के उत्पादन में गिरावट

***1—श्रीमती गौरी देवी—**

क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि मिर्जापुर जनपद स्थित चुर्क व डाला सीमेंट फैक्टरियों में विगत दो वर्षों से लगातार सीमेंट उत्पादन में गिरावट आई है ? यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है ?

उद्योग एवं सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

चुर्क तथा डाला सीमेण्ट फैक्ट्रियों में सीमेण्ट के उत्पादन में गिरावट की बात इस सीमा तक सही है कि वर्ष 1980 की तुलना में चुर्क फैक्ट्री में केवल वर्ष 1982 में गिरावट रही और वर्ष 1981 में सीमेण्ट उत्पादन में कोई कमी नहीं रही, परन्तु डाला में वर्ष 1981 तथा 1982 में सीमेण्ट उत्पादन में कमी रही है। इस कमी का कारण चुर्क तथा डाला की सीमेण्ट पीसने वाली मिलों की खराबी थी। इसके बावजूद भी सीमेण्ट कार्पोरेशन के सीमेण्ट के समग्र उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है क्योंकि जो क्लिंकर उक्त इकाइयों में नहीं पीसा जा सका था उसे चुनार की इकाई में भेजकर 30 प्रतिशत स्लैग के साथ मिलाकर अपेक्षाकृत अधिक सीमेन्ट का उत्पादन किया गया।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, संदर्भित फैक्टरियों में उत्पादन बढाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया है अथवा इस संदर्भ में क्या प्रयास किया जा रहा है, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह बताया गया है कि इसमें ग्राइंडिग मशीन का हैड टूट गया है, इसलिए उत्पादन में कमी आयी थी, तो मान्यवर, वह बनाया जा रहा है और थोड़ी बहुत जहाँ पर कमियां हैं, उसको मान्यवर, ठीक किया गया है।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, पीसने की मशीन में खराबी के लिए वहाँ के अभियन्ताओ की जिम्मेदारी है, तो मामले की कोई जांच कराई गयी तथा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुरसिंह—

मान्यवर, यह कहा गया कि मशीन का जो ग्राइंडिंग यूनिट का हैड था, वह टूट गया था, उसको बनवाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो मान्यवर, इसमें ऐसा नहीं लगता है कि इसमें किसी अभियन्ता की किसी प्रकार की कोई लापरवाही की कोई शिकायत थी। मान्यवर, इसको हम दिखा लेंगे कि किन कारणों से यह ऐसा हुआ है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी यह बता रहे हैं कि ग्राइंडिंग मशीन में खराबी पैदा हो गयी थी, तो मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस खराबी का पता कब चला और इसका सुधार कब किया गया तथा इस बीच में पिसाई का औसत क्या रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जब कोई मशीन टूट जाती है तो पता चला जाता है ऐसा नहीं है कि मशीन टूट जाय और पता ही न चले। जब मशीन खराब हो गयी तो तुरन्त मालूम हो गया। उसको बनवाने के लिए कार्यवाही की गयी और बनवाने में विलम्ब हुआ है। हमने प्रयास किया है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जितना मैक्सिमम प्रयास हो सकता है किया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जाँच करायी जायेगी मैं जानना चाहता हूँ कि जो हमारे पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं उनमें भ्रष्टाचार, कार्यविधि ठीक न होने की बराबर शिकायतें आती हैं। जब यह मामला आपकी जानकारी में आया कि मशीन टूट गयी तो तत्काल इस मामले की जाँच क्यों नहीं करायी गयी ? सीमेण्ट का उत्पादन कम होने से राष्ट्रीय क्षति हो रही है। तो क्या इस सम्बन्ध में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी इग्नोरेंस या शिथिलता आपके सामने आयी ? जाँच कराने के लिए कौन जिम्मेदार है क्या उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने जाँच की बात नहीं की। मैंने कहा कि मैं दिखवा लूंगा। लेकिन जब कोई पुराना पार्टस होता है और टूट जाता है तो यह कोई नयी बात नहीं है। जब यह टूट गया तो प्रयास किया गया और उस पार्ट को लगाकर उत्पादन शुरू किया गया। ऐसा नहीं है कि फाल्ट हो जिसके कारण विलम्ब हुआ है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि मशीन की खराबी के अतिरिक्त और भी बहुत से कारण हैं जिससे उत्पादन कम हो रहा है। इसमें प्रमुख कारण यह है कि श्रमिकों में असन्तोष है। पिछले दो सालों से विभिन्न यूनियन्स से सम्बन्धित जो श्रमिक हैं वह अपनी न्यायोचित मांगों के लिए आन्दोलित हैं। तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मन्त्री जी कोई कदम उठायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह बात सही है कि माननीय विधायक जो कह रहे हैं बराबर वहाँ पर लेबर अनरेस्ट होती रही है। यह भी बहुत बड़ा कारण है फैक्टरी के पूरी क्षमता पर न चलने

का। जो सुविधायें दी जा सकती हैं वह दी जा रही हैं। हमें यह भी देखना पड़ता है कि कोई फैक्टरी चल रही है तो उसको सीक कर दें, बैठा दें, यह भी चलने वाला नहीं है। जितना उत्पादन होगा उतना लेबर को दे सकते हैं, जो कैपेसिटी है उसको देखना पड़ता है। लेबर्स की भी जिम्मेदारी है कि फैक्टरी ठीक से चले फायदा हो। फैक्टरी को फायदा होगा तो लेबर्स को भी ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिलेगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि लेबर्स से बैठक कर बात किया जाय कि उनकी क्या प्राब्लम हैं, क्या कमी है। इसको मैं खुद देख रहा हूँ कि भविष्य में ऐसी बात न होने पाये।

बलिया, रेहाव व नदाव नालों के कारण बाढ़ को रोकने हेतु कथित योजना

***2—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—**

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया, रेहाव व नदाव नालों के कारण आने वाली बाढ़ को रोकने हेतु किसी योजना को इस वर्ष के प्रारम्भ में (जनवरी से सितम्बर, 1982) विभाग की स्थाई समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में सिंचाई स्थायी समिति की बैठक हुई थी। उसमें नालों के विषय में जो भी प्रश्न हम लोगों ने पूछे थे उसमें लिखा गया है कि इन नालों का विकास किया जा रहा है। तो कार्यवाही के अन्तर्गत यह वाक्य लिखा इसका मंतव्य क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने स्थायी समिति में बात उठायी थी। (जनवरी से सितम्बर, 1982) विभाग की स्वीकृति स्थायी समिति द्वारा प्रदान की गयी थी। तो वहां कोई बात कहते हैं वह कोई स्वीकृति नहीं होती है। आपने जो सवाल उठाया था मैंने उसकी जांच और सर्वे कराया। सर्वे करा लिया गया था उस पर काम किया जायगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

अध्यक्ष जी, हिमालय की पर्वत मालाओं के नीचे हमारा क्षेत्र बसा हुआ है। वहाँ से नाले ही नहीं बड़ी बड़ी नदियों आती हैं और दर्जनों आदमी बहकर मर जाते हैं। मान्यवर, इसी वर्तमान सत्र में 16-2-83 को मैंने इन्हीं नालों के संदर्भ में प्रश्न संख्या 27 और 29 (अतारांकित) के द्वारा नालों की बाढ़ से क्षति और रकबे के विषय में पूछा था, तो उसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने बताया था, पानी लगभग एक सप्ताह बाद घटा लेकिन उससे कोई फसल की क्षति नहीं हुई। जबकि यह स्थिति नहीं है। तो, क्या माननीय मंत्री जी सम्बन्धित जांचकर्ता को मेरे साथ भेजकर स्थिति का पुनः जायजा करा लेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ऐसी व्यवस्था कर देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने स्वयं कह दिया है कि सर्वे करा लिया गया है, यथास्थितिनुसार काम करा लिया जायेगा, माननीय सदस्य को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, अभी 11-3-83 को माननीय मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में गोरखपुर से सम्बन्धित विधायकों एवं सांसदों की सिंचाई विभाग की एन०आर०ई०पी० स्कीम के बाबत बैठक हुई थी। उसमें इन नालों के विषय में श्री डी०पी० रस्तोगी, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, गंडक नहर द्वारा भेजी गयी स्कीम, प्रस्ताव को हम लोगों के माध्यम से माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाया गया था, जिसको समिति की बैठक में अनुमोदित भी कर दिया गया था। तो, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आपने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ? यदि हाँ, तो तदनुसार कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने पहले कहा कि अब कोई वाटर लागिंग नहीं है, जल भराव नहीं है। सर्वे करा दिया गया है। उसमें जो भी योजना बन सकती है, उस पर काम कराया जायेगा। माननीय सदस्य को चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

वाराणसी से प्रकाशित होने वाले 'आज' में प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन पत्रों की अंतिम तिथि

***3—श्री विद्यासागर नौटियाल—**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन तथा समाज कल्याण निदेशक द्वारा दिनांक 7 नवम्बर, 1982 में वाराणसी से प्रकाशित होने वाले 'आज' के 'काशी संस्करण' में कोई विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया जिसमें समन्वित बाल विकास परियोजनाओं के हेतु रिक्त पदों के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 15 नवम्बर, 1982 निर्धारित की गयी है ? यदि हाँ, तो इतनी अल्प अवधि निर्धारित किए जाने का क्या कारण था तथा उक्त विज्ञापन राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पढ़े जाने वाले किसी मान्य पत्र में क्यों नहीं प्रकाशित किया गया ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

जी हाँ। अल्प अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्रों की अंतिम तिथि 8-12-82 तक बढ़ा दी गई थी। कथित विज्ञापन प्रदेश के सर्वमान्य 4 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया था जिसके आधार पर पर्वतीय क्षेत्र के भी 35 अभ्यर्थिनियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

श्रीमन्, खुशबू तो उड़ गयी, केवल काँटे बाकी हैं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन पदों के विज्ञापन के लिए कब सूचना दी गयी। किन-किन पत्रों को विज्ञापन गया ? माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में जिन चार समाचार पत्रों का हवाला दिया है, उनके नाम क्या-क्या हैं ? दूसरे हिन्दुस्तान दैनिक, नवभारत टाइम्स और अमर उजाला जो कि पहाड़ में पढ़े जाते हैं, क्या इन पत्रों में भी विज्ञापन के लिए सूचना दी गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, विज्ञापन के सम्बन्ध में शासन की नीति यह है कि विभाग से सम्बन्धित विज्ञापनों की सूचना विभाग को दे देते हैं। सूचना विभाग ने इसको चार पत्रों—दैनिक जागरण, अमर उजाला, अमृत प्रभात और आज में निकाला। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि यह कब दिया गया। तो, मान्यवर यह विज्ञापन सूचना विभाग को 29 अक्टूबर को दिया, उन्होंने 3 नवम्बर को इन समाचार पत्रों को, प्रकाशनार्थ भेजा, इन समाचार पत्रों में यह 7 नवम्बर को प्रकाशित हुआ था।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

श्रीमन्, 7 तारीख को यह प्रकाशित हुआ, उसके बाद माननीय मन्त्री जी ने अत्यन्त कृपापूर्वक अन्तिम तिथि 8-12-82 तक बढ़ा दी। क्या माननीय मन्त्री यह समझते हैं कि उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी या दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली जो अभ्यर्थिनियाँ हैं, उनके पास हेलीकाप्टर उपलब्ध है और वे आ जायेंगी ? मान्यवर, उसके बाद जो यह तिथि बढ़ाने का एमेंडमेंट प्रकाशित हुआ है, यह बहुत बड़ी जालसाजी है। क्या माननीय मन्त्री जी इसको रद्द करने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, जो तारीख बढ़ायी गयी, यह भी अखबार में दी गयी, तो निरस्त करने का कोई प्रश्न नहीं है। 35 अभ्यर्थिनियाँ पर्वतीय क्षेत्र की इसमें शामिल हुई।

श्री कुँवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आपने जो यह तिथि बढ़ाने की बात कही, क्या यह सही है कि आपकी पार्टी के विधायक, जो आगरा के थे, आपके खिलाफ मुख्यमन्त्री को एक पत्र लिखा × × ×

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री कुँवर सिंह नेगी—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह आक्षेप है मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री भीखालाल—

मान्यवर, मैं हरिजन समाज कल्याण मन्त्री और अन्य दूसरे मन्त्रियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ 7 तारीख को विज्ञापन हुआ 15 तारीख अन्तिम तिथि रखी गयी जब माननीय सदस्य ने प्रश्न किया तो सरकार का ध्यान उधर गया और तारीख बढ़ा दिया। मान्यवर, जितने भी विभागीय चुनाव होते हैं, उसमें विभागीय अधिकारियों का भाई

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

भतीजा वाद का वर्चस्व है कि जिसको लेना होता है उनकी लिस्ट पहले बन जाती है। और विज्ञापन का नाटक बाद में किया जाता है। ताकि जिनको लेना है उनका प्रार्थनापत्र आ जाय और सामान्य लोगों का न आ सके। इन सब चीजों से अविश्वास पैदा होता है। सरकार इसको गम्भीरता से देखें ताकि जनता का अविश्वास न बढ़े और यह नाटक समाप्त हो।

श्री गुलाब सेहरा—

मैं भाई भीखालाल जी को बता दूँ कि अक्टूबर में विज्ञापन सूचना विभाग को दिया गया जो नवम्बर के या अक्टूबर के अन्त तक प्रकाशित हो जाना चाहिये था लेकिन सूचना विभाग ने 3 तारीख को अखबार वालों को दिया और 7 तारीख को यह प्रकाशित हुआ। 15-11 पहले तिथि थी इसको 8-12 किया गया ताकि सभी लोग इसमें शामिल हो सकें। मैं आपको बता दूँ कि पहले यहाँ एडहाक नियुक्ति होती थी मैंने ही विज्ञापन कराया और सेलेक्शन बोर्ड बनाया।

श्री श्रीराम संचान, परिचालक तथा श्री बाबू संचान व श्री जगदीश नारायण की परिवहन विभाग में सहायक कैशियर के पद पर भर्ती

***4—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्रीराम संचान, कण्डक्टर, हमीरपुर एवं बाबू संचान को सीधे सहायक कैशियर पद पर नियुक्त कर दिया गया ? साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण, श्री जगदीश प्रसाद को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर दिया गया ? क्या यह भी सत्य है कि अप्रेंटिस ऐक्ट, 1981 के अन्तर्गत 8 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, झाँसी में बेरोजगार हैं उनके प्रार्थनापत्रों की पूर्ण अवहेलना की गयी है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

श्री राम संचान, परिचालक, की प्रोन्नति सहायक कैशियर के पद पर की गयी तथा श्री श्रीबाबू संचान व श्री जगदीश नारायण (जगदीश प्रसाद नहीं) की सहायक कैशियर के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की गयी है। श्री लक्ष्मी नारायण नामक किसी अभ्यर्थी की सीधे सहायक कैशियर पद पर नियुक्ति नहीं की गयी।

अप्रेन्टिस ऐक्ट 1961 के अन्तर्गत सहायक कैशियर के पद पर अप्रेंन्टिस का प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या झाँसी क्षेत्र में केवल 5 है जिन्हें नियुक्ति नहीं दी गयी है।

इस मामले की जांच करायी जा रही है तथा यदि कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मंत्री जी, अपने अन्तिम पैराग्राफ को देखें। यह बताने की कृपा करें कि उक्त मामले के किन-2 बिन्दुओं की जाँच कराने का आदेश दिया है ? जिससे जाँच कराई गई है उस अधिकारी का नाम क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जो क्षेत्रीय प्रबन्धक है वह इस काम को करते हैं अपने क्षेत्र के अन्दर नियुक्ति करते हैं। उसने जो नियुक्ति की वह अवैध की है उनको रिवर्ट कर दिया गया है और सीधी भर्ती वाले जो थे उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है और इस मामले की कि 5 व्यक्तियों को क्यों नहीं रखा गया इसकी रिपोर्ट वहाँ से मंगाई गई है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

प्रश्न मैंने तब उपस्थित किया था जब झाँसी के अन्दर समाचार पत्रों में निकला की 10-10 हजार रुपया लेकर नियुक्तियाँ की हैं। आपने इनको बेकार निकाल दिया। इनको तो आप पुनः लेने पर विचार करें क्योंकि जो साक्षात्कार का स्तर था और उसमें जो शर्तें थीं उन शर्तों में सबसे आगे बोली लगाकर उन लोगों ने नौकरी प्राप्त करली। इनको पुनः नौकरी में वापस लेने की कृपा करें। जिसने नियुक्त किया है उसको तत्काल सर्विस से निकालने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

यह एप्रेन्टिसशिप ऐक्ट है 1961 का, उसमें नियम में यह प्राविधान है कि जो प्रशिक्षण लेगा वह बुकिंग क्लर्क होगा, उसी की पदोन्नति दी जायेगी। जब इसमें अनियमितता हुई है जिसकी जांच चल रही है और जिसके बारे में आप कह रहे हैं—उसके बारे में हम पहले ही आदेश दे चुके हैं कि उसको वहाँ से हटा दिया जाय।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

कृपया मन्त्री जी बताने की कृपा करें कि जिन अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गयी थी इण्टरव्यू के माध्यम से, जो नियुक्त करने वाले की शर्तें थीं, बोली लगा कर सेलेक्ट हो गये थे, अब उनको निकालने का प्रश्न नहीं उठता लेकिन जिसने 10 हजार रुपया लेकर नियुक्तियाँ की हैं उसको सस्पेण्ड करके जाँच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ऐसी कोई शिकायत माननीय सदस्य देंगे तो उनके खिलाफ जरूर कार्यवाही की जायेगी लेकिन रुपया लेकर नियुक्ति की शिकायत मेरे पास नहीं आयी है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मन्त्री जी ने बताया कि क्षेत्रीय प्रबन्धक से जाँच करवा रहे हैं। तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि क्षेत्रीय प्रबन्धक के खिलाफ भ्रष्टाचार की पूरी किताब छपी है और वह किताब आप को दस्तयाब करायी गयी है। तो क्या उसी से जांच करवा रहे हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

यह विषय आज का नहीं है, बहुत पहले का है इसलिए काफी दिन पहले इसकी छानबीन के लिए लिखा गया है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जो पूरी बुकलेट, लाखों रुपयों की है, दस्तयाब हुई है, उस पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

स्वामी प्रसाद जी, आप इस तरह से प्रश्न पूछें कि क्या कोई इस तरह की पुस्तक आप को मिली है और क्या कार्यवाही आप उस पर कर रहे हैं ? पहले नोटिस तो दें कि मिली या नहीं ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

क्षेत्रीय प्रबन्धक पाण्डे जी हैं शायद, उनके खिलाफ पूरी किताब भ्रष्टाचार की, आइटम-वार, आपको दी गई है ? उस पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माननीय सदस्य को ज्ञात है कि हमको उनके लिखे पर क्या आदेश दिये हैं ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

यह तो मिली-जुली बात है ।

श्री चेतराम गंगवार—

मंत्री जी ने बताया कि 1981 में ऐक्ट के अनुसार अनियमितता हुई है । तो जब इस आशय की सूचना है तो इन 5 लोगों को जो प्रशिक्षण प्राप्त थे उसके बाद अनियमित रूप से नियुक्ति कर दी गयी । इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि जो अनियमितता हुई है तो उन नियुक्तियों को समाप्त न करके उस अधिकारी को सस्पेण्ड क्यों नहीं करते ? क्या इसे करने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जो अनियमित नियुक्तियां हुई उनको निरस्त कर दिया गया और जो वहां के कर्मचारी थे उसको रिवर्ट कर दिया गया जिसकी प्रोन्नति मिली थी । और जब रिपोर्ट आई तो जिस व्यक्ति ने काम किया है उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी । स्वामी प्रसाद जी को मालूम है कि हमने क्या कार्यवाही की है ।

जनपद मथुरा में औद्योगिक क्षेत्र में स्थित भूमि पर बाबा जय गुरुदेव द्वारा अनधिकृत कब्जा

***5—श्री सरदार सिंह—**

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में उद्योग विभाग की औद्योगिक क्षेत्र में स्थित काफी जमीन पर बाबा जय गुरुदेव ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है? यदि हां, तो अनधिकृत कब्जा की गई भूमि का रकबा क्या है ? कब्जा की गई भूमि को बाबा से कब तक मुक्त करा लिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

[क] जी हां ।

[ख] 75.515 एकड़ भूमि ।

[ग] अनधिकृत रूप से कब्जा की गई 75.515 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में बाबा जयगुरुदेव के विरुद्ध 5 न्यायालयों में मुकदमें विचाराधीन है। इन मुकदमों का निर्णय हो जाने पर ही अनधिकृत आधिपत्य से प्रश्नगत भूमि को मुक्त कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री सरदार सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, आप कभी दिल्ली गये होंगे। जो हमारा बाई पास है वहां पर यह जमीन है। बहुत कीमती है, करोड़ों रुपये की है। 75 एकड़ है। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह शासन की जानकारी में कब आया कि बाबा जी ने औद्योगिक क्षेत्र की जमीन दबा ली है और अदालत में इसकी कार्यवाही कब की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जहाँ तक कब्जा करने की बात है यह धीरे-धीरे किया गया। जब सम्पूर्ण जमीन एक्वायर हो गयी उसके बाद कब्जा कर लिया। यह मामला पालीटिकल हो गया है। माननीय सदस्य को शायद मालूम न हो कि जनता पार्टी के शासन ने इसमें कहा कि आंदोलन होने की सम्भावना है। शीघ्रता न की जाय, सोच समझकर कोई कार्य किया जाय। फिलहाल रोक दिया था। मामला कोर्ट में है। कोर्ट से निर्णय होने के बाद कार्यवाही होगी।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार शासन की ओर से अदालत में कोई पैरवी नहीं की जा रही है क्योंकि सत्ता पक्ष के मन्त्रीगण बाबा के शिष्य हैं। मेरी जानकारी है कि अदालत में तारीख होती है परन्तु शासन की ओर से कोई पैरवी नहीं की जाती। इस तरह से बाबा जीत जायेंगे और जिस जमीन में हमारे उद्योग खुल सकते थे वह जमीन चली जायेगी। मैं माननीय मन्त्री जी से आश्वासन चाहूँगा कि अपने अधिकारियों को वह आदेश देंगे कि वे पैरवी में ढ़िलाई न करें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

होली के अवसर पर यात्रा आती है। गुरुदेव के यहाँ मेला लगता है। जिन लोगों ने शेड लगाया था उनके शेड जला दिये गये, हटा दिये गये। तरह तरह की अव्यवस्था पैदा की गयी। जैसा कि मैंने कहा जनता पार्टी की सरकार जब थी तब स्टे कर दिया गया था। कहा कि इस प्रकार से शीघ्रता में न किया जावे तमाम प्रकार की आशंकायें पैदा हो सकती हैं। सम्पूर्ण प्रकरण कोर्ट में है। जो कोर्ट का फैसला होगा उसके हिसाब से कार्यवाही होगी।

श्री कन्हैयालाल—

मेरी अपनी जानकारी है कि यह जमीन लगभग तीन करोड़ रुपये की है। जिस वक्त कब्जा किया जा रहा था उस वक्त स्थानीय उद्योग विभाग के अधिकारियों को बताया गया था कि कब्जा हो रहा है परन्तु अधिकारियों ने कोई ऐक्शन नहीं लिया और कब्जा करा दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि जिन उद्योग विभाग के अधिकारियों ने कब्जा कराया उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कब तक करेंगे।

श्री बीर बहादुर सिंह—

ऐसा नहीं है कि उद्योग विभाग के अधिकारियों ने कब्जा कराया हो । जयगुरु देव ने तरह-तरह के दंगे कराये, शेड जला दिये, अव्यवस्था पैदा की । इसको साम्प्रदायिक रूप दे दिया । जब देखा गया कि तरह-तरह की आशंका पैदा हो सकती है तो मामला कोर्ट में दे दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

मान्यवर, जनता पार्टी की सरकार का नाम लिया गया इसलिए जान बूझकर यह सवाल कर रहा हूँ । क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि यह जमीन मुख्य रूप से बाबा गुरुदेव धर्म प्रचार समिति की थी । जिस समय आपात स्थिति लागू की गई थी उस समय इसको अधिग्रहीत करने की कार्यवाही शासन ने की थी । विभिन्न समितियों पर संस्थाओं पर अधिग्रहण कर कुठाराघात किया गया था । शासन के पास मामला आया । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपातकाल में सरकार ने अधिग्रहण की कार्यवाही की थी, बाबा जी ने कब्जा किया । तो इस तथ्य को जानते हुए कि वह पहले बाबा की जमीन थी और उसे आपने गलत ढंग से एक्वायर किया । तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उस जमीन को उन्हें वापस करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

मान्यवर, जो भूमि का अधिग्रहण किया है वह 448.78 एकड़ है । गुरुदेव जी की जमीन केवल 27.8 एकड़ है और उसके बाद उन्होंने इसको 75.515 एकड़ कर लिया । 27 एकड़ जमीन के लिए वह क्लेम कर सकते थे । 75 एकड़ जमीन करने में उनकी नीयत खराब हो गई । अभी भी वे बात नहीं मान रहे हैं और कब्जा करते जा रहे हैं । मान्यवर, एक इण्डिस्ट्रियल बेल्ट बनाया जायेगा वहाँ पर इण्डस्ट्री लगेगी । मान्यवर, जो अधिग्रहण किया गया है वह नियमो के अन्तर्गत किया गया है । इसके बाद भी अगर उनकी 27 एकड़ जमीन थी तो वह उसके लिये क्लेम कर सकते थे । लेकिन अधिग्रहण करने के बाद कोई ऐसा नियम नहीं है कि उनको लौटा दिया जाय ।

श्री हुकम सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अधिग्रहण करने से पूर्व तथाकथित बाबा की 27 एकड़ जमीन थी । तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि बाबा जी अपनी जमीन 27 एकड़ से 75 एकड़ करते गये और आपका प्रशासन खड़ा होकर देखता रहा । जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रश्न किया कि बाबा ने 27 एकड़ से 75 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया । तो मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूँगा कि जिन प्रशासनिक अधिकारियों या आपके विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में वह बाबा 75 एकड़ जमीन पर कब्जा करता गया, उन अधिकारियों के विरुद्ध आप कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने कहा कि वहाँ दो अधिकारी हैं । वहाँ बाबा के आदमी तमंचा व भाला लेकर आये थे, तो वे क्या करते । यदि उनको जमीन देनी ही थी तो वे एक्वायर क्यों करते जमीन को । ये कहना कि इसमें अधिकारी दोषी हैं, गलत है । जब बाबा जी जबरदस्ती जमींन पर कब्जा करते चले गये तो उनके विरुद्ध मुकदमा किया गया है । जब उसका फैसला आ जायेगा तो उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, क्या यह सही है कि जनता पार्टी सत्ता में आयी थी तो वह बाबा जी के सहयोग से आयी हुई थी और उसके पुरुस्कार स्वरूप सरकार ने कानून का उल्लंघन करके जमीन उनको दे दी ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री सरदार सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि बाबा जी के पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो तमंचा, लाठी और भाला लेकर के जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और उनके विरुद्ध अदालत में कार्यवाही चल रही है । बाबा से आपको इतना डर है । और वह वहाँ पर लोगों को हटाते जा रहे हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यदि बाबा से आपको इतना डर है और कल आप अदालत से जीत जाते हैं तो बाबाजी से उस जमीन का कब्जा कैसे लेंगे ? माननीय मंत्री जी यह जानते हुए कि सरकार को दम नहीं है बाबा से इस जमीन को लेने का तो क्या आप इस जमीन को बाबा जी को देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री भीखालाल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने इस जमीन का अधिग्रहण किया था उद्योग खोलने के लिये और बाबा जी ने उस जमीन पर कब्जा किया साम्प्रदायिक उद्योग खोलने के लिये और जिसके लिये आपने अदालत में मुकदमा दायर किया है । लेकिन इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का अभियोग यह है कि आपके अधिकारी उस मुकदमे की पैरवी नहीं कर रहे हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या वह इसकी जल्दी पैरवी कराकर निर्णय लेने तथा उस जमीन पर कब्जा करने और साम्प्रदायिक भावना को बढ़ने से रोकने की कृपा करेंगे ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसका स्टे जनता पार्टी ने दिया था और बाबा जी ने जमीन पर कब्जा कर लिया । जहाँ तक अधिकारियों की बात है कि वे इस सम्बन्ध में दोषी हैं उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की, ऐसा नहीं है । अधिकारी दोषी नहीं हैं । बाबाजी के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है अदालत में जल्दी ही फैसला होने पर उसके ऊपर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री ऊदल—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले वर्ष ही मैंने देखा था कि उस 75 एकड़ के अलावा भी उस बाबा ने कब्जा कर लिया है, क्या सरकार इस बात की जाँच करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसकी जाँच करा ली जायेगी ।

विवेकानन्द पूर्व माध्यमिक विद्यालय हल्द्वानी, जिला नैनीताल को भवन अनुदान

***6—डा० शिवानन्द नौटियाल**

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विवेकानन्द माध्यमिक पूर्व विद्यालय हल्द्वानी, जिला नैनीताल को वर्ष 1982 में जो 41,400 रुपये भवन अनुदान दिया गया है ? क्या इस विद्यालय के पास अपनी भूमि भवन बनाने के लिये है ? यदि नहीं, तो किस प्रकार इस धन का प्रयोग किया गया है और किस तिथि को अधिकारियों ने शासन को यह धन इस्तेमाल होने का प्रमाण-पत्र दिया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्रित की जा ही है ।

डा० शिवानन्द नौटियाल —

मान्यवर, जरा प्रश्न को देखने की कृपा करें । 15-12-82 को दिया गया था और शासन को 18-1-83 को दिया गया, लगभग 3 महीने व्यतीत हो गये हैं अभी तक शासन की ओर से यह कहा जा रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है । एक तो यह जानना चाहता हूँ कि कब तक सूचना मिल जायगी और इस बात को तो छोड़ दीजिये कि नैनीताल का प्रश्न है, इसकी जानकारी तो मंत्री जी को होगी ही क्योंकि रुपया पर्वतीय विकास से गया है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि 41,400 रु० दिया गया है या नहीं ? यदि दिया गया है, तो किस आधार पर दिया गया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

इसकी सूचना तो मुझे नहीं है कि रुपया दिया गया है या नहीं, लेकिन यह जो सूचना मांगी है मा० सदस्य ने, उसके बारे में टेलीफोन से भी सम्पर्क किया गया लेकिन सूचना नहीं मिल पायी । इसके लिये सूचना एकत्रित करने की बात कही गयी है । भविष्य में अगर मा० सदस्य कहेंगे तो सूचना एकत्रित करके उनके समक्ष पेश कर दूँगा ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो प्रश्न आयेगा ।

डा० शिवानन्द नौटियाल—

यह जो रुपया पर्वतीय विकास से गया है, इसकी सूचना प्राप्त करने के लिये तो कोई समय की आवश्यकता नहीं है, तो यह रुपया जो दिया गया है, इसको सुनिश्चित कर दें कि क्या रुपया दिया गया ? और यदि दिया गया है, तो क्यों दिया गया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मैं इसकी छानबीन करके मा० सदस्य को बता दूँगा कि क्या हुआ ।

***7—श्री हरी किशन श्रीवास्तव,**
श्री रेवती रमण सिंह तथा
श्री प्रदीप कुमार यादव—

[निरस्त 7 वें बुधवार में, तारांकित प्रश्न संख्या 8 निर्धारित]

बसों का राष्ट्रीय तथा ट्रकों का सेन्ट्रल जोन एवं राष्ट्रीय परमिट लाटरी पद्धति द्वारा देने की नीति को बदलने की मांग

***8—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—**

क्या परिवहन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि बसों का राष्ट्रीय तथा ट्रकों का सेन्ट्रल जोन एवं राष्ट्रीय परमिट लाटरी पद्धति द्वारा देने की नीति रही है ? यदि हां, तो क्या अब परिमिट देने की नीति बदल गयी है ? यदि हां, तो नई नीति क्या है और यह कब से लागू है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्राइवेट सेक्टर में आल इण्डिया बस परमिट केवल एक बार दिये गये हैं जिन्हें संभागवार निर्धारित कोटे के अन्तर्गत लाटरी डालकर दिया गया। पब्लिक सेक्टर में परमिट चयन करके दिये गये।

सेट्रल जोन में परमिट देने में लाटरी पद्धति कभी नहीं रही।

ट्रकों के राष्ट्रीय परमिट 24-5-79 के निर्देशानुसार विभिन्न वर्गों हेतु निर्धारित कोटा के अन्तर्गत लाटरी द्वारा दिए जाने थे।

14-1-81 को उपरोक्त आदेश निरस्त होने पर यह परमिट प्रार्थियों के गुणावगुण के आधार पर किये गये हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मा० मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, पहले जनता शासन में यह निर्णय लिया गया था कि जो परमिट देने के लिये घपलेबाजी चल रही थी और जिससे शासन की बदनामी हो रही थी, पूर्व शासन की भी और जनता शासन की भी, तो यह सिस्टम तय हुआ था कि लाटरी के द्वारा परमिट दिया जाय ताकि किसी को शिकायत न हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि किन परिस्थितियों में लाटरी सिस्टम को खत्म करके गुणावगुण के आधार पर इसको किया गया ? तथा लाटरी सिस्टम में क्या कमी थी और आपके गुणावगुण की परिभाषा क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वह व्यक्ति जो मोटर व्यवसाय को जानता है और उसके पास कोई परमिट नहीं है तो उसको देने की व्यवस्था है उनको भी परमिट दिये जाएँ ताकि वह उससे अपना कारोबार चलाएँ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि जिन बातों का उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया है, उसकी भी अवहेलना की गयी है और मान्यवर, आमतौर पर यह चर्चा है कि 10-15 हजार रु० तक परमिट खरीदे गये हैं, क्या इसकी माननीय मंत्री जी कृपया जांच करायेंगे नम्बर एक और दूसरी बात यह कि क्या पुनः लाटरी सिस्टम को माननीय मंत्री जी प्रारम्भ करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

माननीय सदस्य अगर लिखकर दे देंगे तो जांच अवश्य करा ली जायेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरे दूसरे भाग का उत्तर नहीं आया दूसरे मेरी सुनिश्चित जानकारी है इस मामले में कि ट्रांसपोर्ट के जो बड़े-2 मालिक हैं, उनके दबाव में आकर यह लाटरी सिस्टम खत्म किया गया है तथा इसमें 40-50 लाख रु० का मामला इन्वाल्व है, इसलिए मान्यवर क्या माननीय मंत्री जी इसकी जाँच करवायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जांच तो अवश्य करा ली जायेगी यदि मा० सदस्य इस विषय में कुछ लिखकर अलग से दे दें वैसे जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, इसी आधार पर भी जाँच हो सकती है ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, एक सूचना माननीय गुलाब सेहरा जी द्वारा प्राप्त हुई थी कि हरिजनों को बस, टेम्पो और मिनी बस आदि खरीदने के हरिजन कल्याण विभाग की ओर से लोन दिये जाने की व्यवस्था है, तो उस लोन के प्राप्त होने पर क्या आप रिजर्वेशन के आधार पर परमिट भी उस पर देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

अगर हरिजन कल्याण विभाग खरीदेगा तो इंकार कैसे किया जा सकता है, वैसे हरिजनों के लिए यह आदेश कर दिये गये हैं कि 18 फीसदी कोटे के अनुसार उनको भी परमिट दिये जाएं ताकि वह भी अपना कारोबार करें ।

श्री ए० सी० ग्राइस—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एक्स-सर्विस एसोसिएशन वालों को भी परमिट देंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

परमिट के लिए जो भी प्रार्थना-पत्र देगा उस पर विचार तो होगा ही ।

श्री धनी राम वर्मा—

जिन ट्रक आपरेटर्स के पास 100-200 ट्रक व 100-50 बसें हैं, उनके अप्रत्यक्ष दबाव के कारण यह लाटरी सिस्टम बदल गया है कि क्या माननीय मन्त्री जी इन मोटर मालिकान के दबाव में न आकर पुनः उस लाटरी सिस्टम को चालू करेंगे और ऐसे जितने भी बस व ट्रक आपरेटर्स हैं जिनके पास बड़ी संख्या में गाड़ियां हैं क्या उनको व उनके परिवार वालों को अब किसी प्रकार का कोई परमिट न देने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को भी भाग्य के सहारे छोड़ने के पक्ष में नहीं हूं ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी —

मान्यवर, आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से परमिट किसी व्यक्ति विशेष द्वारा दिया जाता है या किसी समिति द्वारा दिया जाता है, तो उस समिति में कौन-2 सदस्य हैं क्या उसमें क्षेत्रीय विधायकों को भी सम्मिलित किया गया है ? दूसरी बात यह है कि जिस तरह से इन्होंने हरिजनों के लिये आरक्षण की बात कही है क्या उसी तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिये, पिछड़ी जातियों के लिये या अल्पसंख्यकों के लिये आरक्षण की व्यवस्था होगी, इस बात की जानकारी मैं माननीय मन्त्री जी से चाहता हूँ ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

चूँकि पहले प्रश्न हरिजनों के लिये किया गया था तो मैंने उसका उत्तर दे दिया। मान्यवर, आरक्षण की कोई सीमा नहीं है लेकिन जब गुण और अवगुण के आधार पर परमिट देने की व्यवस्था है, उसमें गुंजर नहीं हो सकती है। माननीय सदस्य किसी आर० टी० ए० कमेटी में नहीं हैं, सिर्फ स्टेट ट्रान्सपोर्ट अथारिटी जो है उसमें इस समय नान आफिशियल मेम्बर दो हैं।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, मैंने यह नहीं पूछा है सिर्फ क्षेत्रीय विधायक की बात कही है।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से आप नहीं बोलेंगे। अब प्रश्न कीजिये।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से परम आदरणीय मन्त्री जी से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूँ कि उस समिति में दो आफिसर हैं तो इस आदरणीय सदन के विधायकों में से सम्बन्धित क्षेत्रीय विधायक को उसमें शामिल करने की क्या कृपा करेंगे, यह स्पष्ट रूप से वह बतला दें ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

इस पर विचार किया जायेगा।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सन्दर्भित, क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ वर्षों पूर्व बसों का परमिट देने के लिये राजनैतिक पीड़ित परिवारों के लिये आदेश थे ? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में इन आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया या वह सुविधा उनको क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

आज भी आदेश हैं कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों द्वारा कोई परमिट के लिये आवेदन पत्र दिया गया तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उसे परमिट दिया जायेगा।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी यह देखते हुए कि बसों के परिमिटों में कुछ लोगों की मनोपोली होती चली जा रही है और उन्हीं को आप बराबर परमिट देते चले जा रहे हैं तो क्या इसके लिये आप कोई मैकसिमम लिमिट का निर्धारण करेंगे कि किसी परिवार को, या किसी व्यक्ति को, या किसी कम्पनी को, या किसी आदमी के नाम से 5 या 10 से ज्यादा परमिट उसको नहीं दिये जायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैंने तो यह आदेश दिये हैं कि एक व्यक्ति को एक ही परिमिट दिया जाय क्योंकि इम्पलायमेंट का सवाल है, लोगों की रोजी-रोटी का सवाल है इसलिये मैंने यह आदेश दिये हैं। लेकिन पहले से जो नियम कहें वह ऐसे हैं कि एक व्यक्ति को तीन तक परमिट दिये जा सकते हैं और कम्पनियों को सात तक परमिट दिये जा सकते हैं।

शारदा सहायक खण्ड 37 एवं 38, जनपद जौनपुर में जल आपूर्ति न होने से फसल को क्षति

*9—**श्री प्रभूनारायण सिंह**—(अनुपस्थित)

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि शारदा सहायक खण्ड 36 एवं 38 के उस भाग में जो जनपद जौनपुर से होकर गुजरती है माह सितम्बर, 1982 से नवम्बर, 1982 तक पानी की, आपूर्ति न होने से इस क्षेत्र के किसानों की धान की फसल प्राय: नष्ट हो गयी ? यदि हाँ, तो क्या किसानों की क्षति को देखते हुए सरकार इस सिंचाई रेट को माफ करेगी और भविष्य में नियमित जल आपूर्ति करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद जौनपुर में शारदा सहायक खंड 36 में सुल्तानपुर ब्रांच सिस्टम और जौनपुर ब्रांच सिस्टम है। शारदा सहायक खण्ड 38 जौनपुर में मड़िया हूँ ब्रांच सिस्टम की नहरें हैं। केवल सुल्तानपुर ब्रांच सिस्टम में कृपकों द्वारा 13-9-82 को सुल्तानपुर ब्रांच काट देने के कारण कुछ समय के लिए पानी की कमी रही। पूरे खण्ड 38 और 36 के उस भाग में, जो सुल्तानपुर ब्रांच सिस्टम पर नहीं पड़ता है, पानी की कोई कमी नहीं रही। जौनपुर, शाहगंज और कैराकत तहसीलों में सितम्बर से नवम्वर तक वर्षा होती रही। सुल्तानपुर ब्राँच में जौनपुर जिले में पानी नहर में पहली सितम्वर से चौदह सितम्वर, अक्टूबर में 7 से 14 तक तथा 28 से 31 तक और नवम्वर में पूरे मास पानी चलता रहा। केवल खण्ड 36 में कुछ धान के क्षेत्र में पानी की कमी के कारण 50 प्रतिशत से कम फसल की क्षति हुई।

चूंकि क्षति 50 प्रतिशत से कम की थी अत: नियमानुसार सिंचाई कर में छूट देय नहीं है।

भविष्य में नियमित जल आपूर्ति का पूरा प्रयास किया जाता रहेगा।

*10—**श्री रुद्र प्रताप सिंह तथा**
श्री श्याम नारायण तिवारी—

[14 वें बुद्धवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

परिवहन विभाग (संगठन शाखा) में अधिकारियों के रिक्त पद

***11—श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी—**

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग (संगठन शाखा) में स्वीकृत जनशक्ति के आधार पर अधिकारियों के कितने पद कब से रिक्त पड़े हैं और अब तक उन्हें न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

परिवहन आयुक्त संगठन में अधिकारियों के रिक्त पदों का विवरण संलग्न है । इसमें से अधिकांश पद माननीय न्यायालयों के स्थगनादेशों के कारण रिक्त रखने पड़े हैं ।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के पदों को सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा 1980 के अन्तर्गत चयन अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में स्थगनादेश अब निरस्त कर दिये गये है, जिसके परिणामस्वरूप रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ पर ।)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उनके परिवहन विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों की जनशक्ति के आधार पर अधिकारियों के पदों के सृजन के लिये क्या मानक निर्धारित किये हैं, क्या मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, यह तो रिक्त पदों के सम्बन्ध में प्रश्न है । अगर माननीय सदस्य मानक चाहते हैं तो उसके लिये अलग से प्रश्न करें ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, जो कैसेज कोर्ट में हैं और रिक्त थे उनमें एडहाक एप्वाइन्टमेंट किया जा चुका है तो क्या उन्हीं को रेगुलराइज करने का आपका प्रोग्राम है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, ये पद उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से रिक्त रहे हैं सिर्फ दो पद ऐसे हैं जो स्थगन आदेश के आधार पर रिक्त रहेंगे और बाकी पदों को भर दिया जायेगा । इस समय वह लिस्ट मेरे पास नहीं है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

यह पद कब तक भर दिये जाने की आशा है ? कब तक आप इन पदों को भर देंगे ?

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 11 श्री श्याम लाल बाजपेयी की रुचि पर लिया गया ।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, लोक सेवा आयोग से चुने हुए अभ्यर्थी जो हैं उनका केरेक्टर वैरिफिकेशन हो रहा है। उसके बाद उनकी नियुक्ति हो जायेगी।

*12—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[11 वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नये वेतनमान

*13—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में कार्यरत समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन का नये वेतनमान में निर्धारण अब तक नहीं हुआ है ? यदि हाँ, तो क्यों ? सरकार वेतन का नए वेतनमान में कब तक निर्धारण करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के 1123 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन नये वेतनमान में निर्धारित करने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। शेष 594 कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री संत बख्श रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूँ कि जो शेष 594 कर्मचारी हैं जिनके वेतन निर्धारण का प्रश्न है, वह कर्मचारी कितने समय से सेवा में हैं और उनके वेतन निर्धारण न करने का क्या कारण है और आप कब तक कर देगें ?

श्री अध्यक्ष—

आपने 3 सवाल कर लिए। मन्त्री जी को उत्तर देने दें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

594 तो ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन निर्धारण नहीं हो सका है, इसका मुख्य कारण यह है कि उद्योग विभाग में इनके पद नाम का कोई और पद नहीं था इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि किस पद नाम पर वेतन निर्धारित किया जाय। इस पर जल्दी ही निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री संत बख्श रावत—

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1123 अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का प्रश्न है, तो उसमें विलम्ब क्यों हो रहा है, इसी प्रकार से खादी उद्योग में कुछ पद सृजित किए गए थे, तो उनकी संख्या क्या है और उनका भी वेतन निर्धारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, 1717 पद हैं, 1123 का तय हो चुका है और आदेश हो चुके हैं। 594 का शेष रह गया है, जिसके लिए मैंने बताया कि कोई पद नाम नहीं था इसलिए देरी हुई। इस पर कार्यवाही हो रही है और जल्दी ही निर्णय हो जायेगा।

***14—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—**

[8 वें बुधवार के लिए स्थगित]

शारदा सहायक पोषक नहर से सीतापुर जनपद में सीपेज से प्रभावित भूमि

***15—श्री हरगोविन्द वर्मा—**

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत बनी नहर से जिला सीतापुर की कितनी जमीन सीपेज से प्रभावित है ? क्या यह सत्य है कि नहर से 4 कि० मी० से लेकर 10 कि० मी० दूर तक स्थित गाँवों के 75 फीसदी मकान गिर गये हैं और 25 फीसदी मकान की दीवालें टूट चुकी हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन गांववासियों को बसाने की कोई योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शारदा सहायक पोषक नहर से सीतापुर जनपद में 3200 हेक्टेयर क्षेत्र सीपेज से प्रभावित हुआ है। उपरोक्त के अतिरिक्त नदी के मध्य लगभग 3000 हेक्टेयर क्षेत्र जल भराव से प्रभावित हुआ है। सीतापुर जनपद में शारदा सहायक पोषक नहर के सीपेज से कोई मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुए। अतः ग्रामवासियों को पुनः बसाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजीव गांधी, संसद सदस्य के रुद्रपुर देवरिया कार्यक्रम में ली गयी परिवहन निगम की कथित बसें

***16—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—**

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजीव गांधी, संसद सदस्य के रुद्रपुर देवरिया के 29 नवम्बर, 1982 के कार्यक्रम के सम्बन्ध में परिवहन निगम की कितनी बसें काँग्रेस (आई) ने ली थीं ? उनके आरक्षण के लिए देवरिया परिवहन निगम के कोष में कितनी धनराशि उक्त सम्बन्ध में जमा की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

दिनांक 29 नवम्बर,82 को परिवहन निगम को कोई बस श्री राजीव गांधी के रुद्रपुर- देवरिया कार्यक्रम के लिऐ कांग्रेस (आई) ने नहीं ली थी। अतः आरक्षण शुल्क परिवहन निगम कोष में जमा किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन निगम में आफ रोड पर बसों की संख्या बढ़ने से कर्मचारियों की अधिकता

***17—श्री शंकर सिंह—**

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उ० प्र० परिवहन निगम के पांच हजार कर्मचारियों के लिए निगम के पास कोई काम नहीं है जिसके कारण

निगम को भारी घाटा हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके लिए कार्य की व्यवस्था करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

परिवहन नियम में आफ रोड बसों की संख्या बढ़ने के कारण कुछ कर्मचारी अधिक हो गये हैं जिनसे अन्य समान कार्यवाले स्थानों पर काम लिया जा रहा है ।

श्री शंकर सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके परिवहन निगम में कितनी बसें आफ रोड है जिसके कारण 5 हजार कर्मचारी बेकार हैं और उनके पास कोई काम नहीं है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

2175 बसें आफ रोड हैं ।

श्री शंकर सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगा कि जो कर्मचारी बसों में लगे हुए थे वे एक स्पैसिफिक जौब के कर्मचारी थे और वह स्पैसिफिक जौब इस समय है नहीं तो उनसे दूसरा कौन सा काम लिया जा रहा है ? दूसरा यह कि जो आफ रोड बसें हैं वह किस किस रीजन में कितनी बसें हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जो बसें आफ रोड हैं उनको रिप्लेस करने के लिए कुछ गाड़ियों को खरीदने का प्रस्ताव है जैसे ही वे गाड़ियां खरीद लेंगे उनको उस काम में ले आयेंगे ।

श्री शंकर सिंह—

जो मैंने पूछा ही नहीं उसका उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे हैं । मैंने पूछा था कि 5 हजार कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है उनको आपने अन्य कौन सा काम दिया है जैसे डाईवर या कंडक्टर हैं उनको आप काऊंटर पर बिठा नहीं सकते हैं, वर्कशाप का काम ले नहीं सकते हैं तो कौन सा काम उनसे ले रहे हैं, दूसरा यह कि किस रीजन में कितनी बसें आफ रोड हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कितनी बसें आफ रोड हैं और उनके जो कर्मचारी हैं उनको इधर उधर दूसरे कामों पर लगाया जा रहा है जो परिवहन से संबंधित काम है ।

सीतापुर नगर को बाढ़ से बचाने के लिए स्वीकृत बाढ़ नियंत्रण योजना

***18—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगर को बाढ़ से बचाने के लिए स्वीकृत बाढ़ नियन्त्रण योजना की रूपरेखा तथा निर्माण की प्रगति क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह --

सीतापुर नगर की सरायन नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु 415.15 लाख रुपये की प्रस्तावित योजना में मुख्यतया निम्नलिखित कार्यों के प्राविधान किये गये थे :—

1–3.94 कि.मी. लम्बाई में सरायन नदी के दायें किनारे पर तटवर्तीय बांध, जिसमें 240 मीटर लम्बी पक्की दीवार शामिल है ।

2–4.25 कि. मी. लम्बाई में सरायन नदी के बायें किनारे पर तटबर्तीय बांध, जिसमें 860 मीटर लम्बी पक्की दीवार शामिल है ।

3–1.01 कि. मी. लम्बाई में हाजीपुर बांध का निर्माण ।

4–तीन पुलों को तोड़कर दुबारा निर्माण ।

5–लाचिंग, एप्रन व पिचिंग ।

6–15 नये रेगुलेटरों का निर्माण एवं पम्पिंग की व्यवस्था ।

यह योजना दिनांक 14.6.82 को तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने पर समिति ने इसे स्वीकृत न करके इस पर कुछ सुझाव दिये थे, जिन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

चूँकि यह योजना अभी उक्त समिति से स्वीकृत नहीं हुई है अतः निर्माण की प्रगति का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

मान्यवर, आज के उत्तर में और इसके पहले के सवाल के उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने कैटेगोरिकली स्वीकार किया था कि इस वर्ष कार्यान्वियन हो जायेगा लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि 14-6-82 को टैकनिकल सलाहकार समिति की बैठक में उस योजना जिस को आपने स्वीकृति की घोषणा की थी उस पर क्या क्या आपत्तियां की गयी हैं और वह क्या हैं । 8 महीने हो गये हैं क्या उनको पूरा कर दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

मान्यवर, तकनीकी समिति ने कुछ सुझाव दिये हैं जिनके अनुसार रेलवे विभाग की पुलों के सम्बन्ध में सहमति प्राप्त करनी है । नदी की हाईड्रालिक सर्वे करनी है तथा झाड़ झंखार एन०आर०ई०पी० की धनराशि से साफ करानी है । मान्यवर, इस तरह से हम रेलवे विभाग से बात करेंगे कि पुलों के बारे में कोई खतरा तो नहीं होगा । मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो कमियां हैं उनको पूरा कर लिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

मान्यवर, मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसके लिये मैं आभारी हूँ । मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो उन्होंने सर्वे की बात कही है वह तो सर्वे रिपोर्ट उसमें लगी हुई है और उस कमेटी को कोई आपत्ति नहीं है । जहाँ तक पुल का सवाल है और जहाँ पर यह पुल बनना है वहीं पर एक पुल आता है जो दो सौ फिट की दूरी पर है । तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे और अपने अधिकारियों को इस तरह का निर्देश देंगे कि तत्काल रेलवे से नऐ ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर 1983-84 में ही इस कार्य को पूरा करा देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसको जल्दी करा लिया जायेगा और इसी वर्ष इसको शुरू कर दिया जायेगा ।

हरिजनों हेतु बनी दूकानों के निर्माण कार्य में टेण्डर की स्वीकृति

***19—श्री कल्लू राम —**

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में वर्ष 1981-82 में हरिजनों हेतु बनी दुकानों के टेंडर में वरती गयी अनियमितताओं एवं विभाग द्वारा शटर की आपूर्ति बिना नियमित टेंडर के (करके) लाखों रुपए के किए गये गोलमाल के सन्दर्भ में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

वर्ष 1981-82 में हरिजनों हेतु बनी दूकानों के निर्माण कार्य में टेण्डर की स्वीकृति नियमानुकूल जनपद स्तरीय समिति द्वारा विकास खण्डवार की गई जिसमें शटर सहित दुकान की लागत मूल्य रु० 10,000/- थी । प्राप्त सूचना के अनुसार कोई अनियमिततायें नहीं की गई । अतः अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री मान्धाता सिंह, एम० एल० सी० का ज्ञापन

***20—श्री राम आसरे वर्मा—**

क्या समाज कण्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में श्री मान्धाता सिंह, एम० एल० सी० के ज्ञापन दि० 27-12-82 के साथ परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उ. प्र. के पत्र दि० 4-12-82 की प्रतिलिपि उन्हें प्राप्त हुई ? यदि हाँ, तो उपरिलिखित ज्ञापन-पत्र की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हाँ ।

ज्ञापन दिनांक 27-12-82 की प्रतिलिपि संलग्न है ।

निर्देशक, हरिजन एवं समाज कल्याण से आख्या प्राप्त की जा रही है ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ पर ।)

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद को जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद द्वारा आवंटित धनराशि में घोटाला तथा जांच रिपोर्ट

*1 —श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र —(अनुपस्थित)

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद को अनियमित रूप से लगभग चार लाख रुपया आवंटित करने वाले हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? क्या यह भी सत्य है कि इसके बारे में कोई जांच भी सरकार ने की है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद को जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद द्वारा आवंटित धनराशि के घोटाले का मामला स्थानीय पुलिस के विवेचनाधीन है। पुलिस की अन्तिम रिपोर्ट के अभाव में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

जी हाँ। उप निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण फैजाबाद मण्डल से जाँच करायी गयी। जांच रिपोर्ट संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ पर।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इसमें मेरी रुचि है।

श्री गुलाब सेहरा—

इसमें एक सूचना भी मैं दे दूं, इसमें डिपार्टमेंटल ऐक्शन हुआ था विजीलेंस की रिपोर्ट के बाद में और डिप्टी डायरेक्टर, हरिजन एवं समाज कल्याण तथा जिला हरिजन कल्याण अधिकारी दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मंत्री जी अपने हरिजन कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार उन्मूलन का बड़ा दम्भ भरते रहे हैं, अभी जानकारी दी है कि उप निदेशक भी सस्पेण्ड किये गये हैं, तो जब यह मामला हुआ 78-79 में, श्री मित्रसेन, सदस्य विधान सभा इस मामले को 8 मार्च, 81 को यहाँ प्रकाश में लाये, 13 मार्च को शासन ने दौलतराम से कहा कि जाँच होनी चाहिए और 19 मई, 81 को शासन के पास उसकी रिपोर्ट आ गई है, तो इसमें दो पंक्तियों पर ध्यान देने की कृपा करें। इसमें इतना तथ्य प्रकाश में आया है कि विद्यालय द्वारा ऐसे अनेक छात्रों के नाम से छात्रवृत्ति आहरित की गई है जो कि विद्यालय में अध्ययन नहीं करते। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जाँचकर्त्ता ने साफ-साफ कह दिया कि जिला हरिजन कल्याण अधिकारी भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं दो वर्ष पहले यह कह दिया, तो उसके बाद भी आज

नोट:—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की रुचि पर लिया गया।

तक आपने कोई विभागीय कार्यवाही क्यों नहीं की ? उसको करने में इतना जो विलम्ब हुआ है उसका क्या कारण है ? क्या इनको बचाने में और भी वरिष्ठ अधिकारियों का हाथ है ?

श्री गुलाब सेहरा—

वह ठीक ही कह रहे हैं कि हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति में घपला जिले-जिले में है, इसकी सूचना प्राप्त हुई है। पिछले दिनों, पहली बार मैंने अपने विभाग में एक हरिजन सेल बनाया है और उसने विभाग में 146 मामले अब तक पकड़े हैं। ऐसे मामलों में शासन जितनी सख्ती कर सकता है कर रहा है। इस मामले में जब हमारे विजीलेंस सेल ने रिपोर्ट दी तो मैंने डिप्टी डायरेक्टर को भी सस्पेण्ड किया और जिला हरिजन कल्याण अधिकारी को भी। साथ में जो सम्बन्धित ए० डी० डी० ओ० थी, उसको भी सस्पेण्ड किया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं इस संबंध में निश्चित रूप से यह जानना चाहता हूँ कि जब यह मामला करीब 4 लाख रुपये के घपले का मई में शासन की दृष्टि में आ गया, तो तब से अब तक यानी फरवरी, 83 तक की दो साल की अवधि में इसमें कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? तत्काल वह कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, किसी को दंडित करने के लिए पूरी कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है। विजीलेंस सेल को इसीलिए लगाया गया था कि जब यह मामला अदालत में भी जाये तो क्रिमिनल केस बन सके। पहला उद्देश्य यही है कि जिसने घपला किया है वह बचने न पाये, तथ्यों की विवेचना में भले ही समय लग जाय। इसलिए सही तरीका अपनाया गया और उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है।

श्री माधव प्रसाद—

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, उन्होंने कहा कि हमने तीन अधिकारियों को निलम्बित कर दिया है। मामला 79-80 का है। यह भी स्वीकार किया है कि 4 लाख रुपये से ज्यादा विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का घपला हुआ है और इसे रिपोर्ट में डिप्टी डायरेक्टर ने भी स्वीकार किया है कि ऐसे अनेक छात्रों के नाम से छात्रवृत्ति आहरित की गयी है जो कि विद्यालय में अध्ययन नहीं करते। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस हरिजन कल्याण अधिकारी के समय का यह मामला है, क्या उस हरिजन कल्याण अधिकारी की प्रोन्नति कर दी गयी है ? दूसरा प्रश्न यह कि जो 4 लाख की धनराशि का घोटाला है, जिन हरिजन छात्रों को नहीं मिली है, क्या वह उन हरिजन छात्रों को दिलाने का कष्ट करेंगे, जिनको कि यह मिलनी चाहिये थी ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, इसमें बहुत से ऐसे लोगों ने जो हरिजन छात्र नहीं हैं, गलत तरीके से यह छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली। अब एक एक व्यक्ति का वेरिफिकेशन कराने में विलम्ब तो हो जाना स्वाभाविक ही है। (व्यवधान)

श्री प्रियदर्शी जेतली—

उत्तर ठीक नहीं आ रहा है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष—

उनको उत्तर ठीक देना चाहिये, यह उनका काम है ।

श्री मोती लाल देहलवी—

लाखों और करोड़ों रुपये का घोटाला करके अधिकारी लोग अपने को मजबूत कर लेते हैं आर्थिक रूप से और फिर वे उच्च न्यायालय आदि में जाकर उसका लाभ उठा लेते हैं । लेकिन जो नुकसान होता है वह अपनी जगह पर बरकरार रहता है । तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसा प्राविधान करेंगे कि जब किसी अधिकारी का निलम्बन हो तो साथ-साथ उससे रुपया वसूल किया जाय ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, मैं सदन के संज्ञान में यह लाना चाहता हूँ कि हमने पहली दफा यह निर्णय लिया 1982 में कि जिसने इस तरह के रुपये का घोटाला किया है, चाहे वह हरिजन छात्रवृत्ति का पैसा हो, चाहे विकलांगों का हो, चाहे विधवा पेंशन आदि का हो, उसमें जो भी व्यक्ति दोषी हो उससे लैंड रेवेन्यू की तरह वह पैसा वसूल किया जाय उसकी जमीन और जायदाद आदि से ।

श्री प्रियदर्शी जैतली—

क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिन हरिजन कल्याण अधिकारी के समय का यह मामला है क्या उनकी प्रोन्नति हो गयी है ? दूसरा प्रश्न यह कि जिन हरिजन छात्रों को यह छात्रवृत्ति नहीं मिल पायी है, क्या उनको उसे दिलायेंगे ? तीसरा प्रश्न यह कि इसमें हरिजन कल्याण विभाग के जिस लिपिक का हाथ है, क्या उसके खिलाफ भी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

पहले सवाल की मुझे सूचना नहीं है । दूसरे का जवाब यह है कि इसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ पूरी कार्यवाही की जायेगी । जहाँ तक छात्रवृत्ति देने का प्रश्न है, उसमें तो जाली लोगों ने प्रमाण-पत्र प्राप्त कर गलत तरीके से उसे ले लिया है । अगर कोई जेनुइन छात्र रह गया है तो उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

जिन अधिकारियों ने उनको गलत प्रमाण-पत्र हरिजन होने का दिया है, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

जो भी आदमी इसमें शामिल है, गलत प्रमाण-पत्र दिया है या रुपया गलत तरीके से लिया है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और समस्त रुपया वसूल किया जायेगा ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह तो साबित हो गया कि वह हरिजन नहीं थे और उनके नाम पर दूसरे ने छात्रवृत्ति ले लिया । तो जिन लोगों ने छात्रवृत्ति के लिये हरिजन का प्रमाण-पत्र दिया है, चाहे वह तहसीलदार हो और चाहे हमारे कुछ विधायकों ने उसकी संस्तुति की है, माननीय मंत्री जी उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, इन कैसेज में हम एफ० आई० आर० करा कर क्रिमिनल कैसेज चलाते हैं। मान्यवर, फतेहपुर में एक डिग्री कालेज के क्लर्क और चपरासी तथा चौकीदार ने छात्रवृत्ति का रुपया ले लिया, तो उनके खिलाफ एफ० आई० आर० कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी। तो मान्यवर, इस संदर्भ में जो भी शामिल होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या हरिजन छात्रवृत्ति देने के लिये एक प्रोसीजर सरकार ने बना रखा है। मान्यवर, पहले फार्म छात्र भरते हैं, काष्ट सर्टिफिकेट लगती है, फार्म प्रिंसिपल कार्यालय में जमा होता है, फिर वह फार्म वहां से हरिजन कार्यालय में जाया करते हैं, वहां से क्लर्क, प्रधान लिपिक जिला हरिजन अधिकारी से सैंक्शन कराते हैं और उसके बाद अथारिटी लैटर जब जारी हो गया, तो पैसा ड्रा होता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि फार्म क्या वास्तविक छात्रों ने भरे और अथारिटी लैटर क्या वास्तविक छात्रों को जारी हुए और उसको किसने ड्रा किया ? क्या यह सही है कि जाली हस्ताक्षर ड्राईंग और डिस्बर्सिंग अधिकारी का भी बनाया गया और उसका पूरा रुपया हरिजन अधिकारी हड़प गया। मान्यवर, जब यह उत्तरदायित्व सिद्ध है, तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूँ। यह बहुत व्यापक सवाल है।

सीमान्त जिला चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ के एम० बी० बी० एस० तथा बी० ए० एम० एस० के छात्रों को सीमान्त छात्रवृत्ति की दरें समान होने पर विचार

****2—श्री कुँवर सिंह नेगी—**

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को जानकारी है कि सीमान्त जिला चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ के एम० बी० बी० एस० में पढ़ने वाले छात्रों को प्रतिमाह सीमान्त छात्रवृत्ति दी जाती है ? क्या यह सही है कि 5 वर्ष की आयुर्वेदिक महाविद्यालय में बी० ए० एम० एस० की पढ़ाई करने वाले उक्त तीनों जिलों के विद्यार्थियों को उन्हीं के बराबर सीमान्त छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों और इस विसंगति को कब तक दूर कर दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। प्रश्नगत छात्रवृत्ति के नियम 1966 में बनाये गये थे। कुछ समय पूर्व से यह मांग है कि प्रश्नगत कोर्सों के लिये छात्रवृत्ति की दरें समान होनी चाहिए। इस मांग के औचित्य पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। अन्तिम निर्णय में अधिक समय नहीं लगेगा।

श्री कुँवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो पर्वतीय क्षेत्र के छात्र एम० बी० बी०-एस० में पढ़ रहे हैं उनको आप 125 रु० मासिक छात्रवृत्ति देते हैं और जो आयुर्वेदिक कालेज में पढ़ रहे हैं उनको छात्रवृत्ति आप केवल 50 रु० देते हैं।

मान्यवर, इनकी ट्रेनिंग बराबर है, खर्चा बराबर है, तो आज तक इस विसंगति का क्या कारण रहा जबकि सरकार ने यह निर्णय ले लिया कि आयुर्वेदिक और एलोपैथ में एक-समता आ गयी, तो 125 रुपया देने में आपको क्या आपत्ति है। मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहूँगा कि आयुर्वेद वालों को 125 रुपया छात्रवृत्ति देने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, पहले ही निवेदन किया था कि सक्रिय रूप से इस पर विचार किया जा रहा है और एक कमेटी सचिव स्तर पर बैठी जिसने इस प्रश्न पर विचार किया और कहा कि यह ठीक है। तो इस पर जल्दी ही हम निर्णय ले लेंगे, वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद यह छात्रवृत्ति मिलने लगेगी।

श्री चारु चन्द्र ओझा—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तरखंड जिला बना तो 1960 में यह आदेश पारित हुआ था, तो उस समय यह था कि 500 रुपये से कम जिसकी आय होगी उसको छात्रवृत्ति देंगे लेकिन बेतन बढ़ा और 500 रुपये आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को मिलता है। तो क्या मन्त्री जी इस 500 रुपये की आय की सीमा को बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि इस विषय में जब भी सरकार निर्णय ले तो क्या सरकार 1982--83 के एकेडेमिक सेशन के प्रारम्भ से बढ़ी हुई छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को देने की कृपा करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, जब से नियमों में संशोधन होगा और वित्त विभाग उसकी स्वीकृति देगा तबसे वह छात्रवत्ति दी जायेगी।

श्री मुहम्मद आजम खाँ—

मान्यवर, तीन डिग्रियां मेडीकल में मानी जाती हैं---एलोपैथी आयुर्वेद और यूनानी। इनमें एलोपैथिक एम०बी०बी०एस० में छात्रवृत्ति 125 रु० और आयुर्वेदिक बी०ए०एम० एस० में छात्रवृत्ति 50 रु० की जगह पर 125 रु० देने का आश्वासन दिया है। इन डिग्रियों से मिलती जुलती यूनानी की डिग्री बी०यू०एम०एस० है तो क्या मन्त्री जी बी०यू०एम०एस० डिग्री को उसी लाइन में खड़ा करेंगे और एलोपैथिक, आयुर्वेदिक के बराबर 125 रुपये छात्रवृत्ति देने का आश्वासन मन्त्री जी देंगे।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

अभी तो जो माँग है आयुर्वेद के छात्रों की है लेकिन आपकी बात ठीक है कि उस पर भी विचार होना चाहिए और उनको भी इसका लाभ पहुँचना चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

मान्यवर, प्रश्नकर्त्ता ने केवल चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के बारे में प्रश्न किया था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मन्त्री जी यह व्यवस्था सभी पर्वतीय जिलों में लागू करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

इस पर विचार करेंगे।

डा० शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि इसके औचित्य पर सक्रिय रूप से निर्णय कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि 125 रु० वह देंगे ही। लेकिन मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ कि आगे आने वाले सत्र में जैसा कि मा० सदस्य ने कहा कि एलोपैथिक आयुर्वेद और यूनानी वाले विद्यार्थी हैं। उनको भी सम्मिलित करने के साथ-साथ उनको देने के लिए भी विचार करके आश्वासन देने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मैंने तो कह दिया, पिछला क्या हुआ यह वह जानें।

अतारांकित प्रश्न

पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार को अलग रीजन एवं श्रीनगर में परिवहन डिपो स्थापित किये जाने की माँग

1—**श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—**

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार को उ०प्र० राज्य परिवहन निगम का अलग रीजन एवं श्रीनगर (गढ़वाल) में परिवहन डिपो स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब निर्णय लिया गया है और कब तक इस निर्णय को कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार को अलग रीजन एवं श्रीनगर (गढ़वाल) में परिवहन डिपो स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतः निर्णय को कार्यान्वियन करने का प्रश्न नहीं उठता है।

2–5—**श्री हरगोविंद वर्मा—**

[8 वें बुधवार के लिए स्थगित]

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 32 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री नजर अब्बास, सेवा निवृत सीनियर फोरमैन, कानपुर रीजन की पेंशन स्वीकृति की माँग

6—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद**—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नजर अब्बास सेवा निवृत्त सीनियर फोरमैन (ग्रेड प्रथम) कानपुर रीजन को उनके पी०एफ० कटौती की तिथि से पेंशन स्वीकृत की गयी है ? यदि हाँ, तो इसका आधार क्या है ? क्या शासन उनको उनकी सेवा अवधि को आगणित कर पेंशन स्वीकृत करने की कृपा करेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वाड्यूं बेहडाखाल में कथित मोटर मार्ग

7—**श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी**—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वाड्यूं बेहडाखाल में प्रस्तावित 15 कि०मी० मोटर मार्ग का प्रारम्भिक आगणन शासन को कब प्राप्त हुआ है और इस आगणन पर शासन द्वारा कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत मार्ग को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है अतएव आगणन प्राप्त नहीं हुआ है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिवराज सिंह बर्तवाल, सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ता की पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान

8—**श्री कुंवर सिंह नेगी**—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 4 थे बुधवार के अता० प्र०सं० 14 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री शिवराजसिंह बर्तवाल, सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ता की भविष्य निधि के भुगतान से पूर्व महालेखाकार को स्वीकृति एवं ग्रेच्युटी के भुगतान से पूर्व सतर्कता विभाग से जांच रिपोर्ट प्राप्त होनी थी, प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ? कब तक यह औपचारिकतायें पूरी हो जायेंगी और उनकी भविष्य निधि एवं ग्रेच्युटी का भुगतान हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ ।

श्री शिवराज सिंह बर्तवाल-सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ता के सम्बन्ध में शासन स्तर पर कोई जाँच लम्बित नहीं होने का प्रमाणक निर्मित किया जा चुका है ।

प्रमुख अभियन्ता को पेंशन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान शीघ्र किए जाने हेतु निर्देश दे दिए गए हैं ।

भविष्य निर्वाह निधि को अन्तिम भुगतान महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा किया जाना है। उन्हें स्वीकृति शीघ्र जारी करने हेतु स्मरण कराया गया है।

9—**श्रीमती गौरी देवी—**

[8 वें बुधवार के लिए स्थगित।]

श्री भगवत स्वरूप दीक्षित, अधिशासी अभियन्ता का जीवन निर्वाह भत्ता एवं निलम्बन आदेश के निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में पत्र

10—**श्रीमती गौरी देवी—**

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि भगवत स्वरूप दीक्षित, अधिशासी अभियन्ता-1 न्यू गण्डक कालोनी, गोरखपुर द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 1982 और दि० 2-9-82 को सिंचाई सचिव, उ० प्र० को अपने जीवन निर्वाह भत्ता एवं निलम्बन आदेश के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

श्री भगवत स्वरूप दीक्षित, अधिशासी अभियंता का जीवन निर्वाह भत्ता बढ़ाने का आदेश दिनांक 3 नवम्बर, 1982 को जारी कर दिया गया है।

श्री दीक्षित के विरूद्ध जाँच की कार्यवाही प्रचलित रहने के कारण उनके निलम्बन को निरस्त करने का औचित्य नहीं है।

परिवहन निगम केन्द्रीय कार्यशाला रावतपुर, कानपुर के नेत्रहीन कर्मचारी श्री विश्वनाथ को आवास का कब्जा दिलाने हेतु कार्यवाही

11—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० रा० स० प० नि० केन्द्रीय कार्यशाला रावतपुर, कानपुर के एक नेत्रहीन (ब्लाइंड) कर्मचारी श्री विश्वनाथ टिकट नं० 185 को कार्यालय आदेश संख्या डी०जी०एम० (4591) एन/एम-14 दिनांक 27-7-82 द्वारा आवंटित स्टाफ क्वार्टर डब्लू०बी० 40 का कब्जा (पजेशन) अभी तक क्यों नहीं दिया गया ? उन्हें कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

यह सत्य है कि श्री विश्वनाथ टिकट नं० 185 को प्रश्नगत कार्यालय आदेश द्वारा श्री जमुना प्रसाद टिकट नं० 355 के दिनांक 30-6-82 को सेवा निवृत्त हो जाने के फल-स्वरूप खाली होने वाले आवास संख्या डब्लू० बी०-40 नेत्रहीन कर्मचारी श्री विश्वनाथ टिकट नं० 185 को आवंटित करते हुए श्री जमुना प्रसाद सेवा निवृत्त को निर्देशित किया गया था कि वह उक्त आवास का कब्जा श्री विश्वनाथ को दे दें। परन्तु श्री जमुना प्रसाद द्वारा आवास खाली न किये जाने की स्थिति में अभी तक उक्त आवास का कब्जा श्री विश्व-नाथ को नहीं दिलाया जा सका। उक्त आवास खाली कराने के लिए वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। श्री जमुना प्रसाद द्वारा खाली किये जाते ही श्री विश्वनाथ को उसका कब्जा दिला दिया जायेगा।

प्रदेश में उर्वरक कारखानों की स्थापना स्थल के चयन का आधार तथा संयंत्र की क्षमता

12—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ० प्र० में चार उर्वरक संयंत्र कहां- कहां लगाये जा रहे हैं ? स्थानों के चयन का आधार क्या है ? प्रत्येक संयन्त्र की क्षमता कितनी होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रदेश में उर्वरक कारखाने भारत सरकार द्वारा बबराला (बदायूं) आँवला (बरेली) शाहजहाँपुर, तथा जगदीशपुर (सुल्तानपुर) में स्थापित किये जायेंगे। स्थल का चयन भारत सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया गया है। स्थल के चयन का आधार निम्नलिखित है :—

[क] क्षेत्र विशेष में उर्वरक मांग की पूर्ति।

[ख] लागत को न्यूनतम रखना।

[ग] अवस्थापना की उपलब्धता।

प्रत्येक संयंत्र की क्षमता निम्न प्रकार है :—

1. अमोनिया	1350 मै०टन प्रतिदिन
2. यूरिया	2250 मै०टन प्रतिदिन

13—श्री सरदार सिंह—

[9 वें सोमवार से अतारांकित प्रश्न संख्या 83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला जेल, मथुरा में कैदियों के दो गुटों में गोलियां चलने से कैदी महावीर सिंह, ग्राम सिहारा की मृत्यु तथा दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही

14—श्री सरदार सिंह—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जेल मथुरा में जनवरी, 1982 में कैदियों के दो गुटों में गोलियाँ चली थीं जिसके फलस्वरूप थाना राया, जिला मथुरा के ग्राम सिहोरा निवासी कैदी महावीर सिंह की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी ? यदि हाँ, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है, दोषी अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या शासन मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की कृपा करेगा ?

जेल मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)—

जी नहीं।

11 जनवरी 1982 को सुबह लगभग 8 बजे बंदी रमेश, महावीर तथा अन्य चार बंदी काम करने के लिए बाहर निकलने को हुए। रमेश के विरोधी गुट का सदस्य बन्दी यशपाल जेल के मुख्य द्वार पर मौजूद था। दोनों गुटों में हाथापाई हुई और कैदियों ने भाग निकलने की कोशिश की। स्थिति से निपटने के लिए एलार्म हुआ और सन्तरी ने दो

राउण्ड फायर किये । महावीर के गोली लगी और उसे जिला चिकित्सालय भेजा गया जहां उसी दिन 11 बजकर 20 मिनट पर उसकी मृत्यु हो गयी ।

3 कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया जा चुका है । मैजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी ।

जी नहीं ।

तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी में पोषक नहर के सीपेज से प्रभावित भूमि एवं निदान हेतु कार्यवाही

15—**श्री ऊदल**—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक, दरियाबाद ब्रांच, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी में पचासों गाँव की हजारों एकड़ जमीन सीपेज में डूबी रहती है ? यदि हां, तो उसको बन्द करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

तहसील फतेहपुर पोषक नहर के कि०मी० 102 से 118.0 तक स्थित है, पोषक नहर में 150 हेक्टेयर क्षेत्र सीपेज से प्रभावित है जिसके निदान हेतु 3.8 किमी० लम्बी ड्रेनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है । गोरी बनियानी ड्रेन पर दो पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है उपरोक्त कार्यों के निर्माण से 100 हेक्टेयर भूमि लाभान्वित होने की आशा है शेष भूमि अधिकांशतः निचली है जो पोषक नहर के निर्माण से पूर्व भी जल प्लावन से प्रभावित थी ।

जिला सीतापुर में लहरपुर के पास शारदा सहायक नहर के सीपेज से प्रभावित भूमि तथा कार्यवाही

16—**श्री ऊदल**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर में लहरपुर के पास पचासों गांव की हजारों एकड़ जमीन शारदा सहायक नहर के सीपेज में डूबी रहती है ? यदि हाँ, तो उसको ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही अब तक की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पोषक नहर के किमी. 41.0 के निकट दायीं पटरी की ओर लहरपुर अवस्थित है । किमी. 35 से 49.0 के बीच सीतापुर जनपद में 29 ग्रामों की लगभग 790 हेक्टेयर भूमि सीपेज से प्रभावित है । इसके निदान हेतु लगभग 34.0 किमी. की ड्रेन निर्मित की गई तथा लश्करपुर ड्रेन का निर्माण किया गया है जिससे लगभग 190 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित हुआ । उपरोक्त के अतिरिक्त किवानी नदी एवं घाघरा नदी के मध्य लगभग 3000 हेक्टेयर क्षेत्र जल प्लावन से प्रभावित होता है । इस क्षेत्र में जल प्लावन की समस्या पहले से विद्यमान थी । इसके निदान हेतु किवानी नदी से घाघरा नदी तक दो कट के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं इसके अतिरिक्त किमी. 48.600 पर स्थित साइफन के पानी को किवानी नदी में ले जाने हेतु अकबरपुर ड्रेन का भी निर्माण किया जा रहा है ।

ड्रेनेज मण्डल, बलिया द्वारा जल जमाव को रोकने और पानी निकासी के कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि

17—**श्री काशीनाथ मिश्र—**

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के अन्तर्गत ड्रेनेज मण्डल, बलिया द्वारा जल जमाव को रोकने और पानी निकासी के कार्यों पर कितना धन गत पाँच वित्तीय वर्षों में खर्च किया गया और जनपद के अन्तर्गत कितने वर्ग मील जमीन से जल जमाव समाप्त करके खेती लायक बनाया गया ? पांच साल पहिले जनपद में जल जमाव का रकबा क्या था और आज जल जमाव का क्षेत्रफल क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद चमोली में उद्योग स्थापित होने की कथित योजना

18—**श्री कुंवर सिंह नेगी—**

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली जो कि औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा है, में सरकार द्वारा कोई उद्योग प्रस्तावित है ? यदि हाँ, तो कब तक उद्योग स्थापित हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

चमोली जनपद में सरकार द्वारा कोई वृहद/मध्यम उद्योग फिलहाल प्रस्तावित नहीं है जिसका मुख्य कारण इस हेतु अपेक्षित इनफ्रॉस्ट्रक्चर का अभाव है । फिर भी जनपद के पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स वृहद/मध्यम स्तरीय उद्योगों की सम्भावना का अध्ययन कर रहा है । लघु उद्योग स्थापना का कार्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता ।

जनपद चमोली के तपोवन, थराली एवं सीतापुर चट्टी लघु विद्युत योजनाओं की स्वीकृति, उन पर व्यय तथा पूर्ति लक्ष्य

19—**श्री कुंवर सिंह नेगी—**

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में तपोवन, थराली एवं सीतापुर चट्टी लघु विद्युत योजनायें कब स्वीकृत हुई हैं ? इन पर अब तक कितना धन व्यय हो चुका है और कब तक ये योजनाऐ पूर्ण हो जायेंगी ।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वांछित सूचना निम्नवत है :—

1—लघु विद्युत योजना का नाम	तपोवन	थराली	सीतापुर चट्ठे
2—स्वीकृति दिनांक	अक्टूबर, 1980	अप्रैल, 1981	अप्रैल, 1981
3—जनवरी 1983 के अन्त तक व्यय (लाख रुपये)	25.99	1.89	1.10
4—पूर्ति लक्ष्य	दिसम्बर, 1984	मार्च, 1986	मार्च, 1986

करमैनी बिलौली बांध के निर्माण कार्यों में ड्रेनेज विभाग के अभियन्ता अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती पत्र

20—**श्री मोहम्मद नबी—**

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के करमैनी बिलौली बांध के निर्माण कार्यों में ड्रेनेज विभाग के अभियन्ता अधिकारियों द्वारा किए गये भ्रष्टाचार के बाबत जो शिकायती-पत्र दि० 20-9-82, को जिलाधीश, बस्ती को प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिया गया था उसे उन्होंने सचिव, सिंचाई विभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ को अपने अर्ध शासकीय पत्र संख्या 850/आशुलिपिक बाढ़ दि० 24-9-82 के साथ उचित कार्यवाही हेतु भेजा है, के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मा० प्रश्नकर्त्ता सदस्य का प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। इसकी जाँच के आदेश मुख्य अभियन्ता गण्डक गोरखपुर को दे दिये गये हैं।

प्रगति आश्रम हाईस्कूल बालागंज, लखनऊ की सहायक अध्यापिका श्रीमती माधुरी पाण्डेय की सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

21—**श्री राम आसरे वर्मा—**

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ की सहायक अध्यापिका श्रीमती माधुरी पाण्डेय की सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ का पत्रांक सं०7900–06–82–83, दि० 10–12–82 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला शाहजहाँपुर की तहसील तिलहर में औद्योगिक ईकाइयों को सीमेन्ट का आवंटन

22—**श्री सत्यपाल सिंह —**

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला शाहजहाँपुर तह० तिलहर में सन् 1982 ई० में उद्योग कार्य के लिए उद्योग विभाग की संस्तुति पर कितना सीमेंट जिला-पूर्ति अधिकारी ने दिया है ? क्या सरकार इस तथ्य की जाँच किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करायेगी कि यह सीमेंट उन उद्योगों में खर्च न होकर ब्लैक पर बेचा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1982 में जिला शाहजहाँपुर की तहसील-तिलहर में कुल तीन औद्योगिक इकाइयों, क्रमशः मेसर्स विलास वर्तन उद्योग तिलहर, मेसर्स धर्मेन्द्र कुमार श्री चन्द्र अकबरी मो० खुदागंज तिलहर तथा मेसर्स चन्द्रा ग्राम्य विकास सेवा परिषद तिलहर को विभाग

द्वारा 1380 बोरी सीमेन्ट दिये जाने की संस्तुति की गयी जिसके विरुद्ध जिलापूर्ति अधिकारी, शाहजहाँपुर ने कुल 795 बोरी सीमेन्ट उपलब्ध कराई। तीनों इकाइयों ने 645 बोरी सीमेन्ट का सदुपयोग कर लिया है, शेष 150 बोरी सीमेन्ट का उपयोग मेसर्स धर्मेन्द्र कुमार श्री चन्द्र अकवरी द्वारा गन्ना पिराई सीजन समाप्त होने के बाद किया जायेगा।

इकाइयों को आवंटित सीमेन्ट का ब्लैक में बेचे जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अतएव किसी बरिष्ठ अधिकारी द्वारा जाँच कराये जाने का फिलहाल कोई प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में बर्डपुर में सिंचाई विभाग के डाक बंगले में टूटी दीवारें तथा भूमि पर निजी कमरा बनवाने के विरुद्ध कार्यवाही

23—**श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय**—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में बर्डपुर में सिंचाई विभाग का जो डाक बंगला है उसकी चारदीवारी टूट गयी है यदि हाँ, तो उसे कब तक बनवा दिया जायगा ? क्या यह सही है कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में बर्डपुर स्थित उक्त डाक बंगले की जमीन पर किसी दूसरे सज्जन द्वारा निजी कमरा बनवाया गया है, यदि हाँ, तो किसके आदेश से ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बस्ती जनपद बर्डपुर के नं० 9 में बुढ़वा कुला पर पुल बनवाने का विचार

24—**श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय**—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के बर्डपुर नं० 9 में बुढवा कुला पर पुल बनना विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उस पर विभागीय कार्यवाही और निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बस्ती जनपद के नौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में राजकीय नलकूप का कथित निर्माण

25—**श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के नौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1981-82 में कितने नलकूप लगाए गये हैं ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कूडा धोधी दोआब में विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत नलकूप लगाये जाने पर विचार हो रहा है ? यदि हां, तो यह कबतक लगकर तैयार हो जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बस्ती जनपद के नौगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 81-82 में किसी राजकीय नलकूप का निर्माण नहीं कराया गया है । विश्वबैंक योजना (द्वितीय चरण) के चालू होने पर प्रश्नगत स्थल पर नलकूप लगाने हेतु सर्वेक्षण के उपरांत विचार करना संभव हो सकेगा ।

देवरिया गोरखपुर तथा जिले में गण्डक नहर के कुछ भागों पर खड़ंजा लगाने की योजना

26—**श्री नन्दकिशोर सिंह** —

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया तथा गोरखपुर जिले में गण्डक नहर के किनारे की पटरियों पर खड़ंजा या कंकड़ की सड़क बनवाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्य शुरू हो जायगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ । नहर के कुछ भागों में केवल खड़ण्जा लगाने का प्राविधान है ।

कार्य आरम्भ किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नलकूप खण्ड, शाहजहां पुर के मुख्य लिपिक श्री काली चरन दीक्षित के विरुद्ध शिकायत की जांच

27—**राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहाँपुर नलकूप खण्ड के मुख्य लिपिक (कालीचरन दीक्षित) के विरुद्ध मा० विधायक की शिकायत पर जो जांच नवम्बर, 1982 में अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल बरेली के आदेश पर अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड शाहजहाँपुर द्वारा की गयी उसमें जाँचकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार वह निर्दोष पाये गये ? यदि हाँ, तो अब तक श्री दीक्षित को कार्यभार न देने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नलकूप खण्ड शाहजहाँपुर के मुख्य लिपिक (श्री काली चरन दीक्षित) के विरुद्ध माननीय विधायक के एवं अन्य शिकायती पत्रों पर अभी जाँच पूर्ण नहीं हुई है शेष प्रश्न नहीं उठते ।

28—**श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्निहोत्री—**

[8 वें बुधवार के लिये स्थगित]

श्री सत्यदेव अग्निहोत्री, सेक्सन मिस्त्री, नलकूप खण्ड शाहजहांपुर को अवर अभियन्ता पद पर नियुक्त न किया जाना

29—**श्री थम्मन सिंह गहलौत तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री सत्यदेव अग्निहोत्री, सेक्सन मिस्त्री, नलकूप खण्ड, शाहजहाँपुर ने विभागीय अवर अभियन्ता परीक्षा प्रान्तीय स्तर पर प्रथम

स्थान से उत्तीर्ण की ? यदि हाँ, तो इस सूची में प्रथम स्थान का नाम छोड़कर शेष सभी की नियुक्ति अवर अभियन्ता पद पर कैसे एवं किस नियम से कर दी गयी ? श्री सत्यदेव अग्निहोत्री को अवर अभियन्ता पद पर अब तक नियुक्ति न देने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ। वर्ष 1974 में अहंकारी परीक्षा के घोषित परीक्षाफल की सूची में इनका क्रमाँक 1 पर अंकित है। वर्ष 1974 के परीक्षाफल में श्री सत्यदेव अग्निहोत्री को छोड़कर शेष उत्तीर्ण लोगों को सिंचाई विभाग की अधिनस्थ विद्युत एवं यांत्रिक अभियन्त्रण सेवा नियमावली के नियम 10 (ख) (1) के अनुसार उनकी अवर अभियन्ता के पद पर प्रोन्नतियां कर दी गयी। जांचोपराँत यह पाया गया कि श्री सत्यदेव अग्निहोत्री वर्ष 1974 की अहंकारी परीक्षा में बैठने के नियमानुसार पात्र नहीं थे, अतएव इनका परीक्षा-फल निरस्त किया जा चुका है। अतः इनकी प्रोन्नति का प्रश्न नहीं उठता है।

पर्वतीय क्षेत्र में नए विकास खण्ड खोलने की योजना

30—**श्री चारु चन्द्र ओझा—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पर्वतीय क्षेत्र मे नए विकास खण्ड खोलने का प्रस्ताव है ? यदि हाँ, तो किन-किन जनपदों में किन-किन स्थानों में खोले जा रहे हैं। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

पर्वतीय क्षेत्र में नये विकास खण्ड खोलने का कोई प्रस्ताव आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है। पर्वतीय क्षेत्र में नये विकास खण्ड खोलने के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग में विचार किया जा रहा है।

31—**श्री चारु चन्द्र ओझा—**

[7 वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राष्ट्रीय मार्गों पर बसों की आवश्यकता, कुल बसें तथा खराब बसों की संख्या

32—**श्री शंकर सिंह—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गों पर बढ़ते हुए यातायात को ध्यान में रखते हुए कुल कितनी बसों की आवश्यकता है और अभी परिवहन निगम उन पर कितनी बसें चला रहा है ? इनमें खराब बसों की संख्या कितनी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

33—**श्री मित्रसेन तथा**
श्री माधव प्रसाद—

[7 वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

34—श्री कन्हैयालाल—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया]

श्रीमती मोहन देवी, पत्नी स्व० श्री पातीराम, ग्राम ससौतादोषपुर, जिला एटा को आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने पर विचार

35—राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें श्रीमती मोहन देवी बेवा पातीराम धोबी, निवासी ग्राम ससौतादोषपुर, थाना अलीगंज, जिला एटा का सितम्बर, 82 का भेजा हुआ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या उसकी आर्थिक सहायता की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हाँ।

श्रीमती मोहन देवी पत्नी स्व० श्री पातीराम, ग्राम ससौतादोषपुर थाना अलीगंज जिला एटा को आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने का मामला अभी शासन के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय इण्टर कालेज, लंगासू, जिला चमोली में व्यायाम अध्यापक के पद सृजन का प्रस्ताव

36—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, लंगासू, जिला चमोली में स्नातक वेतन-क्रम में व्यायाम अध्यापक के पद सृजन करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इस पद का सृजन हो जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा ब्लाक अकोला के कतिपय ग्रामों में नाला खुदवाने के सम्बन्ध में पत्र

37—श्री बदन सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के ब्लाक अकोला के ग्राम नगला सिकखार, अजीता कराहरा एवं जिटौरा के सैकड़ों काश्तकारों का हस्ताक्षरयुक्त एक प्रार्थनापत्र दिनांक 23-9-82 का उक्त गांवों में एक नाला खुदवाने के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो शासन उक्त गांवों में इस नाले को कब तक खुदवायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विकास खंड सभा एवं बल्देव के गांवों में जल भराव के निदान की योजना

38—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के विकास खंड राया एवं बल्देव के गांवों में जल भराव की विकट समस्या के निदान की कोई योजना शासन ने बनायी है ? यदि हां, तो उपरोक्त योजना के अन्तर्गत कब से कार्य आरम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

39—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

वाराणसी सिंचाई विभाग (ट्यूबवेल) के पास स्टार्टर, पंप तथा दूसरे प्रकार के सामान की आपूर्ति

40—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि वाराणसी सिंचाई विभाग (ट्यूबवेल) के पास स्टार्टर पंप तथा दूसरे प्रकार के सामान एकदम नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि ट्यूबवेल खराब होने पर महीनों बंद रहते हैं और गाडर ट्यूबवेल ब्लाक पिंडरा पम्प ने अभाव में अब तक चालू नहीं किया गया ? यदि हाँ, तो क्या सरकार आवश्यक व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सत्य नहीं है कि वाराणसी सिंचाई विभाग (ट्यूबेवल) के पास स्टार्टर पम्प तथा दूसरे प्रकार का सामान एकदम नहीं है । वास्तव में इन सामानों की कमी है । यह सत्य नहीं है कि ट्यूबवेल खराब होने पर महीनों बन्द रहते हैं । यह सत्य है कि गाडर ट्यूबवेल ब्लाक पिंडरा नये पम्पिंग सेट के अभाव से चालू नहीं किया जा सका है । पम्प का प्रबन्ध अधीक्षण अभियन्ता, केन्द्रीय सज्जा एवं भंडार आपूर्ति मण्डल द्वितीय, उ० प्र० लखनऊ द्वारा किया जा चुका है, एवं सामान की रेलवे रसीद आ गयी है । सामान प्राप्त होते ही पम्प लगा दिया जायेगा ।

41—श्री ऊदल—

[8 वें बुधवार के लिऐ स्थगित]

42 श्री ऊदल—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

प्रदेश में तथाकथित समाज सेवी संस्थायें

43—श्री शंकर सिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितनी तथाकथित समाजसेवी संस्थायें विभाग की जानकारी में हैं ? जिन्होंने सरकार से विधवाओं तथा विकलांगों को सहायता देने के बहाने धन लेकर स्वयं हड़प लिया है ? सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गुलाब सेहरा—

इस विभाग की जानकारी में ऐसी कोई भी स्वेच्छिक संस्था नहीं आयी जिन्होंने सरकार से विधवाओं तथा विकलांगों को सहायता देने के बहाने धन लेकर स्वयं हड़प लिया है। अतः दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में औद्योगिक रूप से जनपदों को दी गयी सुविधायें

44—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कौन-कौन से जिले औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं और उन्हें बढ़ाने के लिए क्या अतिरिक्त सुविधायें दी गई हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जनपद अल्मोड़ा, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाँदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, बुलन्दशहर, चमोली, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, फैजाबाद फतेहपुर, फर्रूखाबाद, गाजीपुर, गढ़वाल, गोंडा, उत्तरकाशी, जौनपुर, झाँसी, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, शाहजहाँपुर, टिहरी गढ़वाल, सुल्तानपुर, उन्नाव, एटा, देवरिया, इटावा, सीतापुर, ललितपुर, और रामपुर हैं। इन्हें बढ़ाने हेतु निम्नलिखित सुविधायें दी जा रही हैं :—

1—केन्द्रीय पूंजीगत उपादान (केवल झाँसी, ललितपुर, रायबरेली, अल्मोड़ा, बलिया, बस्ती, एवं फैजाबाद जनपदों में।)

2—राज्य पूंजीगत उपादान (पिथौरागढ़, पौढ़ी गढ़वाल, गोंडा, बहराइच, एटा, बुलन्दशहर, बाँदा, आजमगढ़, इटावा, देवरिया, गाजीपुर, हरदोई, सीतापुर, मुरादाबाद, सुल्तानपुर, हमीरपुर, जालौन, उत्तरकाशी, चमोली, टेहरी गढ़वाल, जनपदों में।)

3—परिवहन सहायता (प्रदेश के केवल आठ पर्वतीय जनपदों अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौढ़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टेहरी, गढ़वाल, एवं उत्तरकाशी में लागू है।

4—मार्जिन मनी ऋण।

5—परामर्श उपादान।

6—ब्याज उपादान।

7—विद्युत उपादान।

8—विकास केन्द्र ऋण।

9—आयकर में छूट।

10—बिक्रीकर का ब्याज रहित ऋण में परिवर्तन।

11—चुंगी में छूट।

ग्राम महुआरी, जनपद देवरिया के ताल से नाला निकालने के सम्बन्ध में पत्र

43—**श्री रुद्र प्रताप सिंह**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 1-3-82 जो ग्राम महुआरी, पो० पथरदेवा, जनपद देवरिया के ताल से एक नाला निकालने के सम्बन्ध में था उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

आगरा नहर संवर्धन परियोजना तथा पूर्वी यमुना नहर संवर्धन परियोजना के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण तथा असफल हुए नलकूपों के कारणों की जांच

46—**श्री मोतीलाल देहलवी**—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 1977 में आगरा नहर संवर्धन परियोजना के अन्तर्गत तथा पूर्वी नहर संवर्धन परियोजना के अन्तर्गत नलकूप निगम द्वारा नियमों का उलंघन करके 42 नलकूपों का आगरा–मथुरा व मुजफ्फरनगर में जुलाई, 77 व मार्च, 78 में निर्माण कराये जाने की असफलता पर 50 लाख रुपये की हानि होने की जांच राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा जनवरी, 1980 में प्रारम्भ कराई गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच के बाद अब इंजीनियरों द्वारा पुनः जांच कराया जाना विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सही नहीं है कि वर्ष 1977-78 में आगरा नहर के किनारे तथा पूर्वी यमुना नहर के किनारे आगरा, मथुरा व मुजफ्फरनगर में नियमों का उल्लंघन करके 42 नलकूपों का निर्माण कराया गया था। इस 42 नलकूपों में से 24 नलकूप खारा पानी के कारण अथवा तकनीकी कारणों से असफल हो गये हैं। हानि का सही मूल्यांकन इन नलकूपों के पाइप उखाड़ने के बाद ही सम्भव है।

राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा असफल नलकूपों पर हुई हानि की कोई जांच नहीं करायी गयी थी। अब इन्जीनियरों द्वारा जांच कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

47—**श्री मोतीलाल देहलवी**—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1977 में आगरा नहर संवर्धन परियोजना के अन्तर्गत नलकूप निगम द्वारा शासन की स्वीकृति लिए बगैर जिन 35 नलकूपों

का आगरा व मथुरा में और पूर्वी नहर संवर्धन परियोजना के अन्तर्गत मुजफ्फरनगर में जिन 7 नलकूपों का निर्माण कराया गया था उसकी असफलता पर 50 लाख रुपये की हानि होने का क्या कारण रहा है और इस हानि के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नलकूप निगम के निदेशक मण्डल की 5 वीं बैठक में आगरा नहर के किनारे 200 नलकूपों के निर्माण तथा 7 वीं निदेशक मण्डल की बैठक में पूर्वी यमुना नहर के किनारे 100 संवर्धन नलकूपों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इनके विरुद्ध आगरा नहर के किनारे 35 तथा पूर्वी यमुना नहर के किनारे 7 नलकूपों का निर्माण कराया गया था। इन 42 नलकूपों में से आगरा नहर के किनारे जनपद मथुरा में बने 22 नलकूप खारा पानी होने के कारण असफल हुए हैं तथा एक नलकूप आगरा नहर पर व एक नलकूप पूर्वी यमुना नहर पर तकनीकी कारणों से फेल हुआ है। नलकूपों पर हानि का सही मूल्यांकन उनके पाइप उखाड़ने के बाद ही किया जायगा। हानि के लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि नलकूप खारे पानी के कारण अथवा तकनीकी कारणों से असफल हुए हैं।

देवरिया से हेतिमपुर रोड पर बस संचालन व्यवस्था

48—**श्री नन्दकिशोर सिंह—**

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत देवरिया से हेतिमपुर रोड पर जनवरी, 82 से केवल आज तक केवल एक बस ही चल रही है ? जबकि उक्त सड़क पर दो बसें चलती थी ? यदि हां, तो क्या दूसरी बस भी चलाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

देवरिया जिलान्तर्गत देवरिया से हेतिमपुर मार्ग पर पूर्व की भांति दो बसें चल रही हैं। केवल माह नवम्बर 82 में एक बस संचालन हेतु उपलब्ध न होने के कारण बन्द रही है। वर्तमान में दोनों बसों का संचालन हो रहा है।

जिला कारागार, फैजाबाद में डाक्टर को जेल प्रांगण में बने आवास में रहने के आदेश

49—**श्री गोपीनाथ वर्मा—**

क्या कारागार मन्त्री कृपा बतायेंगे कि जिला कारागार फैजाबाद के डाक्टर को जेल प्रांगण में आवास उपलब्ध है तथा उक्त डाक्टर के निवास हेतु आवास एलाट है ? यदि हां, तो एलाटेड आवास में डाक्टर के न रहने का क्या कारण है ? क्या यह भी सही है कि जेल के बन्दियों की सुख सुविधा एवं सही समय व उचित उपचार हेतु जेल डाक्टर के नियमानुसार जेल प्रांगण में बने आवास में रहना आवश्यक है ? यदि हाँ, तो उक्त डाक्टर को जेल प्रांगण में बने आवास में रहने हेतु आदेश दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

जी हां।

डाक्टर का फैजाबाद में अपना मकान होना ।

जी हां ।

डाक्टर को जेल प्रांगण में बने आवास में रह के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

50—श्री विजय सिंह राना—

[8 वें बुधवार के लिये स्थगित]

जनपद गोरखपुर के विकास खंड कौड़ीराम, खोराबार, पिपरौली में बाढ़ से प्रभावित हरिजन बस्तियों में हरिजन परिवारों को आवासीय मकान देने का प्रस्ताव

51—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड कौड़ीराम में वर्ष 81-82 व 82-83 में दिनांक 31-12-82 तक बाढ़ से प्रभावित हरिजन बस्तियों में हरिजन परिवारों को कुल कितने मकान (आवासीय) निर्मित कराकर दिए गये ? क्या यह सच है कि वर्ष 81-82 में 32 और 83-84 में 35 आवासीय मकान बना कर हरिजनों को देने का प्रस्ताव था ? यदि हां, तो अब तक न देने का कारण क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

52—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के विकास खंड खारोबार कौड़ीराम पिपरोली में बाढ़ से प्रभावित हरिजन बस्तियों में बेघर हुए हरिजन परिवारों को वर्ष 81-82 तथा 82-83 में गृह निर्माण करके उन्हें गृह देने की योजना के अन्तर्गत कुल कितने गृह निर्मित कराकर किनको दिया गया ? क्या यह सच है कि उपरोक्त विकास खण्डों में विगत 3 सालों में हरिजनों के आवास के लिए निर्मित होने वाले मकानों को नहीं बनाया गया ? यदि हां तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अकबरपुर डिपो हेतु स्वीकृत बसें तथा फैजाबाद डिपो कार्यशाला निर्माण हेतु भेजी गई बसों के खराब होने का कारण

53—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 80-81 में अकबरपुर डिपो हेतु 28 बसें स्वीकृत थीं जिसमें 13 बसें अप्रैल 1982 में खराब होने के कारण बनाने हेतु फैजाबाद डिपो कार्यशाला में भेजी गई है ? यदि हां, तो उक्त 13 बसें बन कर अकबरपुर डिपो को वापस कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

54—**श्री गोपीनाथ वर्मा—**

क्या यह भी सही है कि उक्त डिपो द्वारा भेजी गयी 13 बसों से अच्छे सामानों को निकाल कर फर्जी तौर पर निर्माण हेतु भेजी गयी थीं ? यदि नहीं, तो इतने कम समय में बसों के खराब होने का क्या कारण रहा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

55—**श्री राम स्वरूप वर्मा** –

[दिनांक 23-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 74 द्वारा उत्तरित]

देवरिया जिले के गण्डक नहर की सफाई तथा बाँधों की मरम्मत का कार्य

56—**श्री नन्द किशोर सिंह—**

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के गण्डक नहर की सफाई तथा बन्धों की मरम्मत वर्ष 1982-83 में नही हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

देवरिया जिले की गण्डक नहर प्रणाली की 332.7 कि०मी० नहरों की सफाइ वर्ष 1982-83 में अब तक धन की उपलब्धता एवं सफाई की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए करायी गयी है और अधिकांश बांधों की मरम्मत वर्ष 1981-82 में आवश्यकतानुसार कराई जा चुकी है । शेष की मरम्मत का कार्य चालू है ।

जिला चमोली में कर्ण प्रयाग और नन्द प्रयाग में अलकनन्दा नदी पर मोटर पुल का निर्माण

57—**श्री कुंवर सिंह नेगी—**

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली में कर्णप्रयाग और नन्दप्रयाग में अलक नन्दा नदी पर मोटर पुल कब स्वीकार किये गये थे और कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला पौड़ी गढ़वाल की सतपुली पोखड़ा बैजरों मोटर मार्ग का सुधार एवं निर्माण कार्य

58—डा० शिवानन्द नौटियाल—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल की सतपुली पोखड़ा बैजरों मोटर मार्ग का सुधार एवं पक्का किया जाना कब स्वीकार किया गया था और कब तक यह कार्य पूरा हो जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

59-60—श्री पंचानन राय—

[8 वें बुधवार के लिए स्थगित]

महाराजगंज कस्बा निकट बलिया नाला पर पुल के शिलान्यास का स्थगित कार्यक्रम

61—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिचाई मन्त्री को ज्ञात है कि माह जुलाई, 1982 में गोरखपुर में स्थित महाराजगंज कस्बा निकट बलिया नाला पर पुल निर्माण हेतु शिलान्यास का कार्यक्रम बना था ? यदि हां, तो इस कार्यक्रम के निरस्त होने के क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

सिंचाई मन्त्री की व्यस्तता के कारण प्रश्नगत नाले पर पुल के शिलान्यास का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया।

सम्भल—हसनपुर, सम्भल-चन्दौसी व बहजोई मार्ग के राष्ट्रीयकरण करने की कथित योजना

62—श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सम्भल-हसनपुर, सम्भल-चन्दौसी व सम्भल बहजोई मार्ग के राष्ट्रीयकरण करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं।

मुरादाबाद से अलीगढ़ तथा बदायूं से दिल्ली, मेरठ व बिजनौर की ओर जाने वाली समस्त बसों को वाया सम्भल से ले जाने की मांग

63—**श्री मोहम्मद रफी सिद्दकी**—

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि मुरादाबाद से (वाया चन्दौसी) अलीगढ़ की ओर जाने वाली समस्त बसें तथा बदायूँ से (वाया चन्दोसी-मुरादाबाद) दिल्ली, मेरठ व बिजनौर की ओर जाने वाली समस्त बसें कम दूरी वाले रास्ते वाया सम्भल से न चलाई जाकर उपरोक्त अधिक दूरी वाले रास्तों से चलाई जाती हैं जिसकी वजह से यात्रियों का अधिक समय तथा किराया लगता है तथा पांच लाख की जनसंख्या उपरोक्त बस सेवाओं से वंचित रहती है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी उक्त बसों को वाया सम्भल चलाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मुरादाबाद से अलीगढ़ वाया सम्भल एवं बदायूँ से दिल्ली, मेरठ, बिजनौर वाया सम्भल कम दूरी के मार्ग से परिवहन निगम बसों का संचालन न किये जाने का कारण यह है कि इन मार्गो में पड़ने वाले सम्भल-बहजोई-राजघाट एवं चन्दौसी-सम्भल-हरनपुर तक के भाग अराष्ट्रीयकृत है । अतः प्रश्नगत सेवाओं को अराष्ट्रीयकृत भाग से होकर संचालित नहीं किया जा सकता है ।

क्षेत्रीय जनता की परिवहन सुविधायें चन्दौसी से दिल्ली वाया सम्भल एक सेवा तथा मुरादाबाद से अलीगढ़ आगरा वाया सम्भल दो सेवायें अराष्ट्रीयकृत भाग के लिये अस्थाई परमिट प्राप्त कर संचालित कर दी गयी है ।

महाराजगंज तहसील मुख्यालय के निकट बलिया नाले पर पुल के शिलान्यास का स्थगित क्रार्यक्रम

64 —**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद**—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि वह जनपद गोरखपुर में दि० 3-7-82 को गये थे जहां पर महाराजगंज तहसील मुख्यालय के निकट बलिया नाले पर पुल का शिलान्यास उन्हें करना था ? यदि हाँ, तो शिलान्यास न होने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ ।

सिंचाई मंत्री की व्यस्तता के कारण प्रश्नगत नाले पर पुल के शिलान्यास का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत तोली (मरोड़ा) गूल निर्माण की स्वीकृति

65—**श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी**—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पर्वतीय क्षेत्रीय विकास परियोजना पौड़ी के पत्रांक 5254/सिंचाई/1/75-76 दि० 22-23-12-75 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत तोली (मरोड़ा) गूल

निर्माण की स्वीकृति की सूचना दी गयी थी ? यदि हाँ, तो अभी तक उक्त गूल का निर्माण क्यों नहीं किया जा सका है और कब तक इस गूल/नहर के निर्माण की सम्भावना है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य —

भारत सरकार पोषित पर्वतीय क्षेत्रीय विकास एजेन्सी द्वारा तोली (मरोड़ा) गूल निर्माण के लिए प्रस्तावित थी। एजेन्सी के पत्र सं० 5254/सि०/×-1/75-76, दि० 22/23.12.1975 द्वारा इसकी औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं की गई थी वरन् श्री मदन सिंह नयाल, निवासी वाडियू जिला गढ़वाल को उनके एक पत्र के सन्दर्भ में इसकी सूचना भेजी गई थी।

भारत सरकार द्वारा हाडा की समाप्ति तक इसका आगमन नहीं बन सका। भारत सरकार द्वारा पोषित हाडा की समाप्ति के बाद प्रदेश सरकार द्वारा पोषित हाडा के अन्तर्गत इस योजना को निर्माण के लिए प्रस्तावित नहीं किया गया। अतः उपरोक्त योजना का निर्माण नहीं कराया जा रहा।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत नवाड़ी लघु सिंचाई योजना की स्वीकृति

66—**श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—**

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत नवाड़ी अल्प सिंचाई योजना पर्वतीय क्षेत्रीय विकास परियोजना पौड़ी द्वारा कब स्वीकृति की गयी थी और निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया था ? कब तक योजना का निर्माण पूरा होने की सम्भावना है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

नवाड़ी लघु सिंचाई, योजना विकास खंड कोट जिला पौड़ी गढ़वाल, पर्वतीय क्षेत्रीय विकास एजेन्सी की बैठक दिनांक 5 मार्च, 1980 में स्वीकृति की गई थी। इसका निर्माण कार्य दिनांक 17.11.80 को प्रारम्भ हुआ जिसके शीघ्र समाप्त होने की आशा है।

67—68—**श्री राधेश्याम पटेल—**

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

शारदा सहायक खण्ड 28 हैदरगढ़, बाराबंकी में रिक्त मुन्शी तथा पतरौल के पदों पर नियुक्तियां

69—**श्री मित्रसेन —**

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड 28 हैदरगढ़ बाराबंकी में रिक्त मुन्शी के 4 पदों एवं पतरौल के 10 पदों पर प्रशिक्षण प्राप्त पतरौल अभ्यर्थियों की अब तक नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं ? और कब तक उनकी नियुक्तियां कर दी जायेंगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

70—**श्री जमुना प्रसाद—**

[8वें बुधवार के लिए स्थगित]

माचिस औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि० सुल्तानपुर को खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से प्राप्त ऋण तथा स्वीकृत अनुदान

71—**श्री जमुना प्रसाद**—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बैजनाथ पाल एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 24 मार्च, 1982 माचिस औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि०, सुल्तानपुर को 22 हजार रुपये की प्रथम किश्त उ० प्र० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ से दिलाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त उन्हें हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

प्रार्थना पत्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को यथोचित कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था और उन्होंने रु० 91,000.00 का ऋण एवं रु० 4,200.00 का अनुदान समिति को स्वीकृत कर दिया था। खादी बोर्ड की स्थाई वित्त समिति के निर्णयानुसार सर्वप्रथम उपकरण मद के धन का उपयोग किया जाना है। खादी बोर्ड के मैच डिपो से उपकरण उठाने हेतु उन्होंने दिनांक 29-6-82 को समिति को सूचित कर दिया है। उपकरण की आपूर्ति के पश्चात शेष धन का भुगतान खादी बोर्ड द्वारा किश्तों में किया जायगा।

राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्र आजमगढ़ में विभिन्न पदों पर हुई नियुक्तियाँ तथा उनका मापदण्ड, आरक्षण कोटा

72—**श्री पंचानन राय**—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्र आजमगढ़ में 1-1-82 से 21-1-83 तक विभिन्न पदों पर कुल कितनी नियुक्तियाँ हुयीं इनमें से कितनी नियमित की गयीं हैं तथा कितनी तदर्थ आधार पर की गयी हैं ? इन नियुक्तियों के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? क्या हरिजन आरक्षण इन नियुक्तियों में पूरा है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ?

जनपद चमोली में राजकीय हाईस्कूलों एवं इण्टरमीडिएट कालेजों में विज्ञान विषय की स्वीकृति

73—**श्री कुंवर सिंह नेगी**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में कितने राजकीय हाई स्कूलों एवं इण्टरमीडिएट कालेजों में विज्ञान विषय नहीं है ? सरकार विज्ञान विषयों की अनिवार्यता एवं महत्ता देखते हुए कब तक इन विद्यालयों में विज्ञान विषयों की स्वीकृति दे देगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद चमोली में जिन हाईस्कूलों एवं इण्टर कालेजों में विज्ञान विषय नहीं है वे निम्नवत हैं :—

हाईस्कूल स्तर में—

(1) राजकीय इण्टर कालेज, लंगासू

इण्टर स्तर में—

(1) राजकीय इण्टर कालेज उखीमठ,
(2) राजकीय इण्टर कालेज नैणी,
(3) राजकीय इण्टर कालेज बछुवाबाण,
(4) राजकीय इण्टर कालेज चौपड़ा,
(5) राजकीय इण्टर कालेज गणेशनगर,
(6) राजकीय इण्टर कालेज लंगासू,
(7) राजकीय इण्टर कालेज रडुवाचाँदनीखाल,
(8) राजकीय इण्टर कालेज गोचर,

शिक्षा विभाग द्वारा 10+2 प्रणाली में हाईस्कूल में विज्ञान विषय अनिवार्य कर दिया गया है। अतः हाईस्कूलों में विज्ञान विषय खोलने को प्राथमिकता दी जा रही है। जनपद चमोली में केवल राजकीय इण्टर कालेज लंगासू में हाईस्कूल स्तर पर विज्ञान विषय के शिक्षण की सुविधा नहीं है। इस वर्ष 82-83 में लक्ष्य पूरा होने के कारण इस पर विचार नहीं किया जा सका।

जनपद सीतापुर, ब्लाक खैराबाद में नलकूपों का कार्य तथा प्रगति

74—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप निगम को सीतापुर जिले के विकास खण्ड खैराबाद में कितने नलकूप बनाने का कार्य वर्ष 1978-79 में सौंपा गया? उनके निर्माण की प्रगति क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लघु कृषक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद सीतापुर में 50 नलकूप बनाने का प्राविधान था, जिसमें खैराबाद ब्लाक भी सम्मिलित है। खैराबाद ब्लाक के लिए नलकूपों की संख्या निर्धारित नहीं थी। इस ब्लाक में 13 नलकूप बनाये गये हैं जिनमें से जनवरी, 1983 तक 5 नलकूपों का विद्युतीकरण हो गया है और वे सिंचाई कर रहे हैं। शेष नलकूपों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

कानपुर गंगा बैराज के निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही

75—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह सही है कि मा० प्रधान मंत्री भारत सरकार ने राज्य सरकार को कानपुर में गंगा बैराज को तुरन्त बनाने के लिए निर्देशित किया है ? यदि हाँ, तो राज्य सरकार ने उक्त दिशा में क्या कार्यवाही की है तथा बैराज पर कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । कानपुर गंगा बैराज के स्थल के चयन के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु भारत सरकार द्वारा उच्च तकनीकी समिति गठित की गयी है । उक्त समिति द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने के पश्चात प्रोजेक्ट रिपोर्ट को केन्द्रीय जल आयोग की संस्तुति के अनुसार अन्तिम रूप दिया जायगा तथा निर्माण सम्बन्धी आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद चमोली में गुप्तकाशी-कालीमठ मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

76—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में गुप्तकाशी-कालीमठ मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कब आरम्भ हुआ, 1 मई, 1982 तक उस पर कितना धन व्यय हुआ, कितना किलोमीटर मार्ग इस तिथि तक बन चुका है, कब तक मार्ग पूर्ण बन जायेगा ? क्या किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा वितरित कर दिया गया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 1976-77 में आरम्भ हुआ, जिस पर 1 मई, 1982 तक 24·40 लाख रुपया व्यय हुआ और 7·00 कि० मी० मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ तथा निर्माण कार्य 12/84 तक पूर्ण होने की संभावना है ।

इस मार्ग की भूमि आपसी रजामंदी से अधिग्रहण की गयी है और मुआवजा बाँटा जा चुका है । केवल नये संरेखण कि० मी० 0·07 से 2·50 तक के भाग में ग्राम भसारी उर्फ गाड़ी गेक के किसानों को भुगतान की कार्यवाही चल रही है ।

77—श्री हरगोविन्द वर्मा—

[8 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम मुल्ला खेड़ा के निकट नाले पर स्थित लघु सेतु में दुर्घटनायें तथा क्षति

78—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर-रुद्रपुर राज मार्ग पर ग्राम मुल्ला खेड़ा के निकट रामपुर से 24 वें कि० मी० पर बने नाले के पुल पर एक जनवरी, 1982 तक कितने वाहनों की कब-कब दुर्घटनाएँ हुई और इन दुर्घटनाओं में जान और माल की कितनी क्षति हुई ? इस स्थान पर इतनी दुर्घटनाएँ होने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

रामपुर-रुद्रपुर किच्छा मार्ग जिला प्रमुख मार्ग नं० 17 पर ग्राम मुल्ला खेड़ा के निकट इकरा नाला पर स्थित लघु सेतु नं० 25/1 पर दिनांक एक जनवरी 1981 से एक मार्च 1982 तक तीन दुर्घटनाएँ दिनांक 23-2-81, 2-10-81 व 14-2-82 को हुई। दिनांक 23-2-81 को ट्रक संख्या यू० पी० एफ० 7837 एक ताँगे से टकरा गया जिसमें 2 व्यक्ति मर गये और ताँगा टूट गया। दिनांक 2-10-81 को ट्रक संख्या यू० टी० यू० 5277 एक साइकिल सवार से टकराया जिससे साइकिल चालक घायल हुआ और साइकिल टूट गयी। दिनांक 14-2-82 को परिवहन निगम की बस संख्या यू० टी० जी० 9931 से ट्रक संख्या यू० टी० एच० 5510 टकराया जिसके परिणामस्वरूप कई व्यक्ति घायल हुए और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। पुलिस सूचना के अनुसार ट्रकों के बड़ी तेजी एवं लापरवाही से चलाने के कारण दुर्घटनायें हुई हैं।

जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज के कतिपय गाँवों में व्यास नदी द्वारा कथित कटान

79—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—**

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज के केवलापुर, जगपुर आराजी, विजयपुर, सलामतगढ़ आदि गाँवों की आबादी व खेती योग्य भूमि बयास नदी से वर्ष 1980 से अक्टूबर, 1982 तक बराबर कटती चली आ रही है ? यदि हाँ, तो सर्वेक्षण कराकर शीघ्र कटान रोकने हेतु ठोकर लगाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कथित गाँवों की आबादी का व्यास नदी द्वारा वर्ष 1980 से अक्टूबर, 1982 तक कोई कटान नहीं हुआ है। कुछ कृषि योग्य भूमि नदी द्वारा काटी गयी है।

आबादियों को कटान से तत्काल कोई खतरा नहीं है। अतः ठोकर लगाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

गोंडा डिपो में कार्यरत गाड़ियाँ तथा खराब बसों की मरम्मत

80—**श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा डिपो में 19-7-83 को कितनी गाड़ियाँ कार्यरत हैं तथा कितनी बेकार हैं ? कुल कितनी गाड़ियों की आवश्यकता है ? क्या उसकी पूर्ति की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोंडा डिपो में दिनांक 19-7-82 को 42 बसें कार्यरत (आन रोड) थीं तथा 21 गाड़ियाँ खराब थीं। इस डिपो हेतु 47 बसों की आवश्यकता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राइवेट बसों को निगम से अनुबन्धित कर किराये पर निगम की नीतियों के अनुसार संचालित करने की योजना है, जिसके अंतर्गत कार्यवाही की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त निगम की खराब बसों की आवश्यक मरम्मत कर संचालित करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

राजकीय मुद्रणालयों द्वारा साधारण तथा असाधारण गजटों का प्रकाशन तथा उर्दू अनुवाद का प्रकाशन

81—**श्री रियासत हुसैन**—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 82 में कितने गजट साधारण तथा असाधारण प्रकाशित हुए ? उनमें से ऐसे कितने गजट हैं जिनका उर्दू अनुवाद भी प्रकाशित हो गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1982 में राजकीय मुद्रणालयों द्वारा 52 साधारण तथा 1102 असाधारण गजट प्रकाशित किये गये ।

इनमें से किसी का भी उर्दू अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ है क्योंकि अभी वर्ष 1981 के गजटों का उर्दू अनुवाद छपवाया जा रहा है ।

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के विकास खण्डों में विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत लगाये गये नलकूप

82—**श्री शेर बहादुर तथा**
श्री प्रियदर्शी जेतली —

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के किन-किन विकास खण्डों में विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत नलकूप लगाये गये हैं और क्या अकबरपुर ब्लाक पूर्णतया उस योजना के अन्तर्गत लिया जा रहा है तथा अब तक उक्त ब्लाक में किन-किन स्थानों पर नलकूप लगाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ब्लाक भीटी, कटेहरी तथा अकबरपुर में विश्व बैंक से पोषित राजकीय नलकूप परियोजना के प्रथम चरण में क्रमशः 29, 14 तथा 5 नलकूप लगाये गये हैं ।

विश्व बैंक योजना (द्वितीय चरण) के चालू होने पर प्रश्नगत स्थल पर नलकूप लगाने हेतु सर्वेक्षण के उपरान्त विचार करना संभव हो सकेगा ।

83—**श्री शंकर सिंह**—

[8 वें बुधवार के लिए स्थगित]

84—**श्री शंकर सिंह**—

[7 वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पौड़ी गढ़वाल जनपद में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत ग्रामीण बस्तियों का विद्युतीकरण

85—**श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी**—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल जनपद में गत वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया

गया है और ग्राम खाण्डा, महादेवसैण कोटा, कुंडकली हरिजन ग्रामों के कब तक विद्युतीकरण किये जाने की संभावना है।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

गत वित्तीय वर्ष (1981-82) में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत चौसठ हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजना में शामिल हरिजन ग्राम महादेवसैण कोटा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा वर्ष 1983-1984 में प्रस्तावित किया जायगा। प्रश्नगत ग्रामों में से शेष को आगामी वर्षों की विद्युतीकरण योजनाओं में शामिल करने पर विचार किया जायेगा।

पर्वतीय जिलों में कुटीर एवं लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु व्यय

86—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1981-82 में कितनी धनराशि पर्वतीय जिलों में कुटीर एवं लघु उद्योग की स्थापना पर व्यय हुई और उसमें से कितनी धनराशि किस-किस जिले में कितने व्यक्तियों को दी गई।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्ष 1981-82 में पर्वतीय जिलों में कुटीर एवं लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु आयोजनागत पक्ष में रु० 136·112 लाख व्यय किया गया। जनपद वार धनराशि एवं लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या जिन्हें कुटीर एवं लघु उद्योग के स्थानापार्थ ऋण प्रदान किया गया निम्न प्रकार है—

जनपद	धनराशि (लाख रु०)	लाभान्वित व्यक्ति
1 नैनीताल	3·50	52
2 अल्मोड़ा	4·00	25
3 पिथौरागढ़	4·00	55
4 पौड़ी	4·00	34
5 टेहरी	4·00	34
6 चमोली	2·52	18
7 उत्तरकाशी	4·00	31
8 देहरादून	3·60	22
योग—	29·62	271

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के निर्माण का प्रस्ताव तथा निगम द्वारा स्वीकृत धनराशि

87—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 82-83 और 83-84 के लिए जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत किन-किन पेयजल योजनाओं का निर्माण प्रस्तावित

है इन योजनाओं के निर्माण हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी तथा कितनी धनराशि जल निगम को अब तक दी जा चुकी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जनपद पौड़ी गढ़वाल में वर्ष 1982-83 में राजस्व सेक्टर में एक योजना व जिला सेक्टर में 292 चालू व तीन नई योजनाओं पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1983-84 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत एक योजना व जिला सेक्टर में 67 चालू योजनायें तथा 21 नई योजनाओं पर निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इन योजनाओं के निर्माण हेतु वर्ष 1982-83 में 274·50 लाख रुपये तथा वर्ष 1983-84 में 288 लाख व्यय का अनुमान है। इस वित्तीय वर्ष में माह फरवरी, 1983 तक जल निगम द्वारा जनपद पौड़ी योजनाओं हेतु 189·00 लाख रु० की धनराशि दी जा चुकी है।

88—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि धनाभाव के कारण जनपद पौढ़ी गढ़वाल में पेयजल योजनाओं का निर्माण लगभग ठप्प पडा हुआ है ? क्या यह भी सच है कि गढ़वाल जनपद में जल निगम की प्रत्येक शाखा को दो-दो लाख रुपये ही दिये जा रहे है ? यदि हाँ, तो उसका प्रयोजन क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

यह सत्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

यह सत्य नहीं है।

पर्वतीय जिलों के लिए हिल कैडर बनाने की घोषणा तथा कार्यरत कर्मचारियों द्वारा गठित उपसंवर्गों में विकल्प

89— श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों के लिए जो हिल कैडर बनाने की घोषणा जो गत वर्ष की गयीं थी उसका कार्यान्वयन कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या उन सभी कर्मचारियों से जो वहाँ पर कार्यरत है आप्सन ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

पर्वतीय क्षेत्र में लघु सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, ग्राम्य विकास (सामुदायिक विकास), पशुपालन तथा कृषि एवं भूमि संरक्षण सेवाओं में एक निर्दिष्ट स्तर तक सेवाओं का उप संवर्ग गठित करने के आदेश सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा जारी कर दिये गये हैं। उद्यान एवं फलोपयोग सेवाओं में आदेश जारी करने की कार्यवाही का अनुसरण किया जा रहा हैं। सम्बन्धित संवर्गों के कर्मचारी चाहे वे वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्र में तैनात हों अथवा उसके बाहर, इस प्रकार गठित उप संवर्गों के लिए विकल्प दे सकते हैं। इन उप संवर्गों में विकल्प लेकर या लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से चयन कराकर, जैसी भी स्थिति हो, पदों को भरने की कार्यवाही की व्यवस्था सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के विचार क्षेत्र में हैं और उनसे इस सम्बन्ध में कार्यवाही शीघ्र पूरी करा कर पदों को भरने हेतु अनुसरण किया जा रहा है प्रशासनिक

विभागों से उपलब्ध जानकारी के अनुसार लघु सिंचाई सेवाओं में उप संवर्ग के लिए विकल्प ले लिये गये हैं और आयोग की परिधि के भीतर आने वाले पदों के लिए अधियाचन भेज दिया गया है। सिंचाई विभाग में आप्सन प्राप्त करने हेतु प्रमुख अभियन्ता को निर्देश दे दिये गये हैं। पशुपालन सेवाओं में दिनाँक 15-11-82 तक विकल्प माँगे गये थे जिसके आधार पर पशुपालन निदेशक द्वारा विकल्पों की छानबीन कर उप संवर्ग की सूची को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। चिकित्सा विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत चिकित्साधिकारियों से विकल्प ले लिये गये हैं और इसके पश्चात जो स्थान रिक्त बचते थे उन पर लोक सेवा आयोग से चयन करा कर नियुक्तियों कर दी गई हैं और अवशेष रिक्तियाँ चयन हेतु आयोग को संदर्भित हैं। शिक्षा विभाग व कृषि विभाग द्वारा भी उप संवर्ग के सम्बन्ध में विकल्प लेकर आगे कार्यवाही की जा रही है।

सई नदी को चौड़ा, गहरा, एवं सीधा करने हेतु स्वीकृत योजना

90—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सई नदी को चौड़ा, गहरा एवं सीधा करने के लिए शासन के पास सन 1965 में 45 लाख रुपया लागत की एक योजना स्वीकृति हेतु भेजी गयी थी ? यदि हाँ, तो उस योजना पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गाजीपुर मनीहारी व कासिमाबाद राजमार्ग पर संचालित अनधिकृत बसे तथा उत्तरदायी वाहन स्वामियों के विरुद्ध कार्यवाही

91—श्री झिलमिट राम—

क्या सरकार को जानकारी है कि गाजीपुर मनीहारी व कासिमाबाद राजमार्ग पर अनधिकृति बसों का संचालन हो रहा है ? यदि हाँ, तो उसका उत्तरदायी कौन है ? और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

इन मार्गों पर कुछ बसों को अवसर पाकर अनाधिकृत रूप से चलाने के प्रयास किये जाते हैं जिसके लिये उत्तरदायी वाहन स्वामियों का समय-समय पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वारा की जाने वाली चेकिंग के अन्तर्गत मोटर गाड़ी अधिनियमों के अन्तर्गत चालान करके दंडित किया जाता है। दिनाँक 1-4-82 से 28-2-83 के बीच प्रश्नगत मार्गों पर चेकिंग के दौरान निम्नांकित चालान अनाधिकृत संचालन के लिये किये गये।

मार्ग का नाम	चालनों की संख्या
गाजीपुर-नुनीहारी	60
गाजीपुर-कासिमाबाद	47

श्री वी०पी० सिंह तत्कालीन सहायक अभियन्ता के निलम्बन आदेश की वापसी तथा अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति

92—**श्री मोतीलाल देहलवी—**

प्रथम सत्र 82 के 2रे बुध के अता०प्र० सं० 23 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री वी०पी० सिंह, वर्तमान अधिशासी अभियन्ता को सतर्कता विभाग द्वारा जांचोपरान्त निलम्बित करने पर सतर्कता विभाग द्वारा जो जांच रिपोर्ट दी गई थी वह क्या है और लोक सेवा अधिकरण द्वारा कब व क्या लिख कर निलम्बन स्थगित किया गया तथा इस मामले में न्याय विभाग ने कब व क्या लिख कर निलम्बन आदेश वापस लिये जाने को कहा था ? क्या इसी प्रसंग में कृपया यह भी बतायेंगे कि श्री वी०पी० सिंह की पदोन्नति कब व किस आधार पर की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री वी०वी० सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, रिग्स प्रखंड, वाराणसी (वर्तमान अधिशासी अभियन्ता) को सतर्कता जांच पर्यन्त निलम्बित किया गया था। उक्त सतर्कता जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिस पर सतर्कता विभाग की संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। इस स्तर पर रिपोर्ट के तथ्यों का उल्लेख करना जनहित में न होगा। मा० लोक सेवा अधिकरण ने श्री सिंह के निलम्बन को इस आधार पर आदेश दिनांक 15-5-76 द्वारा स्टे किया था कि श्री सिंह का निलम्बन सतर्कता जांच पर्यन्त किया गया था। न्याय विभाग ने दिनांक 7-7-76 को यह मत व्यक्त किया था कि श्री सिंह का निलंबन नियमानुसार नहीं है अतः निलंबन आदेश वापस ले लिया जाय।

चयन समिति द्वारा श्री सिंह को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाये जाने के आधार पर दिनाँक 12-1-77 से अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति किया गया।

93—**श्रीमती प्रेमवती तिवारी—**

[दिनाँक 9-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 40 द्वारा उत्तरित]

जनपद हरदोई, तहसील बिलग्राम के कतिपय गांवों में जल निकासी हेतु ड्रेन का निर्माण

94—**श्री राम आसरे वर्मा—**

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम की हैबतपुर, जटौली, शेरपुर, पसनामऊ, कुतुबापुर, बलेन्दा आदि कई गांवों के आस पास बरसात के पानी भराव को समाप्त करने की दिशा में शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

ग्राम हैबतपुर की जल निकासी के लिए 1-2 कि०मी० हैबतपुर ड्रेन का निर्माण किया जा रहा है जिसके आगामी वर्षों के पूर्व पूर्ण होने की आशा है।

अन्य ग्रामों जटौली, कोरपुर, पसनामऊ, कुबुबापुर, बलेन्दा की जल निकासी हेतु राईट मोना ड्रेन बनी हुई है। इसकी सफाई आवश्यकतानुसार वर्षा से पूर्व कराना प्रस्तावित है।

95—राम आसरे वर्मा—

[8वें बुधवार के लिए स्थगित]

96—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दिनांक 9-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 67 द्वारा उत्तरित]

निर्वाचन क्षेत्र बस्ती सदर में "हमदर्द हैंयड कम्पनी" के नाम से स्थापित उद्योग को चलाने हेतु कार्यवाही

97—कु० अलमेलू अम्माल—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र बस्ती सदर में "हमदर्द हैयड कम्पनी" के नाम से एक उद्योग स्थापित किया गया था ? जिसमें डेढ़ सौ हरिजन परिवार कार्यरत थे ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि साढ़े तेरह लाख का कच्चा व अर्ध पक्का चमड़ा स्टेट बैंक, बस्ती ने बेचने से रोक दिया ? जिससे उक्त चमड़ा खराब हो गया ? यदि हाँ, तो सरकार उक्त उद्योग को चलाने के लिए अब क्या करने जा रही है।

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बस्ती जनपद के नलकूप विभाग में सीमेंट की कथित चोरी

98—कु० अलमेलू अम्माल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के नलकूप विभाग में दिनांक 19-11-81 को दस सौ सत्ताइस बोरी सीमेंट की चोरी के सम्बन्ध पुलिस सब इंसपेक्टर की जांच रिपोर्ट मिल गयी है ? यदि हाँ, तो दोषी सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अवर अभियन्ता व नलकूप विभाग के विरुद्ध क्या आरोप लगाए गये हैं तथा दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बस्ती जनपद के नलकूप विभाग में दिनांक 18-19 नवम्बर 1981 को दस सौ सत्ताइस बोरी सीमेंट की चोरी के सम्बन्ध में पुलिस सब इन्सपेक्टर की जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते।

नलकूप मंडल, गोरखपुर में चयनित व प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की रिक्त पदों पर उपयुक्तता के आधार पर नियुक्ति

99—श्री भीखालाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नलकूप सिंचाई कार्य मण्डल में वर्ष 1980 में 518 चयनित व प्रशिक्षित नलकूप चालकों में से अब तक कितने चालकों को समायोजित कर लिया गया है और बाकी को समायोजित करने की क्या योजना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई कार्य मण्डल गोरखपुर (अब नलकूप मण्डल गोरखपुर) में चयनित व प्रशिक्षित 518 कथित अभ्यर्थियों में से 127 अभ्यर्थियों को मण्डल में उपलब्ध रिक्त पदों पर उपयुक्तता के आधार पर नियुक्ति कर लिया गया है। शेष अभ्यर्थियों को, जिनका केवल प्रशिक्षण हेतु चयन किये जाने के आधार पर नियुक्ति का कोई क्लेम नहीं है, समायोजित करने की कोई योजना नहीं है।

हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा गृह अनुदान में अनियमितता की जाँच

100—**श्री भीखा लाल—**

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बदले प्रसाद, मन्त्री भा० कम्युनिस्ट पार्टी, जिला फर्रुखाबाद का प्रार्थना-पत्र दि० 5-5-82 प्रश्नकर्त्ता के पत्र दि० 26-1-83 के साथ उनको प्राप्त हुआ है जिसमें यह शिकायत की गयी है कि हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, फर्रुखाबाद ने एक ही परिवार के सदस्यों को कई बार गृह अनुदान देकर अनियमित कार्य किया ? यदि हां, तो क्या उसकी जाँच कराई गयी और उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

101—**श्री मुख्तार अनीस तथा**

श्री प्रदीप कुमार यादव—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

102—**श्री शंकर सिंह—**

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

माधोपुर (गोरखपुर) बांध पर ईंट की सोलिंग का कार्य तथा अनुबन्धित व्यक्तियों के नाम

103—**श्रीमती गौरी देवी—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद में ड्रेनेज खण्ड के अन्तर्गत माधोपुर बांध पर ईंट बिछाने का कार्य करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों के नाम ईंट बिछाने का अनुबन्ध किया गया था उनके नाम गणना पुस्तिका पर अंकित नहीं हैं और न उन्हें भुगतान ही किया गया ? यदि हां, तो कारण क्या है ? माधोपुर (गोरखपुर) बांध पर ईंट बिछाने का अनुबन्ध किन व्यक्तियों के नाम था तथा भुगतान और गणना पुस्तिका (मेजरमेंट बुक) पर किनका नाम अंकित है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत बांध की लम्बाई 3.6 कि० मी० है जिसमें से 2.0 कि० मी० की लम्बाई में ईंट की सोलिंग का कार्य करा दिया गया है।

0 से 3.0 कि० मी० तक सोलिंग के कार्य का अनुबन्ध जिन चार व्यक्तियों द्वारा किया गया था उनके नाम माप पुस्तिका पर अंकित हैं। इनमें से तीन ठेकेदारों को अन्तरिम (रनिंग) भुगतान कर दिये गये हैं और एक का अभी भुगतान होना बाकी है।

माधोपुर बांध (गोरखपुर) पर ईंट बिछाने के अनुबन्ध सर्वश्री जावेद अहमद, लल्लू, कलीम तथा अरुण कुमार त्रिपाठी के नाम थे तथा भुगतान हेतु माप पुस्तिका (मेजरमेंट बुक) में इन्हीं के नाम अंकित हैं।

बुन्देलखन्ड में ग्रेनाइट-स्टोन कटिंग इन्डस्ट्रीज लगाने पर विचार

104—**प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड में ग्रेनाइट स्टोन-कटिंग इंडस्ट्रीज लगाने का विचार शासन कर रहा है ? यदि हां, तो 30 दिसम्बर, 1982 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम लि० द्वारा बुन्देलखण्ड में ग्रेनाइट-स्टोन कटिंग इन्डस्ट्रीज लगाने पर विचार किया जा रहा है। निदेशालय, भूतत्व एवं खनिकर्म, द्वारा बुन्देलखण्ड में जिला हमीरपुर, ललितपुर तथा झांसी में विभिन्न स्थानों पर ग्रेनाइट-भण्डारों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया गया। निकाले गये नमूनों को परीक्षण हेतु राजस्थान स्टेट ग्रेनाइट एण्ड मार्बुल लि० जोधपुर को भेजा गया और कुछ नमूने पालिश के लिये उचित पाये गये। यह कार्य मई, 1982 में पूरा किया गया। राज्य खनिज विकास निगम द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु परियोजना बनायी जा रही है।

प्रदेश के औद्योगीकरण हेतु अरब देश के उद्योगपतियों का सहयोग लेने पर विचार

105—**प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रदेश के औद्योगीकरण हेतु अरब देश के उद्योगपतियों का सहयोग लेने के लिए शासन प्रयास कर रहा है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

हाल ही में मुख्य मन्त्री जी ने अरब देशों का भ्रमण करके प्रदेश में औद्योगीकरण की विभिन्न संभावनाओं से वहां के उद्योगपतियों एवं संस्थाओं को अवगत कराया जिसके फलस्वरूप उन्होंने पूंजी विनियोजन हेतु रुचि प्रदर्शित की है।

जनपद बांदा तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बांधा में साधनों द्वारा सिंचाई क्षमता में वृद्धि एवं व्यय

106—**प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बांदा में जून, 1980 से अब तक कितनी सिंचाई क्षमता में वृद्धि किन-किन साधनों द्वारा की गयी ? इन पर कितना धन व्यय किया गया ? वर्ष 1983-84 में कितनी सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

107—**प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में जून, 1980 से अब तक कितनी सिंचाई क्षमता में वृद्धि किन-किन साधनों द्वारा की गयी ? इन पर कितना धन व्यय किया गया ? वर्ष 1983-84 में कितनी सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ सिंचाई, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी को पैतृक विभाग को वापस किये जाने का मामला

108—**श्री माता प्रसाद पाण्डेय**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ सिंचाई लखनऊ में कितने कर्मचारी कितने वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं और वित्त (सामान्य) विभाग के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार उन्हें पैतृक विभाग को वापस किए जाने का मामला क्या शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक उन्हें वापस कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस समय कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं है । परन्तु कोष्ठ के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर ही रखे जाते हैं, जिनकी सूची संलग्न है । इन्हें इनके पैतृक विभाग के द्वारा मांगे जाने पर वापस किया जाता है ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ पर ।)

109-110—**श्री भोखा लाल**—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

श्री दिगपाल सिंह, प्रधान, कनिगांव द्वारा कनिगांव माइनर की सफाई कराने हेतु पत्र

111— **श्री भीखालाल** —

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के राज्य मन्त्री सिंचाई के दो पत्र दि० 9-3-81 अधिशासी अभियन्ता, शारदा कैनाल, उन्नाव को श्री दिगपाल सिंह, प्रधान, कनिगांव के प्रार्थना-पत्रों सहित प्राप्त हुए हैं, जिसमें यह हिदायत की गयी है कि कनिगांव माइनर की सफाई करा दी जाय, 3 1/2 मील पर एक पुलिया बनाई जाय और कनिगांव ड्रेन को चौड़ा व गहरा किया जाय ? यदि हां, तो अभी तक उक्त कार्यों में से एक कार्य भी पूरा न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ ।

उक्त कार्यों में से कनिगांव माइनर की रबी फसल से पूर्व व कनगांव नाला की बरसात से पूर्व सफाई का कार्य आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा करा दिया गया है ।

कनगांव माइनर के मील 3-3-369 व मील 4-2-175 पर पहले से पुलिया होंने के कारण मील 3-5-0 पर नयी पुलिया बनाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

निराश्रित शिशु निकेतन बिशुनपुरा, देवरिया को हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया द्वारा स्वीकृत अनुदान

112—**श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र**—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 निराश्रित शिशु निकेतन विशनपुरी, देवरिया को हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया ने कितना धन और किसलिए दिया है ? क्या यह सत्य है कि जांच में इस संस्था का संचालन संदिग्ध मिला है ? यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गुलाब सेहरा—

इस संस्था को वर्ष 1980-81 में 38935/- रुपये का अनुदान निराश्रित बालकों के रख-रखाव हेतु अतिरिक्त जिलाधिकारी देवरिया के माध्यम से दिया गया था । वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में संस्था को अनुदान नहीं दिया गया है क्योंकि इस संस्था के कार्य के बारे में जांच की कार्यवाही की जा रही है । जांच के पश्चात् ही उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाना संभव हो सकेगा ।

प्रमुख अभियन्ता, कार्यालय सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता एवं वैयक्तिक सहायक के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान का जांच तथा स्थानान्तरण आदेश की निरस्ति

113—**डा० बृज किशोर**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, कार्यालय सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता एवं वैयक्तिक सहायक (अधिष्ठान-4 अनुभाग) के विरुद्ध

शासन द्वारा सतर्कता अधिष्ठान से प्राप्त जांच आख्या को मूल रूप में विभागाध्यक्ष को प्रेषित करते हुए आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही करने का निदेश दिया है ? यदि हां, तो उक्त निदेश किस दिनांक को प्रमुख अभियन्ता को प्रेषित किए गये तथा अब तक उक्त प्रकरण क्यों निलम्बित है ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को यह निर्देश दिये गये हैं कि सतर्कता अधिष्ठान की जांच रिपोर्ट में श्री मेहरोत्रा के विरुद्ध वर्णित आरोपों पर उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करके शासन को भेजें ।

प्रमुख अभियन्ता को दिनांक 25-6-82 को निदेश दिये गये हैं । उनको शीघ्र आख्या भेजने के लिये स्मरण करा दिया गया है ।

114—श्री बृज किशोर—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, कार्यालय सिंचाई विभाग, उ० प्र० लखनऊ के अधीनस्थ जांच प्रकोष्ठ में कितने कर्मचारी पिछले 8 वर्षों से भी अधिक समय से कार्यरत हैं तथा कितने कर्मचारियों का तीन बार स्थानान्तरण हो जाने पर भी पुनः रद्द कर दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

115—श्री माधव प्रसाद—

[8 वें बुधवार के लिए स्थगित]

अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल, आजमगढ़ द्वारा नैत्यिक कोटि लिपिकों की नियुक्ति तथा स्थायीकरण

116—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, आजमगढ़ द्वारा 29 जनवरी, 1979 को कितने नैत्यिक कोटि लिपिकों की नियुक्ति की गयी ? इनमें से कितने ऐसे हैं जिन्हें तीन वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद भी स्थायी नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि हरिजन आरक्षण पूरा न होते हुए भी श्री धर्मदेव प्रसाद की सेवा 15 जनवरी, 1983 को समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल आजमगढ़ द्वारा 29 जनवरी 1979 को दो (2) नैत्यिक कोटि लिपिकों की नियुक्ति की गयी थी । स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इन्हें स्थायी नहीं किया जा सका है । श्री धर्मदेव प्रसाद की सेवायें दिनांक 13-1-83 को समाप्त की गयी थीं क्योंकि श्री प्रसाद जिला चयन समिति तथा विनयमितीकरण नियमावली 1979 के अन्तर्गत गठित विनयमितीकरण समिति द्वारा अनुमोदित नहीं हुये थे ।

विश्व बैंक द्वारा पोषित राजकीय नलकूपों के निर्माण की योजना में वैल लार्गिग मशीन क्रय करने की व्यवस्था तथा उपलब्ध तकनीकी कर्मचारी

117—**श्री कुँवर सिंह नेगी**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में नलकूप निर्माण के पूर्व वेल लार्गिग कराने से संबंधित विश्व बैंक के निदेश के अनुपालन में कितने लार्गिग मशीनों के क्रय करने की व्यवस्था की जा रही है ? कृपया यह भी बताया जाय कि इस विशिष्ट प्रकार के सर्वे को कराने हेतु किस शैक्षणिक योग्यता के व्यक्तियों को रखने का कार्यक्रम है ? क्या इस कार्य हेतु जियोफिजिक्स के पदों का सृजन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विश्व बैंक द्वारा पोषित राजकीय नलकूपों के निर्माण की योजना के प्रथम चरण में किसी वैल लार्गिग मशीन का क्रय नहीं किया गया है। इस योजना के द्वितीय चरण में वैल लार्गिग मशीनों के क्रय के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

वर्तमान में लार्गिग की व्यवस्था राज्य भूगर्भ जल संस्थान में है। इस संस्थान में तत्संबंधी तकनीकी कर्मचारी भी उपलब्ध हैं।

नगीना उपखंड में नलकूप संख्या 498 पर पक्की गूल एवं पाइप लाइन का निर्माण तथा कार्यरत नलकूप

118—**श्री सूबेदार सिंह**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प० सं० 122/प्र० अ० दि० अप्रैल 20-9-1982 प्रमुख अभियन्ता के अ० शा० प० सं० 5950/मु०अ०/नलकूप दि० प० मई, 81 तथा अशा० प० सं० 1974 मु० अ० न० प० दि० 4 सितम्बर, 81 मुख्य अभियन्ता और मा. सिंचाई मंत्री जी के आदेश के बाद भी नलकूप 498 नलकूप खंड, नगीना में पक्की गूल एवं नल पाइप नहीं लगाए गये ? अगर हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जाँच करायेगी और दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रोजेक्ट प्राविधान के अनुसार नलकूप खण्ड बिजनौर के नगीना उपखंड में नलकूप संख्या 498 डी०जी० पर 1–60 कि० मी० पक्की गूल के निर्माण के विरूद्ध 1–70 कि० मी० पक्की गूल एवं पाइप लाइन का निर्माण हो चुका है। अतः जाँच कराये जाने तथा दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

119—**श्री सूबेदार सिंह**—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद बिजनौर की तहसील नगीना के ग्राम भीठोपुर में कब तक नलकूप लगाने की व्यवस्था कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम भीठोपुर में राजकीय नलकूप सं० 498 डी० बी० पहले से ही सिंचाई रत है।

120—श्री शंकर सिंह—

[8वें बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद बुलन्दशहर में जरगवां कुर्दनी मार्ग पर बरसाती नाला की सफाई

121—श्री स्वामी नेमपाल—

क्या सिंचाई मन्त्री को यह जानकारी है कि विकास खंड डिबाई, जनपद बुलन्दशहर में जरगवां कुर्दनी मार्ग को काटते हुए जो बरसाती नाला बरसात के दिनों में फलकर कई गांवों की फसलों को नष्ट कर किसानों को अत्यन्त हानि पहुंचाता है ? उसकी अनेक वर्षों से सफाई नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार आदेश जारी करके उक्त नाले की सफाई करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

चूंकि प्रश्नगत नाला सिंचाई विभाग का नहीं है, अतः इस नाले की सफाई सिंचाई विभाग द्वारा कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

122—श्री यदुनाथ सिंह—

[8वें बुधवार के लिए स्थगित]

123—श्री ऊदल—

[8वें बुधवार के लिए स्थगित]

पर्वतीय विकास विभाग का बजट केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान, अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं विकास कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि

124—श्री जसवन्त सिंह विष्ट तथा
श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981–82 में पर्वतीय विकास विभाग का कुल कितना बजट था । उस में कितना केन्द्रीय सरकार का अनुदान था । इस सम्पूर्ण धनराशि में से कितनी धनराशि पर्वतीय विकास विभाग के कार्यों में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों पर व्यय हुई है और कितनी धनराशि विकास के कार्यों पर व्यय हुई है तथा कितनी धनराशि पर्वतीय विकास विभाग के बजट से अन्यत्र हस्तान्तरित की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य —

सूचना एकत्र की जा रही है ।

125–126—श्री राम चरण सिंह—

[8वें बुधवार के लिए स्थगित]

इटावा डिपो तथा कार्यशाला में जनरेटर का क्रय

127— **श्री धनीराम वर्मा—**

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि इटावा डिपो की कार्यशाला और डिपो में प्रकाश व्यवस्था हेतु एक जनरेटर क्रय किया गया था ? यदि हाँ, तो कब और कितने रुपयों में ? क्या यह जनरेटर कार्यरत है ? यदि नहीं, तो कितने समय से और क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य —

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर रीजन में परिचालकों की नियुक्त हेतु चयन

128—**श्री हरिवंश सहाय—**

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर रीजन में वर्ष 1980 में कितने परिचालकों की नियुक्ति हेतु चयन किया गया ? उसमें कितने नियुक्त किये गये ? कितने चयनित परिचालकों की नियुक्ति अब तक नहीं की गयी है ? क्या नियुक्तियां क्रमसंख्या के अनुसार नहीं की गयीं ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाबा राघवदास कुष्ठ सेवा आश्रम, देवरिया द्वारा जर्मन रिलीफ एसोसियेशन से प्राप्त कम्बलों का वितरण तथा नाम व पते

129—**श्री हरिवंश सहाय—**

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाबा राघवदास कुष्ठ सेवाआश्रम, देवरिया को जर्मन रिलीफ एसोसियेशन से 40 गांठ कम्बल वर्ष 1982 में असहायों एवं कुष्ठ रोगियों में वितरण हेतु मिला है ? यदि हां, तो ये कम्बल कब आया था तथा कब वितरण हुआ ? जिन-जिन व्यक्तियों को कम्बल दिया गया उनके नाम व पता क्या हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नलकूप खण्ड बरेली में नलकूप चालकों का कार्यकाल तथा वेतन निर्धारण

130—**श्री जयदीप सिंह बरार—**

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप विभाग जनपद बरेली में ऐसे कूप चालक भी हैं जिनका 25 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, उन्हें 1979 के वेतन आयोग द्वारा संस्तुत नये वेतनमानों के आधार पर वेतन न देकर पुराने वेतनमानों के आधार पर ही वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नलकूप खण्ड, बरेली में जिन नलकूप चालकों का कार्यकाल 25 वर्ष पूरा हो चुका है, उनमें से 4 नलकूप चालक ऐसे हैं जिनका, सेवा पुस्तिका अप्राप्त अथवा अपूर्ण होने के कारण, नये वेतनमान में वेतन निर्धारण नहीं हो सका है। उनको नये वेतनमान के आधार का प्रारम्भिक वेतन दिया जा रहा है। इनके वेतन निर्धारण शीघ्र करने के आदेश दे दिये गये हैं।

जनपद फैजाबाद में राज्य सड़क परिवहन निगम तकनीकी कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल व मांगें

131—**श्री गोपीनाथ वर्मा—**

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी, 1983 में जनपद फैजाबाद के रा० स० प० नि० तकनीकी कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की गयी ? यदि हां, तो अनशनकारियों की क्या मांगें थीं और सरकार ने उन्हें कब तक पूरा कराने का आश्वासन दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गणेश चन्द्र काछी, भूतपूर्व विधायक, जिला मैनपुरी द्वारा आगरा जाने वाली बस के परिचालक के विरुद्ध अधिक किराया वसूल किये जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र

132—**श्री रघुवीर सिंह यादव—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री गणेश चन्द्र काछी, भू० पू० विधायक कुरावली, जिला मैनपुरी का कोई शिकायतीपत्र 17-12-81, 15-2-82, 22-7-1982 तथा 26-8-1982 मुख्य मन्त्री, प्रधान प्रबन्धक, उ० प्र० रा० स० प० निगम, अलीगढ़ क्षेत्र, आगरा क्षेत्र व लखनऊ क्षेत्र को 6 दिसम्बर, 1981 को सोरों से आगरा जाने वाली सरकारी बस नं० एम० बी० जे० 1489 के कन्डक्टर द्वारा उनसे जबरिया 10 पैसे बीमा के अलावा अन्य कर वसूली किए जाने के सम्बन्ध में भेजा, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इन शिकायतों में कन्डक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

श्री गणेश चन्द्र काछी, भूतपूर्व विधायक, का केवल दिनांक 17-12-1981 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। शिकायत की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि सम्बन्धित परिचालक ने 1.00 रु० यात्री कर तथा 10 पैसे सरचार्ज नियमानुसार वसूल किये थे परन्तु बीमा के 5 पैसे की जगह 15 पैसे वसूल किये। 10 पैसे अधिक वसूल करने के लिये परिचालक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक बस में स्थान न मिलने का प्रश्न है बस में यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण शिकायत-कर्त्ता को स्थान नहीं मिल सका।

अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, बरेली के विरुद्ध शिकायती पत्र के विरुद्ध जांच

133—**श्री नन्दराम**—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, बरेली के विरुद्ध शासन को कितने शिकायतीपत्र भ्रष्टाचार, अनियमिततायें करने सम्बन्धी प्राप्त हुए ? वर्ष 1981-82, 1982-83 में और शासन द्वारा उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत अवधि में अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड बरेली के विरुद्ध तीन शिकायती पत्र प्राप्त हुए जिनकी जांच के आदेश प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को दे दिये गये हैं ।

शारदा सहायक खंड 46 तरछा स्केप की खुदाई तथा किए गए कार्य का भुगतान

134—**श्री खैरुल बशर**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में शारदा सहायक खंड 46 तरछा ग्राम बडौरा मगई नदी तकरीबन 5 कि० मी० नहर में केवल 500 मीटर तक खुदाई की गई है और काम पूरा दिखाकर सारे पैसे का भुगतान कर दिया गया है । यदि हां, तो मन्त्री जी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । तरछा स्केप की खुदाई पूरी लम्बाई कि० मी० 4.299 में की गई है तथा केवल किये गये कार्य का ही भुगतान किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि भुगतान ठीक किया गया है ।

शारदा सहायक खंड 46 नहर में चेन गेट लगाने हेतु धनराशि तथा बंधा बनाने का कथित आदेश

135—**श्री खैरुल बशर**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ में शारदा सहायक खंड 46 नहर में चेन गेट लगाने के लिये पैसा सेंक्शन हुआ था तथा इस स्केप पर बंधा बनाने का आदेश हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि 3 कि० मी० तक पुराने बन्धे की मरम्मत करके बाकी पैसा ठेकेदार और अधिकारी खा गये हैं ? यदि हां, तो मन्त्री जी जांच के बाद दोषी अधिकारी को सजा दिलायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी क्षेत्र के बांदा डिपो में चोरियां तथा दर्ज रिपोर्ट

136—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र०रा०स०परि०नि० झाँसी क्षेत्र के बाँदा डिपो में वर्ष 1980 से आज अक्टूबर, 82 तक डिपो के अन्दर एवं डिपो के बाहर से कितने ऐसे समान चोरी हुए जिनकी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है तथा कितने ऐसे सामानों की चोरियां हुई जिनकी विभाग को लिखित जानकारी है ? यदि हाँ, तो अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वर्ष 1980 से आज तक बांदा डिपो में केवल आठ केस सामान चोरी के ऐसे हैं, जिनकी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी एवं दो मामले ऐसे हैं, जिनकी जानकारी विभाग को चोरी होने की है, किन्तु इस मामले को किसी थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। इन मामलों में परिवहन निगम से जांच करायी जा रही है।

रोडवेज बसों और प्राइवेट बसों की संख्या तथा आय

137—**श्री हरगोविन्द वर्मा—**

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० में रोडवेज बसों और प्राइवेट बसों की अलग-अलग संख्या क्या हैं ? पूरे प्रदेश में रोडवेज और प्राइवेट बसेज कितने किलोमीटर सफर करती है ? दोनों बसेज की पर कि०मी० आदमनी क्या है ? सरकार को रोडवेज बसेज में घाटा होने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश में इस समय उ०प्र०रा०स० परिवहन निगम के पास जनवरी 83 तक 5827 बसें तथा लगभग 700 अनुबन्धित अर्थात कुल 6527 बसें थीं। प्राइवेट बसों की संख्या कुल 9361 है। परिवहन निगम की बसों का पूरे प्रदेश में सफर करने का औसत 10–17 लाख कि०मी० प्रतिदिन तथा आमदनी रु० 3–01 प्रति किलोमीटर है। प्राइवेट बसों के सम्बन्ध में यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

परिवहन निगम की बसों में घाटे का प्रमुख कारण संचालन एवं व्यय में वृद्धि होना है।

जनपद सीतापुर में शारदा सहायक पोषक नहर के सीपेज से प्रभावित भूमि

138—**श्री हरगोविन्द वर्मा—**

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत बनी नहर के दोनों तरफ एक-एक मील ककराही से लेकर पैतेपुर तक कितने एकड़ जमीन सीपेज से प्रभावित हुई है, कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा कितने परिवार उजड़ गये हैं ? सीपेज को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ? और वह योजना कब तक पूरी होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद सीतापुर में शारदा सहायक पोषक नहर के दोनों तरफ लगभग 2900 हेक्टेयर भूमि सीपेज से प्रभावित हुई है। शारदा सहायक पोषक नहर के सीपेज से कोई मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुये हैं और न कोई परिवार उजड़े हैं।

सीपेज की समस्या के निदान हेतु लगभग 102 कि०मी० लम्बाई की सीपेज एवं अन्य ड्रेने बनाई गई हैं जिससे लगभग 1550 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित हुआ है। सीपेज की समस्या के निदान हेतु जलोत्सारण की समुचित व्यवस्था बनाने की योजना है।

जिन क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर ऊँचा है और ड्रेनों के निर्माण के फलस्वरूप निदान संभव नहीं होगा उन क्षेत्रों की समस्या के निदान हेतु कम गहरे नलकूल लगाने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

ग्राम नारायण वाला, जिला बिजनौर के किसानों से धारा बांध बनाने हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि तथा मुआवजा

139—**श्री धम्मन सिंह गहलौत—**

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नारायणवाला, परगना अफजलगढ़ तहसील नगीना, जिला बिजनौर की जो कृषि भूमि किसानों से धारा बाँध बनाने के लिए 1966 में अधिग्रहीत की गयी थी ? क्या उसका मुआवजा किसानों को दें दिया गया है और उनकी कब से लगान माफ की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राज्य वस्त्र निगम के अन्तर्गत कार्यरत आठों कताई मिलों में श्रमिकों की स्वीकृत संख्या तथा कार्यरत श्रमिकों की संख्या

140—**श्री राम आसरे वर्मा—**

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य वस्त्र निगम के अन्तर्गत कार्यरत प्रदेश की आठों स्पिनिंग मिलों की स्वीकृत संख्या अलग-अलग क्या है तथा उनके कार्यरत कर्मचारियों की संख्या इस समय क्या है ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि नियमतः कुल स्वीकृत संख्या का कितना प्रतिशत कर्मचारी रखा जा सकता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम के अन्तर्गत प्रदेशों की आठों कताई मिलों में श्रमिकों की स्वीकृत संख्या तथा वर्तमान कार्यरत श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	मिल का नाम	50,000 तकुओं के लिये श्रमिकों की न्यूनतम स्वीकृत संख्या	7वें दिन के कार्य के लिये आवश्यक श्रमिकों की संख्या	अनुपस्थिति तथा छुट्टी के कारण आवश्यक श्रमिकों की संख्या	कुल आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों की संख्या	कार्यरत श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	झांसी	1618	275	568	2461	1195
2	काशीपुर	1610	274	565	2449	1716
3	संडीला	1626	276	571	2473	1806
4	मेरठ	1592	271	559	2422	1726
5	रायबरेली	1616	275	567	2458	2172
6	बाराबंकी	1642	279	576	2497	1759
7	अकबरपुर	1607	273	564	2444	1269
8	मऊनाथभंजन	1606	273	564	2443	1309

कनहर परियोजना, मिर्जापुर में अभियन्ता कालोनी के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण तथा मुआवजा

141—श्री विजय सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के कनहर परियोजना में अमवार व नगवां गांव में जो अभियन्ता कालोनी बनाई गयी है उस भूमि को नियमानुसार अधिग्रहण किया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त भूमि का मुआवजा उसके मालिको को न देने का क्या कारण है ? क्या उक्त भूमि के मालिकों को मुआवजा दिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, अभियन्ता कालोनी के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण नियमानुसार किया जा रहा है ।

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही तथा प्रतिकर निर्धारण की प्रक्रिया के पूर्ण न होने के कारण मुआवजा नहीं दिया जा सका ।

जी हां । भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही तथा प्रतिकर निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मुआवजा वितरण किया जायगा ।

गाजीपुर में गंगा नदी के किनारे कच्चे तथा पक्के घाटों की संख्या तथा सुरक्षा एवं रखरखाव की परियोजना तैयार कराने की कार्यवाही

142—**श्री रामनारायण सिंह (एडवोकेट)**—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर नगर में गंगा नदी के किनारे कुल कितने घाट पक्के एवं कच्चे हैं तथा क्या प्रतिवर्ष बाढ़ से इन घाटों का कटाव एवं क्षति हो रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इन ऐतिहासिक घाटों की सुरक्षा एवं रख-रखाव की योजना तैयार कराई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

गाजीपुर में गंगा नदी के किनारे कुल पक्के घाटों की संख्या 15 तथा कच्चे घाटों की संख्या 8 है।

जी हां, बड़ा महादेवा घाट, दादरी घाट, रामघाट एवं कलक्टर घाटों की कुछ क्षति हुई है।

इन घाटों की सुरक्षा एवं रखरखाव की परियोजना तैयार कराने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बदायूं के कृषि असिंचित जमीन को सिंचित करने की योजना

143—**श्री मोहम्मद अबरार अहमद**--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं की कितनी कृषि असिंचित जमीन को सिंचित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? क्या यह सही है कि जनपद बदायूं में कोई नहर निकालने की योजना की स्वीकृति दे दी गयी है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जनपद बदायूं में प्रस्तावित मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण एवं बदायूं सिंचाई योजना द्वारा 1,05, 250 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किये जाने का प्रस्ताव है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

परिवहन विभाग की बसों के प्रयोग हेतु टायरों की खरीदारी में गोलमाल करने का कथित शिकायती पत्र

144—**श्रीमती गौरी देवी**—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग की बसों के प्रयोग के लिए टायरों की खरीदारी में गोलमाल के सम्बन्ध में 7 मार्च, 82 को श्री घनश्याम राय, युवक कांग्रेस (ई०) आजमगढ़ ने मुख्य मन्त्री को एक शिकायती-पत्र लिखा था ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं और क्या उसकी जांच कराई गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं, श्री घनश्याम राय युवक कांग्रेस (ई) आजमगढ़ का इस प्रकार का कोई शिकायती पत्र 7-3-82 के पश्चात् मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

[12 बज कर 20 मिनट]

***श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, तारांकित प्रश्न संख्या को देखने का कष्ट करें। मान्यवर, अपने प्रश्न के संबंध में मैं माननीय परिवहन मन्त्री जी से उत्तर चाहता था। मान्यवर, जो मैंने प्रश्न किया था कि जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, श्रीमन्, उसने लाखों रुपया गलत नियुक्तियों में कमाया, विधायकों ने उसकी शिकायत की। मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा कि उस क्षेत्रीय अधिकारी ने, जिसने लाखों रुपये का भ्रष्टाचार किया, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी, तो माननीय मंत्री जी ने तो उसका उत्तर दिया ही नहीं। लेकिन माननीय एक सदस्य ने जब यही प्रश्न किया तो उन्होंने यह कहा कि आपको तो मैं यह बता चुका हूँ कि मैंने क्या कार्यवाही की है। तो मान्यवर, मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूँ कि जब माननीय एक सदस्य को उन्होंने बता दिया है, तो माननीय सदन में सभी माननीय सदस्यों को न बताने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री प्रियदर्शी जैतली—

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, प्रश्नों के उत्तर माननीय सदस्यों को एक दिन पूर्व मिल जाने चाहिए····

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस संबंध में कल मीटिंग बुलायी है। आप बैठें।

परगिनाधिकारी फर्रुखाबाद सदर द्वारा खुले आम घूस लेने एवं व्यापारियों को झूठे अभियोग में फंसाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 22 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। माननीय राम औतार दीक्षित और माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल, माननीय मोती लाल देहलवी, माननीय श्याम लाल वाजपेयी, माननीय कन्हैयालाल, माननीय शेर बहादुर एवं माननीय प्रियदर्शी जैतली, माननीय गोपी नाथ वर्मा की स्वीकार की है और माननीय गौरी शंकर भैया की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेज दिया है और राम गोविन्द एवं रियासत हुसैन की सूचना दिनांक 14-3-83 को सदन के संज्ञान में लाई जा चुकी है। इसी प्रकार से राम आसरे वर्मा की जो सूचना है वह दिनांक 14 मार्च, 1983 को सदन के संज्ञान में लायी जा चुकी है। मैं 5 की आज्ञा दे रहा हूँ और बाकी को अस्वीकार किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—**

फर्रुखाबाद सदर के परगनाधिकारी तुलसीदास गौर द्वारा खुले आम व्यापारियों से तहसीलदार द्वारा एवं स्वयं जबरदस्ती पैसा लेना एवं पैसा न देने पर उन लोगों के विरुद्ध झूठा अभियोग पंजीकृत करवाने से जनपद में विस्फोटक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

परगनाअधिकारी ने कमालगंज के अनेकों व्यापारियों पर 11/2/83 को छापा मारा तथा पैसा न पाने पर 12/2/83 को उनके विरुद्ध झठे अभियोग पंजीकृत करवा दिये। मदन मोहन महेश्वरी के यहाँ छापा डालकर 4500/— रुपये व सोने का हार ले गये जिसकी रिपोर्ट महेश्वरी ने थाना कमालगंज में 12-2-83 को लिखाई।

इसी प्रकार तमाप अन्य शिकायतें जनपद के अन्य व्यापारियों ने मुख्य मन्त्री जी से की हैं।

इन भ्रष्ट कारनामों के कारण 13/3/83 को कमालगंज कस्बा सम्पूर्ण बंद रहा, थाने का घिराव किया गया। 7-3-83 को हजारों व्यक्तियों ने संसद सदस्यों के नेतृत्व में प्रदर्शन किया तथा 355 व्यक्तियों ने गिरफ्तारी दी।

फर्रुखाबद में आम हड़ताल है, जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया है तथा किसी समय कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

कृपया शासन को निर्देश देकर परगरनाधिकारी तुलसीदास की तुरन्त वहाँ से हटवा दें तथा उनके विरुद्ध सतर्कता विभाग से खुली जाँच करवाने की कृपा करें।

कानपुर महानगर के सड़कों और गलियों में मेनहोल खुले रहने से प्रतिदिन दर्दनाक घटनाओं के घटित होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री मोती लाल बेहलवी—**

मान्यवर, कानपुर महानगर की अनेकों सड़कों व गलियों के मेनहोल सालों से खुले पड़े हैं। इन खुले मेनहोलो में गिरने से विगत एक साल में 4 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और कई सौ लोग गंभीर रूप से जख्मीं हो चुके हैं। मौतों और जख्मी होते रहने का सिलसिला कई साल से अभी तक जारी है। 19 अक्टूबर, 82 को दबोली क्षेत्र में 8 वर्षीय बालक विशाल अस्थाना की व गीतानगर में 5 वर्षीय रेनू की मई, 82 में तथा गोविंदनगर निवासी श्री जगदीश लाल अरोड़ा की 3 वर्षीय पुत्री की दर्दनाक मौतें खुले मेनहोलों में गिरने से हो चुकी हैं। जख्मी होने की घटनायें रोजाना होती रहती हैं। मेनहोलों में ढक्कन लगाने की जिम्मेदारी जल-संस्थान की है। 1981 के सर्वेक्षण के अनुसार 2 हजार मेनहोल बिना ढक्कन के पाये गये थे, तबसे अब तक लगभग 2600 ढक्कन लगाये जा चुके हैं, परन्तु फिर भी सैकड़ों मेनहोल ढक्कन विहीन पड़े हुए हैं। मेनहोलों के ढक्कन चोरों के संगठित गिरोह द्वारा गायब कर दिये जाते हैं और इसमें कर्मचारियों की भी मिली भगत होती है जनता की शिकायतें सुनी नहीं जाती हैं। इस अभिशापपूर्ण समस्या के निराकरण की अपेक्षा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्राम कोडवा जिला बाराबंकी निवासी श्री मूलचन्द की हत्या तथा पुलिस अकर्मणयता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, दिनांक 28 फरवरी, 1983 को दिन के साढ़े ग्यारह बजे श्री मूलचन्द ग्राम फोड़वा थाना कुर्सी, जिला-बाराबंकी की हत्या करके कातिल लाश को मृतक की माँ के सामने से उठा ले गये ।

मृतक के पिता श्री पृथ्वीलाल पाण्डेय 3 मार्च, 1983 को पुलिस अधीक्षक बाराबंकी थाना कुर्सी की लापरवाही की शिकायत तथा मृतक पुत्र की लाश बरामद कराने हेतु प्रार्थना-पत्र सहित मिले, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी ।

6 मार्च, 1983 को पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को मैंने तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा फिर भी पुलिस मौन रही । 10 मार्च, 1983 को कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक से प्रभावी कार्यवाही का पत्र द्वारा अनुरोध किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ । 15 मार्च, 1983 को पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को पुनः पत्र लिखा किंतु बाराबंकी पुलिस एकदम तमाशबीन बनी हुयी है । मृतक की टोपी बरामद हुई थी, जिसे थानेदार साहब मृतक के पिता के घर रखाकर चले गये । लाश की बरामदगी अथवा नामजद मुलजिमों की 87-88 की कार्यवाही भी पुलिस नहीं कर रही है ।

मृतक के पिता को भी मार डालने की खुलेआम धमकी दी गई है । सम्पूर्ण गाँव में आंतक छाया है । पुलिस के संरक्षण में कातिल घूम रहे हैं ।

आपसे निवेदन है कि शासन को सम्बन्धित विषय पर प्रभावी कार्यवाही करने तथा लापरवाही बरतने वाले पुलिस जनों को दण्डित करने का आदेश देने की कृपा करें ।

सहायक अभियन्ता की अकर्मणयता के फलस्वरूप नहरों से पानी न मिलने के कारण मथुरा जनपद में फसल बरबाद होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अतर्न्गत सूचना

***श्री कन्हैया लाल —**

महोदय, लोअर आगरा कैनाल आगरा तृतीय उप खण्ड द्वारा मथुरा जनपद के गोवर्धन क्षेत्र की सिंचाई की जाती है । किसानों के सुविधा हेतु इस उप खण्ड का कार्यालय मथुरा में स्थापित है, आज कल रबी की फसल पकने पर है और उसमें अन्तिम पानी लगना अनिवार्य है । लेकिन पिछले लगभग डेढ़ महीने से उप खण्ड के सहायक अभियन्ता अपने कार्यालय में नहीं आ रहे हैं । जिससे किसानों की छोटी मोटी सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण नहीं हो पा रहा है । फसल सूख रही है, क्षेत्र के समस्त किसानों में हाहकार मचा हुआ है । यह भी विदित हुआ है कि उक्त सहायक अभियन्ता ने स्थानीय ठेकेदारों से मस्टर रोल पर कार्य करा लिया है एवं उनके लाखों रुपये को बैंक से निकाल कर बिना ठेकेदारों को भुगतान किये भाग गया है, अतः स्थानीय ठेकेदार भी कुछ भी कर बैठने को तैयार है जिससे शांति व्यवस्था भी बिगड़ने की संभावना है ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाते हुए किसानों की समस्या के समाधान एवं उचित व्यवस्था करने की मांग करता हूँ ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नगरपालिका जलालपुर (फैजाबाद) के कर्मचारियों को चार माह से वेतन न मिलने से हुई हड़ताल से गन्दगी एवं बीमारी के फैलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री शेर बहादुर—**

महोदय, हम आपके माध्यम से इस सदन और सरकार का ध्यान नगरपालिका जलालपुर जिला फैजाबाद के कर्मचारियों को गत चार माह से वेतन न मिलने तथा गत चालीस मास से वेतन के बढ़ोत्तरी का बकाया न मिलने के कारण की हड़ताल की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं।

मान्यवर, चार माह से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों का परिवार जहाँ भुखमरी के कगार पर खड़ा है, वहीं हड़ताल के कारण पानी व सफाई न होने के कारण जनता त्राहि त्राहि कर रही है। सम्पूर्ण नगर बदबू से भर गया है। भयंकर बीमारी किसी समय फैल सकती है। नगरपालिका कर्मचारियों के सहयोग से नगर के निजी घरों के सफाई कर्मियों ने भी हड़ताल कर और भयंकर स्थिति पैदा कर दी है।

अतः आपके तथा इस सम्मानित सदन के माध्यम से सरकार से अविलम्ब बकाया वेतन कर्मचारियों को दिलाने के लिए निवेदन करते हैं।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, मेरी एक सूचना थी····

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। मैंने यह कह दिया था श्री शेर बहादुर श्री जेतली एवं श्री गोपी नाथ वर्मा की सूचना है। आपकी सूचना इससे मिलती जुलती थी, वह भी इसमें शामिल हो गयी, उस कागज को भी मैं इस सूचना के साथ भिजवा दूँगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।

दिनांक 15 मार्च 1983 को कतिपय अध्यादेशों के प्रश्नपत्रों के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय सुरक्षित रहने के बावजूद उनको सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इसके बाद आइटम नं०-3 है, तो उस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो रियासत साहब ने दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

मान्यवर, चूँकि आपने आगे बढ़ने की बात की। इसलिए मैंने अपना प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया। पहले उनको सुन लें, फिर मुझे सुन लें।

***श्री रियासत हुसैन—**

श्रीमन्, मैं पहले तो बड़े दुख के साथ, अपने सारे ही दोस्तों को, जो मंत्री हैं, जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह अध्यादेश इनके टेबिल होने हैं, उनके विरुद्ध सदन के अपमान की नोटिस देता हूँ। यह लिखकर मैं अभी आपके पास भेज देता हूँ।

श्रीमन्, कल यह मसला इस सदन के अन्दर उठा, उस पर थोड़ी चर्चा भी हुई। अभी इसकी आपके यहां रूलिंग रिजर्व्ड है, अभी आपको यह रूलिंग देनी है कि क्या यह अध्यादेश सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं या नहीं रखे जा सकते हैं। लेकिन आपकी रूलिंग से पहले एजेन्डे के अन्दर इन अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखकर इस माननीय सदन और आपके कर्तव्यों में एक रुकावट और रोड़ा पैदा की है। इसलिये मैं सारे लोगों को अलग से लिखकर भेज दूँगा इनके विरुद्ध सदन के अवमान की मैं नोटिस देता हूँ।

श्रीमन्, अब यह मसला कल से चल रहा है। आज बाकायदा अध्यादेश एजेन्डे में रखे गये हैं। कृपया आप इस अध्यादेश को पूरा देखें। मैं तो एक को ही ले रहा हूँ, बाकी उसी तरह के हैं। जो पहला अध्यादेश है जिसमें परिस्थितियों के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है उसमें पांचवीं बार इस सदन में यह अध्यादेश रखा गया है। तीसरी बार यह 29 नवम्बर, 82 को चौथी बार 3 दिसम्बर, 82 को और अब पांचवी बार यह अध्यादेश यहाँ रखा गया है। इस पाँच बार के दौरान कई बार इस माननीय सदन को आहूत किया जा चुका है और सदन बैठ चुका है। अधिनियम भी बनाये हैं, चर्चा की है लेकिन इसका इनैक्टमेंट नहीं करा सके।

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 123 के मातहत अध्यादेश रखे जाते हैं इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमारी जो नियमावली है कृपया उसके नियम 120 को आप देखें। मैं इसको हिन्दी में पढ़कर सुना रहा हूँ। "जब कभी कोई अध्यादेश प्रख्यापित किया जाय तो उसके प्रख्यापन के बाद, यथास्थिति, अनुगामी सत्र अथवा उपवेशन के प्रारम्भ में अध्यादेश की प्रतिलिपि सहित ऐसा विवरण पटल पर रखा जायेगा जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया हो, जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था।"

इसके इन्टरप्रिटेशन में कंफ्यूजन न हो इसलिये आपकी आज्ञा से इसको और साफ करने के लिए अंग्रेजी की दो लाइन पढ़ देना चाहता हूँ। ऐट दि कमेन्समेन्ट आफ दि सेसन आर दि सिटिंग, ऐज दि केस मे बी" अध्यादेश जारी किये जाने के बाद सेशन या सिटिंग दोनों चीज है, जैसी स्थिति हो उसके सामने यह अध्यादेश रखा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मार्शल ऊपर से (लाबी की तरफ से) आवाज बहुत आ रही है इसके दरवाजे बन्द करायें।

श्री मीखा लाल—

लड़ रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन—

एक सवाल आता है "सैटिसफैक्शन आफ दि गवर्नर" पर रखा गया है। इसमें सैटिसफैक्शन आफ दि गवर्नर' दि जनरल आफ दि इंस्टीट्यूट आफ कांस्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेंटरी स्टेडीज, जिससे आप अवगत भी हैं, के अक्टूबर, सितम्बर, अंक में एक पूरी आर्टिकिल श्री हंसराज ने लिखा है। और यह हंसराज कौन है यह सीनियर फेलो, इण्डिया कौंसिल आफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के हैं। इसमें पूरी आर्टिकल में पूरी योग्यता

के साथ बहुत से मालूमात की देखते हुए लिखा है । मैं इसके पेज 399 पर पढ़ना चाहता हूँ । उन्होंने इसमें लिखा है कि 1954 में स्पीकर मावलंकर साहब ने, मैं आपकी आज्ञा से अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ "ऐज अरली ऐज इन 1954, मि० स्पीकर मावलंकर, हाउएवर, आबजर्वड् दैट सैटिसफैक्शन आफ दि प्रेसीडेन्ट कुड बी क्रिटीसाइज्ड इन दि लोक सभा, ऐज हि वाज ओनली कान्टीट्यूशनल हेड एण्ड हिज सैटिसफैक्शन रिएली-मीन्ट सैटिसफैक्शन आफ गवर्नमेन्ट" उन्होंने लिखा है कि 1954 के शुरू में जो स्पीकर मिस्टर मावलंकर थे, उन्होंने आब्जर्व किया था कि प्रेसीडेन्ट मुनमुइन होना, लोक सभा के अन्दर क्रिटिसिज्म, उसके ऊपर रायजनी की जा सकती है क्योंकि वह कान्सटीट्यूशनल हेड हैं । उसके सैटिसफैक्शन को वास्तव में सरकार का ही सैटिसफैक्शन माना जायेगा । इसलिए उनके सैटिसफैक्शन पर टीका टिप्पणी सदन के अन्दर की जा सकती है, लोक सभा के अन्दर ।

एक बात की ओर और अधिक ध्यान दिलाना चाहूँगा । इसलिए भी इन अध्यादेशों का विरोध होना चाहिए क्योंकि ये अधिकतर रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से, जैसे इसी में आप देखेंगे कि 5 वीं बार यह आया है । शुरू से न मालूम कौन से तारीख से, पैसे के मुताल्लिक या क्या फैसले लिए गये हैं, इन सबको हम रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से मंजूरी देने जा रहे हैं । इसलिए भी नहीं ऐसा किया जा सकता है । इनका आब्जर्वेशन है, मैं अंग्रेजी में पढ़े देता हूँ—बट गिविंग रिट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट टू एन आर्डिनेन्स, फार व्हाटसोएवर, रिजन आर, ग्राउन्ड एपियर्स टु बी अनवान्टेड, शुड दि प्रेजेण्ट प्रेक्टिस आफ गिविंग एन आर्डिनेन्स रिट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट इज ए प्रोब्लम व्हीच नीड्स रीथिंकिंग" उन्होंने कहा कि जो पहले की तारीखों से जहां अध्यादेशों को लागू माना जाता है तो जो कारण बताये जाते हैं, सही नहीं मालूम होता है । इसलिए जो पिछली तारीखों से लागू माना जाता है, इन मामलों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए ।

तीसरी बात और कहना चाहता हूँ यह जो आर्डिनेन्स है, यह स्पष्ट रूप से हमारे फण्डामेण्टल राइट्स पर कुठाराघात करता है । किस तरह पेज 404 पर है—इट विल नाट बी काम्पीटेट फार दि प्रेसीडेन्ट टू प्रोमुलगेट ऐन आर्डिनेन्स इन नार्मल टाइम्स टू एवरोगेट एण्ड करटेल फन्डामेन्टल राइटस आफ दि सिटीजेन्स," यह उन्होंने कहा है कि नागरिकों के फण्डामेण्टल राइट्स हैं, यह प्रेसीडेण्ट के लिए उचित नहीं है कि वह साधारण समय में उनके ऊपर कुठाराघात करें ।

अब श्रीमन्, इसके अन्दर देखिये हर सिटीजंस को वोट देने का, जिससे यह संबंधित है, उसमें फण्डामेन्टल राइट्स हैं, जिनको खतम करने के लिये यह आर्डिनेन्स के जरिये से समाप्त किया जा रहा है । इन सारी चीजों को सामने रखते हुए और कल 120 के बाद आया था, मामला आपके विचाराधीन होते हुए भी आज के एजेण्डा में इसे शामिल कर दिया गया । मैं यह मान कर चलता हूँ कि यह इस हाउस का अपमान है, आपका है और इनको रखे जाने की अनुमति आपको नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह मामला स्पष्ट रूप से सामने न आ जाय ।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त** —

मान्यवर, कल मैं कह चुका हूँ, उसे दोहराऊँगा नहीं । आज मैं बिल्कुल नई बात, नये तर्क प्रस्तुत करूँगा । आज यह आर्डिनेन्स सदन के पटल पर आ ही नहीं सकता । अगर आना है तो हमारे नियमों का निलम्बन होना चाहिए और इसकी ताकत आपको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

और सदन को है लेकिन जो हमारा संविधान है, उसके अन्दर इसको निलम्बित करने का अधिकार नहीं है। इसलिये यह पेश नहीं हो सकता और अब एक ही रास्ता है कि राज्यपाल इसको फिर से प्रस्तुत करें। भारत के संविधान का अनुच्छेद 213(2) मान्यवर, देखने की कृपा करें। इसमें लिखा है "शैल थी लेड बिफोर दि लेजिस्लेटिव एसम्बली आफ दि स्टेट, इसमें शैल मैनडेटरी है। यह प्रस्तुत किया जायेगा। मान्यवर, इसको ध्यान में रखते हुए नियम 120 बनाया गया कि पहले उपवेशन में पेश किया जायेगा।

उपनिवेशन का तात्पर्य सदन के 11 बजे से प्रारम्भ होने से लेकर रात तक चलते रहने से है। कल अवसर था इसे ले डाउन कर सकते थे। शाम को 6-7 बजे तक सदन की बैठक हुई थी उस बीच में ले हो सकता था। सरकार जानबूझ कर 'जानबूझकर' शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। आज डिलेबरेटरी गलती का आरोप लगा रहा हूँ। आपकी आज्ञा का, सदन की मंशा का ध्यान नहीं दिया जाता। आज 3 से लेकर 9 तक आईटम हैं। यह जानबूझकर अवमानना करना चाहते हैं आपकी।

इसीलिए आपकी सुरक्षित व्यवस्था का भी ध्यान नहीं दिया। जैसे जज की नियुक्ति हुई, हम लोगों का निर्वाचन हुआ, गजट में घोषणा हो गई, परन्तु जब तक सदन में शपथ नहीं ले लेते तब तक सदन में कार्य करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता। हाई कोर्ट का जज अप्वाइन्ट कर दिया गया परन्तु वह फैसला तब तक नहीं सुना सकता जब तक वह शपथ नहीं ले लेता। राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश निर्गत होते हैं उनकी एक प्रक्रिया है। सदन में ले होने का विवरण संविधान में दिया है। प्रक्रिया पूरी होनी थी कल, परन्तु पूरी नहीं की गयी। आज नया दिन प्रारम्भ हो गया। प्रक्रिया पूरी न होने से आर्डिनेन्स समाप्त हो गया। एक ही चारा है, राजनैतिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से, लोकतान्त्रिक व्यवस्था की दृष्टि से मैं इसकी घोर-घोर निन्दा करता हूँ कि फिर से आर्डिनेन्स जारी कर दिया जाय। रियासत हुसैन साहब ने भी वही कहा। मैं पुनः तर्क दे रहा हूँ कि कल नियम भी निलम्बित हो सकते थे, निलम्बित नहीं किये गये।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न उठ रहा है कि अध्यादेश नहीं रखा जा सकता, उसी के बारे में कहें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

वही कह रहा हूं, मान्यवर, आज अध्यादेश सदन के पलट पर रखा नहीं जा सकता। कल रखा नहीं गया इसलिए समाप्त हो गया। अब राज्यपाल को दोबारा आदेश करना पड़ेगा। कृपया आज आप अध्यादेश टेबुल करने की अनुमति न प्रदान करें यह मेरा निवेदन है।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, अभी तक आपने नियम 120 तथा संविधान के आर्टिकिल 213 की ओर आपने देखा। कृपया संविधान के आर्टिकिल 154 को भी देख लें।

213 में प्राविधान है,

इफ एट एनीटाइम, एक्सेप्ट व्हेन दि लेजिस्लेटिव एसम्बली आफ ए स्टेट इज इन सेंशन आर वेयर देयर इज ए लेजिस्लेटिव आफ दि कौन्सिल इन ए स्टेट एक्ससेप्ट व्हेन वोथ हाउसेज आफ दि लेजिस्लेटिव आर इन सेशन दि गवर्नर इज सेटिसफाइड दैट सरकमस्टान्सेज

एक्जिस्ट रेन्डर इट नेसेसरी फार हिम टू टेक इमीडिएट एक्सन ही मे प्रोमोल्गेट सच आर्डिनेस ऐज दि सरकमस्टान्सेज एपीयर टू हिम टू रिक्वायर्ड.

अगर लेजिस्लेटिव कौन्सिल भी है तो दोनों में से कोई भी सेशन में न हो। जहां तक गवर्नर के अख्तियार का सवाल है, न हम चैलेन्ज कर सकते हैं, न कर रहे हैं। 213 में पूरा अख्तियार है। गवर्नर के राइट्स के बारे में 154 में दिया है। 154 के मुताबिक उसके अधिकार होंगे। उसे भी चैलेन्ज नहीं करते। अब 154 क्या है।

"दि इक्जीक्यूटिव पावर आफ दि स्टेट शैल बी वेस्टेड इन दि गवर्नर एण्ड शैल बी इक्सरसाइज्ड वाई हिम वाई आइदर डाइरेक्टली और थ्रो आफसर्स सबार्डीनेट टू हिम इन आकोरडेन्स विद दिस कान्सटीट्यूशन.

इन एकोरडेन्स विद विस कन्सटीट्यूशन आर्टिकिल 213 से होगा। उसके मुताबिक जो नियम बना है नियम 120 वह क्या है। उसको सदन के पटल पर रखा जाय।

तब तक इस आर्डिनेन्स को नहीं रखा जा सकता है। मैं इसके लिए रूल 120, जिसको माननीय श्री रियासत हुसैन जी ने अंग्रेजी वर्जन भी पढ़ा था तथा उसकी हिन्दी भी पढ़ी थी। जो उसका इण्टरप्रिटेशन हो रहा है, उसी इण्टरप्रिटेशन के मुताबिक मैं आपका ध्यान इसके इंग्लिश वर्जन के तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ और मैं आपके माध्यम से पार्लियामेण्टरी एफेयर्स मिनिस्टर का भी ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ।

"व्हेनइवर एन आर्डीनेन्स इज पोमूलगेटेड, ए स्टेटमेण्ट एक्सप्लेनिंग दि सरकमटान्सेज व्हिच नेसेसिटेटेड इमीडिएट लेजिएसेशन वाई आर्डिनेन्स शैल बी लेड आन दि स्टेबुल टूगेदर विद कापी आफ दि आर्डिनेन्स एट दि कमेनसमेन्ट आफ दि सेशन और दि सिटिंज ऐज दि केस मे बी.

मान्यवर, इस प्रकार वह सिटिंग कल हो गई है और कल उस सिटिंग में उसे रखना चाहिये था जिसे नहीं रखा गया। इसके माने यह हुआ कि वह सब लैप्स हो गया है और उसको अब पुनः कैसे रखा जा सकता है? मान्यवर, अब इसके लिये साफ एक प्राविजन है कि हाऊस की रूलिंग्स को ससपेण्ड कर दिया जाय। जहाँ तक हाऊस की एलिग्स को ससपेन्ड करने का प्रावीजन है और कान्स्टीट्यूशन में भी इसका प्राविजन है और हमारी नियमावली में भी दूसरा प्राविजन है कि नियमों का ससपेशन नहीं किया जा सकता है। आपने आर्टिकिल 213 का भी उल्लंघन कर दिया और हमारे रूल 120 के मुताबिक भी वह कल आ जाना चाहिये था। 15 तारीख को यह यहा आ जाना चाहिये था।

मान्यवर, जैसा कि आपकी रूलिंग रिजर्व है। लेकिन मान्यवर, आज सरकार की तरफ से, और माननीय मन्त्री जी की तरफ से उस पर प्रिवेन्ट एक्शन हो गया है, उसको अब नहीं रखा जा सकता है। तो मेरा आपसे कहना है कि ऐसा आर्डिनेन्स सदन के पटल पर नहीं आ सकता है और न ही इसे प्रोमलगेट कर सकते हैं।

*श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में केवल 2 शब्द जोड़ना चाहता हूँ जो हमारे विद्वान भाई श्री फखरे आलम, माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय श्री रियासत हुसैन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकम सिंह—]

जी ने कहा है। मान्यवर, कल औचित्य का प्रश्न उठाया गया था। औचित्य के प्रश्न पर तर्क वितर्क सुनने के बाद आपने स्वयं स्वीकार किया कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय करने के लिए आपने संविधान की नियमावली का अवलोकन करना उचित समझा और इस पर निर्णय आज तक के लिये स्थगित कर दिया। लेकिन आज तक आपकी ओर से उस पर कोई निर्देश व निर्णय नहीं दिया गया कि इन अध्यादेशों को जारी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं या नहीं रखे जा सकते हैं? आपकी ओर से श्रीमन, इस बिन्दु पर कोई निर्णय नहीं दिया गया कि यह सदन की कार्य सूची में आना चाहिये या नहीं।

तो इस प्रकार मान्यवर, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपके सुरक्षित निर्णय की व आदेशों की अवहेलना इस सरकार ने की है और जानबूझ कर यह किया गया है। ऐसे मामलों पर पहले भी व्यवस्था दी जा चुकी है परन्तु इस सन्दर्भ में जब आप का स्वयं का निर्णय सुरक्षित न हो और सरकार आपके आदेशों की अवहेलना करने लगे और इस प्रकार इन्हें कार्य सूची में लाकर, वह आपके कार्यालय से आया है, और कार्यक्रम में उसे रखा है जबकि कल उसे रखना चाहिये था।

जब इस अध्यादेश की आवश्यकता पटल पर रखने की थी तब यह नहीं रखा गया और जब नहीं थी तब यह रखा गया। तो इस प्रकार के कारनामे सरकार ने और इन माननीय मन्त्रियों ने इन दोनों ने किया है। मान्यवर, यह आपके स्वयं के निर्णयों की अवमानना का प्रश्न बनता है।

***संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी—)**

मान्यवर, माननीय श्री रियासत हुसैन साहब ने सबसे पहले जो बात कही है वह यह है कि हमने इन अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखकर आपके सुरक्षित निर्णयों व आदेशों की अवहेलना की है तथा सदन की अवहेलना की है। मान्यवर, जब कल इस पर बहस हो रही थी तो वह यह थी कि आर्डिनेन्स पास हो सकता है या नहीं, आर्डिनेंस इश्यू किया जा सकता है या नहीं। यह क्लियर कट उसके एम्बिट या परिधि में वह डिस्कशन हो रहा था कि यह किया जा सकता है या नहीं। मान्यवर, उसके बाद माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय श्री रियासत हुसैन जी ने रूल 120 के बारे में भी कहा और यह कहा कि इनको तुरन्त रख देना चाहिये। परसों जो आर्डिनेंस पास हुए थे, कल नहीं रखे गये। कल जो 4 आर्डिनेंस पास हुए, वे आज रख दिये गये, कुल 10 आर्डिनेंस रखे गये हैं। मा० रियासत साहब ने दसों को एक साथ ले लिया है, जबकि 6 परसों के हैं और 4 कल के हैं। तो जो आपत्ति उठायी गयी कि उनका अब सदन के सामने रखना सदन का अवमान है, तो यह सदन का अवमान नहीं है बल्कि अरलियेस्ट अपारच्युनिटी जब भी समय हुआ, रख दिये गये।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन —

मैं स्पष्ट कर दूं नं० 1 पर जो अध्यादेश है इसको देख लें। यह 14 मार्च, 1983 को गवर्नर का जारी किया हुआ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी—

दूसरा सवाल जो उठाया 120 का हवाला दिया। इसके साथ-साथ जो 120 में शक्ति मिली है, उससे हमें इनकार नहीं है। 120 में इसका संचालन होता है लेकिन इसी के साथ-साथ यह भी देखना होगा कि उसका स्रोत संविधान की किस धारा से है, वह है धारा 208····

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

वह तो रूल बनाने की ताकत देती है। कॉंस्टीट्यूशन की धारा 201 है, वह 208 के तहत इन विधान सभाओं को रूल बनाने की शक्ति देती है। 208 के अन्तर्गत पूरे कांस्टीट्यूशन में जो भी संगत अनुच्छेद हैं, उसके अन्तर्गत प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली बनायी 1958 में और उसके बाद 80-82 तक संशोधन किया। यहां पर 208 का रेफरेन्स इर्रीलिवेण्ट है। यों तो बहुत सी धारायें हैं, जिनका समावेश करते हुए इसको बनाया है अकेली 208 ही नहीं है।

श्री अम्मार रिजवी—

इस शक्ति से इनकार नहीं है। मा० राजेन्द्र कुमार गुप्त जी सुनें, उनकी 208 में जो शक्ति है वह "सबजेक्ट टु दि प्रोवीजन्स आफ दि कांस्टीट्यूशन" है। धारा 213 में लिखा है कि—

"एन आर्डिनेन्स प्रोमोल्गेटेड अण्डर दिस आर्टिकिल शैल बी लेड बिफोर दि लेगिस्लेटिव एसेम्बली आफ दि स्टेट, आर व्हेयर देयर इज ए लेगिस्लेटिव काउन्सिल इन दि स्टेट····

इसमें शब्द "शैल लेड" यानी "रखा जायगा" कहा गया है लेकिन कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इसको फाड़कर फैंक दिया जायगा, जला दिया जायगा।

श्री अम्मार रिजवी—

यह तो सदन का अवमान है, आप जलाने की बात कह रहे हैं। आपको मानना पड़ेगा कि पूरे देश प्रदेश के कार्य का संचालन संविधान के जरिये से होता है। अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन जब क्लियर कट लिखा हुआ है, जैसा कल कहा था कि जो कांस्टीट्शन बनाने वाले थे, उनके सामने परिस्थितियां थीं। जब कोई सरकार चलती है तो बहुत सी परिस्थितियां हो सकती हैं जब कि व्यावहारिक तरीके से यह सम्भव न हो, इसीलिये "शैल बी लेड बिफोर दि हाउस" कहा गया है। यही प्रक्रिया कौल और शकधर में पृष्ठ 579 में दी हुई है, इसमें लिखा है कि 'अध्यादेश जारी करने के बाद यह आवश्यक है कि इसे संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाय,' कब रखा जाय यह बात कौल और शकधर में भी नहीं दी हुई है।

(व्यवधान)

[श्री अम्मार रिजवी--]

जब आप बात कह रहे थे, तो हम सुन रहे थे। अब मा० अध्यक्ष जी रूलिंग देंगे। मान्यवर, अभी मैंने एक बात कही कि आपकी रूलिंग आ जायेगी तो मामला स्पष्ट हो जायेगा तो उधर से मान्यवर, आप पर संदेह किया गया कि रूलिंग क्या आयेगी यानी उन्होंने पहले से यह प्रजम्पशन कर लिया कि रूलिंग हमारे खिलाफ आयेगी, मान्यवर, दूसरी बात माननीय रियासत साहब ने कही "सैटिस्फेशन आफ गवर्नर और उन्होंने किसी जनरल का हवाला दिया, जो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन एक दुर्गादास बसु ने किताब लिखी "शार्टर कॉस्टिट्यूशन आफ इण्डिया" और इन्होंने जो यह किताब लिखी है, उसे सारे भारतवर्ष में अथेंटिक बुक मानी गयी है, जिसमें कहा गया है कि :—

एस इन दि केस आफ एन आर्डिनेन्स मेड बाई दि प्रेसिडेन्ट दि कोर्टस केननाट क्वेशचन दि वेलिडिटी आफ एन आर्डिनेन्स मेड बाई ए गवर्नर आन दि ग्राउन्ड दैट देयर वेयर नो सफिशियेन्ट रीजन फार प्रोमोलगेटिंग एण्ड आर्डिनेन्स, आर दैट इट वाज मेड मेलाफाइड,

यानी कोई भी इस बात का कोई प्रश्न नहीं कर सकता है कि गवर्नर या प्रेसीडेंट ने जो अध्यादेश जारी किया है, वह मेलाफाईड है या उसकी जो नियत है, वह खराब है।

"वेदर दि लेजिस्लेचर आर आइदर हाउस देयरफोर वाज नाट इन सेशन वेन दि आर्डिनेन्स हैड बीन प्रोमोलगेटेड,

यानी जिस वक्त यह अध्यादेश जारी हुआ था, उस समय दोनों सदनों में से, किसी एक का सत्र था या नहीं ? और दूसरी बात रियासत साहब ने कही कांस्टिट्यूशन या आर्डिनेन्स में जो उनके फण्डामेंटल राईट्स हैं, उन पर कुठाराघात हुआ है, और मान्यवर, इस संबंध में मैं यही कहूँगा कि कानून बनाने में तमाम बातों को देखना होता है, वैसे कानून बनाने के विशेषज्ञ यहां पर तमाम बैठे हैं, उनमें भाई आलम साहब भी हैं, तो मैं कहूँगा कि कानून बनाने में तमाम कस्टम्स और ट्रेडीशन्स होते हैं, इसमें हमें जाना नहीं है। इसी से सम्बन्धित एक मामला रिट का जो ए०के० राय वर्सेज बंसत कुमार पंडित, प्रेक्टीशनर यूनियन आफ इण्डिया का आल इण्डिया रिपोर्टर के वाल्यूम 69, पार्ट 819 और दिनांक मार्च, 1982 मे पृष्ठ 710 पर दिया गया है।

एन आर्डिनेन्स मेड बाई दि प्रेसिडेन्ट इज नाट लान एक्सीक्यूटीव ऐक्ट. एन आर्डिनेन्स इश्यूड बाई दि प्रेसिडेन्ट फार दि गवर्नर इज एज मच ला एस एन ऐक्ट पासर्ड बाई दि पार्लियामेंट एण्ड इज फारचुनेटली एण्ड अनक्वैश्चनबली, सब्जेक्ट टु दि सेम इनहैबिटेशन

यानी जो अध्यादेश राष्ट्रपति या गवर्नर द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, वह मान्यवर, उतनी ही वैलिडिटी रखता है, जितना पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर द्वारा पास किया जाए। (शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह सब्जेक्ट है ही नहीं, जिसके बारे में आप उत्तर दे रहे हैं।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जिन मदों में हम में से किसी को कोई मतभेद नहीं है, उन्हीं विषयों को लाकर आदरणीय सदन का समय नष्ट किया जा रहा है, बहुत ही मूल्यवान समय है।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री अम्मार रिजवी—

उधर तो मान्यवर, विद्या का सागर भरा पड़ा है, जो उमड़-2 कर आ रहा है, वहां तक हम लोगों की पहुँच नहीं है, चाहे जो कुछ भी हम कहें । तो मान्यवर, (सैटिस्-फेक्शन आफ गवर्नर के बारे में जो नियम 120 की बात कही गयी, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि सदन के सामने लाया जाना चाहिये, मुझे इससे कोई इन्कार नहीं है लेकिन साथ ही साथ इसमें कोई सदन की अवहेलना नहीं की गयी है । हम हाउस में इसे ले कर सकते हैं । जो कल पास किये गये वह आज रखे गये हैं और जो परसों पास किये गये वह भी आज रखे गये, इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने रियासत साहेब, राजेन्द्र कुमार गुप्त, फखरे आलम तथा माननीय हुकम सिंह की बात को सुना और साथ ही साथ माननीय संसदीय कार्य मन्त्री की बात को भी सुना । जहाँ तक प्रश्न यह है कि जो ऐजेण्डे पर आर्डिनेन्स लाये गये हैं, उनको स्वीकार किया जाय या न किया जाय या उसे समाप्त होना चाहिये, तो केवल एक बात को लेकर आपस में बातें हो रही हैं । जहाँ तक कल का संबंध है जिस पर बहस हुई थी कि नियम 120 का उल्लंघन हुआ है या नहीं । इस पर रूलिंग को मैंने रिजर्व कर दिया है, इस पर निर्णय बाद में दूँगा ।

अब प्रश्न यह है कि आर्डिनेन्स को आज सदन के पटल पर रखा जा सकता है या नहीं, तो अगर हम पुराने निर्णयों को देखें तो इस प्रकार से 1952 में यह निर्णय हुआ था कि किसी अध्यादेश के मेज पर रखे जाने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती । 2 दिसम्बर, 1952 को शिक्षा मंत्री के सभा सचिव डाक्टर सीताराम द्वारा आगरा यूनीवर्सिटी (अनुपूरक) अध्यादेश, 1952 को जब मेज पर रखा गया तब श्री नारायण दत्त तिवारी ने उस पर वैधानिक आपत्ति करते हुए कहा कि "यह अध्यादेश सदन की मेज पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि आगरा यूनीवर्सिटी का सम्बन्ध दूसरे प्रदेशों से भी है और हमारे राज्यपाल को दूसरे प्रदेशों के बारे में आध्यादेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है ।" इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा :—

"यह तो आप आर्डिनेन्स जारी करने या न करने के विषय में कह रहे हैं । अब तो प्रश्न यह है कि अध्यादेश जारी हो चुका है और अब इस सदन को सूचना दी जाती है और उसकी प्रतिलिपि मेज पर रखी जाती है । मैं इस आपत्ति को इस समय उचित नहीं समझता । जब बिल सदन के सन्मुख विचार के लिये आवेगा उस समय सदन को इस प्रकार का सवाल उठाने का मौका मिलेगा ।"

श्री रियासत हुसैन—

आप प्रक्रिया नियमावली के नियम 58 को देखें ।

श्री अध्यक्ष—

और भी इस प्रकार के निर्देश हुए हैं । जहाँ तक नियम 120 का संबंध है उसमें यह लिखा हुआ है । जब कभी कोई अध्यादेश प्रख्यापित किया जाय तो उसके प्रख्यापन

[श्री अध्यक्ष—]

के बाद, यथास्थिति, यहाँ पर शब्द यथास्थिति को आप देखें। वह इस प्रकार है कि कल किसी वजह से नहीं आया है, आज रखा गया है, इसका मतलब यह नहीं है—

(व्यवधान)

कृपया मुझे बोलने दें। सदस्यों ने भी हवाला दिया है केवल आपकी बातों के आधार पर नहीं सुना जा सकता है। भीखा लाल जी, कृपया आप बैठें। (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री भीखा लाल फिर भी खड़े रहे और अपनी बात कहने के लिये प्रयत्नशील रहे।)

मैं निर्णय दे रहा हूँ। कृपया आप लोग बैठें। मुझको अपना निर्णय देने दीजिये, उसके बाद अपनी बात को कहियेगा। मैं निर्णय दे रहा हूँ यदि उसके बाद भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उसको सुन लूँगा और उस पर दुबारा विचार कर लूँगा।

श्री भीखा लाल—

आपके निर्णय के बाद फिर हम अपनी बात को नहीं कह पायेंगे इसलिये आप पहले ही सुन लें। कल जो प्रश्न यहाँ उठा था और जिसको आपने फिर दोहराया कि 120 का ब्रीच हुआ है या नहीं। जब तक आप इस पर निर्णय नहीं ले लेते, तब तक यह आपके ऐजेण्डे पर नहीं आना चाहिये, यह आप अपने निर्णय के बाद ही कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

पूरी श्रद्धा प्रकट करते हुए कहना चाहता हूँ कि 1952 के जिस निर्णय का आपने हवाला दिया है, वह इसमें नहीं लागू होता है। आप नियमावली के नियम 123 (2) को देखें, विपक्ष में होने पर हमें आपत्ति करने का अधिकार है। उसके ब्रीच के बारे में है। सन्दर्भ मेरा पढ़ा हुआ है। मान्यवर, 120 का ब्रीच हुआ है। वह रूलिंग यहाँ पर संगत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

जहाँ तक आर्डिनेंस का सम्बन्ध है नियम 120 के अतिक्रमण के बारे में मैं अपना निर्णय सुरक्षित करता हूँ, उसका निर्णय बाद में दूँगा। आज अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है आप आर्टिकिल 213 (2) को देखें, उसमें है कि इस अनुच्छेद के अधीन प्रस्थापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्यपाल द्वारा अनुमत राज्य के विधान मंडल के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश (क) राज्य की विधान सभा के समक्ष तथा जहाँ राज्य में विधान परिषद् है वहाँ दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा, तो जहाँ तक इन तमाम बातों का सम्बन्ध है और जो संविधान में प्राविधान है उस के आधार पर जो परिपाटी रही है वह उसी आधार पर रखा गया है। जो आपत्ति की गयी है मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने एक बिन्दु उठाया था। मान्यवर, आपकी रूलिंग शिरोधार्य है। नियमावली बदलने की आवश्यकता है, शासन ने नियमावली के खिलाफ कार्यवाही की है। इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूँ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।

श्री रियासत हुसैन —

जिस प्रकार से आर्डीनेंस रखा है वह नियम विरुद्ध है, अगर रखना चाहते थे तो रूल्स को अमेन्ड कर सकते थे, नियमावली को ससपेंड कर सकते थे तभी सदन में ला सकते थे। आपने अपनी इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया। इस कारण मैं अपने दल जनता पार्टी के साथ सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री रियासत हुसैन अपनी पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भीखालाल —

जैसा कि मैंने कहा कि 120 का ब्रीच हुआ है, इस पर आपकी रूलिंग रिजर्व है। शासन पार्टी की ओर से आपके कार्यालय को सलाह दी गयी और अध्यादेश एजेन्डा में आ गया। जो रूलिंग आपने दी उसको मैं शिरोधार्य करता हूँ लेकिन जो नियमों का उल्लंघन किया गया है, डेमोक्रेसी का मखौल किया गया है, इस पर मैं 5 मिनट के लिए अपने दल के साथियों के साथ सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री भीखा लाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री धनी राम वर्मा —

मान्यवर, जो नियमों का उल्लंघन किया गया है, उसके खिलाफ मैं सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री धनी राम वर्मा भी सदन त्याग कर चले गये।)

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1983†

नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना) —

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर स्वायत शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्यभाषा (संशोधन) अध्यादेश, 1983†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी) —

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य भाषा (संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1983†

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह) —

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन एवं वैधीकरण) अध्यादेश, 1983†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियटेड हास्पीटल (ग्रहण करना) अध्यादेश, 1983†

स्वास्थ राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गाँधी मेमोरियल एन्ड एसोसिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1983†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (द्वितीय) अध्यादेश, 1983†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संसोधन) अध्यादेश, 1983†

उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अमीन)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1983†

नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अध्यादेश, 1983†

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश कैसारी (प्रतिषेध) अध्यादेश, 1983†

जनस्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कैसारी (प्रतिषेध) अध्यादेश, 1983 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री किरन पाल सिंह की रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को सूचना देनी है। जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर तथा अधीक्षक जिला जेल, बुलन्दशहर के वायरलैस संदेश दिनांक 14 मार्च, 1983, जो दिनांक 15 मार्च 1983 को प्राप्त हुए, में सूचित किया गया है कि श्री किरन पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा को दिनाँक 14 मार्च, 1983 को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

पचपेड़वा विकास खण्ड, जनपद गोण्डा में चीनी मिल लगाने के संबंध में याचिका

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, मैं पचपेड़वा विकास खन्ड, जनपद गोंडा में चीनी मिल लगाने के संबंध में श्री शंखपाल मिश्र, ग्राम प्रधान, भगवानपुर-शिवपुर—श्री अकबाल अहमद, ग्राम प्रधान, ग्राम खरदगोरा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री यदुनाथ सिंह के दिनाँक 14.3.1983 के भाषण को समाचार पत्रों में पूरा न छापने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि कल मैं कार्यस्थगन पर यहाँ सदन में 5 मिनट बोला था...

श्री अध्यक्ष—

कल आप कहाँ बोले थे ?

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, परसों बोला था। कार्यस्थगन पर बोला था। जो मैं बोला था उसको अखबार वालों ने गलत छापा है। इस तरह से अखबार वालों ने सदन को गुमराह किया है जिससे कि सदन की छवि धूमिल हुई है। सदस्य की हैसियत से जो मैंने कहा वह नहीं छापा गया है। इस तरह से सदन की कार्यवाही को गलत छापना विशेषाधिकार की अवहेलना है। मान्यवर, आप हमारे रक्षक हैं...

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर दे दें। जो अखबार वालों ने छापा है उसको मैं देख लूंगा।

---

† छापा नहीं गया।

श्री यदुनाथ सिंह—

मैंने जो कहा था मान्यवर, उसमें लाक-अप का वर्णन था, मिर्जापुर जेल लोक-अप का वर्णन था कई और चीजें थीं लेकिन वह अखबार में कुछ नहीं निकला है।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझे उसके लिये अखबार में क्या निकला है, उसको देखने का मौका दें। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा।

[1 बज कर 18 मिनट]

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत 9 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री नन्दराम की है जिसमें उन्होंने लखनऊ मेडिकल कालेज के घटिया स्तर के कारण मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा एम० डी० डिग्री की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दिये जाने के सम्बन्ध में कहा है। दूसरी सूचना श्री मोहन सिंह श्री कुबेर भंडारी, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री विद्यासागर नोटियाल तथा इसी तरह की सूचना श्री मसरूर जाफरी श्री गोपीनाथ वर्मा श्री मित्रसेन श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री परमाई लाल ने दी है जिसमें उन्होंने बांदा जिला जेल से हत्या के अभियोग में बन्द दो कैदियों द्वारा भागने की कोशिश करने के सम्बन्ध में कहा है। चौथी सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी तथा इसी तरह की सूचना श्री अकबाल हुसेन, श्री रियासत हुसेन, व श्री राम गोविन्द चौधरी ने गोरखपुर में विधायक श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गोली चलाए जाने के सम्बन्ध में दी है। सातवीं सूचना श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ने खाद्य एवं रसद विभाग के निरीक्षकों को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के पदपर प्रोन्नति करने में हरिजनों को वंचित रखने के सम्बन्ध मे दी है। आठवीं सूचना श्री मोतीलाल देहलवी ने जनपद बांदा की कोतवाली के अन्तर्गत 65 वर्षीय विधवा द्वारा अनशन किये जाने के संबंध में दी है तथा 9 वीं सूचना श्री धनीराम वर्मा ने जनपद इटावा के तहसील विधूना के अन्तर्गत पड़ी डकैती के सम्बन्ध में दी है। मैंने फिलहाल इनमें श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्रीमोहन सिंह श्री कुबेर भंडारी श्रीमाता प्रसाद पान्डेय आदि एवं श्री कुँवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री रियासत हुसेन आदि ने जो सूचनायें दी हैं उन पर एक-एक आदमी को ही सुनूँगा, केवल एक ही माननीय सदस्य बोल सकेंगे। बाकी पर बाद में विचार करूँगा।

*** श्री रियासत हुसैन—**

हमारी सूचना पर क्या हुआ श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही एम० एल० ए० पर गोली चलाने के सम्बन्ध में ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा तो तीनों सूचनाओं पर एक एक सदस्य बोल सकेगा, बहुत से माननीय सदस्यों ने विवरण दिया है। तीनों को मैंने स्वीकार किया है एक-एक सदस्य उसमें अपनी बात कहेंगे। दूसरे को अधिकार नहीं दूँगा।

***श्री मोतीलाल देहलवी—**

हमारी एक सूचना थी बांदा में एक विधवा पर दरोगा ने मोटर साइकिल चला दी ।

श्री मसरूर जाफरी—

हमारी भी एक सूचना थी ।

श्री अध्यक्ष—

उसमें सबका है पर एक ही माननीय सदस्य बोल सकेगा ।

*** श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

श्रीमन, मैं इस सूचना के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूँ कि प्रदेश के जो मेडिकल कालेजेज है उनकी व्यवस्था, देखरेख पढ़ाई आदि को देखकर प्रमाणपत्र मेडिकल काऊंसिल आफ इण्डिया द्वारा दिया जाता है। तो उसने एक पत्र लिखा है राज्य सरकार को कि लखनऊ, आगरा और गोरखपुर मेडिकल कालेजेज की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है । उसने कहा है कि इन मेडिकल कालेजेज का स्तर इतना गिरा हुआ है जिसके कारण प्रदेश में मेडिकल कालेजेज की विश्वसनीयता नष्ट हो रही है । लखनऊ मेडिकल कालेजेज की फिजियोलाजी में एम. डी. की डिग्री को डिरिकगनाइज कर दिया है और चेतावनी दी है कि एम.बी.बी.एस. डिग्री को भी डि-रिकगनाइज कर दिया जायेगा । इसी तरह गोरखपुर और आगरा के लिये भी कहा है और उसके लिये उसने कारण बताये हैं जैसे सब-स्टेंडर्ड, टीचिंग इन-एडीक्वेट स्टाफ, पुवर इक्वीपमेंट यानी पढ़ाई का स्तर गिरा हुआ है, स्टाफ घाटिया है और इक्वीपमेंट अच्छे नहीं हैं। सबसे जो गंभीर बात है उसको भी आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूँ वह अंग्रेजी में है "करप्ट एण्ड अनफेयर मीन्स आर एडोप्टेड इन दि इक्जामिनेशन्स" यानी परीक्षा में भ्रष्ट और नियम विरुद्ध रास्ता अपनाया जाता है ।

इस पत्र के मिलने के बाद शासन की ओर से अपेक्षा की जाती है कि उस व्यवस्था में सुधार किया जाय लेकिन उसके लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है । तो इससे पूरे हिन्दुस्तान में हमारे मेडिकल कालेजेज की छवि नष्ट हो गयी है जिसके सुधार के लिये सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है । सबसे गंभीर बात यह है कि मेडिकल कालेज के साथ-साथ अस्पताल भी लगे हुए हैं और जो मरीज वहां दवा के लिये आते हैं वह भी समझते हैं कि यहां घटिया दवायें, घटिया स्टाफ है इससे पूरे प्रदेश में यहाँ के एम० बी० बी०-एस० और एम० डी० छात्रों के प्रति घटिया भावना पैदा हो रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ।

इसलिए मैं चाहूँगा कि इस पर चर्चा हो जाय इसमें सरकार ने कोई प्रयास सुधार के लिए किया है तो वह दृष्टिकोण सामने आ जाय इक्वीपुमेंट के सुधार, परीक्षाओं में भ्रष्ट तरीके न अपनाये जाँय इसके लिये क्या कार्यवाही की गयी है । इसकी जानकारी सदन में इससे मिल जायेगी जिससे जनता में विश्वसनीयता फिर से जाग्रत हो सकेगी । इन शब्दों के साथ मैं अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बल देता हूँ । क्योंकि यह घटना अभी हुई है और इसका इफैक्ट पूरे प्रदेश में पड़ रहा है इसलिए अविलम्बनीय लोक महत्व का है ।

*** श्री कुबेर भंडारी—**

मैं बताना चाहता हूँ मान्यवर, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाई की जब हत्या हुई थी तो उसने सारे लोगों के दिलों को दहला दिया था और लोगों

***वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।**

[श्री कुबेर भंडारी—]

में चर्चा थी कि जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के भाई जज जैसे लोग मारे जा सकते हैं तो सामान्य लोगों का क्या होगा। तो इस अपराध में जो लोग थे उनको बचाने का काम कांग्रेस आई के नेता कर रहे हैं। मैं आपसे मांग करता हूँ कि सत्ता पक्ष के लोग इस तरह का कार्य कर अराजकता फैलाना चाहते हैं। तो इससे बढ़कर लोक महत्व का दूसरा विषय हो नहीं सकता है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि इस पर आप चर्चा करा दें।

*** श्री मसरूर जाफरी—**

मान्यवर, हमारी बात सुन लें। मान्यवर, सबसे बड़ी चीज यह है कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के भाई की हत्या हुई और उसमें कांग्रेस की साजिश थी लेकिन उससे बचने के लिए युवा कांग्रेस आई के नेता ने षड़यन्त्र रचा कि जब हत्यारे ले जाये जा रहे थे तो उनसे कहा गया था कि फलां जगह जीप में आदमी जाकर छुड़ायेंगे और यदि सुरक्षागार्ड रोकथाम करेंगे तो उनको भी जान से मार दिया जायेगा। यदि यह साजिश न होती तो उनकी हत्या न होती और कांग्रेस आई की साजिश न होती तो हत्यारों को छुड़ाने का प्रयास क्यों किया गया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांत रहें।

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, युवा कांग्रेस के नेता ने कहा कि मैं पुलिस को मिला लूँगा। इस तरह उ० प्र० में अराजकता फैली हुई है। यह सत्य है कि उ० प्र० की पुलिस वही कर रही है जो कांग्रेस आई युवा के लोग चाहते हैं। दैनिक जागरण में साफ आया है कि पुलिस यदि बात करेगी तो मैं पुलिस को मिला लूँगा। इसलिए मान्यवर, इसमें चर्चा कराई जाय और चर्चा में बहुत सी बातें सामने आयेंगी कि हत्या किसकी मर्जी से हुई है, उसमें युवा कांग्रेस के कौन कौन लोग शामिल हैं और इससे मान०सदस्यों के जानमाल की सुरक्षा आगे होगी।

(व्यवधान)

*** श्री गोपीनाथ वर्मा—**

मान्यवर, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी के भाई की जो हत्या हुई उसमें कांग्रेस आई के नेताओं की साजिश थी··· ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जांय। मैं आपको इजाजत नहीं देता हूँ।

***संसदीय कार्यमन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—**

मान्यवर, जो श्री मसरूर जाफरी, श्री गोपीनाथ वर्मा और मित्र सेन ने जो कार्य स्थगन का प्रस्ताव उठाया है उसमें पहली बात यह है कि जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी या यूथ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कांग्रेस पर गम्भीर आरोप लगाया है तो यह बहुत ही आब्जेक्शनएबुल चीज है, ऐसी बात उनको नहीं कहनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जांय । शांत रहें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जिन अभियुक्तों को उन्होंने छुड़ाने की बात कही है, तो मेरे पास जो सूचना है वह यह है कि कारागार महानिरीक्षक को जिला कारागार, बांदा में दिनांक 2 व 3 मार्च, 1983 को तलाशी में एकपत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया कि यहां पर कुछ असलहे जेल में हैं । इसलिये पत्र पर तलाशी ली गयी और उसके बाद एक पिस्तौल, 3 कारतूस और तीन शीशियों में तरल पदार्थ बरामद हुआ । इस संबंध में 5-3-83 को जिन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं :—

(1) बंदी रक्षक श्री अम्बिका प्रसाद,

(2) बंदी रक्षक श्री राधेश्याम तिवारी,

(3) बंदी रक्षक श्री हर प्रसाद,

(4) बंदी रक्षक श्री भगवान दीन

(5) सेलेक्शन आफिसर हेड वार्डर श्री तीरथ राज

(6) सर्किल आफिसर श्री मुन्नू लाल, सहायक कारापाल को निलम्बित किया गया है । उसी के साथ-साथ जब छानबीन हुई तो यह पता चला कि चौकीदार श्री गया प्रसाद द्वारा कारतूस आदि चीजें लाई गयी थीं जिससे उसको भी निलम्बित किया गया ।

(व्यवधान)

तो मान्यवर, यह कहना कि किसी प्रकार से किसी बंदी को वहाँ छुड़ाने की यह साजिश या श्री सी. पी. एन. सिंह के मरडर में साजिश पोलिटिकल पार्टी की थी तो यह गलत है, सत्य से परे है । वहां पर कुछ मुलाजिमों के पास यह चीजें पाई गईं, उनके खिलाफ कार्यवाही हुई । जिन अधिकारियों के ऊपर शुबहा था, उन पर कार्यवाही की गई, जिसके फलस्वरूप 5 अधिकारी और अन्त में एक चौकीदार को भी निलम्बित किया गया है । तो सारी कार्यवाही हुई है, लेकिन एक पालिटिकल पार्टी को महज बदनाम करने के लिए यह लोग ऐसी बातें कह रहे हैं । इसमें ग्राह्यता का कोई सवाल नहीं है, मान्यवर, इसको आप स्वीकार न करें और जो एक पोलिटिकल पार्टी कांग्रेस-(आई) के लिए कहा है, उसको आप कार्यवाही से खारिज कर दें । (व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा वह लिखा नहीं जायगा । यह सदन नियमों से ही चलेगा··· (व्यवधान) मैं किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, आप सब बैठें ।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, जिसे आप कृपया जरूर सुन लें ।

श्री मित्रसैल—

जो चिट्ठी जेल में पकड़ी गई, उसको मंत्री जी पढ़ दें, उसमें क्या लिखा है····
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सब लोग बैठें, जमुनाप्रसाद जी, आप बैठें, आपका कोई प्रश्न नहीं है, आप बैठें···· (व्यवधान) मैं कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ··· (व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मंत्री जी ने जो स्वीकार किया है कि जेल में छापा मारा गया और वहाँ पर कुछ असलहे निकले हैं, तो इस प्रश्न की ग्राह्यता बन जाती है। यह असलहे गये कैसे ? इस संबंध में यह मेरा खुला आरोप है कि कांग्रेस-आई के युवक विंग के युवकों का यह काम है। इसलिए आप इस पर चर्चा करा दें। (व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी—

आप मुझे एक बात मान्यवर, कह लेने दें····(व्यवधान) इससे आपको अपना निर्णय लेने में आसानी होगी (व्यवधान) उस समय युवक कांग्रेस के नेता ने यह बात कही थी और जब उसने अपने गिरोह में यह बात कही, तो उसका जो एक गिरोह अभियुक्त था, तो उसने डी. एम. को गोपनाय ढंग से इसकी सूचना दी। आनन्दी ने बयान दिया है, जिसे जेल अधीक्षक से लिया है। कहें तो मैं उसको आपके पास भेज दूं ··(व्यवधान)

***श्री कुंबेर सिंह नेगी—**

श्रीमन्, मेरा कार्य स्थगन का प्रस्ताव एक गम्भीर घटना के बारे में है। इस सदन के एक माननीय विधायक श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह कल गोरखपुर में जब अपने मकान के बरामदे में बैठे थे तो पीछे से कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर गोली चलाई। भाग्य से वह बच गये। मान्यवर, गोरखपुर में राजनैतिक हत्याओं का क्रम कई वर्षों से चल रहा है। कुछ वर्ष पूर्व इसी सदन के एक बहुत ही सुयोग्य सदस्य रवीन्द्र सिंह की हत्या भी वहाँ पर हुई थी और आज भी वह क्रम चल रहा है। वहाँ पर इस प्रकार की गिरोहबन्दी है, उसकी वजह से राजनैतिक नेताओं के अलावा सारे गोरखपुर की जनता में भय और आतंक व्याप्त है। सब लोग अपने को असुरक्षित पा रहे हैं और उन बदमाशों को सत्ता पक्ष का प्रश्रय प्राप्त है। एक दिन पहले मैंने यहां पर कार्य स्थगन प्रस्ताव द्वारा माननीय सदस्यों को अवगत कराया था कि हमारे प्रदेश में 100 से अधिक प्रधानों की हत्या हो गई है। अगर जन प्रतिनिधियों पर इस प्रकार से आक्रमण होगा तो बहुत खराब बात है और शासन के लिए भी यह शर्म की बात हैं। इसलिए आप इस लोक महत्व के प्रश्न पर कार्य स्थगन स्वीकार कर चर्चा कराने की कृपा करें।

***श्री रियासत हुसैन—**

मैं दो तीन बातें इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। एक तो यह कि इन वीरेन्द्र प्रताप शाही पर पहले भी दो तीन बार हमला हो चुका है और सरकार ने उनको एक गार्ड भी दे रखा है। दूसरे यह कि शाही जी ने चीफ मिनिस्टर को 15 दिन पहले अवगत कराया था कि सी० ओ० श्री० राय और एस० आई० श्री चन्द्रशेखर से उनको अपनी

***वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।**

जान का खतरा है क्योंकि वे बदमाशों से मिले हुये हैं। तीसरी बात यह है कि जिस जगह पर यह हमला हुआ है वहाँ पर 100 गज की केवल एक ऐसी गली है जहाँ पर उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यह लोग जिस रास्ते से मारने के लिये आये उसी रास्ते से वे लोग वापस गये। लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ने आदि का ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा 15 दिन पहले श्री शाही के एक साथी श्री पाण्डेय का मर्डर हो चुका है। इन सारी चीजों को देखते हुये मेरा निवेदन है कि आप इस पर चर्चा करा दें।

(व्यवधान)

***श्री मोतीलाल देहलवी—**

मान्यवर, जनपद बांदा में, कचहरी में, एक 65 वर्ष की एक वृद्ध हरिजन महिला कई दिनों से आमरण अनशन कर रही है और अनशन करने का कारण यह है कि 24 फरवरी, 1983 को इस विधवा हरिजन महिला के पति पर वहाँ के एक दरोगा ने अपनी मोटर साइकिल चढ़ा दी जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया और बाद में मर गया। जाहिर है कि इस आरोप में दरोगा पर दफा 304 का मुकद्दमा चलना चाहिये। दरोगा जी ने इस घटना को छिपाने के लिये और दंड से बचने के लिये उस घायल व्यक्ति को किसी सरकारी अस्पताल में दाखिल नहीं कराया और एक प्राइवेट डाक्टर का इलाज करवाया। दुर्भाग्य से उस हरिजन विधवा के पति का देहान्त हो गया। इस विषय पर मैं चर्चा कराना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने थानेदारी के लिये कोई अलग से नयी आई० पी० सी० का प्राविधान कर रखा है कि उन पर कोई मुकद्दमा कायम ही न हो ?

मान्यवर, जब उस हरिजन महिला की हालत खराब होने लगी तो उसे उठवाकर अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। वह वहाँ पर भी अभी अनशन कर रही है और अपने पति की मृत्यु के कारण वह महिला विक्षिप्त हो गयी है। वह बार बार यही मांग कर रही है कि दरोगा जी पर हत्या का मुकद्दमा कायम किया जाय।

इस प्रसंग में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले इसी सदन में हमने एक हरिजन कान्सटेबिल का मामला भी उठाया था। मैंने बार बार माननीय गुलाब सेहरा जी से निवेदन किया था कि उस हरिजन सिपाही पर जो दो एफ० आई० आर० लिखायी गयी हैं कृपा करके वे उसे पढ़ दें। मान्यवर, मैं उस हरिजन कांस्टेबिल के बारे में आज भी दावे के साथ यह कह रहा हूँ कि बिलकुल बेबुनियाद रिपोर्ट उसके खिलाफ लिखाई गयीं। आज भी वह कांस्टेबिल जेल में पड़ा हुआ है। तो मैं मान्यवर, चर्चा के माध्यम से इस सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या पुलिस में भी हरिजन और गैर हरिजन का विभेद कर दिया गया है, जो एक हरिजन कांस्टेबिल के खिलाफ झूँठी रिपोर्ट करके उसे जेल भेज दिया गया और एक जो यह विधवा कई दिन से अनशन कर रही है, इसके पति पर दरोगा जी ने मोटर साईकिल चढ़ा दी और उसके जुर्म से बचने के लिए दरोगा जी ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया, उसका प्राइवेट इलाज कराया और उसकी मृत्यु हो गयी।

मान्यवर, आप इसको देख लें, इससे कई प्रश्न जुड़ गये। इसलिए मैं इस पर चर्चा कराना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि मान्यवर, जो प्रश्न इससे नये-नये उठ रहे हैं, उसका समाधान चर्चा के सिवाय और कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज इस विषय पर मान्यवर चर्चा कराने का अवसर दें, क्योंकि इसमें कई नये मुद्दे जुड़ जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री धनीराम वर्मा—**

मान्यवर, बिधूना तहसील के थाना बिधूना के अन्तर्गत 5 मार्च से लगातार डकैतियाँ हो रही हैं। इसी श्रृंखला में रठगांव निवासी श्री हाजी बक्श के घर को लूटा और उनकी हत्या कर दी गयी तथा उनकी पत्नी को भी गोलियों से घायल किया गया, अभी तक विधूना थाने के अन्तर्गत थाने के दो-तीन किलो मीटर के अन्दर ही 6-7 डकैती की वारदातें हो चुकी हैं। डकैतों की संख्या 20-25 बतायी जाती हैं, जो पुलिस वेश में वारदात करते हैं, पुलिस आज तक वारदातों को रोकने में और डकैतों को पकड़ने में असफल रही है। सारे थाना क्षेत्र में डकैतों का साम्राज्य है। पुलिस और शासन व्यवस्था पूर्णतया समाप्त हो चुकी है। जनता में भय और असंतोष का वातावरण है। पुलिस और प्रशासन से जनता का विश्वास उठ चुका है। अतः मैं मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 9 सूचनाएँ मुझे प्राप्त हुई हैं, जिसको मैंने अच्छी तरीके से देखा है। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, एवं माननीय नन्दराम की लखनऊ मैडीकल कालेज के घटिया स्तर के कारण मैडीकल कौंसिल आफ इंडिया द्वारा एम० डी० डिग्री की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दिये जाने के सम्बन्ध में है, उसको मैं वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूँ और दूसरी जो माननीय कुंवर सिंह नेगी, माननीय नरेन्द्र सिंह भंडारी, माननीय अकबाल हुसैन और माननीय रामगोबिन्द की, जो गोरखपुर में विधायक श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूँ। नियम 56 में मैं किसी भी सूचना को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। जो बाकी सूचनायें हैं, उन्हें मैं शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पास भेज रहा हूँ।

श्री कुबेर भण्डारी—

मान्यवर, हम लोगों की सूचना बहुत गम्भीर है···

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर कुछ कहने लगे, जो सुनाई नहीं पड़ा)

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठें। आप सभी लोग बैठिये। मैंने निर्णय दे दिया है। शासन को इस पर विचार करने दीजिए। अब निर्णय हो गया है। आप लोग बैठें।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

[× × ×] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। यह कोई चीज लिखी नहीं जायगी।

(श्री ख्वाजा हलीम के पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, आप लोग बैठें। मैंने अब माननीय ख्वाजा हलीम को बुलवा लिया है। यह कोई चीज नहीं लिखी जायगी। कृपया आप लोग अपने स्थान पर बैठें।

(कई सदस्यों के खड़े रहने पर)

आप बैठें। मैंने इस पर निर्णय दे दिया है। माननीय अध्यक्ष का जो निर्णय होता है उस पर किसी प्रकार की आपत्ति या चर्चा की बात यहाँ नहीं हो सकती है। कृपया आप बैठें।

***श्री ख्वाजा हलीम—**

माननीय अध्यक्ष जी, आप सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये कहते हैं, तो आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि जो उस पर कार्यवाही हुयी हो उसकी इत्तला सदन को दें। दूसरे हाउस में यही तरीका है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने नेताओं की बैठक बुला रखी है। मैं इस पर विचार कर लूँगा और नियम इत्यादि देखकर निर्णय किया जायगा।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, मेरी बात तो आप सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप जो तथ्य सामने लाये हैं मैंने उनको देखा है। मैंने उस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री कुबेर भंडारी—

आप मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने निर्णय दे दिया है।

श्री कुबेर भंडारी—

मान्यवर, मैं इस पर सदन त्याग करता हूँ।

(श्री कुबेर भंडारी सदन त्याग कर चले गये।

झांसी नगर की कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्धारित वक्तव्य पर तिथि निर्धारण की सूचना

***श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

मान्यवर, झांसी नगर की कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में मैंने जो सूचना दी थी उस पर आपने वक्तव्य के लिये निश्चित किया था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मुझे अभी सूचना मिली है कि 21 तारीख की तिथि बढ़ा दी गयी है। आपके द्वारा इस सम्बन्ध में कई बार निर्देश भी दिये जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—

जो आपकी सूचना थी उस पर उन्होंने मुझे सूचित किया है कि वह समय चाहते हैं। इसलिये मैंने 21 तारीख लगा दी है। 21 तारीख को उस पर वक्तव्य होगा। कृपया बैठें।

उपाध्यक्ष के निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री आपका कोई प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु दिनांक 24 फरवरी, 1983 को इस सदन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, जैसाकि वह दिनांक 1 मार्च, 1983 को सदन द्वारा संशोधित किया गया है, को तथा उनके अन्तर्गत कृत कार्यवाही को अग्रतर संशोधित करते हुये उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु माननीय अध्यक्ष वर्तमान सत्र में ही कोई नई तिथि पुनः नियत करें और निर्वाचन की पूरी कार्यवाही पुनः अपनाई जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु दिनांक 24 फरवरी, 1983 को इस सदन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, जैसा कि वह दिनांक 1 मार्च, 1983 को सदन द्वारा संशोधित किया गया है, को तथा उसके अन्तर्गत कृत कार्यवाही को अग्रतर संशोधित करते हुये उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु माननीय अध्यक्ष वर्तमान सत्र में ही कोई नई तिथि पुनः नियत करें और निर्वाचन की पूरी कार्यवाही पुनः अपनाई जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री रियासत हुसैन—**

बाकी समय की जरूरत पड़े तो बजाय सत्र के वर्तमान विधान सभा काल को कर दिया जाय। इतना अमेंडमेंट कर दें।

वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों का मतदान, अनुदान संख्या-9 कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) तथा अनुदान संख्या-10 कृषि विभाग (कृषि) (क्रमागत)†

***श्री रियासत हुसैन—**

श्रीमन्, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय हुकम सिंह जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। कृषि मन्त्री जी ने जिस प्रकार से स्पष्टता से कुछ तथ्यों को स्वीकार किया है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† दिनांक 15-3-83 की कार्यवाही से

इसलिये मैं उनके सम्बन्ध में या विभाग के सम्बन्ध में कोई ज्यादा निंदात्मक बातें भी नहीं कहूँगा। क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि इस देश के अन्दर और हमारे प्रदेश में (इस समय 1 बजकर 49 मिनट पर अधिष्ठाता श्री श्याम सूरत उपाध्याय पीठासीन हुए।) 47 प्रतिशत लोग विलो पावरटी लाइन हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर में जो लोग लगे हैं उसमें से 87 परसेंट विलो पावरटी लाइन हैं। इनका जब तक उत्थान नहीं होगा जब तक कृषि की पैदावार और आमदनी को नहीं बढ़ाया जायगा। उस वक्त तक विलो पावरटी लाइन का यह जो प्रतिशत है उसको कम नहीं किया जा सकता।....

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री का ध्यान दो तरफ दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि वे तो अपने विभाग के कार्यकलापों से बड़े संतुष्ट हैं कि हमने बड़ा भारी तीर मारा है, पैदावार बढ़ायी है, आगे की पैदावार के इन्होंने अपने लक्ष्य बताये। उन्होंने कहा कि आगे 1983-84 में 274 लाख टन हमारी सीरियल की पैदावार का लक्ष्य है, श्रीमन् मेरी समझ में यह क्यों नहीं आ रहा है कि अगर वे पीछे जाय, सिर्फ 5 साल, तो देखेंगे कि 1978-79 में 231 लाख टन सीरियल की पैदावार थी, अब पांच साल में आपकी कितनी बढ़ रही है, केवल 43 लाख टन। पाँच साल में आप केवल सीरियल की 43 लाख टन पैदावार बढ़ा पायें, तो पता नहीं कैसे ये अपने विभाग के कार्यकलापों से संतुष्ट हैं। इतनी खेती किये जाने के बावजूद यह बढ़ा पाये 43 लाख टन, तो इसमें वीर बहादुर सिंह, भी हिस्सेदार बन जाते हैं, ऐरीगेशन की वजह से, कि हमारी वजह से इतना बढ़ गया 43 लाख टन, इसमें ग्राम्य विकास मन्त्री भी आई०आर०डी० आदि स्कीमों की वजह से हिस्सेदार बन जाते हैं, बिजली मन्त्री भी इसमें हिस्सेदार बन जाते हैं और इसमें ये भी हिस्सेदार हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि 43 लाख टन को निभायेंगे, इसमें कितना-कितना किस के पास जाता होगा, तो यह सारी चीजें हैं।

दूसरी तरफ अगर आप देखें, विमल तिवारी जी बैठे हुए हैं, आलू सूबा के अन्दर यह हिन्दुस्तान मे आगे है और फर्रुखाबाद जिला पूरे सूबे का आधा करता है, उत्तर प्रदेश बहुत ही ज्यादा आलू पैदा करता है, लेकिन श्रीमन्, पूरे हिन्दुस्तान में आपका आलू की पैदावार में तीसरा नम्बर है, आप आलू की पैदावार के मामले में पूरे देश में तीसरे नम्बर पर आते हैं। चावल की पैदावार में आपका छटा नम्बर है, चावल की पैदावार में पांच प्रदेश आपसे ऊपर हैं। जो प्रतिशत प्रति हेक्टयर उत्पादन है, उसमें चवाल में आप छठे नम्बर पर आलू में तीसरे नम्बर हैं और गेहूँ में पांचवे नम्बर पर हैं। पूरे देश के हर सूबे की जो यह तालिका है जो यह डायरी है इसमें जो प्रति हेक्टयर उत्पादन का प्रतिशत है, उसमें हमारी यह पोजीशन है। तो इस तरह से आप पूरे देश में कहां स्टेंड कर रहे हैं, लेकिन आप संतुष्ट हैं कि आपके विभाग ने बड़े बड़े काम कर डाले।

श्रीमन, बड़े खेद की बात है कि गेहूँ की फसल लहलहा रही है और पूर्वी क्षेत्र में पूर्वांचल में 8-10 दिन में कटाई शुरू हो जायेगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 15 अप्रैल के बाद कटाई शुरू हो जायेगी, लेकिन अभी तक आप उसकी कीमत को निश्चित नहीं कर सके कि आने वाले सीजन में आपके गेहूँ की कीमत क्या होगी, क्योंकि यह केन्द्र को तय करना है, इसलिए आप यह आश्वासन नहीं देते कि कीमत क्या होगी। क्यों, मैं इस बात को कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले साल आपने 142 रुपये गेहूँ खरीदा किसान का, इस वक्त श्रीमन्, गांव के अन्दर 255 रुपए का भाव है, शहर में जब वह आता है, तो 280 और 285 रुपए के बीच है। मेरे गांव में इस वक्त गेहूँ 255 रुपए प्रति किवंटल है, यह कितना फर्क हुआ, 125 रुपए के करीब एक साल में अन्तर हो गया। जब किसान गरीब आदमी जिसको जरूरत है, जो उसको पैदा किया हुआ है, उसको अब वह मोल लेगा

[श्री रियासत हुसैन --]

तो उसे 155 रुपए के अन्तर पर गेहूँ मिलेगा, वह अब कीमत देगा 255 के हिसाब से। आप आगामी सीजन के लिए कीमत गेहूँ की क्या देंगे, 255 रुपए के भाव को ध्यान में रखते हुए, यह अभी तक आप निश्चित नहीं कर पाये। इसके बाद मैं माननीय मन्त्री जी को 3-4 सुझाव देना चाहूँगा।

हार्टिकल्चर के सिलसिले में जो इस वक्त अमरूद है, उसको बागवानी की गिनती में नहीं लिया है, जबकि इस वक्त अमरूद आम से ज्यादा पैदावार दे रहा है साल में दो फसल आती है, और यह फल आम आदि के मुकाबले इतनी सेवा नहीं लेता। मेरा सुझाव है कि अमरूद वर्ष पैदावार को प्रोत्साहित करने के लिए उसकी जैली आदि बनायी जानी चाहिए, इस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

अब मैं प्लाण्ट प्रोटेक्शन के बारे में कहना चाहता हूं। आपने सब्सीडाइज किया है। लेकिन मेरा सुझाव है कि क्राप प्रोटेक्शन का काम आप करें अपनी कास्ट पर कराये। क्योंकि हर क्राप में कीड़े उस समय लगते हैं जब किसान की जेब खाली होती है। किसान चाहते हुए भी अपनी फसल की रक्षा नहीं कर पाता है। क्योंकि उसकी जेब खाली रहती है। इसमें आपको ब्लाक लेबल पर पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसानों के फसल पर, उसकी पैदावार में कीड़ें की वजह से लाश न हो और इसको आप नेशनल इटरेस्ट में करायें। जैसे सिंचाई विभाग में हर ट्यूबवेल 4-5 हजार रुपये के नुकसान पर चलता है लेकिन उसको नेशनल इंटरेस्ट में चलाया जाता है। उसी तरह से प्लान्ट प्रोटेक्शन का काम आपको करना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपकी कोई क्राप की प्लानिंग नहीं है, जिसका नतीजा यह होता है कि हर दूसरे साल रोटेशन में गन्ना सड़कों पर आ जाता है, गेहूँ की शार्टेज हो जाती है। कितना आप सीरियल में देंगे, कितना कैश क्राप में देंगे इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। गेहूँ, चावल और शक्कर में कितना देंगे इसकी एक योजना होनी चाहिए। क्राप इंश्योरेन्स भी होना चाहिए। एक चीज मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो आप स्टोरेज पर सबसिडी देते हैं इसको हर किसान को दीजिए। उसमें यह न देखिये कि यह लघु किसान है, यह मध्यम किसान है। यह हर किसान को मिलना चाहिये। आपके स्टोरेज के जो टैंक, या गोदाम दिये जाते हैं वह सबको दिये जायेंगे तो इससे कीड़े और घुन से अनाज को बचाया जा सकता है।

एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपका वही लरमा रोजो और सुनरा 64, जो सन 66 में आया था आज तक नाम बदल कर 1553, 1563 वगैरह कर चलाते आ रहे हैं लेकिन इसकी पैदावार में कितना इजाफा हुआ। कोई इजाफा नहीं हुआ। इसलिये मैं चाहूँगा कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें रिसर्च करके ऐसे बीज निकलवायें जिसमें कम से कम 25 प्रतिशत पैदावार मे बढ़ोत्तरी हो। लेकिन यह कह कर कि आउट डेटेड हो गया था 2009 में कीड़े लग गये थे इसलिये 2003 आ गया इससे काम चलने वाला नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए।

श्रीमन्, एक बात यह कहना चाहता हूँ कि आज का किसान मैकेनिकल माइण्डेड हो गया है जिसके पास 60-70 एकड़ जमीन है वह ट्रैक्टर चाहता है और लेता भी है लेकिन जो भिन्न-भिन्न प्रकार के ट्रैक्टर सिरताज, सोराज, इसर वगैरह-2 इनकी रिसेल बैल्यू कुछ नहीं है। जिसकी रिसेल बैल्यू है मिसफारगुशन की वह कन्ट्रोल्ड है। इसका नतीजा यह है कि जो किसान ट्रैक्टर लेना चाहता है उसको यह ट्रैक्टर वाले फाँस लेते हैं और वह किश्त भी नहीं दे पाता है और न उसकी रिसेल बैल्यू ही है। इसलिये मिसफारगुशन का कन्ट्रोल है

इसको समाप्त कराने का कष्ट करें। यही सुझाव मैं माननीय मन्त्री जी को देता हूँ तथा हुकम सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

कई माननीय सदस्य बोलेंगे तीन बजे तक चर्चा समाप्त होनी है। इसलिये आप सबकी राय हो तो 3 मिनट का समय रख दिया जाय।

(सदन की सहमति से 3 मिनट का समय रखा गया।)

***श्री विमल प्रसाद तिवारी—**

मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। इस बार इस बजट का समर्थन करते हुए मुझे विशेष संतोष और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इसलिए कि मैं एक ऐसे जिले से, फर्रुखाबाद से आता हूँ, जैसा कि रियासत साहब कह रहे थे, आलू के उत्पादन में सम्पूर्ण प्रदेश में अग्रणी है, सारे देश में उत्तर प्रदेश 50 प्रतिशत आलू पैदा करता है लेकिन फर्रुखाबाद जनपद, सारे प्रदेश में आलू के उत्पादन मे अग्रणी है और इसलिए मुझे विशेष रूप से प्रसन्नता है और विशेष रूप से मन्त्री जी को और इस सरकार को बधाई देता हूँ कि यह पहला वर्ष है जबकि आलू उत्पादकों को सही मूल्य प्राप्त हुआ। बार-बार मैं खड़ा हुआ हूँ और सरकार की आलू के सम्बन्ध में नीति, आलू के सम्बन्ध में व्यवस्था की, मैंने कटु आलोचना की है लेकिन यह पहला मौका है और जब मैं वास्तव में हृदय से इसका समर्थन करता हूँ और इस सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। इस बार इतनी अच्छी कीमत आलू उत्पादकों को मिली है जिससे हमारे जनपद में आलू उत्पादक और आस-पास के जनपदों के आलू उत्पादक संतोष महसूस कर रहे हैं और यह व्यवस्था माननीय मंत्री जी, अभी शायद कार्यभार ग्रहण किये हुए इस विभाग को 9 महीने ही हुए हैं लेकिन नतीजा सामने आने लगा····

(हंसी)

अवधि भी ठीक है और नतीजा भी सामने आ रहा है, समय रहते।

(व्यवधान)

अभी लड़का हुआ है हुकम सिंह जी, इसको स्वीकारेंगे और मन्त्री जी इसके लिये सक्षम भी हैं।

इस बार, पहली बार मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि विभाग के अधिकारियों में भी हरकत हुई है और उसके लिए भी मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। समय रहते विभाग के अधिकारियों ने रेलवे प्रशासन से सम्पर्क किया, दबाव डाला, समुचित मात्रा में वैगन उपलब्ध कराये ढुलाई के लिए और बुकिंग खोली गयी जिसका परिणाम यह हुआ :

शीतगृह ने रेट्स, जो शीतगृह अधिनियम के अन्तर्गत सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व घोषित होने चाहिए वर्ष के अन्त में सितम्बर आदि के महीने में घोषित होते थे परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर आलू उत्पादकों का शोषण किया जाता था। लेकिन यह खुशी की बात है और मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं कि फरवरी में रेट घोषित हो गये जिससे शीतगृह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विमल प्रसाद तिवारी—]

के मालिक जो व्यवहार करते थे, जो हथियार स्तेमाल करते थे शोषण के लिए, अब मजबूर हो गये हैं, इसलिए भी मैं बधाई देता हूँ ।

आलू की समस्या का, रियासत साहब ने कहा था, विमल तिवारी बैठे हैं, अभी बात रखेंगे, सारे देश में उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में नम्बर 3 पर है, नम्बर 3 और नम्बर 2 का सवाल नहीं रहा, जो किसान रात-दिन एक करके, मेहनत कर के आलू पैदा करता है, उसको उसकी कीमत मिलती है या नहीं उपज की, मण्डियों में पहुँच पाता है या नहीं, आज प्रतिवर्ष नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं । इस समस्या का स्थाई हल बहुत खूबसूरती के साथ इस सरकार ने निकाला है लेकिन एक और स्थाई हल है कि आलू पर आधारित एक कारखाना स्थापित करें । 1976 में एक कारखाना फर्रुखाबाद में लगाने की बात आयी थी फिर सत्ता परिवर्तन हुआ 77 से 80 के बीच में उस प्रस्ताव को शीतगृह में रख दिया 1980, जब अपनी सरकार आयी तो बलराम सिंह यादव ने इस माननीय सदन को, मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार उस कारखाने को लगाने के लिए प्रयत्नशील है ।

पोलिश सरकार का प्रस्ताव था बोदका का । टेक्निकल नो-हाऊ, प्रोडक्ट को फिजिबिल्टी रिपोर्ट भी तैयार हुई थी, कहां चली गई, क्यों नहीं कार्यवाही हुई जब कि फाइनेन्स की जिम्मेदारी के लिये थे, टेक्निकल नो-हाऊ की जिम्मेदारी लिये थे तो आलू पर उत्पादित जो बनाया जाता, उसकी बिक्री की भी जिम्मेदारी ले रहे थे । इससे अच्छा प्रस्ताव तो हो नहीं सकता । मैं आपके माध्यम से पुनः इस बजट का समर्थन करता हूँ । सरकार को विशेष रूप से बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

*श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ । कृषि का बजट रखा गया है । बताया गया है कि दो करोड़ साठ लाख टन हमारे प्रदेश में अनाज पैदा हुआ मानता हूँ पैदा हुआ होगा । गया कहां वह । अनाज की स्थिति बाजारों में तीन रुपये किलो पहुंच गयी है । जब किसान के पास था एक रुपये बयालिस पैसे में धक्के खा रहा था । मन्त्री जी ने जिला बन्दी कर दी थी । किसानों का अनाज बाहर नहीं जा सकता था । किसानों का शोषण करने के बाद अब अनाज उत्तर प्रदेश से बाहर जिले से बाहर कहीं भी जा सकता है । सरकार ने स्वयं 142 रुपये प्रति कुन्तल खरीद कर 182 में बेचा है । यह आकड़े सब फर्जी हैं । अधिकारियों के द्वारा बनाये गये आकड़े हैं । यदि इतना उत्पादन हुआ होता तो बाजार में तीन रुपये किलो गेहूँ न बिकता । 4 - 5 रुपये किलो चावल न बिकता ।

अफसरशाही के चंगुल में फंसकर सरकार आज अंधी, बहरी और गूंगी हो चुकी है । इनको पता नहीं कि क्या हो रहा है । सदन में गलत आकड़े देकर गुमराह किया जाता है । यह आकड़े सत्य से परे हैं ।

मान्यवर, कृषि उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं । हालत इतनी खराब हो चुकी है कि गेहूँ, चीनी, मटर हर फसल को पानी की जरूरत है । ग्रामीण क्षेत्र में बिजली एक मिनट 2 मिनट आकर आँख मिचौली कर लेती है । बात करते हैं कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये । खाद डेढ़ गुनी हो गयी, बिजली डेढ़ गुनी हो गयी, लोहा मंहगा हो गया, डीजल डेढ़ गुना हो गया । आज किसान आर्थिक चोट से चरमरा रहा है । इनको इस बात

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का अफसोस नहीं है कि आज 33 साल बीत जाने के बाद भी इस प्रदेश के किसानों को कृषि लागत के हिसाब से अनाज का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते। लानत है इस मन्त्रि मण्डल को। यह कहते हैं कि आलू की पैदावार बढ़ी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रदेश में आलू की पैदावार 60 प्रतिशत से अधिक नहीं हुई। कारण क्या है। बिजली नहीं मिली, पानी नहीं मिला। काश्तकार आर्थिक आधार पर पीड़ित है। कृषि उत्पादन में फसली ऋण आलू के लिये निर्धारित नहीं किया गया है। एक हजार रुपया प्रति एकड़ है परन्तु आलू पैदा करने के लिये बजट तीन हजार से चार हजार के बीच प्रति एकड़ आता है। पंत नगर का मेला हुआ। किसी भी विधायक को निमंत्रण नहीं आया कि मेला देखें....

एक सदस्य —

आया है।

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, कीटनाशक दवाओं की बात की गयी। क्या दवायें किसी भी सेन्टर पर हैं? कृषि रक्षा केन्द्रों पर दवाओं की जरूरत होती है तब दवायें उपलब्ध नहीं होतीं। मशीन खराब होती है। कीटनाशक दवायें जब समय निकल जायेगा तब आयेंगी। तिलहन की पैदावार भी पिछले वर्षों की अपेक्षा 60 प्रतिशत ही हुई है। ये जितने भी आकड़े हैं, सब किताबी आकड़े हैं। ये आकड़े सही नहीं है। आज इसी वजह से गेहूँ मंहगा है, चावल मंहगा है, तिलहन मंहगा है और दलहन मंहगा है। माननीय कृषि मन्त्री जी ने जो यह बजट रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ तथा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट) —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कृषि विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, आज जो यह कृषि का बजट आया है यह काफी सन्तोषजनक है। मैं अपने एटा जिले में मूँग, तिलहन और दलहन की फसल पर शासन ने जो सबसिडी देने का एनाउन्स किया है और जिसके लिए करीब 4 लाख रुपया वहाँ पहुँच भी चुका है, उसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, यह देखते हुए कि जो जिले किसी कृषि उत्पादन में अग्रणी हैं वहाँ जैसे, अभी माननीय तिवारी जी ने कहा कि फर्रुखाबाद में आलू को काफी प्रोत्साहन मिला है तथा किसानों को उसकी अच्छी कीमत मिली है, उसी प्रकार मान्यवर, एटा में मूँग का उत्पादन काफी होता है जो सारे प्रदेश को सप्लाई की जाती है उसमें भी काफी प्रोत्साहन का कार्य हो रहा है और उसकी मारकेटिंग की व्यवस्था के लिए तथा सीड की व्यवस्था के लिए और कुछ सेन्टर्स खोलने के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा है उसके लिए भी मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

मान्यवर, जहाँ तक कृषि विभाग का संबंध है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है इसकी तुलना में प्रदेश का कोई और विभाग महत्वपूर्ण नहीं है। माननीय श्री हुकम सिंह जी ने जो कृषि बिभाग पर कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं समझता हूं कि उन्हें इसकी जगह पर बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखना चाहिए था। माननीय हुकम सिंह जी एक ऐसे जिले से आते हैं जो कृषि में बहुत ही अग्रणी है और तब भी उन्होंने इसके लिए कोई ज्यादा सुझाव नहीं रखे। माननीय श्री बल बीर सिंह जी भी उस जिले से आते हैं जो कृषि के क्षेत्र में काफी अग्रणी है, उनके वहाँ कोई समस्या नहीं है।

[श्री कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट)—]

मान्यवर, जहाँ तक आँकड़ों का सम्बन्ध है और माननीय श्री बलबीर सिंह जी ने आँकड़ों को चैलेन्ज किया है वहीं माननीय श्री रियासत हुसैन जी ने उन आँकड़ों को बेस किया है इस प्रकार आपस में ही उनका कन्ट्राडिक्सन हो रहा है। मान्यवर, पिछले 7-8 माह में कृषि के क्षेत्र में, हर विभाग में, चाहे वह पंत नगर विश्वविद्यालय हो, चाहे वह सीड कारपोरेशन हो और चाहे वह खाद का हो और चाहे वह कानपुर विश्वविद्यालय हो और चाहे वह एग्रो हो, इन सभी ने कुछ न कुछ उन्नति की है और सभी में जागरूकता आयी है। हाँ, पहले जो कार्य का माहौल कुछ खराब था लेकिन आज मंत्रालय ने इतना जरूर किया है कि सभी लोग कुछ हरकत में हैं और उससे कृषि के उत्पादन में कुछ कार्य हो रहा है।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को कुछ सुझाव जरूर दूंगा। मान्यवर, समय बहुत कम हैं अत: 2-3 मिनट में अपनी बात कह पाना सम्भव नहीं है। मान्यवर, अलीगढ़ से लेकर पूरब में बनारस तक ऊसर की उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी समस्या है। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 10-12 जिलों में ऊसर सुधार हेतु एक योजना बनाई है तो इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि शासन इसे तुरन्त मंजूर करे और उसे तुरन्त कार्यान्वित किया जाय। आज जितने भी रकवे एग्रीकल्चर हेतु हैं उनमें कुछ न कुछ निर्माण के कार्य में इस्तेमाल होती हो है और यह भी देखा जाता है कि वह बरबाद भी हो जाती है। उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप कुछ रकबा कृषि योग्य हर साल बढ़ायें।

मान्यवर, आपका जो यह ऊसर सुधार निगम है उसने लखनऊ के आस पास के जिलों में कुछ कार्य किया है लेकिन बाकी जिलों में या दूसरे जिलो में कोई काम नहीं किया है तो मेरा आपसे इस संदर्भ में निवेदन है कि आप उसके लिए कुछ ऐसे रूल्स-रेगुलेशन बनायें और ऊसर सुधार निगम को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करें। जिससे ऊसर सुधार का काम तेजी से हो सके। आज ऊसर ही एकमात्र आशा की किरण ऊसर ही है खाद्य उत्पादन में जिस से प्रदेश का भला हो सकेगा यह काम करें।

मान्यवर, आज एटा में हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी ने अच्छा काम किया है और सफलतापूर्वक यह काम किया है। मैं माननीय कृषि मन्त्री जी से और सरकार से यह गुजारिश करूँगा कि मेरी कन्स्टीट्यूएन्सी में रिजोर से गढ़िया ग्राम तक 5 किलोमीटर के बीच में एक फर्म ऊसर सुधार खोला जाय जिससे ऊसर सुधार का काम करे। आदर्श रूप में हाल के कृषि विभाग के लिये ऊसर ही एक बहुत बड़ी समस्या है।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

(श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, मैं अपने दल का अकेला आदमी हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरा ध्यान रखा करें।

श्री अधिष्ठाता—

आपको समय मिलेगा।

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने श्री हुकम सिंह द्वारा रखे गये प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मैं 2-3 मिनट में बोल ही क्या सकता हूँ केवल 2-3 सुझाव दूँगा।

पहले भी अर्ज किया था कि गोरखपुर डिवीजन में जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, उनकी कृपा से हम लोगों का जिला बहुत अच्छा है। भ्रष्टाचार की लम्बी शिकायतों की एक लिस्ट दी थी, सोचा था, जब भूरे लाल जी सचिव हुए थे, तो वे इस पर एक्शन लेंगे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, आरोप गम्भीर हैं लेकिन सारा मामला खटाई में पड़ गया। माननीय मन्त्री जी जानते हैं 3-4 वर्ष हो गये, ये सारी जाँच को दबवा देते हैं। 18 लाख रु० सीड स्टोर की मरम्मत के नाम पर आहरण करके दफ्तर में रख लिया, 6 लाख रु० अब भी रखे हुए हैं, जब चाहते हैं फर्जी लोगों के नाम से बिल बनवाते हैं। उस रुपये को दूसरे लोगों के नाम से ड्रा करते हैं।

बस्ती जनपद की बात करना चाहता हूँ। हम लोग बाढ़ पीड़ित हैं, दलहन और तिलहन की बात इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि नवम्बर और दिसम्बर तक नमी रहती है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे बीज की इज़ाद करावें कि जो जनपद ऊपर जाय।

कौन सा सीड स्टोर है, जिसमें गबन नहीं है। आप 2-4 साल बाद पकड़ते हैं, उसमें भी गवाही नहीं हो पाती है। जितने मुकदमे कोर्ट में भेजते हैं, सब बहाल हो जाते हैं। कोई ऐसा कदम उठायें कि कम से कम आपको घाटा न देना पड़े। वे तनख्वाह भी लेते हैं और आपके अधिकारियों के खिलाफ 'लाबीइंग' भी करते हैं।

हमारे जनपद में आई० आर० डी० स्कीम है, हालांकि आपसे मतलब नहीं है, फिर भी साल भर हो गया कोई ए० डी० एम० (प्रोजेक्ट) नहीं है। डी० पी० ओ० सारा काम देखता है। सारे मामले पड़े हुए हैं।

बस्ती के खाद के गोदामों में एक जोगिया गोदाम है। हर साल जब बाढ़ आती है तो उसका फायदा उठाकर यह कहते हैं कि खाद बह गयी, जबकि ऐसा होता नहीं है। इस प्रकार, हर साल बाढ़ के बाद ये 50-50, 60-60 हजार रुपये का घाटा दिखा देते हैं। इसकी जाँच होनी चाहिए। वर्ष 81-82 में बस्ती जिले के जितने फार्म हैं, सब में घाटा हुआ है डेढ़ लाख रु० का, इसका क्या कारण है। आप कल कहने लगे कि रीढ़ की हड्डी मजबूत है, मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें कैन्सर लग गया है।

अन्त में मैं एक शेर सुनाकर समाप्त करता हूँ—

इन अन्धी सुरंगों में बैठे हो, तो लगता है,
बाहर भी अंधेरों की बदशक्ल नकल होगी,
स्याही से उम्मीदों की तस्वीर बनाते हो,
गर खूँ से बनाओ तो तस्वीर असल होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[2 बज कर 10 मिनट]

श्री राम समुभावन—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया।

मा० कृषि मन्त्री जी ने जो कृषि का बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सब लोगों को मालूम है कि देश की आजादी के पहले क्या तरक्की थी कृषि की, खेती कितनी गिरी हुई थी, लेकिन आज देश की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए इस बात को मानने में कोई हिचक नहीं है कि कृषि में इतनी उन्नति हुई है कि देश के लोगों को भोजन मिल रहा है। उसके साथ ही साथ जो माननीय मंत्री जी द्वारा बजट पेश किया गया है, उसमें कृषि के लिए बीज, खाद, पानी तथा दवाओं आदि का प्रबन्ध किया गया है, जिससे कृषि में तेजी से प्रगति हो रही है, उसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि कृषि में उन नये-2 उन्नतशील तरीकों के अपनाने के साथ-साथ हमारे मा० सदस्यों का ध्यान चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के, इस बात पर कतई नहीं गया है कि खेतों में काम करने वाले खेतिहर मजदूरों की आज दशा क्या है, जो रात दिन मेहनत और मजदूरी करते हैं, जिन्हें किसान और मजदूर दोनों की ही सज़ा दी जाती है, जो बेचारे उसी में फंसे रहने के कारण कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, उनकी मजदूरी आज भी एक किलो गेहूँ है, वह उस एक किलो गेहूँ में खुद क्या खायेगा और अपने बच्चों को क्या खिलायेगा, उनके पास जमीन नहीं है और मजदूरी की यह स्थिति है, तो इनकी ओर आपको देखना होगा, इनकी खुशहाली को देखना होगा।

हालांकि सरकार की ओर से इनके रेट्स मजदूरी के बंधे हुए हैं 6,7 और 8 रु०, परन्तु आज तक इस बात का सर्वेक्षण कहीं पर नहीं कराया गया कि वास्तव में इन्हें यह मजदूरी मिलती भी है या नहीं, यहां पर इनकी हालत पर सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलने वाला है, वास्तविक रूप में कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। तभी इनकी स्थिति में सुधार आ सकता है।

और दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर कृषी के क्षेत्र में पूरी तरह से उन्नति करना चाहते हैं, तो इसके लिये पानी की व्यवस्था पर ध्यान देना होगा और इसके लिये बेहतर होगा यदि मा० कृषि मन्त्री को सिंचाई विभाग भी दे दिया जाए या सिंचाई मंत्री को कृषि विभाग दे दिया जाय। तब इस ओर उन्नति आशा के अनुकूल हो सकेगी।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सारे जौनपुर जिले में आलू और साग-सब्जी की पैदावार अच्छी होती है, लेकिन वहां पर कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण, वहां के लोगों को इस ओर अत्यन्त परेशानी है केवल एक सरकारी कोल्ड स्टोरेज है और कुछ प्राईवेट और इनकी भी सख्या बहुत कम है। और प्राईवेट कोल्ड स्टोरेजेज मे सबसे पहले यह बात कही जाती है कि जो आलू रखना है तो इतना-इतना पैसा पहले दो, इसलिये मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वहां पर और कोल्डस्टोरेज बनाये जायें और जहां तक मान्यवर, कीटनाशक दवाओं का प्रश्न है, उसमें बिचौलियों द्वारा वितरण न करायें क्योंकि वह उसमें बहुत मिलावट कर देते हैं, इसलिये पंचायतों द्वारा या सहकारी समितियों द्वारा इनका वितरण करायें तो ज्यादा उचित होगा।

मान्यवर, अन्त में मैं कहूँगा कि कृषि में प्रचार एवं प्रसार रेडियो द्वारा तो होता है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि मेले द्वारा या सिनेमा द्वारा इस पर प्रचार व प्रसार किया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि यह केवल शहरों में किया जा रहा होगा, परन्तु

देहातों में गांवों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, यदि यह व्यवस्था वहां हो जाय तो अधिक लाभकारी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

***श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—**

मान्यवर, इस जमाने में कृषि का आज बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसमें भाट कवि ने कहा है कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। आज हम आप देखें कि जो छोटे-छोटे किसान हैं, वह गांवों को छोड़-2 कर शहर में भाग-2 कर आ रहे हैं। और गांव का आदमी जब शहर की तरफ आता है तो वह एक दम पहचान लिया जाता है कि यह गांव से आ रहा है। और गांव के लोगों को वकील लोग, व्यापारी लोग, कर्मचारी लोग पहचान लेते हैं और सब उनको लूटते हैं और नौकरी तो उनको मिल नहीं पाती है, जो सुख सुविधा उनको मिलनी चाहिये, वह उनको नहीं मिल पाती है। माननीय सदस्य जो मुझसे पूर्व बोले उन्होंने कृषि के मजदूरों के बारे में कहा उसी के सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि खेती पढ़े-लिखे और बिना पढ़े-लिखे दोनों ही तरह के लोग कर रहे हैं इसलिये मेरा यह सुझाव है कि प्राईमरी से लेकर डिग्री कालेज तक कृषि विषय की शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिये।

पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहां मिर्च बहुत अच्छी पैदा होती है। लेकिन मिर्च का भाव जो है वह व्यापारियों के हाथ में होता है और वह किसानों को लूटते हैं, ठीक भाव नहीं देते हैं। गत वर्ष मिर्च की पैदावार में बहुत ही कम लाभ हुआ और इस तरह से काश्तकारों को कुछ उसका लाभ नहीं मिल सका, तो हमारी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है।

तीसरी बात खाद के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से जो खाद दी जा रही है उसमें इसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि किस मिट्टी में कौन सी खाद डाली जानी चाहिये। प्रसारकर्त्ता कहते हैं कि खाद ले लीजिये, लेकिन पर्वतीय आंचल में कोई रसायनिक खाद डालने के लिये तैयार नहीं होता है और जिन्होंने डाली भी है, मिर्च के खेतों में उस खाद का प्रयोग किया है तो जब मिर्च बड़ी हुई तो उसके पत्ते गिर गये, फलियाँ खराब हो गयीं।

पन्तनगर यूनीवर्सिटी पर्वतीय आँचल में है लेकिन उसने पर्वतीय आंचल के लिये कोई अच्छा बीज तैयार नहीं किया जो कि पर्वतीय क्षेत्र के लिये उपयुक्त हो, मैदानी क्षेत्र के लिये तो तमाम तरह के बीज हैं लेकिन—

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बिष्ट जी, अब आप बैठें, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मैं जल्दी-जल्दी अपनी बात कह रहा हूं, दस दो ही मिनट मुझे हुए हैं और आपने लाल बत्ती जला दी। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारी पन्तनगर यूनीवर्सिटी है आप उनको कहें, कल माननीय नेगी जी ने भी कहा था कि चम्बल के पास पन्तनगर यूनी-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्सिटी का काम्पलेक्स है । तो पर्वतीय आंचल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आप ऐसा बीज तैयार करायें जिससे कि वहाँ पर लाभ हो सके ।

एक बात और कि कृषि और सिंचाई जैसा कि और भी माननीय सदस्यों ने कहा जो कि फार्मिंग करते हैं, इन दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है, दोनों का घनिष्ठ लगाव है तो इन दोनों का एक ही मंत्रालय होना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

अजीब बात है, आप बात भी पूरी नहीं करने दे रहे ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें, आपका समय समाप्त हो गया, अब मैंने दूसरे सदस्य को बुला लिया है ।

श्री राम प्यारे पाण्डेय—

अधिष्ठाता जी, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि जो आज आपने प्रथम बार बोलने का अवसर दिया । कृषि मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और समर्थन करता हूँ ।

मान्यवर, कृषि विभाग ऐसा विभाग है जिसका सीधा सम्बन्ध इस प्रदेश की रहने वाली 86 प्रतिशत जनता से है, जो कि गाँव में निवास करती है । इतना ही नहीं मान्यवर, जो लोग गांव में निवास करते हैं उनकी मुख्य आय का स्रोत भी केवल कृषि ही है । हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने राम राज्य की कल्पना की थी । यदि उस कल्पना को साकार करना है तो निश्चित रूप से हमको इस कृषि विभाग को वरीयता देनी होगी और कृषि के सम्बन्ध में इसकी उन्नति के लिये जो भी साधन आवश्यक हों, वह जुटाने पड़ेंगे । मान्यवर, जहां तक इस विभाग का सम्बन्ध है जो वितरित साहित्य है उसके देखने से ऐसा पता चलता है कि उत्तरोत्तर कृषि की उपज में बराबर बढ़ोत्तरी होती चली गयी है । 1981-82 में 244.27 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का कीर्तिमान किया गया है । 1982-83 में 260 लाख टन होने की आशा है और इतनी ही नहीं सन 1983-84 में 274 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इन आँकड़ों से पता चलता है कि वास्तविक रूप से यह कृषि विभाग उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर चलता जा रहा है ।

मान्यवर, जहां तक कि अच्छी खेती का सवाल है उसके लिए तीन चीजों की प्रमुख रूप में आवश्यकता होती है एक तो प्रमाणित बीज दूसरा खाद और तीसरे पानी । जहाँ तक प्रमाणित बीज का सम्बन्ध है इस प्रमाणित बीज की उपज इतनी अधिक नहीं हो पायी है जो कृषि में लगे हुए लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कर सके । इसलिए मा० कृषि मंत्री जी से मेरा यह अनुरोध और सुझाव है कि जहां तक प्रमाणित बीज की उपलब्धता का प्रश्न है इसके लिए वह विशेष व्यवस्था का प्रश्न है हर जनपदों में लगभग 2-3 कृषि फार्म हैं । उन फार्मों के माध्यम से प्रमाणित बीज प्रचुर मात्रा में पैदा किया जा सकता है । इसके लिए विशेष ध्यान की आवश्यकता है ।

जहाँ तक खाद का प्रश्न है यह अक्सर देखा जाता है कि जो खाद बाजार में प्राइवेट डीलर्स बेचते हैं उसमें मिलावट पायी जाती है । इसलिए मेरा सुझाव है कि इस

बात को जहां तक खाद के प्रोडक्शन का सवाल है इसको स्टेट सेक्टर में लिया जाय। न कि प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट इण्डस्ट्रीज को लगाकर उत्पादन कराया जाय। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस बजट का समर्थन करता हूँ।

***श्री अकबाल हुसैन—**

मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती का समर्थन करता हूँ और उसका समर्थन करता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में इस विभाग में हमारे प्रदेश में खाद्यानों की उपज में कमी की है। सन् 80-81 में 247.48 लाख टन, 81-82 में 244.27 लाख टन तथा अगले वर्ष 260 लाख टन का लक्ष्य रखा है। 12 लाख टन का खरीफ की फसल में कमी आयी है। इसलिये 247 लाख टन अब पैदा होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो लक्ष्य रखा गया है वह कम रखा गया है। और उसको भी पूरा नहीं कर पाये हैं। पिछले साल 60 लाख टन चावल को रखा गया था वही इस साल है और अगले साल के लिए रखा गया है। इस प्रकार से हम निरन्तर कृषि उत्पादन की दिशा में पिछड़ते जा रहे हैं।

मान्यवर मैं दो चार सुझाव देना चाहता हूँ। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कम से कम आप अच्छे बीज किसानों को उपलब्ध करावें। तराई बीज निगम बीज देता है और वह 400 रु० प्रति कुन्टल लेता है, वह अच्छा बीज होता है आप उतना बीज नहीं पैदा कर पाते हैं। आप सस्ता बीज देते हैं लेकिन उतना बीज पैदा नहीं कर पाते हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से तराई बीज निगम किसानों को बीज देता है उसी तरह से बीज दें और उसे पैदा करवाये। इससे निश्चित रूप से बीज की समस्या का समाधान हो जायेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि उर्वरक के सम्बन्ध में जो आंकड़े माननीय मंत्री जी ने कल सदन में प्रस्तुत किए उसके अनुसार मात्र 14 किलो उर्वरक प्रति हेक्टेयर हमारे प्रदेश में इस्तैमाल किया जाता है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जब पूरे प्रदेश में उसका इस्तेमाल ही कम हो तो उसकी पैदावार में क्या बढ़ोत्तरी होगी। आप जो उर्वरक के लिये अनुदान देते हैं उसकी समय पर घोषणा भी नहीं करते हैं। पिछले दो सालों में आपने दिसम्बर से जनवरी तक सीमान्त लघु कृषकों को अनुदान देने की घोषणा की थी और वह भी कोआपरेटिव जैसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट से देने की बात कहा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अनुदान आप सभी कृषकों को दें। बोआई के समय आप घोषणा करें और उसके लिए पैसा दे दें। इससे किसान ज्यादा और अच्छे उर्वरक पैदा कर सकते हैं।

मान्यवर, धनियां और मसाले की बुआई के सम्बन्ध में आपने घोषणा की और ए० डी० एम० (पी० पी० ओ०) आपने ब्लौक स्तर पर पोस्ट कर दिये कीटनाशक दवाइयां आपने उन्हे उपलब्ध नहीं कराई। मैं निवेदन करूँगा कि आप ब्लौक स्तर पर दवायें कृषकों को उपलब्ध करायें ताकि इसमें जो रोग लग जाता है वह न लगने पाये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय हुकम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

***श्री शेर बहादुर—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कृषि जैसे महत्वपूर्ण बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, भारत कृषि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शेर बहादुर—]

प्रधान देश है। यह बात सभी जानते हैं कि कृषि ही यहाँ की रीढ़ है। यदि काश्तकारों का हतोत्साहन होगा, किसानों का हतोत्साहन होगा तो मान्यवर, इस देश और प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती है। मैं कृषि के लिये जो चार मुख्य आइटम्स हैं—खाद, बीज, भूमि और सिंचाई। दुर्भाग्य से इसके अलग-अलग विभाग हैं। सिंचाई विद्युत और कृषि ये तीनों विभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन तीनों विभागों को एक ही मंत्री के पास होना चाहिए। लेकिन आज ये तीनों विभाग अलग-अलग हैं जिससे व्यवधान पैदा होता है।

मान्यवर, जैसा कि हमारे माननीय हुकुम सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वे एक ऐसे जनपद से आये हैं, ऐसे क्षेत्र को रिप्रेजेन्ट करते हैं जो कि कृषि प्रधान क्षेत्र है। उनको कम से कम कृषि में कटौती का प्रस्ताव पेश नहीं करना चाहिये था, बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव पेश करना चाहिए था।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद फैजाबाद की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। वहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है, कुमारगंज में। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कृषि विश्वविद्यालय की शाखायें होनी चाहिए और उसके ट्रेनिंग सेन्टर्स भी होने चाहिए जहाँ कि कृषकों को ट्रेनिंग दी जा सके। साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि फसल की बोआई के पहले उसका रेट निश्चित हो जाना अत्यन्त आवश्यक है। जब किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा तो निश्चित रूप से उनकी तरक्की होगी और देश और प्रदेश खुशहाल होगा। मान्यवर, मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। गन्ने के हतोत्साहन के फलस्वरूप अगले वर्ष किसान गन्ना कम बोयेंगे। आप सब लोग काश्तकार हैं और जानते हैं कि हर आदमी अपनी खेती की प्लानिंग करता है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान सरकारी फार्म की तरफ ले जाना चाहता हूँ। आपका एक बरेली फार्म है आपके यहाँ फार्मों के कुछ नामंस फिक्स हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि बरेली फार्म का उत्पादन 4 क्विंटल प्रति एकड़ का एवरेज है। जहाँ पर हर साधन उपलब्ध हैं वहाँ इस तरह से उत्पादन हो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ और चाहता हूँ कि यह बजट सर्वतोन्मुखी हो किसानों का भला करने वाला हो उनको हतोत्साहित करने वाला यह नहीं है इसलिए इसकी प्रशंसा करना आवश्यक है।

*श्री हुकम सिंह—

मैं माननीय अधिष्ठाता जी सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारे कटौती प्रस्ताव के परिणामस्वरूप अपने बहुमूल्य सुझाव दिये, कुछ आलोचनायें भी की। मान्यवर, मैं चंद बातें कह कर समाप्त करूँगा। आलू के संबंध में माननीय सदस्यों ने चर्चा की और हमारे सम्मानित विधायक विमल प्रसाद तिवारी जी ने आलू नीति की प्रशंसा की। आलू की खेती के संबंध में मैं केवल एक बात कह कर समाप्त करूँगा। इस प्रदेश में तमाम भारत का 50 परसेंट आलू पैदा होता है उनकी कैफियत क्या है वह मैं बताना चाहता हूँ एक साल पहले भारत के कृषि मंत्री राव वीरेन्द्र सिंह ने खुद यह बात कही कि उत्तर प्रदेश का आलू जिस निम्न कोटि का है उसकी बिक्री होने का कोई प्रश्न नहीं होता। यह टिप्पणी भारत के कृषि मंत्री ने आपके आलू के लिए की (व्यवधान)। चौहान साहब आपके यहाँ के लोग कृषकों का प्रतिनिधि मंडल बना कर उनके पास गये थे और मांग की थी हमारा आलू बिकवा दें। तब यह बात कही थी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, एक सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूँ। आपके विभाग में फसल चक्र या फसल की प्लानिंग करने में कोई हस्तक्षेप नहीं है। बार बार माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि आप दाम तय कर दीजिये या कोई ऐसी नीति बना दीजिये जिसमें दाम तय हो जांय क्षेत्रफल तय हो जाय कि अमुक वर्ष में हम इतनी खेती करवाने जा रहे हैं। इस प्रकार की आपकी कोई नीति नहीं है और जो आंकड़े रखते हैं कि इतना गेहूँ पैदा करेंगे, इतना चावल पैदा करेंगे और इतना चना पैदा करेंगे उसका कोई आधार नहीं है क्योंकि आपके विभाग का और किसान का कोई तालमेल नहीं है। आंकड़े किस प्रकार आपका विभाग तैयार करता है इसका कोई आधार नहीं है।

मान्यवर, भंडारण व्यवस्था के बारे में बहुत सी बातें माननीय मंत्री जी ने कही लेकिन वह आज सुचारुरूप से नहीं चल रही है, उसकी उचित व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक उत्पादन जो आप कर रहे हैं वह कैसे ठीक रहेगा। भंडारण की व्यवस्था के लिए आपने बजट में क्या रखा है, वह मैं बताना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी जरा देखें यह आपने बीज भंडारण और वितरण योजना के लिए जिसमें विशेष रूप से बीज उत्पादन और उसके रखरखाव के बारे में व्यवस्था है उसमें आपने पिछले वर्ष से इस वर्ष दो लाख की कमी कर दी है पिछले वर्ष 82-83 में आपने 315 लाख का प्रावधान किया था और इस वर्ष आपने कुल 158 लाख किया है। इसी प्रकार कीटनाशक दवाओं के लिए योजनागत व्यय में 1982-83 में पुनरीक्षित 75 लाख था और इस वर्ष आपने जो लक्ष रखा है वह केवल 60 लाख का है। तो यह दो उदाहरण देकर मैं आपकी दिशाहीनता का उदाहरण आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि किस प्रकार आप कम धन से इन समस्याओं का समाधान कर सकेंगे।

मान्यवर, भ्रष्टाचार के संबंध में काफी मा० सदस्यों ने कहा लेकिन ज्यादा न कह कर मैं इस संबंध में एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ। कितने आपके बीजगोदाम हैं? किसके माध्यम से खाद का वितरण करते हैं? तो मैं बताना चाहता हूँ कि यह बीजगोदाम अड्डे बने हैं खाद में मिलावट के और खराब मिलावटी खाद का वितरण किसानों को किया जाता है और अच्छी खाद दूसरी जगह चली जाती है। इस संबंध में श्री बदन सिंह, को अकोला ब्लाक में डी० ए० पी० और एन० पी० खादों के बोरों की जगह 20 कट्टे पत्थर और बजरी से भरे उनको दिये गये, इसी तरह तमाम किसानों को मिलावटी खाद दी गयी। श्री बदन सिंह ने शिकायत किया और मंत्री जी को भी लिखकर दिया। इसके अलावा और भी शिकायतें की गयीं। शासन के अधिकारियों से कहा गया लेकिन आपने अभी तक क्या कार्यवाही किया, कुछ नहीं किया। इसलिये जब आपको शिकायत आयेगी तो मैं कैसे आशा करूँ कि आप उस पर कार्यवाही करेंगे।

मान्यवर, फसल बीमा के बारे में यहां बारबार जिक्र किया गया है और आश्वासन भी दिये गये, तो मैं जानना चाहूँगा कि जबकि सालों से यह समस्या चल रही है और शासन की तरफ से कहा जाता है कि विचार इसमें कर रहे हैं, तो उस विचार होने में यदि 10-20 साल लगते हैं तो इसकी कल्पना करना हम समाप्त करदें लेकिन यदि विचार होने में 3,4 और 6 महीने लगें तो ठीक है क्योंकि जब आदमी, मोटर, सामान आदि सभी चीजों का बीमा हो सकता है तो किसान की फसल का बीमा क्यों नहीं हो सकता। इसलिये मैं चाहुँगा कि विभाग इसमें अपनी नीति बताये।

मान्यवर, खाद में एक प्रश्न यहाँ किया गया था, बीजगोदाम फैजाबाद मंडल के बारे में तो उत्तर आया था कि अकेले फैजाबाद मंडल में 47 बीज गोदामों की सूची यहां दी गयी थी जिन पर 10-10 हजार रुपये से ज्यादा के गबन थे और यदि प्रदेश में

[श्री हुकमसिंह—]

सूची बनायें तो यह सैकड़ों में होगी। इसका कारण है कि उन बीजगोदामों का नियंत्रण आप अपने अधिकारियों को न देकर ब्लाक स्तर के अधिकारियों को दे दिया है, जिनकी उसमें रुचि नहीं है और न विभाग में रुचि है। इसलिये मैं चाहूँगा कि मंत्री जी इसपर ध्यान दें। इसके साथ ही साथ मैं यह भी पुनः कहना चाहता हूँ, जैसा कि कल कहा था, कि खाद में यदि आप मिलावट को रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले खाद का जो मिश्रण बनाता है उसके उत्पादन पर आप रोक लगा दें तो मिलावट से आप बच सकेंगे।

मान्यवर, पुनः मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि विभाग मे जब तक आप पुनर्गठन करके अपने विभाग को सुदृढ़ नहीं बनायेंगे और दूसरे के सहारे चलेंगे तो आपके विभाग की नीतियाँ किसानों तक नहीं पहुँच सकेंगी।

मान्यवर, मंडी समितियों में आपके विभाग के आदमी जाते हैं लेकिन प्रशासक केवल जो बाहर से आकर बैठे हैं उनकी क्वालीफिकेशन, नियम 59 में, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट का होना आवश्यक है, इसमें संशोधन होने की आशंका है, तो इस संशोधन को आप हटायें ताकि प्रशासक बड़ी बड़ी मंडियों में न बैठें और किसानों का न वह शोषण करें। इसलिये इस तरह से जो जाल आपका चारों तरफ प्रशासनिक अधिकारियों ने फैला दिया है, उसमें निवेदन है कि आप अपने विभाग पर पकड़ तभी मजबूत रख सकेंगे जबकि आपका विभाग पर नियंत्रण रहे।

अब मैं एक बात खाद के बिक्रीकर के बारे में कहना चाहता हूँ। खाद के ऊपर बिक्रीकर क्या किसी और प्रदेश में भी है? मंत्री जी तो इसके काफी जानकार हैं, हरियाणा और पंजाब आपके वार्डर पर हैं····

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

आप से कम जानकार हूँ

श्री हुकम सिंह—

इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

दोनों सीमान्त जिले के हैं, आपस में धींगामुश्ती कर लें।

श्री हुकम सिंह—

दो आश्वासन बार बार इस विभाग की ओर से सदन में दिये गये हैं, एक तो इन के पहले के मंत्री बलरामसिंह यादव ने दिया था और उससे पहले जनता पार्टी के शासन-काल में दिया गया था, जब आप इधर बैठते थे, कि कृषि विभाग को टेकनिकल विभाग घोषित करने की आपकी योजना है। मेरी समझ में नहीं आता है कि उसको टेकनिकल विभाग घोषित करने की दिशा में आपके सामने क्या रुकावट है, जो उसे आप अब तक नहीं कर पायेंगे। एक ही परेशानी समझ में आती है कि टेकनिकल विभाग होने से यदि उसमें टेकनिकली क्वालीफाईड लोग आने लगेंगे तो सामान्य प्रशासन के अधिकारी आकर उस पर अपना सिक्का नहीं जमा सकेंगे। वह सोचते हैं कि ऐसे चलने दिया जाए जिससे वह बराबर उस पर अपना हक जमाते रहें। नीति रूप में सरकार ने इसको स्वीकार किया था, लेकिन एक जी. ओ. नहीं निकला है और वह कारण आप भी जानते हैं। जब तक आप

प्रभावी तरीके से उसको जारी नहीं करेंगे, ऊपर बैठे हुए अधिकारी उसको जारी नहीं होने देंगे...

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री हुकम सिंह—

भ्रष्टाचार के बारे में, एक अधिकारी के बारे में इसको लेकर बार-बार कहा गया है और चौहान साहब ने भी कहा, कोई ब्रह्मानन्द हैं, उनके बारे में कहा है। करीब-करीब 20.25 लाख रुपये के गबन का मामला उनके खिलाफ चल रहा है और चलने वाला मामला है, बहुत बड़ा ज्ञापन भ्रष्टाचार की कहानियों का आपके पास गया, साल डेढ़ साल हो गये, लेकिन उसकी जांच हेतु या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने के लिए कोई कदम अब तक नहीं उठाया गया है। इसके बावजूद कि आपके विभाग के एक अधिकारी ने उसके खिलाफ जांच करके रिपोर्ट भी दी है, लेकिन वह रिपोर्ट दबा ली गई। इसके साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

***श्री यशपाल सिंह—**

मान्यवर, मैं आभार प्रकट करता हूँ आपने उन सभी सम्मानित सदस्यों का, जिन्होंने इस बजट भाषण में अपने विचार व्यक्त किये। उनमें से कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए, कुछ ने अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को भी रखा है, इसके अतिरिक्त भी कुछ और सुझाव आए, जो सहानुभूतिपूर्वक विचार करने लायक हैं। मैं उनके डिटेल में न जाकर इतना ही कहना चाहूँगा कि इन सब सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और उनके संबंध में कदम उठाने का प्रयास किया जाएगा।

मान्यवर, जब कल यह चर्चा हो रही थी, कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सज्जन श्री हुकमसिंह ने विश्वविद्यालयों के संबंध में और विशेष रूप से हमारे पन्तनगर विश्वविद्यालय की चर्चा की है। इसके अलावा हमारे रियासत साहब ने बीज के बारे में चर्चा की कि अब तक कृषि विश्वविद्यालयों से इस तरह के सर्वोत्तम बीज नहीं आए हैं, जो हर तरह से अच्छी वैरायटी के हों, जो नरमारोजा और एस-227 को रिप्लेस कर सकें। वह रिप्लेसमेंट का क्या अर्थ लेते हैं। बहरहाल उसी वक्त से विश्वविद्यालयों में रिसर्च हो रही है, उनके आधार पर मैं समझता हूँ इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हरित क्रान्ति आई है। और मान्यवर, मैं अपने कृषि विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त हरियाणा और लुधियाना में भी गया, जहाँ मुझे कोई विशेष प्रगति उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिकों के मुकाबले में नजर नहीं आई। इतनी बात अवश्य है कि कोई विश्वविद्यालय किन्हीं वैरायटीज में आगे है और दूसरा विश्वविद्यालय किन्हीं दूसरी वैरायटीज में आगे है। हमारा उत्तर प्रदेश इन विश्वविद्यालयों की अपेक्षा पीछे नहीं है। मान्यवर, मैं वर्ष 1982-83 में प्रदेश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में जो नयी नयी वेराइटीज बीज की खोज करके निकाली हैं, मैं कुछ बतलाना चाहता हूँ। कृषि विश्वविद्यालय पंत नगर में मक्का की एक वेराइटी है डी-771 (कंचन)। यह 70-80 दिन में तैयार होती है और प्रति हेक्टर इसकी पैदावार 30-32 क्विन्टल तक है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये है और इसमें ब्राऊन स्ट्रिप एवं डाऊनीमिल ड्यू की बीमारी लगने का भी खतरा नहीं है। एक सोयाबीन की है पी०के०-262,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री यशपाल सिंह—]

यह 115-120 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार 20-25 है। धान की एक वेराइटी है यू० पी० आर० 81-1-7 (गोविन्द)।

यह 105-110 दिन में तैयार होती है और इसकी पैदावार 30-35 है। मूंग की एक वेराइटी है पन्त मूंग-1, यू० पी० एस० 79-1-1, यह 70-80 दिन में तैयार होती है और इसकी ईल्ड 8-10 तक है। मूंग की एक और वेराइटी है पन्त मूंग-2, यह 60-70 दिन में तैयार होती है, और इसका भी उत्पादन है 8-10 क्विन्टल प्रति हेक्टेयर। गेहूँ की एक वेराइटी है ए०एच०-86, यह 170-178 दिनों में तैयार होती है, इसका उत्पादन है 40-41 क्विन्टल। एक और वेराइटी गेहूँ की है राज-1555, यह 120-125 दिन में तैयार हो जाता है, इसकी पैदावार भी 40 क्विन्टल प्रति हेक्टेयर की है। चने की एक वेराइटी है जी- 14, यह 150-155 दिनों में तैयार होता है, 30-32 क्विन्टल तक यह पैदा होता है और यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में बोया जा सकता है कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद, ने धान की एक वेराइटी निकाली है जिसका नाम है नरेन्द्र-2, यह 115 दिन में तैयार होता है और इसका उत्पादन प्रति हेक्टैयर 40-50 क्विन्टल है।

कानपुर कृषि विश्वविद्यालय ने मटर की एक वेराइटी निकाली है जिसका नाम है—रचना, यह 130-135 दिन में तैयार होता है और 20-25 क्विन्टल तक की इसकी पैदावार है। यह मुख्य-मुख्य वेराइटीज मैंने आपको बतलायी हैं।

इस प्रकार इन खोजों से हमारे कृषकों को उन्नति करने का काफी अवसर प्राप्त हो सकेगा। (व्यवधान)

कल एक सम्मानित सदस्य श्री हुकमसिंह ने बड़े जोर-शोर से यह बात कही कि पंतनगर विश्वविद्यालय के कृषि कामर्शियल फार्म पर लास हो रहा है और वह बराबर लास में रन कर रहा है। मान्यवर, इसका अगर पिछला इतिहास देखा जाय तो पता चलेगा कि यह पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय अपने प्रदेश और देश का ही नहीं, वरन् एशिया भर अपना एक स्थान रखता था, मगर उसको ध्वस्त करने वाले वही लोक दल वाले हैं, कोई दूसरा नहीं है...

(सत्ता पक्ष से मेजों की थपथपाहट एवं व्यवधान)

इस प्रदेश की जनता उसके लिये कभी इनको बख्शने वाली नहीं है।

(शोर-व्यवधान)

सन् 1980 के पश्चात् जो विश्वविद्यालय का कामर्शियल फार्म है....उसमें...

(व्यवधान)

मान्यवर, पंतनगर विश्वविद्यालय ने वर्ष 1982-83 में 412.84 लाख रुपये का प्रोफिट किया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग आपस में बातें न करें। माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। (श्री कुबेर भण्डारी के खड़े होने पर) माननीय भण्डारी जी, अगर माननीय मंत्री जी नहीं बैठते हैं, तो आप क्यों खड़े हुए हैं ?

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर कुछ कहने लगे जो सुनाई नहीं पड़ा ।)

आप लोग बैठें । आप लोग अव्यवस्था क्यों कर रहे हैं, जब माननीय मंत्री जी नहीं बैठना चाहते हैं, तो आप लोग क्यों खड़े हुऐ हैं ?

श्री धरमपाल —

मान्यवर, माननीय भण्डारी खुद भूमिहीन हैं, वह क्या बोलेंगे ? इनको कांग्रेस के जमाने में जो पट्टा हुआ था, वह भी माननीय मोहन सिंह ने जुतवा लिया ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर कुछ कहने लगे, जो सुनाई नहीं पड़ा ।)

(व्यवधान)

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ओझा जी ने एक सुझाव दिया था कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वर्ग 3 में कुछ रिजर्वेशन होना चाहिए । मान्यवर, कृषि विभाग ने अपनी रिकमें-डेशन करके, वित्त विभाग से अप्रूव होकर 15 प्रतिशत रिजर्वेशन के लिए मंत्री परिषद् में वह नीट जा रहा है । मान्यवर, माननीय राम स्वरूप वर्मा ने एक सुझाव दिया कि बोन मील का निर्यात बन्द कर दीजिए और ह्यूमस को कायम रखने के लिए भूमि में ह्यूमस को कोई मदद नहीं मिलती, उसके स्थान पर कंपोस्ट और हरी खाद का प्रयोग ज्यादा लाभकारी है और खली की खाद मंहगी है । मान्यवर, औगल तो मुझे यह सुनकर अफसोस हुआ, बोन मील के जरिये जमीन में कुछ ह्यूमस या जैविक शक्ति का कुछ लाभ हो सकता है । श्रीमन्, बोन मील के मुकाबिले और भी खाद हैं, हरी खाद है, कम्पोस्ट खाद है जो बहुत कम कीमत में पैदा हो सकती है । बोन मील में कौन सी ऐसी बात है ?

(व्यवधान)

अगर उसको ह्यूमस के लिए प्रयोग किया जाय या जैविक शक्ति के लिए वह अपनी राय देते तो मुझे कुछ मदद मिलती । मेरे विचार से ह्यूमस के लिए हरी खाद और कम्पोस्ट खाद लाभकारी है । मान्यवर, एक खली के बारे में उन्होंने कहा, मान्यवर, खली कुछ कास्तकार ही इस्तेमाल कर सकेगा । उसकी इतनी हाई कास्ट है कि उसको कोई किसान इस्तेमाल नहीं कर सकेगा । एक बहुत जोर-शोर से, एक यह मांग आ रही है कि यह खादों में, फर्टिलाइजर्स में, अगर मिश्रण को बन्द करना है, या उसमें बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को बन्द करना है, तो उसके ऊपर पाबन्दी लगानी चाहिए । यह जो मिक्सचर करने की इजाजत मिली हुई है, इसी में ज्यादा भ्रष्टाचार है । उस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ और उसके लिए केन्द्रीय सरकार से बातचीत करके उस बात को प्रेस किया, क्योंकि सेन्ट्रल फर्टिलाइजर ऐक्ट के तहत है, इसलिए मैंने सरकार से बातचीत किया कि वह इसमें मिक्सचर बन्द कर दें ।

श्री हुकम सिंह —

लाइसेंस देने में रोक लगा सकते हैं ।

श्री यशपाल सिंह —

मान्यवर, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि वकील होते हुये एक वकील की बात नहीं कर सकते । सेंट्रल फर्टिलाइजर एक्ट को पढ़ें, इनको मालूम होना चाहिये कि अगर कोई हमारे यहाँ एप्लाई करता है तो हम इंकार नहीं कर सकते हैं ।

श्री हुकम सिंह —

लाइसेंस देने को मना नहीं कर सकते यह मोटी बुद्धि की बात आप कह रहे हैं ।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने····

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, हुकम सिंह वकील चकबंदी के थे उनको ज्यादा नहीं मालूम है ।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने सूबे की पैदावार के आंकड़े दिये और कहा कि कृषि विभाग को क्या श्रेय है, अगर है तो कृषक को है, जिसने खाद डाली, पानी दिया, हल चलाया और पैदावार हो गयी । इस काम को किसानों को करना ही करना है । मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सन् 47 के पहले क्या पैदावार थी और आज क्या पैदावार है । मैं इस सदन के समक्ष अपने देश के और प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अधिकारियों के मुताबिक कहना चाहता हूँ कि इस देश और प्रदेश में हरित क्रांति लाने का श्रेय काश्तकारों के साथ उनको भी है । उन्होंने हाई यील्डिग वैराइटीज निकाल कर पैदावार बढ़ायी है और कृषि का ज्ञान हमारे कृषकों को देकर कृषकों की भारी सेवा की है । मैं उनको श्रेय देता हूँ ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी आप कितना समय लेंगे । परिवहन विभाग का भी बजट पेश होना है ।

श्री यशपाल सिंह—

काफी समय चाहूँगा । 15 मिनट दे दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

आप 5 मिनट में समाप्त करें क्योंकि परिवहन का बजट पेश होगा और आज ही उस पर वोटिंग होगी ।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, एक बात सम्मानित सदस्य ने कही कि लगभग 25 हजार के करीब फौज है । दूसरी तरफ आप कहते हैं कि विलेज लेविल पर कोई वर्कर नहीं है । आप संख्या को अधिक कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप इत्तफाक करते हैं कि विलेज लेविल पर वर्कर नहीं हैं । हमारा जो वर्कर था उसने हमारे काम में रुचि लेना कम कर दिया है, इसके बारे में जो सम्मानित सदस्य को चिन्ता है तो शासन को भी पूरी चिन्ता है । बिल्कुल इसके ऊपर गंभीरता पूर्व विचार करके अपने पास जो संशोधन हैं, उसी के अनुरूप इन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों से काम लेंगे और अपनी कृषि तकनीक को किसानों तक भेजेंगे यह हमारा निश्चय है ।

एक बात की ओर मैं सम्मानित सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिन अधिकारियों की कमी की तरफ इन्होंने ध्यान दिलाया है, गजेटेड अफसरों की कमी बताई है, तो इनकी कमी के कारण, मौसम की खराबी के कारण, चाहे वह फ्लड हो, चाहे खुश्की हो, फिर भी हमारे प्रदेश की पैदावार बढ़ी है और देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में हमारी प्रगति कम नहीं है। तो फिर यह कृषि विभाग श्रेय का पात्र क्यों नहीं है ?

एक सदस्य—

कागजी बातें कह रहे हैं।

श्री यशपाल सिंह—

मुझे कागजी बातें कहनी नहीं आती। एक बात सम्मानित सदस्य से कहना चाहता हूँ कि राज्य ऐसे हैं कि जहाँ कृषि अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या 400 से लेकर 800 परिवारों पर केवल एक कर्मचारी आती है, जबकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 4000 परिवारों के पीछे एक कर्मचारी है, इसके बावजूद भी हमारी पैदावार बराबर बढ़ती जा रही है।

एक बात माननीय रियासत साहब ने कही, सही बात कही कि प्रति हेक्टयर पैदावार, अन्य प्रदेशों के मुकाबले में, अभी उतनी नहीं हो पायी है, उसको मैं तसलीम करता हूँ। लेकिन मान्यवर प्रति हेक्टयर पैदावार हमारी बराबर बढ़ती जा रही है, वह निश्चित तौर पर बढ़ रही है और आगे भी हम उसे बढ़ायेंगे। हमने एक प्लानिंग की, हमारी जो प्लानिंग है, जिसके बारे में हमारे विद्वान सदस्य हुकम सिंह निराशावादी हैं, मैं उसमें उतना ही आशावादी हूँ। मैंने आदेश दिये हैं कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, वैज्ञानिक और कृषि अधिकारियों को कि वे जिलों-जिलों में, बेकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, उनमें कृषि वैज्ञानिक और हमारे कृषि अधिकारियों की टीम्स जायं, और वहाँ कृषि की आधुनिक तकनीक, वर्तमान प्रजातियाँ जो हैं, उसके ज्ञान से कृषकों को अवगत करायें, ताकि हमारी पैदावार बढ़ सके। मुझे यकीन है, पूरा विश्वास है कि हम निश्चित तौर से उसमें आगे बढ़ेंगे।

एक सदस्य—

पैदावार बढ़ रही है, या कम हो रही है।

श्री यशपाल सिंह—

पढ़कर आते नहीं, पढ़ते हैं नहीं, बढ़ती हुई पैदावार को कम बतला रहे हैं, मेरे पास वक्त होता, तो मैं इसे आंकड़ों से सिद्ध करता। एक सुझाव माननीय सदस्य ने और दिया था कि मण्डी स्थलों में सर्विस सेन्टर्स की स्थापना का, तो क्या वहाँ पर लोहार की दुकान बनायी जाय, क्या मतलब है इनका। लेकिन सर्विस सेन्टर्स के बावत शासन ने पहले ही प्राविजन किया है कि जो इनपुट्स के सामान हैं, कृषि इनपुट्स के सामान हैं, उनकी दुकानें वहाँ पर बने, ताकि वहाँ आने वाले किसानों की फर्टिलाइजर, पेस्टीसाइट्स आदि की जो उनकी आवश्यकतायें हैं, वे पूरी हो सकें, वे उन्हें उपलब्ध हो सके।

मान्यवर, एक बात व्यक्तिगत तौर से कहना चाहता हूँ। सम्मानित सदस्य बराबर कहते रहे कि साहब आपका इस्तीफा हो गया था, उसके बाद आप मंत्रिमंडल में कैसे आ गये ? उसके बारे में इनके नेता राजेन्द्र जी ने, अपनी चर्चा में, जिस वक्त यह कटौती का

[श्री यशपाल सिंह—]

प्रस्ताव हुआ था, एक प्रश्न उठाया इस सम्मानित सदन में नश्तर साहब और यशपाल सिंह के खिलाफ ।

मान्यवर, मैं आज लोकदल के सदस्यों के सामने खासतौर से, अपने तमाम अपोजिशन के सम्मानित सदस्यों के सामने और इसी प्रकार से अपने सम्मानित सदस्यों के सामने एवं इस सम्मानित सदन के द्वारा इस प्रदेश की जनता को ही नहीं पूरे भारतवर्ष की जनता से एक बात कह देना चाहता हूँ कि अगर यशपाल, यशपाल के परिवार का करेक्टर, परसनल करेक्टर, या उसकी इन्टीग्रेटी, मैंने परिवार शब्द का इस्तेमाल किया है, इनके नेता चौधरी चरण सिंह से कम किसी वक्त में हो जाय, तो मैं इस्तीफा देकर चला जाऊँगा ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री हुकम सिंह—

यह इस प्रकार का पाखंड कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें ।

श्री यशपाल सिंह—

इसके लिए मैं तो निश्चित तौर पर इनके नेता चौधरी चरण सिंह को इस मामले में जज मुकर्रर करता हूँ । अगर वह यह कह दे कि इनकी इन्टीग्रीटि डाउटफुल है, तो मैं इस्तीफा दे दूँगा ।

(घोर व्यवधान)

(श्री हुकम सिंह द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी, आप बैठे व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मंत्री जी पर किसी सम्मानित सदस्य ने आरोप लगाया था तो उसका उत्तर देते, स्पष्टीकरण दे देते, कोई जाँच कमेटी बैठाते, लेकिन सम्मानित चौधरी साहब इस सदन के मेम्बर नहीं है····

श्री प्रमोद कुमार—

सम्मानित नहीं है ।

श्री हुकम सिंह—

अरे तिवारी जी, आपका भी यही स्तर हो गया । मंत्री जी अपनी तुलना हमसे सरदार सिंह से राजेन्द्र सिंह से कर सकते थे लेकिन हमारे सम्मानित नेता चौधरी साहब से अपनी तुलना करके उनको अपने साथ घसीटने की कोशिश की है । इस अंश को कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें आक्षेप नहीं है। देख लिया जायेगा आक्षेप होगा तो निकाल दिया जायगा।

(घोर व्यवधान)

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, जैसा हुकम सिंह ने कहा कि मैंने घसीटा है, तो मैंने घसीटा नहीं है और न अपमानजनक शब्द कहे हैं। मैंने केवल इतना कहा है कि मैं और मेरा परिवार परसनल कैरेक्टर और इन्टीग्रिटी के मामले में चौधरी साहब से कम नहीं है। दूसरी बात मैंने यह कही कि मैं आपके नेता पर विश्वास करता हूँ, आप उनसे पूछ लीजिये, अगर वह गलत भी कहलवा देंगे कि यशपाल सिंह की इन्टेग्रीटी डाउटफुल है, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूँगा और घर बैठ जाऊँगा। माननीय हुकम सिंह ने एक बात बहुत कही कि मुझे केवल एक बात कहनी आती है दूसरी बात आती ही नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ 27 अगस्त····

श्री अधिष्ठाता —

माननीय मंत्री जी आप सुन लें। परिवहन का बजट पेश होना है और आज ही पास होना है।

(व्यवधान)

श्री यशपाल सिंह—

2 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप प्रोसीडिंग को देखें मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने डिसकशन में किसी बात को पर्सनल नहीं बनानी चाहिये।

दूसरे मान्यवर एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ—

मत छेड़ मुसाफिर को निदामत होगी,
हिफ्ज ये सारा ही कुरान किये बैठे हैं।

मैं जानता हूँ राजनीतिक स्थिति को और माननीय सदस्य कितने उसूल के हैं, यह भी जानता हूँ। अतः मैं ज्यादा न कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ और माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वे इस बजट को सर्वसम्मति से पास करने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9--कृषि विभाग (औद्योनिक विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपथिस्त किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9-कृषि विभाग (औद्योनिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए

[श्री अधिष्ठाता—]

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,35,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10--कृषि विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10-कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 73,81,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[तीन बज कर 22 मिनट]

अनुदान संख्या 31--परिवहन विभाग

***परिवहन मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—**

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31-परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,62,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, परिवहन की, जैसे मनुष्य को अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है, उसी तरहसे आज इंसान को परिवहन की भी आवश्यकता है और इसकी बहुत माँग रही है कि बस मिल जाय, कार मिल जाय, तो उससे आसानी से सफर हो जाय । एक वक्त ऐसा था जिस वक्त परिवहन की व्यवस्था नहीं थी । लोग पैदल चलते थे, बैलगाड़ियों से चलते थे और अपना काम करते थे लेकिन आज दुनियाँ धीरे-धीरे तरक्की करती जा रही है । 1955 से पहले इस भाग की व्यवस्था को पुलिस प्रशासन करता था । परिवहन विभाग के नाम की कोई चीज नहीं थी लेकिन उसके बाद 1947 में यह परिवहन विभाग बना और परिवहन विभाग ने उसी जमाने से यहाँ जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, उन पर बसों का संचालन प्रारम्भ किया । 1972 में यह दो हिस्सों में बँट गया—एक तो परिवहन विभाग है जिसका संगठन परिवहन आयुक्त से लेकर क्षेत्रीय अधिकारी तक और जो दूसरा और दूसरा परिवहन निगम का संगठन किया गया । निगम स्वायत्तशासी संस्था है । उसका बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स है । वह अपना फैसला अपने आप लेते हैं । उन फैसलों के मुताबिक निगम का काम चल रहा है । मैं माननीय सदन में यह बात साफ-साफ रखना चाहता हूँ कि वर्ष 1945 में भारतीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मोटरगाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 133-ए के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में पृथक रूप से परिवहन विभाग की स्थापना की गयी थी। उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के क्रियान्वयन हेतु व्यावसायिक वाहनों के संचालन को नियमित करने हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं संभागीय परिवहन प्राधिकरणों का गठन किया गया। जो लोगों को मोटर का परमिट देता है। एक तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी है दूसरे प्राधिकरण है जिसको आर० टी० ए० कहते हैं। परिवहन विभाग का कार्य संचालन जिस तरह से होता है उससे यह लगता है कि यह विभाग अच्छा कार्य कर रहा है। (एक सदस्य के कुछ कहने पर) सुन लीजिये। क्या कह रहा हूँ। सुन लें उसके बाद कहें। इन आंकड़ों से आपको ठीक अन्दाजा लग जायेगा कि मेरी बात कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। अप्रैल से दिसम्बर 1981 तक जो पथकर, मालकर, यात्रीकर लगे हैं उनकी आमदनी कितनी हुई यह मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। अप्रैल से दिसम्बर 81 तक 61,31,33,865 की आमदनी हुई है। 82 में 72,44,03,958 की आमदनी हुई है। इसमें पथकर, मालकर, यात्रीकर सम्मिलित है। इससे यह लगता है कि 18 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह सही है कि गत वर्ष 27 प्रतिशत की आमदनी हुई थी लेकिन इस वर्ष 18 प्रतिशत हुई है।

मान्यवर, एक बात और मैं कहना उचित समझता हूँ कि परिवहन विभाग में सचल परिवर्तन दल है जो अनधिकृत गाड़ियों को चैक करता है। 57 परिवर्तन दल हैं जिन्हें चेकिंग इस्क्वैड कहते हैं। यह परिवर्तन दल इस प्रदेश में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। 1981-82 में 93,516 गाड़ियों को चेक किया। 1982-83 में 73,848 को चेक किया। यह मैं जनवरी, 1983 तक का आँकड़ा बता रहा हूँ। यह इस दल की कारगुजारी है।

दूसरी बात जो मोटरों से या बसों से दुर्घटनायें होती हैं उनमें भी इसका कार्य बड़ा प्रशंसनीय रहा है। जो उससे आहत हो जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको 15 हजार रुपया मृतक को दिया जाता है। जो कुचल कर या किसी और तरीके से आहत होते हैं उनको भी विभाग कम्पेन्सेशन देता है।

मान्यवर उ० प्र० परिवहन निगम जिसका मैं उल्लेख कर रहा था, वह प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। इस समय यह निगम 6000 के बस बेड़े को संचालित कर रहा है जिसमें से दो हजार कुछ बसें आफ-रोड हो गयी हैं तथा 4 हजार कुछ बसें चल रही हैं। जो बसें आफ-रोड हो गई हैं उन्होंने 4 लाख 80 हजार किलोमीटर पूरा कर लिया है।

मान्यवर, 1980 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी बैठायी थी, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 3 लाख 80 हजार से ज्यादा बसे नहीं चलनी चाहिए, लेकिन उ० प्र० परिवहन निगम ने 4 लाख 80 हजार किलोमीटर तक अपनी गाड़ियों को चलाया है। हमारे प्रदेश में पक्की सड़कें 63,800 कि० मी० की हैं इसमें से 22,116 कि० मी० पर हमारी परिवहन की गाड़ियाँ चलती हैं और इसके अतिरिक्त इस प्रदेश में 9000 प्राइवेट गाड़ियाँ हैं जो मुसाफिरों को ढोती हैं जिनका रिकार्ड है, वैसे यह अनधिकृत और भी हो सकती हैं।

मान्यवर, एक खुशी की बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। गतवर्ष एशियाड में जो खेल दिल्ली में हुए थे, उसमें बाहर से, विदेशों से खिलाड़ी सम्मिलित हुए थे, उस समय हमसे 200 गाड़ियों की माँग की गयी और हमने 200 गाड़ियाँ दिल्ली भेजी। और वहाँ पर उन गाड़ियों ने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ से इनको प्रशंसा पत्र भी मिला, दिल्ली डी० टी० सी० ने भी इनको प्रशंसा पत्र दिया तथा इस काम में लगे जो इंचार्ज थे उन्होंने भी इसकी बड़ी प्रशंसा की।

[श्री अधिष्ठाता—]

तो मान्यवर, यह एक बड़ी प्रसन्नता की बात है। यह अलग बात है कि हमें वहाँ पर घाटा हुआ लेकिन हमारी गाड़ियों ने अच्छी सेवा की है, हमारे ड्राइवर और कन्डक्टर्स ने वहाँ पर बहुत अच्छा कार्य किया है। इनकी प्रशंसा करने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है।

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी बतायें कि जो गाड़ियाँ दिल्ली भेजी गयी थीं, वे पुरानी थीं या नयी गाड़ियाँ थीं।

श्री अधिष्ठाता—

आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया है, कृपया आप बैठें।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, मेलों के दौरान ये गाड़ियाँ बहुत काम करती हैं। मान्यवर, आपतो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, जो माघ का मेला वहाँ पर होता है या कभी कभी जो कुम्भ का मेला वहाँ पर होता है तो जो ये परिवहन की गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती हैं। मान्यवर, मैं देवाशरीफ के मेले पर वहाँ गया था। यह न समझकर कि मैं एक मंत्री हूँ। मैंने वहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने इन गाड़ियों की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि बहुँत अच्छा काम हो रहा है।

मान्यवर, जो वीक प्वाइन्ट हैं उन पहलुओं को भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ।

श्री मुख्तार अनीस—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी दूसरों से बात करके बाधा पहुँचा रहे हैं सदन की कार्यवाही में।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

कृपया आप लोग मेरी बात को सुनने की कृपा करें। मान्यवर, 1980-81 में इस निगम को 99 करोड़ 31 लाख की आय हुई थी और 101 करोड़ 96 लाख रुपये का खर्चा हुआ। इस तरह से 9 करोड़ 35 लाख का हमें उस समय घाटा हो गया। 1981-82 में 111 करोड़ 41 लाख की आमदनी हुई और 114 करोड़ 90 लाख रुपये का हमारा खर्चा हुआ। इस तरह से 2 करोड़ 68 लाख की हमें हानि रही। इसी तरह से आप देखेंगे 82-83 में अप्रैल से जनवरी तक 92 करोड़ 78 लाख की आमदनी हुई और 100 करोड़ 16 लाख खर्चा हुआ, 7 करोड़ 38 लाख की हमको हानि हुई। मैंने यह पिक्चर आपके सामने रख दी···

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग मा० मंत्री जी को बोलने दें।

श्री मुख्तार अनीस—

मंत्री जी के बोलने की तो सीमा होगी, सारी बातें उन्होंने बता दीं···

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें ।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

आन्ध्र प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इनकी भी पोजीशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ । 80-81 में आन्ध्र प्रदेश में परिवहन को 20 करोड़ 55 लाख की हानि हुई, 1981-82 में 12 करोड़ 55 लाख की हानि हुई । महाराष्ट्र में····

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

महाराष्ट्र की सरकार [×] हो जाय तो क्या करें ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें ।

(घोर व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह आदरणीय सदन घाटे ही घाटे की बात सुनकर अव्यवस्थित हो रहा है । मैं चाहता हूँ कि कुछ नफे की बात करें, जिससे व्यवस्थित हो ।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता । आप बैठें ।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

हमारी अच्छी बात से तो आप नाराज हैं, खराब बात से भी नाराज है, यह कोई अच्छी बात नहीं है ।

तो मैं बता रहा था गुजरात में 80-81 में 22 करोड़ 24 लाख का घाटा रहा । इस समय 43 करोड़ 33 लाख का घाटा है । महाराष्ट्र एक अच्छी स्टेट है । उसको सन् 80-81 में 37 करोड़ 53 लाख का घाटा हुआ, आज 23 लाख 79 हजार का घाटा है । कर्नाटक में 80-81 में 10 करोड़ 96 लाख का घाटा था और इस समय 7 करोड़ 82 लाख का घाटा है । हमारी और कर्नाटक की स्थिति करीब-करीब बराबर है, यह मैं कहना चाहता हूं ।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं, वह बात इनके सामने कह दें । सब स्तरों पर कर्मचारियों की नियुक्ति रोक दी गयी है, निगम के अधिकारियों की प्रति माह निगम की बसों मे यात्रा निर्धारित कर दी गयी है । शिकालत यह थी कि जितने चाहते हैं पूरी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं, अब वह निश्चित कर दिया गया है, एक आदमी एक या दो ले जा सकता है ।

नोट—[×] अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है ।

[श्री बल्देव सिंह आर्य—]

दूसरे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो बसें सड़क पर नहीं चल रही हैं, उनके मूल्यांकन के लिए एक विशेषज्ञों की कमेटी बना दी गयी है, और जितनी बसों की मरम्मत हो सकती है, वह हो जायेगी और जिनकी मरम्मत नहीं हो सकती है, उनका आक्शन कर दिया जायेगा। और मान्यवर, यहाँ पर एक उच्च स्तरीय समिति है जो समीक्षा करती है कि कहाँ पर किस बात की कमी है और उसके मुताबिक अधिकारियों को इस समिति द्वारा हिदायतें दी जाती रहती हैं, तथा केन्द्रीय कार्यशाला की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है और इस पर जो हमको धन मिला है, उससे हमने दो सौ सत्ताईस बसें खरीदी हैं और योजना आयोग ने जो हमारे लिए तय किया है कि जीवन बीमा निगम से 1 करोड़ 82 लाख, बाजार से एक करोड़ 19 लाख, राज्य सरकार का अंशदान 5 करोड़, केन्द्र सरकार का अंशदान 5 करोड़ 28 लाख (व्यवधान) तथा 13 करोड़ 29 लाख रु० तथा 12 करोड़ 10 लाख, इस तरह कुल 24 करोड़ 39 लाख रु० हमको मिलेगा, जिससे हम तमाम नयी बसें आपकी सेवा में लाकर पेश कर देंगे। (तालियों की गड़गड़ाहट)

मान्यवर, इस प्रदेश का जो परिवहन निगम है, उसमें करीब 46 हजार कर्मचारी एवं अधिकारीगण कार्यरत हैं और हमारे पास कुल 4 हजार बसें हैं, इससे आप स्वयं अन्दाज लगा लें, हमारा मानक जो है, वह 9-26 का है, लेकिन यह कुछ आज बढ़ा हुआ है, हम इस ओर यह कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी स्टाफ है उसी को हर जगह एड-जेस्ट कर दें, निकालने का तो हमारी ओर से कोई प्रश्न नहीं उठता, हाँ इतना जरूर है कि जो नयी नियुक्ति के लिए हमारे पास फोन, व सिफारशें आती हैं, उन्हें अभी रोक रखा है। इसके साथ ही साथ आप सबके सहयोग की इस ओर अत्यंत आवश्यकता है, सहयोग तो आप सब समझ ही गये होंगे। ताकि विभाग की स्थिति में सुधार हो सके, इसलिए इस ओर अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें, आलोचना तो बहुत होती रहती है, साथ ही सुझाव भी आने चाहिए ताकि इस ओर हम कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाएँ, इन्ही शब्दों के साथ मैं इस ग्रांट को पेश करता हूँ।

फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 31 परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाए।

कमी करने का उद्देय—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जब अपना भाषण प्रारम्भ किया तभी यह सदन बड़े रहस्यमय ढंग से शोर में डूबने लगा और जब यह विभाग मा० वीर बहादुर सिंह के पास था, तब तो इसकी हालत सुधरी नहीं जो जवान मंत्री थे, परन्तु जब यह बुजुर्ग मंत्री आ गये तो इनकी बूँढ़ी और सड़ी बसें क्या कर सकेंगी ? अधिष्ठाता महोदय, उनके बहना-उर हमारे जिले में हैं, यह कुछ कहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

तो मैं यह कह रहा था कि एक जवान मंत्री से एक बूढ़े बुजर्ग मंत्री के पास यह विभाग गया तो सोचा यह जा रहा कि कि नौजवान अपनी जवानी के प्रवाह में बह रहा था, ये बुजुर्ग जो हैं ये मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इनको प्रशासनिक बातों का ज्ञान है, तो इस व्यक्ति से विभाग की लाभ होगा, ऐसा हमारे मुख्य मंत्री ने सोचा और इनको यह विभाग इसलिये दिया है।

माननीय अधिष्ठाता जी, पिछले वर्ष जो बजट प्रस्तुत हुआ था, उस समय श्री वीर बहादुर सिंह जी ने यह कहा था कि इसमें 30 परसेन्ट का विगत वर्ष के मुका-

बिले में लाभ हुआ यह बात कार्यवाही में भी लिखी हुई है। घाटा उस समय भी था 59 करोड़ का। इस वर्ष मंत्री जी कह रहे हैं कि 27 परसेन्ट का घाटा हुआ जबकि कार्यवाही में 30 परसेन्ट की बात लिखी है। तो इनके विभाग का घाटा उत्तरोत्तर बढ़ रहा है।

मैं यह कह रहा था कि इस विभाग में जो सरकार की पूँजी लगी हुई है उसका बचाव कैसे हो। आपने प्रशासनिक विभाग में देखा होगा कि प्रदेश को 6 परिक्षेत्र 14 संभागों और 12 उप संभागों में बांटा गया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की यात्रा हेतु बसों को सुनिश्चित करने हेतु एक उप संभागीय कार्यालय खोल दिया गया है और यह विभाग प्रशासनिक अधिकारियों को सुविधा पहुँचाते-पहुँचाते लुटा जा रहा है और माननीय मंत्री जी हम लोगों से सुझाव मांग रहे हैं। सुझाव देने की बात तो तब पैदा होती जबकि एक ही वित्तीय वर्ष में घाटा आया हो लेकिन आपका विभाग तो उत्तरोत्तर घाटे में चल रहा है जबकि इससे कोई उपलब्धि नहीं हो रही है और न जनता को कोई सुविधा प्राप्त हो रही है।

गत वर्ष आपकी पक्की सड़कें 1,10,023 कि०मी० बताई गयी हैं। इस वर्ष 1,000 कि०मी० सड़कें बढ़ी हैं। गत वर्ष 1,10,023 कि०मी० सड़कें पक्की थीं। तो 21,867 कि०मी० पक्की सड़कों पर आपकी रोडवेज की बसें चल रही हैं और 8,81,656 कि०मी सड़कों पर प्राईवेट बसें चल रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आखिर आपकी बसों की गति जो है चलने की उस पर आप निश्चित रूप से अडिग होते नहीं हैं जहाँ प्राईवेट बसों का संचालन उससे चौगुना है और प्राइवेट बसें चल रही हैं और उनकी कार्यक्षमता भी अच्छी है। कार्यक्षमता और समय के बचाव को देखते हुए जो व्यक्ति है वह काफी गतिशील है, वह तेजी से जानना चाहता है, इसलिये वह प्राईवेट बसों में बैठता है।

मैं माननीय मन्त्री जी को सुझाव देता हूँ कि आपके विभाग की जो सेन्ट्रल वर्कशाप है कानपुर में और भी जहाँ पर पार्टस खरीदे जाते हैं, पुर्जे खरीदने से सम्बन्धित जितनी भी बातें हैं उसमें प्रशासनिक अधिकारियों का संचालन व संरक्षण रहता है और पार्टस खरीदने में सदैव वे घपला करते है। इसके अलावा हम इस विभाग की एक बात और कहना चाहते हैं कि जो भी रोडवेज में कंडक्टर रहते हैं, ड्राईवर होते हैं मान्यवर, वे जहाँ कहीं भी देखते हैं कि उनके प्रशासन के लोग जगह-जगह पर अपने अड्डे फैलाये हुए हैं, वे उनको रोक करके कंडक्टर से 5 या 10 रुपये ले लेते हैं। वह कन्डक्टर आखिर कैसे उस पैसे की पूर्ति करें, अगर वह किसी का टिकिट नहीं बनाता है तो दूसरी चेकिंग पार्टी है वह उसको पकड़ती है। मान्यवर, एक तरफ उसको देना जरूर है और दूसरी तरफ उसको पूर्ति करना है। उसे कई जगह परेशानी आती है, उसी विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्राईवेट बसों के संचालन की जांच होती है, और उसके लिये स्क्वाइड भेजे जाते हैं तो इसको आप दिखवा लें, कि जो आपके कन्डक्टर हैं, लम्बा सफर करते हैं उनकी क्या परेशानी है, आपको उनको प्रोत्साहन देना चाहिए और जो भी बसें हैं जो लम्बी दूरी तक जाती हैं, उनके परिचालकों और ड्राईवरों को यह प्रोत्साहन देना चाहिए कि अधिक लाभ होगा तो उसको कुछ परसेन्टेज मिलेगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

घाटे का विभाग है, थोड़ा बोलें, विशारद जी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, इस विभाग में केवल 48 हजार से अधिक अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं और इन कर्मचारियों में जैसा कि मैंने बताया प्रशासनिक जो अधिकारी हैं

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद —]

उन पर काफी व्यय हो रहा है और निचले जो कारगर कर्मचारी हैं, उस पर कम खर्च होता है । उनको कोई सुख सुविधा नहीं दी जाती है । रात्रि में टिकिट का पैसा लेकर चलते हैं, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है । आप इस बात का सर्वे करा लें, कि जहाँ पर कन्डक्टरों और ड्राइवरों के रहने और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर इन चीजों का प्रबन्ध करें ।

मान्यवर, अब राजस्व संग्रह की बात आती है । इसमें बहुत चोरी होती है । इसको माननीय मन्त्री जी रोकने का प्रयास करें । पुरानी बसें 2,175 बसें आउट आफ रोड हैं और कुल 4 हजार बसें चल रही हैं । यह इस प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए बहुत कम हैं । जनसंख्या के आधार पर आपको बसें चलाने का प्रबन्ध करना बहुत जरूरी है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी —

यह कथा समझ में नहीं आ रही है, मान्यवर ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, आप योजना आयोग से धन की मांग कर रहे हैं । प्रदेश और केन्द्र से सहयोग मांग रहे हैं तो मैं नहीं जानता कि इस प्रदेश के गरीब जनता की गाढी कमाई को आप कैसे खर्च करेंगे । एक दो बातें और कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ ।

मान्यवर, दुर्घटना में जो आप मुआवजा देते हैं इसके देने में विलम्ब होता है । मेरे जनपद गोरखपुर में एक रोडवेज का वर्कशाप बनने वाला है, आमी नदी के तट पर, पता नहीं मन्त्री जी ने उसको हटा दिया क्या किया । सुनौली का रूट है, यहां पर मुख्यालय से अधिकारी नेपाल जाते हैं और वहां से विदेशी सामान लाते हैं और यहीं हजरतगंज में बेचते हैं । मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करावे । मैंने एक कम्पलेंट किया था, एक दीना नाथ पाण्डे परिचालक हैं, माननीय मन्त्री जी ने इनको निलम्बित किया, लेकिन वहां के अधिकारियों ने बिना मन्त्री जी की जानकारी के निलम्बन उसका समाप्त कर दिया ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत से सदस्यगण इस पर बोलने वाले हैं इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और चाहता हूँ कि दोनों पक्षों के सदस्यगण इस पर खुलकर अपनी बात कहें और सत्ता पक्ष के सदस्यों से तो अपेक्षा है ही क्योंकि मन्त्री जी ने इस विभाग के अन्दर फैले भ्रष्टाचार और घाटे को स्वीकार किया है । इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप इस पर सही दिशा में उनको निर्देशन दें ।

***श्री संकठा प्रसाद शास्त्री —**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ । माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ । मान्यवर, परिवहन विभाग जन कल्याण-कारी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है । हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमारे पास 4 हजार बसें हैं और 46 हजार कर्मचारी हैं । तो लगभग एक बस पर 12 कर्मचारी आ रहे हैं । इस तरह से उनको रोजी दी जा रही है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ऐसी दशा में यदि घाटा भी हो तो हमारे विरोध पक्ष के सदस्यों को ऐतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमे जन कल्याण किया जा रहा है। यह जन कल्याणकारी सरकार है। अगर उसने कहीं आमदनी कम की और अधिक से अधिक लोगों को सुविधायें दीं तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। परिवहन विभाग के सामने कुछ समस्यायें तो हैं ही। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि यह विभाग यात्रियों के आवागमन से सम्बन्धित है। जहाँ तक ट्रकों का सम्बन्ध है लेकिन वह केवल परमिट तक ही सीमित हैं लेकिन आवागमन की समस्याओं को हल करने का जहाँ तक सम्बन्ध है उसमें नये ही परिवहन विभाग के अन्तर्गत काम कर रही हैं।

मान्यवर, बसों की प्रतियोगिता रेलवे विभाग से, प्राइवेट बसों से, टेम्पो और मिनी बसों से की जाती है जिनकी संख्या बहुत बड़ी है। यह समस्या परिवहन विभाग के सामने है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि परिवहन विभाग जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस सिलसिले में जो परामर्शदात्री समितियाँ बनी हुई हैं कि किसी को परमिट दिया जाय या न दिया जाय, इस पर विचार करती हैं यह एक बड़ी समस्या तेजी से जनता के सामने खड़ी हो रही है। परिवहन की गाड़ियाँ, चाहे वह कर्मचारियों की गैर जिम्मेदारी से हो या सामान उपलब्ध न होने की वजह से हो, लेकिन 50 प्रतिशत बसें आज खराब हैं और गैरेज में पड़ी रहती हैं। गाड़ियां खराब हैं, कर्मचारी अधिक हैं, काम कम हो रहा है तो निश्चित रूप से उसमें घाटा होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें और जो बसें बेकार पड़ी हुई हैं उनको ठीक कराकर उन्हें आप चलायें। अगर आवागमन की समस्या को ध्यान में रखते हुये जन सुविधाओं को उपलब्ध कराना है तो जो प्राइवेट बसें चल रही हैं और जो ट्रांसपोर्ट के अधिकारी और सरकारी कर्मचारी चैकिंग करते हैं, उसके बावजूद भी वे बसें चलती रहती हैं तो इससे जनता को बड़ी परेशानी हो जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयकृत मार्ग जितने हैं उन्हीं पर आप अधिक से अधिक बसें चलाकर जनता को सुविधायें पहुंचा सकते हैं और बाकी जो मार्ग हैं उन पर आप निजी बस वालों को चलाने को अनुमति दे दें।

मान्यवर, बनारस से गाजीपुर की सड़क, बनारस से मिर्जापुर की सड़क पर सैकड़ों बसें चलती हैं किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन जो बनारस से आजमगढ़ और बनारस से इलाहाबाद की सड़क है वहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ चलती हैं। इसलिये मैं समझता हूँ कि उनकी समस्या को देखते हुये उन लोगों को इसका परमिट देकर उन्हें चालू किया जाय ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।

***श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री —**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए अपने विचार रखना चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जैसे एक गरीब व्यक्ति को अपना दैनिक जीवन चलाने के लिए दैनिक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वैसे ही आज परिवहन विभाग प्रदेश की आम जनता के लिए है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत करते समय वक्तव्य दिया है। उससे लगता है कि वह खुद यह महसूस करते हैं कि प्रदेश में जितने विभाग हैं उनमें सबसे निकम्मा और नालायक विभाग यह है जो आम जनता की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। क्योंकि आज स्वयं मंत्री जी ने और शासन ने स्वीकार किया है कि कुछ वर्ष पहले 6 हजार बसें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री —]

के द्वारा जनता की सुविधा के लिए चलाई जाती थी और उस समय के मंत्री जी ने सदन में इस बात की घोषणा की थी कि यहां की आवश्यकता को देखते हुए तीन हजार और बसों की आवश्यकता है। लेकिन आज हमारे पास केवल 4 हजार बसें हैं जो किसी प्रकार चल रही हैं। लेकिन मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि इसमें से 40 परसेंट बसें चालू हालत में नहीं हैं।

आपकी चार हजार में से तीन हजार बसें ऐसी हैं जो प्रतिदिन चालू हालत में रहती हैं। अगर आप इसको देखना चाहें तो परिवहन निगम के कार्यालय से रिकार्ड मंगा कर देख लें कि कितनी बसें चल रही हैं उसमें आपको केवल 3 हजार ही चालू मिलेंगी। आज आवश्यकता 6 हजार नयी बसों के लिए आपने बताई। लेकिन जो आपने संसाधन बतायें उससे ऐसा लगता है कि यह सरकार किसी प्रकार से 6 हजार बसें खरीदने की व्यवस्था नहीं कर सकती है। प्रदेश के अन्दर 8, 10 हजार निजी बसों की आवश्यकता है। तो क्या आप ऐसी नीति बना रहे हैं कि उनको अधिक से अधिक परमिट दिये जांय।

मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी पक्की सड़कें हैं उनमें से 50 परसेंट सड़कों पर न निजी बसें चलती हैं और न सरकारी बसें चलती हैं। उसके कारण आज यह हालत हो रही है कि ऐसे क्षेत्रों में रात में कोई बीमार हो जाता है तो दिन में उस मरीज की अर्थी मरघट जाती है। सरकारी या निजी बसें न होने के कारण उसका इलाज नहीं हो पाता है वह अस्पताल नहीं जा सकता है तो मैंने जो पहले कहा था कि आपका विभाग निकम्मा है उसका यह उदाहरण है।

आपके पिछले मंत्री महोदय ने यहाँ पर मुस्करा कर घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं उनको प्रत्येक जिला मुख्यालय से बसों द्वारा जोड़ दिया जायेगा। अगर इस प्रकार की व्यवस्था की जाय तो उसके लिए आपकी 12 हजार बसों की आवश्यकता है। मैं केवल तीन मिनट का समय लूंगा और मंत्री जी से अपनी बात कह कर खतम करूंगा। जितने भी उत्तर प्रदेश के धार्मिक केन्द्र हैं या अन्तराज्यीय स्थान हैं उनके लिए मैं माग करूँगा कि ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, जो सम्भागीय परिवहन विभाग है, वह निजी बस मालिकों को परमिट देता है, जिसके बारे में सभी को जानकारी होगी कि यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। कभी वहां जाकर देखें तो निजी बस मालिकों के सुख सुविधा की पूरी व्यवस्था वह करते हैं। इसलिये मन्त्री जी मैं एक संशोधन चाहता हूँ कि इसमें कुछ ऐसे सदस्य और बढ़ाये जायं जिससे कि ईमानदारी के साथ यह विभाग अपना काम कर सके।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठ जायं।

***श्री प्रमोद कुमार—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं परिवहन मन्त्री जी द्वारा रखे गये बजट का हृदय से समर्थन करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि न जवानी और न बुढ़ापे का कटौती का प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, निश्चित तौर से परिवहन निगम की जो बसें हैं उनमें घाटा है। मैं आ रहा था तो रास्ते में एक बात का पता चला, उसको मैं यहां बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि 1977 से 1980 के बीच में जब यहां एक निकम्मी और नालायक सरकार थी तो उन्होंने यह किया कि नई बसों को तो खरीदा नहीं और जो बसें थीं उनके टायर ट्यूब और इंजन सब बाजार में बेच दिया। नतीजा हुआ कि आज बसों की हालत खस्ता है और उसको सुधारने में हमारी सरकार लगी है।

मैं उनको यह भी बताना चाहता हूँ कि निगम कोई बनिया की दुकान नहीं है कि मुनाफा करे, यह तो जनता की सुविधा के लिए है, इसलिए मुनाफे और हानि की बात नहीं है। मान्यवर, चूंकि इस विभाग में निगम और विभाग की बात है, इसलिये पहले मैं निगम के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ।

मान्यवर, जब यहां निगम की स्थापना हुई तो यह हमारा क्रांतिकारी प्रयास था लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि खुले दिल से यह नहीं किया गया है। हमने इसमें बहुत सी अड़चनें लगा दीं। हमने सड़कें अधिकृत किया लेकिन साधन हमारे पास नहीं हैं कि वहां बसें मुहैया कर सकें, इसलिए मेरा सुझाव है कि जैसे पंजाब और हरियाणा में जिस तरह परिवहन निगम काम कर रहे हैं, उससे हम सबक लें तो निगम की बसें ज्यादा जनता को सुविधायें दे सकती हैं। बस मालिकों द्वारा तमाम बसें चलाई जा रही हैं और आप किसी बस मालिक के दरवाजे पर देखें तो कोई बस खड़ी नहीं पायेंगे।

इसलिये मेरा सुझाव है कि जो प्राइवेट बसें हैं उनको निगम में सम्मिलित कर लिया जाय और उनको राष्ट्रीयकृत रूटों पर आप चलवायें, समय का, किराये का और सुपरवाइजरी स्टाफ का कन्ट्रोल निगम करे, इस प्रकार मान्यवर, सड़कों पर ज्यादा बसें चलेंगी जिनसे जनता को सुविधा आने जाने में मिलेगी। आज स्थिति है कि एक बस पर 9 कर्मचारी हैं, यदि उनको निकालेंगे तो भी दिक्कत होगी इसलिए उनको समायोजित करना है और चूंकि नई बसें आप खरीद नहीं सकते हैं, इसलिये सुझाव है कि प्राइवेट बसों को निगम में शामिल करें जिससे प्रदेश की जनता को फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा जिससे निगम को आप मजबूर कर सकते हैं।

अब मान्यवर, मैं परिवहन विभाग की बात कहना चाहता हूँ। हम लोग देहाती अंचल से या शहर से यहाँ आते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा ट्राफिक कहां जनरेट होता है तो आप देखें कि तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय पर जनरेट होता है। मान्यवर, जहां तक जिला मुख्यालय की बात है तो आप देखेंगे कि एक चलेगी तो अन्दर जितने पैसेंजर होंगे उससे ज्यादा बाहर होंगे इसके अलावा अनाधिकृत बसें चलती हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि जिला मुख्यालयों को तहसील मुख्यालय को जहां अधिक ट्राफिक जनरेट होता है उनको 20 मील के एरिया में जो मिनी बसें हैं। जो और साधन जनता के हैं उनको हम परमिट दें और उनको चलाने के लिये कहें। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा मिनी बस किसी के दरवाजे पर खड़ी नहीं है, चल रही है, लेकिन सरकार को उसमे कोई टैक्स नहीं मिलता है, थाने और परिवहन विभाग के अधिकारियों को टैक्स मिलता है। इसलिये जिला मुख्यालयों या बड़े शहरों के आस-पास से चलने के लिए हम प्राइवेट मिनी बसों को परमिट दें और उनको चलावें, तभी कल्याण होगा।

एक बात के लिए मैं माननीय परिवहन मंत्री को बधाई देता चाहता हूँ कि पहले जो जनता में एक कहावत चल रही है कि जनता शासनकाल में जिसको डिलीवरी करानी होती वह औरत को परिवहन निगम की बस में बिठाल दें। उस समय उसके अस्पताल जाने की नौबत नहीं आती थी रास्ते में डिलीवरी हो जाती थी। उसमें मंत्री जी सुधार ला रहे हैं, इसलिए उनको बार-बार बधाई है। आसपास के प्रदेशों की खबरें पढ़ता हूँ तो

[श्री प्रमोद कुमार—]

हर जगह किराया बसों का बढ़ाया गया है, लेकिन हमारे परिवहन मंत्री जी ने विपरीत परिस्थितियों में भी उत्तर प्रदेश की जनता पर किराया न बढ़ाकर जो उपकार किया है, उसमें उनके कुकर्म के कारण तकलीफ हुई है, तो वह छिप जाती है। तो अन्त में मैं इनके कटौती के प्रस्ताव का जो इन्हीं की तरह कटा हुआ है, विरोध करता हूँ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, आपका आभारी हूँ जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं सबसे पहले मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि घाटे के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी की एक स्पष्ट राय है और वह यह है कि मजदूरों की रोटी से घाटा पूरा नहीं होगा, घाटा पूरा तब होगा, अफसर चोरी बन्द करें। श्रीमन्, तारीख 14-12-82 को आगरा का कैशियर, सम्भागीय परिवहन कार्यालय में जब रिक्शे पर बैठकर केश लेकर जा रहा था, तो डेढ़ लाख रुपया उनका लूट लिया गया। कैश ले जाने के लिए जो गाड़ी थी— स्टाफ कार, उस पर उस समय अधिकारियों के बच्चे घूम रहे थे।

श्रीमन्, बहुत छोटे छोटे खर्चे हैं, जिनके न किये जाने से गाड़ियां खड़ी हैं। अगर रोडवेज की साख ठीक हो जाय तो सब ठीक हो सकता है। मैं हरिद्वार से चार दिन पहले

(इस समय 4 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

देखकर आया हूँ। हरिद्वार में चार बसें बेकार खड़ी हैं, उनके लिए शीशा दे दिया जाए जो ड्राइवरों के सामने लगता है और जो केवल चार सौ रुपये का आता है, तो ये छः चार बसें रोड पर लाई जा सकती हैं। लेकिन रोडवेज की कोई साख नहीं है—कोई किसी का बिल रहेगा तो उसकी वसूली के लिए उसे कितना पैसा खर्च करना होगा, उसके कारण कोई दुकानदार उधार देने को तैयार नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, अभी सत्तापक्ष के एक विधायक बतला रहे थे, उन्होंने हमारे मुँह की बात छीन ली। मैं यह चाहता हूँ कि रोडवेज घाटे पर चले, लेकिन जनता को सुविधा हो। वहां आप जो केन्टीन का ठेका देते हैं, उसको बन्द करें। कल्याणकारी राज्य में जनता को जो चाय मिलती है और जो दूसरा सामान मिलता है, वह इतने घटिया किस्म का होता है कि मालूम होता है कि पुलिस थाने में बैठकर चाय पी रहे हैं। उसके कर्मचारी मारपीट करने तक पर भी उतारू हो जाते हैं। वह रोडवेज कर्मचारियों को थोड़ी बहुत सुविधा दे देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और कर्मचारियों की कोआपरेटिव्स बनाई जाय और उनके द्वारा वह केन्टीन चलाई जाय। पहाड़ों में यात्रा सीजन शुरू होने वाला है। तीर्थयात्रा शुरू होगी। पिछले बार सीजन के दौरान ट्रकों पर बिठाकर तीर्थयात्रियों को पहाड़ों पर ले जाया गया है। एक बस पर 40-40, 50-50 आदमी भेड़-बकरी की तरह भरे रहते थे। तीर्थयात्रियों के बारे में एक बात निश्चित हो जानी चाहिए कि कैसे आप सालों साल यात्रा को अच्छी प्रकार से संचालन करेंगे। रोडवेज और प्राइवेट बसों का आपस में कम्पटीशन चलता है। अगर प्राइवेट गाड़ी और रोडवेज की गाड़ी साथ साथ चलती है तो उससे यात्रियों को परेशानी बढ़ जाती है। इसलिये आप भले ही बुकिंग विण्डो कामन कर दीजिये, बस स्टेशन आदि कामन कर दीजिये, एक ही टाइम टेबल दीजिए और दो-दो एक गाड़ी साथ न चलाइये।

जो चेकिंग स्क्वाड आपका है वह ड्राइवर और कण्डक्टरों पर हमला करने वाला स्क्वाड है।

माननीय मंत्री जी टेहरी जाकर देखें तो उनको पता चलेगा कि यात्रियों को कितनी परेशानी होती है। आपके आर०टी०ओ० आफिस का कोई अधिकारी उत्तर काशी या टेहरी नहीं जाता जिससे कि उसको यात्रियों की परेशानियों का अनुभव हो सके। वहां के लोगों को जो दिक्कतें होती हैं वह माननीय मंत्री जी महसूस करते हैं पर आपके विभाग के अधिकारी महसूस नहीं करते हैं।

गाड़ियां ठीक टाइम्स से नहीं चलती। गाड़ियों के चलने का समय जब बनाया जाता है तो उसमें विधायकों की राय नहीं ली जाती। जन प्रतिनिधियों की राय उसमें नहीं ली जाती। आपके सरकारी अधिकारी उनका ऐसा टाइम नियत करते हैं कि जब आवश्यकता होती है गाड़ियों के चलने की, उस समय गाड़ी नहीं चलती, जब चलने की जरूरत नहीं होती, उस समय कई कई गाड़ियां एक साथ चला दी जाती हैं।

आपकी गाड़ी दिल्ली तक जाती है। मेरा एक यह सुझाव है कि आप दिल्ली रेलवे स्टेशन से यू०पी० निवास तक एक बस केवल माननीय विधायकों के लिये चला दें। अगर ऐसा हो जाय तो आपकी विधायकों के ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी।

(4 बजकर 18 मिनट पर)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर जो बोलने के लिये अवसर दिया उसके लिये मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश मंत्रि मंडल के एक वयोवृद्ध, सच्चरित्र एवं वरिष्टम मंत्री जी द्वारा जो वजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूँ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं माननीय परिवहन मंत्री जी के प्रति विशेषकर आभार इसलिये प्रकट करना चाहता हूँ कि वे इस उत्तर प्रदेश सरकार की एक से एक जर्जर बसों को, और ऐसी ऐसी बसों को कि जिनमें हार्न के अलावा सब कुछ बजता है, और ऐसी ऐसी भी बसों को जिनमें ब्रेक के अलावा सब कुछ लगता है, चला रहे हैं और उनका संचालन कर रहे हैं और एक बूढ़ा सेनानी उनको चलवा रहा है इसलिये मैं हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

मान्यवर, आज जिस तरह उत्तर प्रदेश निगम की जर्जर बसों को एक जवान ड्राइवर चलाता है, ठीक उसी प्रकार से इस विभाग के एक बूढ़े मंत्री को इस विभाग का एक जवान सचिव चला रहा है। (हँसी)

मान्यवर, 1972 में यह राजकीय रोडवेज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में परिवर्तित हुई। आज यह निगम उत्तर प्रदेश सरकार के लिये एक बोझा है और ऐसा बोझा है जिसके पापों को ढोते ढोते इस सरकार का कोष खाली होता जा रहा है। इसमें मंत्री महोदय का कोई दोष नहीं है। इनके विभाग के अधिकारियों को इसके लिये शर्म नहीं आती है कि वे गरीब जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को अपनी अय्याशी में फूंक रहे हैं। जहां पर दो आदमियों से ही काम चल सकता है वहां पर 14 आदमी काम कर रहे हैं। मान्यवर, चेकिंग की व्यवस्था इनके यहाँ है, बाराबंकी इनका सबसे छोटा रूट है, जिसका किराया ढाई रुपया है। मान्यवर, एक टिकट को पकड़ने पर इनका 50 रुपये का खर्च चेकिंग स्क्वाड पर आता है, इससे क्या लाभ ? कोई भी इनका अधिकारी बगैर कार के नहीं चल सकता है। एक व्यापारी आदमी प्राइवेट बस खरीदता है, तो वह भोगता है उसका लड़का भोगता है, उसका पोता भोगता है, और 1 के बाद 2 बस कर लेता है, उसके बाद 3 बस कर लेता है और 4 बस कर लेता है।

[श्री श्यामलाल वाजपेयी—]

परन्तु हमारी नई बसें, परिवहन निगम की, एक साल के बाद वर्कशाप की भेंट चढ़ने लगती हैं और डेढ़ साल, दो साल के बाद तक कबाड़ी की दूकान पर पहुँचती है। तो यह हया और शर्म किसको आनी चाहिए ? हया और शर्म उन अधिकारियों को आनी चाहिए, जो इस देश के साथ और प्रदेश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यह कब तक मौज करेंगे ? एक दिन इनको प्रदेश के सामने जवाब देना पड़ेगा चाहे आज दो या कल।

मान्यवर, एक व्यापारी और इनमें बड़ा अन्तर है। इनका जनरल मैनेजर तो आई०ए०एस०, इनका अध्यक्ष आई०ए०एस० इनके जो रीजनल मैनेजर बनाये गये हैं, वह भी पी०सी०एस० से कुछ कम या बराबर हैं। सबकी कमर के नीचे के हिस्से में गाड़ी चिपकी रहती है। मान्यवर, एक बात और बता दूँ कि इनके विभाग में बसें जितनी हैं और बसों पर चढ़ने वाले जितने यात्री हैं, उससे ज्यादा इनके कर्मचारी और कर्मचारियों से ज्यादा अधिकारी हैं और मान्यवर, जो बसें जाती हैं, उस पर छोटे रूट जो हैं, लखनऊ-उन्नाव, लखनऊ-बाराबंकी, इनमें टिकट लेकर यात्री खड़ा रहता है, इनके कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों से बस की अगली और पिछली सीटें भरी रहती हैं। मान्यवर, इस आदरणीय सदन के सामने मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूँ, कई बार यह रोना रोया गया है कि परिवहन निगम में बस नहीं हैं या टूटी हुई हैं।

मान्यवर, परिवहन निगम के पास बसें नहीं ड्रम खड़ी हैं, ड्रम। आप अपने राज्य कोष से पैसा देते जायें और ये फूंकते जायें। मान्यवर, इन्होंने तो आज इस विभाग को विनाश के कगार पर पहुँचा दिया है। जो पुर्जा 4 रुपये में मिलता है, उसके लिए 40 रुपये लगाये जाते हैं। एक छोटी पाइप टूट जाती है, तो चार दिन बस खड़ी रहती है। वह कहते हैं कि वर्किंग स्टाफ जाने, वह कहते हैं कि वर्कशाप स्टाफ जाने। इसी के पीछे आपका विभाग जरजर होता जा रहा है।

मान्यवर, इसी के तहत आपका परिवहन विभाग भी है। अभी आपने कहा कि मैंने एक चेकिंग स्क्वाड बनाया है। यह चेकिंग स्क्वाड नहीं है, यह शुद्ध लूट स्क्वाड है, पैसा लिया ट्रक छोड़ा। मान्यवर, ये खुलेआम रास्ते में ट्रकें रोकते हैं और पैसा लेते हैं, ट्रकों को छोड़ देते हैं। विधायक सामने बैठा रहता है, उसके सामने टुकर-टुकर देखते हैं और सिगरेट फूंकते हैं। मंत्री जी जो आदेश भेजते हैं, वह कूड़े की टोकरी में फेंक देते हैं। मान्यवर, आप कहीं न जाकर, यह कैसरबाग का बस अड्डा सबसे करीब है, जहाँ से सीतापुर, बाराबंकी गोरखपुर सभी जगह बसें जाती हैं। एक तरफ हमारी बसें चलती हैं, दूसरी ओर प्राइवेट बसों के मालिक बस स्टैंड के अन्दर से यात्रियों को पकड़-पकड़ कर अपनी प्राइवेट बसों में बैठा लेते हैं। मान्यवर, ये हरामखोर अधिकारी देखें कि यह क्या हो रहा है। यह पैसा तो इस गरीब प्रदेश के राज्य कोष से जा रहा है। मान्यवर, राज्य कोष से जाने का मतलब कि गरीब जनता की खून-पसीने की कमाई का पैसा, जो गरीब जनता की अंतड़ियों से खींच कर आती है, उसे नालियों में बहाया जाता है। मान्यवर, लाल बत्ती आपने जला दी, बात तो इसमें कहने को बहुत कही जा सकती है।

मान्यवर, एक बात रह गयी है, पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में हमारे विष्ट जी ने कहा है कि वहाँ पर बड़ी बड़ी बसें चलायी जा रही हैं। तो वहाँ पर छोटी बसें चलायी जायं तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। मान्यवर, यह लूट का मौका आप क्यों देते हैं ? आप बड़े अनुभवी हैं, मगर कभी कभी तो आकस्मिक निरीक्षण कर लिया कीजिये। यह पुराने लोग ऐसे होते हैं कि एक नायब तहसीलदार की बात को भी कुरान की आयत और वेद वाक्य मान लिया करते हैं मगर अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वैसे भी एक बात मैं बता दूँ अगर

इस समय परिवहन विभाग की किसी को ज्यादा चिंता है तो वह इस प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्य मंत्री श्री श्रीपति मिश्र जी को है। देख लीजियेगा कि 6 महीने के अन्दर कम से कम 100 बसें इस विभाग को भेंट की जायेंगी। यह आपके लिये मौका होगा कि आप अपने चरित्र का सुधार करें और प्रदेश के निर्माण में हाथ बँटायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूँ और विशारद जी के लचर-पचर कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

***श्री मेंहदी असगर —**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, जब तक हमारे सामने दो रंग न हों तब तक पहचान नहीं सकेंगे कि रंग क्या है। आप देख लें, प्राइवेट बसेज हैं, एक प्राइवेट बस परमिट कई लाख रुपये में है। जिसका मतलब है कि प्राइवेट बसें मुनाफे में चल रही हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि सन् 83 तक 64 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है। तो जैसा अभी बाजपेयी जी कह रहे थे कि कब तक इस देश और प्रदेश की गरीब जनता के खून पसीने की कमाई को भट्ठी में झोंकते रहेंगे। इससे तो मैं सुझाव दूँगा कि इस महकमे को आप खत्म कर दें ताकि प्रदेश की जनता में 64 करोड़ के घाटे को सुनकर रोष न पैदा हो।

मान्यवर सन् 40 में 12 बसों से यह काम शुरू किया गया था। शुरू में मुनाफा हुआ था फिर सन् 56 से दुर्भाग्य है कि घाटे की घटा बरसने लगी। और घाटा दिन-दूने रात चार-गुने बढ़ता गया और सन् 83 तक 64 करोड़ रुपये पर पहुँच गया। मान्यवर, इसका कारण क्या है, क्यों यह घाटा होता है। तो इस घाटे की जो बुनियादी बातें हैं उनको आप देखें। मुख्य कारण यह है कि जाली टिकटों की ज्यादा से ज्यादा बसों में फरोख्त हो रही है और पैसा अधिकारियों की जेब में जा रहा है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि जब एक बस पर 9-10 आदमी काम करेंगे तो प्रोफिट होने का कोई सवाल ही नहीं है। एक बस इतने कर्मचारियों की तनख्वाह, किसी हालत में संभाल नहीं सकती। आप सोचें कि इसका क्या किया जाय। आपके पास पैसा भी नहीं है कि नयी बसें लायें। आपके कर्मचारी 48 हजार हैं जिनको आप तनख्वाह देते हैं। दिन प्रति दिन बसें खराब होती जा रही हैं। जैसा कि बाजपेयी जी ने कहा ड्रम है तो मैं कहना चाहता हूँ कि टीन के डिब्बे हैं, ड्रम तो मजबूत होता है। बस में सिवा हार्न के सब चीजें बजती हैं।

मान्यवर, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा इस महकमे में हैं, यह पुर्जों की खरीद फरोख्त में भी है। जैसा कि अभी मैंने एक रिसाला में पढ़ा था कि कोई अधिकारी थे, सन् 1975 में नये माडल की बसें लगायी गयी थी, दस लाख के पुर्जे बसों के लिए अधिकारियों की सांठ गांठ से दिल्ली की एक फर्म से नकली पुर्जे खरीदे गये, उसके बदले में उस अधिकारी के बेटे को उसी दिल्ली वाली फर्म में 4,000 रुपए की नौकरी दे दी गयी, विजिलेंस से इस मामले की जाँच हुई, जिसमें शिकायत सही पायी गयी, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उस अधिकारी का कुछ नहीं हुआ, मैं जानना चाहता हूँ कि उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? जब तक किसी अधिकारी को आपका डर नहीं होगा, उसे भय नहीं होगा, तब तक यह भ्रष्टाचार कैसे बन्द होगा।

मान्यवर, आज भी, जो 8 करोड़ रुपए के बेकार पुर्जे खरीदे गये, वह भंडारों में पड़े हुए हैं, उनका कोई सदुपयोग नहीं है, इसका कारण क्या है ? आपने नई माडल की बसें लीं, और वह पुर्जे अधिकारियों द्वारा पुराने माडल की बसों के लिए खरीदे गये थे, तो वह बेकार हैं, वह नयी माडल की बसों में लग नहीं सकते, तो यह क्यों है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मेंहदी असगर—]

इसके अतिरिक्त, अधिकारियों का कहना है कि 25 प्रतिशत सीटें बसों में खाली जाती हैं। लेकिन, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि बसों के अन्दर इतनी रश् होती है कि बाहर भी लोग लटके रहते हैं और अन्दर भी काफी भीड़-भाड़ रहती हैं, लोग खड़े-खड़े चलते है। तो क्या जो यह 25 प्रतिशत खाली सीटों के आँकड़े दिये गये हैं, कि बसों में 25 प्रतिशत सीटें खाली चलती हैं, यह वास्तव में खाली चलती हैं ? ऐसी बात नहीं है, सीटें खाली नहीं चलती हैं, बल्कि यह पैसा लूटा जाता है, जो आपको यह आंकड़े दिये गये हैं, वह बिल्कुल गलत हैं। किराया आप बराबर बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसका बोझ प्रदेश की जनता पर दिन दुगना रात चौगना होता जा रहा है। मान्यवर, प्राइवेट से आपके यहाँ किराया ज्यादा है।

मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कितना किराया बढ़ायेंगे 100 किलोमीटर पर आप वह करेंगे ? जिसे अभी नहीं बढ़ाया, 14 परसेंट बढ़ाने की अधिकारियों की सिफारिश थी, हम आपके अत्यन्त आभारी हैं कि आपने किराया नहीं बढ़ाया। एक चीज और कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि एक बस मुजफ्फरनगर से हापुड़ के लिए पौने आठ बजे आती है, उस बस से मेरठ मंडल के ज्यादातर विधायक लखनऊ मेल पर आकर बैठते हैं। इस बस में इतनी भीड़ रहती है, वह बस इतनी खराब है कि कभी कभी वह रास्ते में रुक जाती है और हम लोग उस वजह से लखनऊ मेल नहीं पकड़ पाते हैं। एक बार मैं भी उसमें बैठकर आया था, मुझे यह दिक्कत पेश आयी थी। माननीय मंत्री जी एक शादी की शिरकत में जब मुजफ्फरनगर गये थे, तो मेरी उनसे वहाँ मुलाकात हुई थी, मैंने उन्हें इस बारे में अवगत किया था, तो उन्होंने मेरे सामने ही अधिकारी को बुलाकर कहा था कि इस रूट पर आप नयी बस लगायें, लेकिन मुझे खेद है माननीय मंत्री जी कि उस आदेश का अभी तक पालन नहीं हुआ। मैं आशा करता हूँ और यह अनुरोध करता हूँ कि वह बस अक्सर खराब रहती है, उसमें काफी भीड़ है वहाँ नयी बस शीघ्र से शीघ्र लगवा देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूँ और प्रस्तुत बजट पर हमारे माननीय सदस्य श्री फिरंगी प्रसाद विशारद द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रस्तुत परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मान्यवर, हमारे दोस्तों ने बहुत सी बातें की, इस डिपार्टमेंट से उत्पन्न समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का और इस सदन का ध्यान आकृष्ट कराया। परन्तु मैं आपके माध्यम से इस सम्बन्ध में दो चीजें रखना चाहता हूँ और उनकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, 1976 में इसी सरकार ने एक नियम स्पेशल नियम बनाया, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की समस्त मिनी बसें जो थीं, जो कांटेक्ट कैरिज कहलाती थी, उनको यू० पी० एस० आर० टी० सी० के अधीन चलाने के लिए एक नियम बनाया गया था। उस समय 1976 में 90 प्रतिशत वे मिनी बसें परिवहन निगम के अधीन चलने लगी थीं। परन्तु आज परिवहन निगम के अधिकारियों की शरारतों की वजह से वह मिनी बसें बाहर आ गयीं और गलत तरीके से इस वक्त चल रही हैं। अगर उनको सुविधापूर्वक निगम के अधीन और सही तरीके से चलाया जाय, तो टैक्स की

चोरी न हो। जो परिवहन निगम में बसों की कमी है उसको पूरा किया जा सकता था परन्तु इन अधिकारियों की गलत निर्णय और दवाव में इन बातों को करने के बाद वह मिनी बस मालिक मजबूर हो गये यू० पी० एस० आर० टी० सी० को छोड़ दिया और स्वयं वह कार्य करने लगे जो सन् 76 के पहले करते थे। इसमें शासन और अधिकारियों की गलती है। मैं पुनः अनुरोध करूँगा कि इस पर विचार करें कि मिनी बस परिवहन निगम के अधीन चलती थी क्या कारण है कि वह निगम से निकल गई और इस तरह की बात हुई। जिसके कारण प्राइवेट आपरेटर उन मिनी बसों को बाहर लाकर गलत ढंग से आज रूट पर आपके सीने पर चला रहे है। मान्यवर, यह ऐसा प्रश्न है जिस पर मंत्री जी गौर करें आपके निगम के पास बसों की कमी है जो यातायात की कमी है उसको पूरा करने के लिये आपको 8-9 सौ मिनी बसें मिल सकती हैं और जनहित में आप इनको हर जगह चला सकते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ और मैंने प्रश्न किया था सरकार ने कहा विचार कर रहे है। मेरा मत है और मैं बताना चाहता हूँ सरकारी बसों को भी जिस तरह से प्राइवेट बसें चेक होती हैं उसी तरह चेक किया जाय। प्राईवेट बसों को चेक करके चालान अदालत में भेजते हैं और सरकारी बसों को चेक करके उन्हीं अधिकारियों के पास चालान भेज देते हैं जो उन्हें चलाते हैं। मैं चाहता हूँ कि परिवहन निगम की बसें चेक की जाय और चालान मैजिस्ट्रेट के पास भेजी जाय तो आपको पता चले कि कितने गलत ढंग से यह बसें चल रही हैं। लेकिन गाड़ी चेक हुई और उसी अधिकारी के पास चालान भेज दिया गया जो उसको चलाता है। यह कहां का न्याय है कि जो पकड़ा गया वही अपना फैसला करें। शासन इस पर विचार करें और इनको मजबूर करें कि इसके चालान अदालत में जाय। तो आप देखेंगे कि यह अपनी हालत में सुधार करेंगे और अधिकारी मजबूर होंगे अपनी बसों को सही रखने के लिए तथा ठीक से चलाने के लिए एक बात मैं और कहना चाहता हूँ जो प्राईवेट आपरेटर बसों को चला रहे हैं और जो व्यवस्था आपके अधिकारियों की है उनमें इतनी अनियमितता है, उनका मेलजोल इस तरह का बना है कि मिलकर वह टैक्स की चोरी करते हैं इनसे मिलकर खाते हैं। आप व्यवस्था करें कि इनको अचानक पकड़ा जाय और टैक्स वसूल किया जाय तथा जो अधिकारी इससे सम्बन्धित हो उसको तुरन्त निलम्बित किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी —

मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे परिवहन निगम के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह परिवहन विभाग एक पहेली है हमारे लिए। आज जहाँ एक ओर प्राईवेट आपरेटर्स हजारों रुपया रिश्वत अधिकारियों को देकर एक गाड़ी चलाता है साल भर में दूसरी गाड़ी के माध्यम से लाखों हजारों रुपया आमदनी करता है। इस विभाग में 5 हजार 710 बसें हैं। घाटे में यह विभाग चल रहा है। यह शर्मनाक बात है इस पर गम्भीरता से सोचना होगा कि कैसे इस विभाग को ठीक किया जाय और कैसे जन सेवा में ठीक काम कर सके। मान्यवर, इस विभाग के बजट में मंत्री जी ने दर्शाया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो बसें चला रहे हैं वह घाटे का कारण है। मैं बताना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में जो बसें आज यह चला रहे हैं वह किस हालत में है। इन्होंने मोनोपली मार्ग पाथ बनाया है राष्ट्रीयकृत मार्ग। इस पर केवल इन्हीं की बसें चलेंगी। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इस एकाधिकार को समाप्त करके हमारे यहां जो लोकल कम्पनी है उसको भी चलाने की इजाजत दें क्योंकि आपके एकाधिकार से न तो वहां बसें चलती हैं और न चल सकती है। इस तरह से जनता को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

[श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—]

घाटे का जहां तक सम्बन्ध है, आज जो आपके बसों की बाड़ी है, इस तरह से निर्मित होती है कि पर्वतीय क्षेत्र में जब हम चलते हैं तो पता चलता है कि हम बिना इंजन के बस में चल रहे हैं और बरषात में बस के अन्दर छाता ओढ कर चलना पड़ता है और चेकिंग स्टाफ, ड्राइवर कण्डक्टर, उनका व्यवहार आम जनता के साथ, मुसाफिरों के साथ क्या होता है। ये सब घाटे के कारण हैं। एक बस की कैपेसिटी 45 की है लेकिन ढ़ो रहे हैं 60-60, 100-100। कोई चेकिंग स्टाफ नहीं, अगर चेकिंग करता भी है तो लगता है यह विभाग शुरू से आखीर तक, सबकी मिली-भगत है। और इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि यह विभाग पनप ही नहीं रहा है। मैंने एक प्रश्न किया था पिछली बार और परिवहन मंत्री, जी ने घोषणा की थी कि कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल में रीजनल वर्कशाप ओरिजिनल वर्कशाप बनायेंगे और उसके बाद श्रीनगर में बद्रीनाथ जानेवाली बसों के लिए डिपो खोलेंगे और आज जवाब दिया है कि यह विचाराधीन ही नहीं है। तो वह इसको फिर से देखें। घोषणा है और यह भी कहा गया है कि इस पर काम शुरू करने वाले हैं। अगर इस विभाग को चलाना है तो उस पर गम्भीरता से सोचना होगा। जो ड्राइवर हैं, उनको इन्सेन्टिव दें, एक गाड़ी को एक ही ड्राइवर को दिया जाय। दो-दो, तीन-तीन न बदले जांय, और कहा जाय कि जिस ड्राइवर की गाड़ी ज्यादा चलेगी और ठीक मेनटेन होगी उसे इसका इनाम दिया जायेगा। तो अगर उसकी गाड़ी लम्बे समय तक ठीक हालत में चलती रहे तो उसको इनाम दिया जाए। इसी तरह से डिपोज को भी इन्सेन्टिव दिया जाय, कण्डक्टर को दिया जाए कि जिसकी ज्यादा बुकिंग होगी, उसको इनाम दिया जायेगा। इस तरह से हो सकता है भ्रष्टाचार कम हो जाए। बसों में कितनी गन्दगी है, कोई भला आदमी उसमें बैठ नहीं सकता इसके अलावा जब कोई बोनाफाइड पैसेन्जर होता है तो श्रीमन्, सामान उतारने-चढ़ाने की कोई व्यवस्था नही है। जहां 10 आदमी प्रति बस रखें हैं इनमें एक क्लीनर जरूर रखें जिसकी जिम्मेदारी होगी सफाई करना, कोई खराबी होगी तो उसकी रिपोर्ट दे ताकि समय से उसकी मरम्मत हो सके। इस तरह से गाड़ियों की मेन्टेनेन्स होती रहेगी। और अगर मेन्टेनेन्स ठीक रहेगी तो मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है कि यह निगम घाटे में चले। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

*श्री अनवार खां—

आपने मुझे जो परिवहन के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिए आप का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। मैं अपने मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। एक शेर पढ़ देना चाहता हूँ—

एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी,
और दर्द बेचारा परेशान है कहां उठूँ।

ये जो परिवहन विभाग के कर्मचारी बैठे हैं, इन्होंने जो इस निगम को लूटा है इसका नतीजा यह है कि कोई बस साबुत नहीं है। जब भी बैठकर चलते है, यह उम्मीद नहीं होती कि मंजिल तक पहुंच जायेंगे।

मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर चैन पाते हैं,
वह मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी मुसाफिर को यह पता नहीं होता कि वह मंजिल तक पहुंच ही जायेगा। दूसरी बात यह कि आप इन बसों का मैन्टीनेंस देखें। कोई बस सफाई के साथ नहीं मिलेगी। कूड़े से भरी हुई मिलेगी, मूंगफली के छिलके मिलेंगे। बसों में धुंवा उठा करता है। आप इंजन के बराबर वाली सीट पर बैठ नहीं सकते इतनी बू आती है। कोई सुविधा नहीं है किराया बढ़ता चला जाता है। किसी कंडक्टर से किसी ड्राइवर से, किसी रोडवेज के बस स्टेशन पर कम्प्लेन्ट करना चाहें तो कम्प्लेन्ट बुक नहीं देते। कह देते हैं कि जो कुछ करना है कर लीजिये।

दूसरे मान्यवर, अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं। जिला अलीगढ़ में अतरौली क्षेत्र है। जो बसें चल रही हैं उनमें कोई भला और शरीफ आदमी बैठ नहीं सकता। कोई भी ऐसी बस नहीं है जिसको अच्छी कहा जा सके। एक यहाँ पड़ी है दूसरी वहाँ पड़ी है। पैसा लेते हैं लेकिन अगर बस खराब हो जाती है तो पैसा वापस नहीं देते। कहते हैं कि दूसरी में चले जाइये। दूसरी गाड़ी का इन्तजाम नहीं है। मैं खासतौर से इस ओर मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब इनके पास बसें नहीं हैं। जब सब रोड्स पर नहीं चला सकते तो यह नये रूटों को नेशनलाइज क्यों करते हैं? इसको बन्द करें। यह प्राइवेट गाड़ियों को लें। उसमें उनका ड्राइवर होगा पैट्रोल देंगे, उनका मेन्टीनेन्स होगा। निगम में टायर बेचे जाते हैं, पुर्जे बेचे जाते हैं। रोडवेज के कर्मचारी और अल्ला मियाँ में कोई नाता नहीं है। बेधड़क बेच रहे हैं। क्या क्या हो रहा है। मैं इस हाऊस से दरख्वास्त करूंगा कि इस निगम को खतम कर देना चाहिये। इसको सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिये। डी०डी०ए० की बसें जो यू०पी० में आती हैं उनमें विधायक को बैठने के लिये विधायक सीट नहीं होती। अगर दिल्ली की बस से कहीं बैठकर जायें तो निहायत बदतमीजी का सुलूक करते हैं।

मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि दिल्ली की बसों में भी दी विधायकों को वही सुविधा दी जानी चाहिये जैसे यू०पी० की बसों में दी जाती हैं। अन्यथा इनका उत्तर प्रदेश में आना बन्द कर देना चाहिये। संबल जिला मुरादाबाद से दिल्ली के लिये इतनी गाड़ियाँ चोरी से चलती हैं वह बराबर बढ़ती जा रही हैं। रोडवेज की गाड़ियाँ खाली जाती हैं। इसको रोकने वाला कोई नहीं है।

एक शेर कहने के बाद समाप्त करता हूँ :

अभी और कुछ दिन ये दस्तुरे मैखाना है
तृष्णा, कामी के यह दिन गुजर जायेंगे
मेरे शाकी को नजरें उठाने तो दो
जितने खाली हैं सब जाम भर जायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ।

श्री माता प्रसाद पांडेय—

मान्यवर, समय बढ़ा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

प्रस्ताव लाइये। आप नियमावली तो देख लें। सरकार से पूछें और प्रस्ताव लावें।

(व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस परिवहन विभाग के बजट पर जो माननीय सदस्य भाग ले रहे थे उनकी संख्या लगभग 10 थी। माननीय मन्त्री जी ने तो पहले ही कह

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—]

दिया उसकी पुष्टि तो दोनों ओर से होनी ही थी, जो पहले से आ रही है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य दो चार बातें इस सदन में आयी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपके कारपोरेशन में इतने कर्मचारी हैं लेकिन उसमें अनुसूचित जाति का कोटा पूरा नहीं हुआ है और जो बसें हैं उनकी सफाई नहीं होती है और जो भी कर्मचारी आपके इस काम के लिये हैं वे बसों की सफाई नहीं करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो आप ये प्रशासनिक अधिकारी बढ़ाते जा रहे हैं वे तभी बढ़ायें जब ये पता चल सके कि इस कार्य में यह आवश्यक हो गया है कि अधिकारी को बढ़ायें बगैर ये कार्य नहीं चल सकता है। अगर उसकी पोस्टिंग की भी जाय तो कुछ दिन उसे परीक्षण के तौर पर रखा जाय और यह देखा जाय कि उसकी कार्य क्षमता क्या है और उससे विभाग को क्या फायदा हो रहा है।

मान्यवर, पगली बार डीजल और पार्ट्स खरीदने के बारे में अनेकों सदस्यों ने कहा है। मैं इस संबध में माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि पार्टस की चोरी के बारे में बहुत अर्से से कहा जा रहा है लेकिन इसमें अभी तक आप कोई अँकुश नहीं लगा पाये हैं। आपके कारपोरेशन के उच्च अधिकारियों की जो कमेटी बैठी हुई है उसकी उपलब्धता आपको पता करनी चाहिये कि अभी ताकि उसने क्या किया है और कब तक वह अपनी रिर्पोट इस विषय में दे देगी ? आपकी बसें जो अन्दर व प्रदेश के बाहर चलती हैं उनमें सुख-सुविधा बढ़ायी जानी चाहिये।

मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ बताया गया है कि सत्ता पक्ष के ही माननीय सदस्य श्री चेतराम गंगवार जी की आपके विभाग ने बड़ी दुर्दशा की है, उनकी बेइज्जती की है और आपके कांग्रेस पार्टी की बैठक में इसे लेकर बड़ा हँगामा हुआ। इस प्रदेश में बहुत से ऐसे तहसील हेडक्वाटर्स है जहाँ से बसें अन्य जिलों को नहीं चलती हैं। जैसे इलाहाबाद में सोरॉव से नहीं चलती हैं। गोरखपुर के महाराजगंज तहसील में वहां से लखनऊ, इलाहाबाद, और वाराणसी को बसें नहीं चलती हैं। तो मान्यवर, मेरा कहना है कि जो ये तीर्थ स्थान हैं और इन तीर्थ स्थानों पर किसी विशेष पर्व पर लोग जाते हैं तो उनको वहां टिकने की, पानी की और शौचालय की असुविधा होती है, तो वहां पर इन सब चीजों की सुविधा होनी चाहिये। और जिन डिपो पर अच्छी आमदनी है वहाँ पर यात्रियों के लिये अच्छे शौचालय और टिकने की व्यवस्था कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, इनके विभाग को पिछले वर्ष इस सदन ने 23,05,15,000 रुपए दिया था और इस साल 14,62,39,000 रुपए दिया है। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस साल इतना बजट कम करने का औचित्य क्या है ? इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूँ तथा सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मुझे यूरोप जाने का अवसर प्राप्त हुआ

तो मैंने वहां देखा कि वहां की गाड़ियों में न तो धूल रहती है और न वहाँ गाड़ियों में हार्न बजाते हैं लेकिन यहां की गाड़ियों में आदमी जोकर हो जाता है····

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री बिष्ट जी आप बैठें, आगे नोट नहीं किया जायेगा।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मैं इधर और उधर दोनों तरफ के बैठने वालों से निवेदन करता हूँ कि यह बीमारी नयी नहीं है। नये डाक्टर इलाज करने चले थे, उधर बैठे हुए लोग। यह बीमारी 77-78 से चली आ रही है, बीच में किसी ने चैक नहीं किया। मैंने खुलकर बात कह दी तो दोनों तरफ के लोग कहने लगे। मा० सदस्यों को समझना चाहिए कि आज की तारीख में तो कोई नयी बात नहीं हुई। मुझे आपने डाक्टर तो जरूर बना दिया लेकिन यह बीमारी नयी नहीं है। अपने बयान को खत्म करते समय मैंने अपील की थी कि मा० सदस्य अपने सुझाव दें जिससे सुधार हो सके। कुछ मा० सदस्यों ने सुझाव दिये, कुछ ने खाली आलोचना की और बात को वहीं खत्म कर दिया। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई न कोई इसका इलाज होना चाहिए। इसमें जब तक सख्ती से काम नहीं लिया जायगा तब तक सुधार सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

मामला यह है कि डाक्टर तो बना दिया गया है लेकिन आपरेशन की अथारिटी नहीं दी गयी है।

(हंसी)

श्री बल्देव सिंह आर्य—

आप जैसे डाक्टर मिल जायेंगे तो सिवाय मरने के जिन्दा कैसे रहेगा।

(हंसी)

आपको शिकायत है तो मुझे भी कहीं न कहीं शिकायत हो सकती है, लेकिन उसमें आपका सहयोग जरूरी है। मैं जब किसी के स्थानान्तरण की बात करता हूँ तब कोई न कोई पहुंच जाता है कि यह तो हमारा आदमी है····

(व्यवधान)

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, कोई चीज लिखी नहीं जायगी।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं बताऊँ ।

श्री मेंहदी असगर—

व्यवस्था का सवाल है । जैसा मा० मन्त्री जी ने आरोप लगाया हम जो कुछ कहते हैं, जनहित में भ्रष्टाचार रोकने के लिये कहते हैं । मेरा अनुरोध है कि····

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है, आप बैठें ।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्राइवेट बसों के चलाने की बात हुई । हमने अनुबन्ध पर अभी तक 700 बसें लगा रखी हैं अनुबन्धित करके और जो मा० सदस्य दे दें तो उनको भी अनुबन्धित कर देंगे, हम तो इस प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि लोगों को यातायात की सुविधा मिले । अगर बसों की कमी है तो अपनी बसों को लगा दें, हम लेने को तैयार हैं ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मा० मन्त्री जी जो प्राइवेट बसों को अनुबन्धित करने के लिये कह रहे हैं, तो पता लगा लें कि कितने विधायकों के पास हैं, पहले उन्हीं को अनुबन्धित कर लें ।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

अपने मित्रों की बसों को अनुबन्धित करा लें तो इस प्रदेश की जनता को लाभ हो । दूसरी बात जो बसों के चलने की बात हुई । मैं भी इस तरह जरूर कर रहा हूँ कि शहरों में जो बड़े-बड़े शहर हैं—लखनऊ है, इलाहाबाद है, कानपुर है और बनारस है, मेरठ है और बरेली है, ऐसे शहरों में बसें चलायी जायं ताकि लोगों को कोई तकलीफ न हो और वह प्राइवेट लोग चलायें । इस प्रश्न पर अब विचार कर रहे हैं और कोई अनुमति बाद में नहीं कर रहे हैं । पंजाब और हरियाणा की जो बसें आती हैं तो उनके साथ हमारा समझौता है कि उनकी बसें यहाँ आती हैं और हमारी बसें पंजाब और हरियाणा को जाती हैं ।

मान्यवर, अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, समय ज्यादा नहीं लेना चाहता । आप लोग कह रहे थे कि डेढ़ लाख रुपया छीना गया । अगर गार्ड होती और गाड़ी होती तो वह रुपया छीना न जाता । वह रुपया चपरासी बैंक से लेकर जा रहा था किसने उससे छीना, कौन लोग थे, क्या था ? इन सब बातों की छानबीन हो रही है क्योंकि अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है । हमारे बाजपेयी जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, मैं उनको बहुत अर्से से जानता हूँ कि उनकी भाषा बहुत लच्छेदार होती है । इसी लच्छेदार भाषा का प्रयोग करके इन्होंने इस प्रदेश के कई बड़े-बड़े लोगों को उलझाया है और मैं उनका प्रशंसक भी हूँ ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

इन्होंने लच्चेदार शब्द का प्रयोग किया है लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरी भाषा लच्छेदार नहीं ठोस है ठोस ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, मैं पुनः इस सदन के दोनों तरफ बैठे हुए माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि वह भाई जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, वह उसे वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय विशारद जी, क्या आप इसे वापस ले रहे हैं ?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31—परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,62,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें एक सूचना सर्वश्री राम आसरे वर्मा, मसरूर जाफरी और मित्रसेन यादव की है जो कि फैजाबाद के पत्रकार को परगनाधिकारी, अकबरपुर द्वारा गिरफ्तार कर अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में है, इस एक सूचना को मैंने स्वीकार किया है और बाकी सूचनाओं को अस्वीकार किया है।

मोहन मेकिन्स नामक शराब बनाने वाले कारखाने द्वारा छोड़े गये गन्दे पानी से गोमती नदी का पानी विषाक्त होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

दिनांक 7 मार्च, 1983 को प्रातः उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को ज्ञात हुआ है कि निशातगंज पुल के निकट गोमती नदी के बायें किनारे पर मरी हुई मछलियां पायी गयीं। अतः बोर्ड के सर्वेक्षण दल ने स्थल का तत्काल निरीक्षण किया और विभिन्न स्थानों पर गोमती नदी के जल की जांच की।

[श्री रामसिंह खन्ना]

2—जांच से यह पता चला है कि यद्यपि डालीगंज स्थित मैसर्स मोहन मिकिन्स डिस्टिलरी के पश्चिम दिशा में अर्थात् नदी की अप स्ट्रीम में जल में घुलित आक्सीजन की मात्रा सामान्य थी और फलस्वरूप उस क्षेत्र में मछलियों का मरना भी नहीं पाया गया, तथापि डिस्टिलरी के पास नदी के डाउन स्ट्रीम में बाई ओर कई स्थानों पर घुलित आक्सीजन की मात्रा 2 मिलीग्राम प्रति लीटर अथवा उससे कम थी जबकि मछलियों के जीवित रहने के लिए कम से कम 4 मिलीग्राम प्रति लीटर घुलित आक्सीजन की मात्रा अपेक्षित होती है। डिस्टिलरी के उत्प्रवाह स्थल के निकट नदी के जल में घुलनशील आक्सीजन की मात्रा लगभग शून्य पायी गयी। इससे यह निष्कर्ष निकला कि मछलियों के मरने की दुर्घटना मोहन मीकिन्स डिस्टिलरी द्वारा छोड़े गये दूषित उत्प्रवाह के फलस्वरूप घटित हुई।

3—ऐसा अनुमान है कि दिनांक 6/7 मार्च, 1983 की रात में उक्त डिस्टिलरी ने अपना दूषित उत्प्रवाह अत्याधिक मात्रा में नदी में छोड़ा जिसके फलस्वरूप नदी का जल अधिक प्रदूषित हो गया और उससे घुलित आक्सीजन की मात्रा इतनी घट गयी कि उससे मछलियों के मरने की प्रक्रिया शुरू हो गई।

4—यह सही है कि उक्त डिस्टिलरी द्वारा अपना दूषित उत्प्रवाह बिना उपचार किये हुए गोमती में निरन्तर गिराया जाता है जिसके लिये उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम, 1974 के अधीन उनके खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही दिनांक 4 जुलाई, 1981 से की जा रही है। इस मामले में न्यायालय ने दिनांक 18-7-81 को अन्तरिम आदेश पारित किये थे कि उक्त उद्योग द्वारा गोमती नदी में अपने उत्प्रवाह का तभी निस्तारण किया जाय जब वह उसके लिये शुद्धिकरण संयंत्र लगा ले जो बोर्ड के मानकों के अनुरूप हों। न्यायालय के आदेश के कारण कुछ दिनों तक उक्त उद्योग ने अपने उत्प्रवाह गोमती नदी में नहीं छोड़े। परन्तु जब उसके अपने उत्प्रवाह गोमती नदी में पुनः छोड़ने प्रारम्भ कर दिये तब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने न्यायालय के समक्ष दिनांक 25-9-82 को शिकायत प्रस्तुत की और न्यायालय ने उक्त उद्योग के समस्त निदेशकों के नाम दिनांक 27-9-82 को सम्मन जारी कर दिये। डिस्टिलरी द्वारा सम्मनों के विरुद्ध सत्र न्यायालय में दिनांक 29-10-82 को रिवीजन प्रस्तुत कर दिया है, जिसकी सुनवायी अभी भी चल रही है। इसके अतिरिक्त उक्त उद्योग ने उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में एक अन्य प्रार्थना पत्र दे रखा है जिसके कारण निचले न्यायालय की पत्रावली उच्च न्यायालय द्वारा मांग ली गयी है। फलतः अभियोजन की कार्यवाही लम्बित बनी हुई है।

5—दिनांक 7 मार्च की घटना के बाद उद्योग के विरुद्ध अधिनियम की धारा 24 व 26 का उल्लंघन करने के कारण न्यायालय में एक नया प्रार्थना-पत्र दिनांक 10 मार्च, 1983 को प्रस्तुत किया गया है जिसमें न्यायालय में प्रार्थना की गई है कि उद्योग के सभी डायरेक्टर्स व मैनेजर को अधिनियम की धारा 43 व 44 के प्राविधान के अनुसार दण्डित किया जाय। न्यायालय के उद्योग के सभी डाइरेक्टर्स को 8 अप्रेल, 1983 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिये सम्मन जारी कर दिये हैं।

6—उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से कि मैसर्स मोहन मीकिंस डिस्टिलरी द्वारा अपना दूषित उत्प्रवाह शुद्धिकरण के पश्चात् ही गोमती में छोड़ा जाय, संबन्धित कानून के अधीन सभी सम्भव कदम उठा रहा है।

7—यहां यह उल्लेखनीय है कि गोमती नदी का जो जल पीने के लिये उपलब्ध कराया जाता है, उसका पहले शुद्धिकरण कर लिया जाता है। तत्पश्चात पेयजल की

आपूर्ति की जाती है। अतः पेयजल से जनता का किसी प्रकार का अहित होने की सम्भावना नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मुझे बड़ा खेद है कि इक्जीक्युटिव अर्थरिटीज जो सारे कामों के अन्तर्गत तो आगे है और खड़े हुए मकानों को गिरा देती है पूरी शक्ति के साथ, लेकिन जिस चीज की स्थिति गम्भीर है उस ओर कोई कार्यवाही नही की जाती है। जबकि गोमती नदी एक नहर जैसी हो गयी है, और उसमें मोहन मीकिन्स द्वारा गन्दा पानी छोड़े जाने के कारण तमाम मछलियाँ व आदमियों को नुकसान पहुँचा है तो इस ओर डायरेक्ट इक्जीक्युटिव पार्वस स्तेमाल न किये जाने के कारण क्या है और उसमें मुकदमा किया गया है, जो कि लाँगप्रोसेस हो सकता है। वह सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं तो यहाँ पर इक्वीक्युटिव अथारिटी ने अपने पार्वस क्यों नहीं स्तेमाल किये, इसके क्या कारण हैं?

श्री राम सिंह खन्ना—

इस प्रसंग में डायरेक्ट इक्जीक्यूटिव पार्वस इस्तेमाल नहीं करना था और इस मामले को कोर्ट में ले जाना आवश्यक था इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर पैरा 4 में कहा गया है कि न्यायालय ने 18-7-1980 को अंतरिम आदेश पारित कर दिए थे कि जब तक संयंत्र न लगा लें तब तक पानी नहीं छोड़ेंगे, तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या शुद्धिकरण संयंत्र लगा लिया गया है या नहीं? अगर नहीं लगाया गया है तो विभाग ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री राम सिंह खन्ना—

उन्होंने कुछ दिन गन्दा पानी छोड़ना बन्द कर दिया, अभी लगाया नहीं हैं, वादा करते रहे हैं, इसीलिए मुकदमा दायर किया है। कोई कार्यवाही करने में कसर नहीं रखी जायेगी आप भी हैं और हम भी हैं।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि न्यायालय के आदेश हुए कि पानी रोक दिया जाय, जब तक कि संयंत्र न लगा लें, लेकिन फिर भी पानी का प्रवाह किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि शासन की जो कार्यवाही हुई है वह न्यायालय के आदेश के अवहेलना के विरुद्ध है या जो इन्होंने इस समय पानी छोड़ा उसके खिलाफ है?

श्री राम सिंह खन्ना—

उन्होंने जल प्रवाह किया उन आदेशों के विरुद्ध और जो उन्होंने पानी छोड़ा वह कानून के खिलाफ है, उसके लिए उन पर क्रिमिनल केस भी दायर कर दिया है।

श्री राम गोविन्द—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मोहन मीकिन मानी जानी पूँजीपति है और न्यायालय से कोई फैसला जल्दी नहीं हो सकता है तो माननीय मंत्री जी इनकी

[श्री राम गोविन्द—]

तमाम गतिविधियों को देखते हुए अलग से कोई व्यवस्था करेंगे कि वह गोमती में पानी न छोड़े ?

श्री राम सिंह खन्ना—

इसके लिए तो रूकावट है ही, लेकिन जब वह गिराते हैं तो कानून के खिलाफ कार्य करते हैं, उसके लिए उनको दंडित किया जायेगा, लेकिन यह कहना गलत है कि शासन इसके प्रति उदासीन है ।

श्री प्रियदर्शी जेटली—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़ी पार्टी है और सुप्रीम कोर्ट तक उसके लिए रास्ता खुला हुआ है और एक जजमेंट के बाद वह उसकी अपील कर सकते हैं । ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार को सुझाव देकर उसके लाइसेंस को निलम्बित करने का प्रयास किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया ।

श्री राम सिंह खन्ना—

यह भी किया जायेगा, जब इसकी आवश्यकता होगी । जब हमने कानून नाफिस किया, नया नया कानून है तो हम समझा बुझाकर काम कर रहे हैं । अगर उससे काम नहीं चलेगा तो लाइसेंस समाप्त किया जायेगा, सजा दी जायेगी और आवश्यकता पड़ी तो कानून को भी बदला जायेगा, लेकिन इस समय हम समय दे रहे हैं, अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए । प्रक्रिया में समय लगता है । यह शासन की जिम्मेदारी है और उसको पूरा करने के लिए हमें चाहे कितने ही कठोर से कठोर कदम उठाने पड़े, वह उठाये जायेंगे, शासन पीछे नहीं रहेगा ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मानवता के यह विरुद्ध है, होस्टेस ह्यमेन्स डेन्डिस है, 25-9-82 को मोहन मीकिन ने पानी का प्रवाह किया, यह रोजाना लगातार उसका रवैया है, यह कंटीन्युयेशन है । यह कोई बात नहीं हैं कि यदि एक दिन मार-पीट कर दी और उसका चालान कर दिया और जब तक उसका फैसला न हो तब तक उसके लिये खुला लाइसेंस मिल गया कि वह रोज मार-पीट करता रहे । इसकी इजाजत एक साधारण नागरिक की नहीं है तो मोहन मीकन्स को कैसे यह इजाजत दी गई कि 25-9-82 से वह लगातार ऐसा कर रहा और उसका चालान आप नहीं कर रहे हैं वह अपराध करता चला जा रहा है । क्या माननीय मंत्री जी कल की तारीख में आज के अपराध की एवज में न्यायालय मे जायेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

अवश्य, इसमें कोई बात नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, यह देखते हुये कि हमारे कारपोरेशन में और एल०डी० में बड़े-बड़े मजबूत अधिकारी मौजूद हैं जो मदिरों को भी गिरा सकते हैं, मस्जिदों को गिरा सकते है और गिरजा घरों को गिरा सकते हैं और लखनऊ की आबादी इतनी बढ़ गई है कि वह उसके 4/5 मील दूर तक फैल गई है और मोहन मीकेन बीच में आ गया है । क्या माननीय मंत्री

जी कोई अपनी ऐसी शक्ति इस्तेमाल करेंगे जो यह फैक्टरी है उसे लखनऊ से निकाल कर कही बाहर पहुंचा दी जाय ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, पहले तो यह फैसला करें कि इसको हटाना है। फिर इसके बारे में सोचा जायेगा।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि गोमती के जल को पीने के लिये भी उपलब्ध कराया जाता है। इसलिये उसका शुद्धीकरण कर लिया जाता है। माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे कि इसका पानी केवल लखनऊ की पब्लिक ही नहीं उससे आगे के क्षेत्र के लोग भी इसका जल पीते हैं तो क्या दूसरे लोगों के लिये भी इस जल के शुद्धीकरण के लिये व्यवस्था मंत्री जी करायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूँ।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 17 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
16 मार्च, 1983

भाल चन्द्र शुक्ल
सचिव विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1389 पर।)

रिक्त पदों के विवरण

क्रमांक	रिक्त पदों की श्रेणी तथा संख्या	पद कब से रिक्त है
1	2	3
1	उप परिवहन आयुक्त———3	29-8-81
		1-7-82
		1-7-82
2	सम्भागीय परिवहन अधिकारी—1	11-8-82
3	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी———————— 19	4-11-80
		19-8-81
		10-9-81
		23-3-82
		11-5-82
		25-5-82
		10-8-82
		10-6-82
		जून 82
		24-6-82
		30-8-82
		30-8-82
		3-11-82
		31-12-82
		1-2-83
		1-2-83
		10-2-83
		10-2-83
		10-2-83

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या—20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1394 पर।

मान्धाता सिंह
एम. एल. सी. अध्यक्ष
उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा संघ

13—आफिसर्स हॉस्टल, मीराबाई मार्ग, लखनऊ
दिनांक दिसम्बर 27, 1982

प्रिय गुलाब सेहरा जी,

प्रगति आश्रम हाईस्कूल, बालागंज, लखनऊ के संबंध में कृपया मेरे पत्र दिनाँक 16-12-82 का संदर्भ लें जिसमें मैंने उक्त विद्यालय के संबंध में साक्ष्य सहित कतिपय तथ्यों से अवगत कराने का आश्वासन दिया था। तदनुसार इस पत्र के साथ श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उ० प्र० के श्री राम आसरे वर्मा, एम. एल. ए, को सम्बोधित पत्रांक कार्य–4/एम-4720, दिनांक 4-12-82 की प्रतिलिपि उसके संलग्नकों सहित आपके अवलोकनार्थ प्रेषित कर रहा हूँ। संलग्न पत्र में निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चलता है—

(1) दिनांक 29-7-81 को प्रधान लिपिक तथा प्रधानाचार्य के पद हेतु हुए साक्षात्कार एवं चयन सबंध अभिलेख आडिट पार्टी को प्रस्तुत नहीं किये गये।

(2) संपरीक्षा में प्रस्तुत सेवा पुस्तिकायें एवं व्यक्तिगत पत्रावलियाँ अपूर्ण थीं।

(3) डारमेटरी के निर्माण के सम्बन्ध में निर्धारित औपचारिकतायें··· निविदा आमंत्रित करना, सामिग्री क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित करना, माप पुस्तिकायें, कार्य के अनुमान सम्बन्धी अभिलेखा, निर्माण की प्रशासनिक-वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति आदि··· पूरी नहीं की गयीं। यदि किया गया था तो उक्त अभिलेख संपरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रश्नगत कार्य अमानी पर बिना रेट प्राप्त किए ही कराया गया।

(4) दिनांक 31-3-82 को अध्यक्ष से रु० 5028.60 पैसे नगद ऋण प्राप्त करके अध्याकों/अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों को बकाये का भुगतान दर्शाया गया था। इस संदर्भ में उल्लेखनीय बात यह थी कि इतनी बड़ी संस्था द्वारा ऋण लेने में बैंक व्यवहार नहीं किये गये जबकि 1-7-82 को चैक संख्या—629028 द्वारा अध्यक्ष को रु० 5028.60 पैसे वापस किये गये।

(5) संस्था द्वारा कोई अभिलेख ऋण-लेखा से सम्बन्धित नहीं रखा जाता है।

(6) सामग्रियों के भंडारन से सम्बन्धित मुख्य पंजी तथा वितरण-पंजी की प्रष्टियों के मिलाने करने पर अनेक सामग्री गायब प्रतीत हुई जिनका मूल्य निर्धारित नहीं था।

(7) रु० 4,181/- का अग्राह्य भुगतान किया गया।

(8) धन आहरण-वितरण तथा भंडार कार्य से सम्बन्धित लिपिकों से कोई प्रतिभूति जमा नहीं कराई गयी है।

(9) प्रत्येक माह अधीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के नाम विविध व्ययों हेतु अग्रिम धन-राशि दिया जाना अंकित है परन्तु कोई अग्रिम पंजी नहीं रखी जाती। अतः संपरीक्षा के समय यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि दिये गये समस्त अग्रिमों का उचित समायोजन हो गया था।

(10) आडिट फीस का रु० 35,820.89 पैसे उक्त संस्था पर बकाया है।

(11) पूर्व संपरीक्षाओं में रु० 1,52,000/- का अमान्य भुगतान इंगित किया जा चुका है।

(12) राजकीय अनुदान की धनराशियों का उपयोग निर्धारित नियमों एवं प्रतिबंधों के अधीन किया गया—इसे सुनिश्चित करने हेतु संपरीक्षा में अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

2—मुझे ज्ञात हुआ है कि प्रश्नगत संस्था द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं आदि के सम्बन्ध में श्री जे० एल० बजाज, वित्त सचिव ने अपने पत्र द्वारा श्री राम कृष्ण, सचिव, हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग का ध्यान आकर्षित किया था परन्तु उनके पत्र पर भी अभी तक आपके सचिव द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं पहले ही आपको सूचित कर चुका हूँ कि सचिव महोदय तथा संस्था के अध्यक्ष के मध्य घनिष्ठ मित्रता है तभी शिक्षा विभाग तथा वित्त विभाग की आपत्तियों के बावजूद उक्त संस्था को सचिव के हस्क्षेप पर अनुदान का भुगतान कर दिया जाता है। यह सब बातें इस तथ्य की द्योतक प्रतीत होती हैं कि आपको प्रत्येक बात की जानकारी है और आपने सचिव के माध्यम से उक्त संस्था को मनमानी करने की खुली छूट दे रखी है। मेरे इस कथन की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि उक्त संस्था के बारे में आपको विधान परिषद में एक वक्तव्य देना था जिसे आपने दो सत्रों में देने का प्रयास नहीं कर सके।

अब आप यदि उचित समझें तो सम्पूर्ण तथ्यों पर मनन करने के बाद कोई तिथि व समय मुझे तथा माध्यमिक शिक्षक संघ से सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सूचित करने की कृपा करें ताकि आपकी अपेक्षानुसार साक्षात्कार हो सके।

साभिवादन, भवदीय,

श्री गुलाब सेहरा जी, राज्य मंत्री
हरिजन तथा समाज कल्याण,
उ० प्र० सरकार

ह० मान्धाता सिंह

प्रिय बजाज साहेब/त्रिपाठी जी,

उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्नकों सहित आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा हूँ। अनुग्रहीत हूँगा यदि आप कृत कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करें।

भवदीय,

श्री जे० एल० बजाज, वित्त सचिव,
उ० प्र० शासन।

ह० मान्धाता सिंह

श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
शिक्षा सचिव,
उ० प्र० शासन

नत्थी "ग"

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1395 पर)

शंकरलाल जायसवाल
उप निदेशक ।

अ० शा० पत्रांक : 602-3/एक-1/23 शि०/81-82
हरिजन एवं समाज कल्याण, फैजाबाद,
मण्डल, फैजाबाद ।

दिनांक : फैजाबाद : मई 19, 1981

आदरणीय महोदय,

कृपया अपने अ० शा० पत्र सं० 1326(11)/26-1-81 दिनांक 13 मार्च, 1981 का सन्दर्भ लें जिसके साथ साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद के हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति में घपले से सम्बन्धित श्री मित्रसेन यादव, सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 9-3-81 प्रेषित करके उस पर आख्या चाही गयी है ।

इस सम्बन्ध मे मेरे पत्र संख्या 361-62/एक-1/23-शिक्षा-हसक/80-81 दिनांक 30-4-81 द्वारा अन्तरिम उत्तर आपको प्रेषित किया गया है । अन्तिम स्थिति के बारे में मुझे निवेदन करना है कि साकेत महाविद्यालय में छात्रवृत्ति के घपले से सम्बन्धित सूचनायें मौखिक रूप से मुझे प्राप्त हुई थी किन्तु किसी छात्र द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी है । प्राथमिक तौर पर यह भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अनेक छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है किन्तु विद्यालय में मार्च से ही परीक्षा प्रारम्भ हो जाने के कारण समस्त छात्रों से सम्पर्क नहीं हो सका जिससे निश्चित संख्या बता पाना सम्भव नहीं है कि कितने छात्रों को वर्ष 1979-80 की छात्रवृत्ति नहीं प्रदान की गई। फिलहाल स्थानीय पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में तफतीश की जा रही है। विद्यालय के छात्रवृत्ति से सम्बन्धित अभिलेख तथा जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय में उपलब्ध आवश्यक अभिलेख पुलिस की सुपुर्दगी में दिये जा चुके हैं। उनसे इतना तथ्य प्रकाश में आया है कि विद्यालय द्वारा ऐसे अनेक छात्रों के नाम से छात्रवृत्ति आहरित की गई है जोकि विद्यालय में अध्ययन नहीं करते । इस सम्बन्ध में प्राथमिक तौर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा एक लिपिक को उत्तरदायी माना गया है जिन्हें पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और इनमें कतिपय अन्य व्यक्तियों के भी शामिल होने की सम्भावना है जो विवेचना के उपरान्त स्पष्ट हो सकेगा ।

वर्ष 1980-81 में विद्यालय से सम्बन्धित लिपिक के निलम्बित/फरार होने के कारण विद्यालय से समय से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र नहीं प्रेषित किये गये । अतः वर्ष 80-81 की अधिकांश छात्रवृत्ति का भुगतान समय से नहीं हो सका है । काफी आवेदन पत्र वर्ष के अन्त में प्राप्त हुए हैं जिनके सम्बन्ध में सावधानी बरतने हेतु जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद को निर्देशित किया गया है ।

चूँकि यह मामला पुलिस के विचाराधीन है और इसके लिए मुख्य रूप से विद्यालय के अधिकारी ही उत्तरदायी हैं । अतः इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अलग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । यदि कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में आता है कि जिसमें विभागीय कार्यवाही आवश्यक हो तो उसकी सूचना यथा समय अलग से प्रेषित की जायेगी ।

भवनिष्ठ,
ह०/-
(शंकर लाल जायसवाल)

श्री दौलतराम,
संयुक्त सचिव,
हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-1
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

पत्रांक 601-3/एक-1/शिक्षा-23/हसक/81-82 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या 690-91/शिक्षा-अ दिनांक 7-5-81 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

हस्ताक्षर
उप निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण, फैजाबाद
मण्डल, फैजाबाद ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 108 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1432 पर ।)

प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ, सिंचाई में कार्यरत सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों का विवरण

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पद जिस पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ।	दिनांक जब से सुपरीक्षा कोष्ठ में कार्यरत है ।
1–	श्री वाई० पी० मीतल	मुख्य प्राविधिक परीक्षक	10-5-78
2–	श्री एस० डी० गुप्ता	प्राविधिक परीक्षक	20-10-76
3–	श्री ए० के० विन्दल	प्राविधिक परीक्षक	20-5-78
4–	श्री सी० वी० सिंह	प्राविधिक परीक्षक	7-1-83
5–	श्री वी० पी० गुप्ता	सहायक प्राविधिक परीक्षक	7-1-82
6–	श्री बाल मुकन्द	सहायक प्राविधिक परीक्षक	3-2-82
7–	श्री रमेश चन्द्र सिमल्टी	सहायक प्राविधिक परीक्षक	3-4-82

संसद पुस्तकालय